दशम माला, खंड 8, अंक 4

गुरुवार, 27 फरवरी, 1992
8 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)



(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 27 फरवरी, 1992 / 8 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
28	7	प्रश्न संख्या "47" के स्थान पर "49" पढ़िये।
79	3	"(क) से (च)" के स्थान पर "(ख) से (च)" पढ़िये।
90	6	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
155	14	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(ख) से (घ)" पढ़िये।
169	3	प्रश्न संख्या "5 0" के स्थान पर "530" पढ़िये।
180	नीचे से पंक्ति 5	"श्री आस्कार फेरनान्डेस" के स्थान पर "श्री ओस्कर फर्नान्डीज" पढ़िये।
189	3	प्रश्न संख्या "55" के स्थान पर "555" पढ़िये।
204	2	"श्री सुधार गिरि" के स्थान पर "श्री सुधीर गिरि" पढ़िये।
234	नीचे से पंक्ति 3	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त:स्थापित कीजिए।
236	नीचे से पंक्ति 2	"(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।
236	नीचे से पंक्ति 6	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
237	7	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
241	13	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त:स्थापित कीजिए।
254	17	"श्री गुदास कामत" के स्थान पर "श्री गुरुदास कामत" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दसवां माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 27 फरवरी, 1992/ 8 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 47	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 48 से 60	27—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 461 से 478, 480 से 495, 497 से 531, 533 से 635, 637 से 650 और 652 से 693	41—299
झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में सुधार के बारे में दिनांक 27-11-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	300
वर्ष 1992-93 के बजट-प्रस्तावों का सरकार द्वारा विश्व बैंक को समय से पूर्व कथित प्रकटन के बारे में	300-333
सभा पटल पर रखे गए पत्र	334—337
प्राक्कलन समिति	337
पांचवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
लोक लेखा समिति	337
नौवां और दसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
समिति के लिए निर्वाचन	337—338
प्राक्कलन समिति—स्वीकृत हुआ	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव 32—

प्रस्तुत तथा स्वीकृत

कार्य-मंत्रणा समिति 339

ग्यारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत हुआ

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित 339—340

नियम 377 के अधीन मामले 340—345

(एक) बंगलौर-टुमकुर रेल मार्ग को दोहरा करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा 340

(दो) कर्नाटक के वनों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स 341

(तीन) एक अखिल भारतीय ग्रेनाइट नीति तैयार करने और ग्रेनाइट को एक मुख्य खनिज घोषित करने की आवश्यकता

श्री के० वी० तंग्कावासू 341

(चार) विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी 342

(पांच) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए आवंटित राशि की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री नीतिश कुमार 342

(छह) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा संसद सदस्यों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० एम० सी० बालयोगी 343

(सात) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमौली पहाड़ी जिलों को खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी 343

(आठ) ताजमहल को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत 344

जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखे जाने के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत 345—382

श्री पी० सी० चाक्को 345

प्रो० वेंकटेस्वरलु उम्मारेड्डी 347

श्री हरि किशोर सिंह 348

श्री सूरज मंडल 351

श्री प्रेम कुमार धूमल 353

श्री राजेश पायलट 356

श्री विजय एन० पाटिल 361

श्री ई० अहमद 363

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 365

श्री मदन लाल खुराना 367

डा० श्रीपाल सिंह यादव 371

श्री सुव्रत मुखर्जी 372

श्री पीयूष तीरकी 373

श्री एस० बी० चव्हाण 374

लोक सभा

गुरुवार, 27 फरवरी, 1992/8 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.00 म० पू०

श्रीनगर में बम विस्फोट

[हिन्दी]

+

*41. डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में पुलिस मुख्यालय में हाल ही में हुए बम विस्फोट में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने सुरक्षाकर्मियों को निलम्बित किया गया है तथा कितने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या इस मामले में किसी दूसरे देश का हाथ होने का संदेह है;

(घ) क्या इस घटना की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

24 जनवरी, 1992 को श्रीनगर के पुलिस मुख्यालय में बम फटने और उसके परिणामस्वरूप आग लगने से इस घटना में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई और पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर, अपर-महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिरीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, उप-महानिरीक्षक, कश्मीर रेंज, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और एक अन्य कांस्टेबल बम के टुकड़ों के लगने और जलने से घायल हो गए। थाना शहीद गंज, जिला-श्रीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 10/92 दिनांक 24-1-1992 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया है। अभी तक किसी को निलंबित या गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा दिया है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आसूचना अभियानों को और अधिक तेज कर दिया गया है।

डा० रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष जी, कल सदन में गृह मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था उसमें प्रस्ताव रखते हुए इन्होंने यह कहा था कि कश्मीर की हालत बहुत खराब है, आतंकवादियों ने हिंसा में तेजी ला दी है, आम जनता में खौफ बरकरार है, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक रिपोर्ट वहां के गवर्नर साहब ने 3 जुलाई, 1990 को दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी आतंकवादियों के साथ मिले हुए है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो राज्य कर्मचारी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनकी पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और अभी तक कितने ऐसे कर्मचारी पहचाने गए हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह सच है कि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका है और हम उन्हें फिर से जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि कुछ कर्मचारियों के ऐसी गतिविधियों में लिप्त की संभावना प्रकट की गई है जो आपत्तिजनक है। मैं ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता लेकिन कुछ अधिकारियों को अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया है।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा है। इस समस्या की जड़ धारा 370 है। यह आतंकवाद और अलगाववाद न बढ़े इसके लिए धारा 370 को खत्म करना जरूरी है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस धारा 370 को कब तक खत्म कर रहे हैं, वे यह बताने की कृपा करें ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें से तो यह निकलता ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी

से जानना चाहती हूं कि जब भी इस देश में कोई आतंकवाद की घटना हो जाती है, तो इस सरकार के पास केवल एक ही घिसा-पिटा जवाब होता है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है, तो जो पुलिस मुख्यालय में बस विस्फोट में कर्मचारी या अधिकारी घायल हुए हैं और जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के लिए सरकार ने क्या राहत दी है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, इस घटना में एक कांस्टेबल मरा है, उसको एक लाख 25 हजार रुपये कम्पेन्सेशन के तौर पर दिए गए हैं और बाकी जो जख्मी हुए अफसर हैं, जो वहां के डी० जी० थे, आई० जी० थे, वहां की पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, उनकी हद तक उनको कोई मदद नहीं दी गई है।

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि एक निरर्थक यात्रा की सुरक्षा के लिए कश्मीर में सारी सेना लग गई थी और सारा सुरक्षा तन्त्र उसमें लगा हुआ था इसलिए सुरक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा में लापरवाही की गई थी, इसकी वजह से यह घटना घटी थी ? क्या यह सत्य है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि जहां पर यह घटना हुई है उससे पहले वहां के डी० आई० जी० 4 रोज तक जम्मू में वहां के सिक्योरिटी अरेजमेंट्स के लिए बाहर गए हुए थे और वापस आने के बाद सारे आफीसर्स, 26 तारीख को एकता यात्रा के लिए वहां जाने वाले थे उनकी सिक्योरिटी के इन्तजाम में व्यस्त थे।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि एकता यात्रा से राष्ट्रीय एकता में खतरा पैदा हुआ है ? एकता यात्रा में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मुद्दा इस प्रश्न से जुड़ा है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पंडित : मन्त्री जी ने कहा है कि घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है। सी० बी० आई० की अब तक की जांच की रिपोर्ट में आर्डरली के इस कांड में शरीक होने का सुराग मिला है। आपने कहा कि एक सप्ताह पहले पुलिस और एस० आई० लैवल के 26 आदमियों को निलंबित किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, यह जांच सी० बी० आई० को दी गई है। सात तारीख का मामला रजिस्टर हुआ है और इसके बारे में काफी जांच-पड़ताल हो रही है : इस दरम्यान इस बारे में कोई भी जानकारी हाउस को देना मुनासिब नहीं होगा, इस बारे में अपनी राय देना उचित नहीं होगा।

रसोई गैस की एजेंसियां

[अनुवाद]

+

*42. श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कितनी-कितनी रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार का हरियाणा में और अधिक रसोई गैस एजेन्सियां आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एल० पी० जी० की 44 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं :—

राज्य	88-89	89-90	90-91	कुल
दिल्ली	7	12	5	24
हरियाणा	8	3	4	15
हिमाचल प्रदेश	1	3	1	5
कुल :	16	18	10	44

(ख) और (ग) हरियाणा सहित विभिन्न स्थानों पर एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें वितरण योजना, उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर खोली जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : मन्त्री जी ने अपने उत्तर के बी और सी पार्ट में यह उल्लेख किया है कि मार्केटिंग प्लान और एवेलेबिलिटी के आधार पर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि मार्केटिंग प्लान बनाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिस जिले में कोटलिन प्लांट लगे हुए होते हैं किसी भी गैस कम्पनी के क्या उन जिलों को गैस एजेन्सी आवंटन करते समय तरजीह दी जाती है ?

[अनुवाद]

श्री जी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विपणन योजना तैयार करते समय—विगत विपणन योजना 1987 में तैयार की गई थी—मुख्य विचारणीय मुद्दा उत्पादों की उपलब्धता थी। यह पहली आवश्यकता है। इसके बाद उत्पादों के मांग की बात आती है। आज मांग के लिए जो जनसंख्या निर्धारित की गई है उनमें से अधिकतर शहरी आबादी है। तत्पश्चात् योग्यता की बात आती है—कि क्या उक्त एजेन्सी इन शर्तों के दृष्टिकोण से सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने वायबिल्टी की बात कही है और उसके लिए जनसंख्या की भी बात कही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी जनसंख्या पर एजेन्सी प्रदान की जाती है और देहात मे 25 हजार की जनसंख्या से अधिक गांव में यह एजेन्सी देने पर सरकार क्या विचार कर सकती है ?

[अनुवाद]

श्री जी० शंकरानंद : महोदय, विपणन योजना के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता के लिए 20,000 की जनसंख्या निर्धारित की गई थी और विभिन्न शहरों के लिए एल० पी० जी० सिलिंडरों की मांग भी निर्धारित की गई। मुम्बई के लिए यह संख्या 8,000 है लेकिन दिल्ली-कलकत्ता-मद्रास के लिए इसकी संख्या 6,500, दो लाख से अधिक और 40 लाख की जनसंख्या वाले शहरों के लिए यह 6,000 है और 10 से अधिक और 20 लाख की जनसंख्या वाले नगरों के लिए यह 5,000 है और 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों के लिए 4,000 है। यदि मांग इस आवश्यकता से भी कम हो तो यह माना जाएगा कि वह इकाई कार्यक्षम नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, मन्त्री जी ने खण्ड (ख) और (ग) के सम्बन्ध के बहुत ही अस्पष्ट उत्तर दिया है। वास्तव में मैंने विशेष रूप हरियाणा में एल० पी० जी० एजेन्सी के लिए विभाग ने कितनी संख्या और कौन-कौन सा स्थान निर्धारित किया है क्यों विभाग के कई आवेदन लंबित पड़े है इस विचार से···।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने प्रश्न की चर्चा करें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था कि कितने लोगों मे अभ्यावेदन दिया था और कितने स्थानों का चयन किया गया है। लेकिन इसका उत्तर नही दिया गया इसलिए महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एल० पी० जी० कनेक्शनों की बढ़ती मांग को देखते हुए क्या सरकार ने एल० पी० जी० एजेन्सी आवंटित करने हेतु नए नियम और मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए किसी समिति को गठित करने का विचार किया है। यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना विचारार्थ विषय क्या है और क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह हरियाणा से सम्बन्धित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह दिल्ली से शासित होती है।

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, जो जानकार हमारे पास उनके अनुसार माननीय सदस्य को हम यह बता सकते कि हरियाणा में एल० पी० जी० वितरण के लिए जो स्थान उपयुक्त पाए गए हैं वे हैं (1) फरीदाबाद, (2) हिसार, (3) होडल, (4) शाहबाद, (5) जींद और (6) मंडी डबवाली।

जहां तक समिति के सम्बन्ध में प्रश्न है जो विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है उस बारे में मेरा यह कहना है कि हमने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है। इसलिए किसी भी प्रतिवेदन के प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह विभाग की ओर से कहा जाता है कि गैस एजेन्सियों के आवंटन में या पेट्रोल पम्पों के आवंटन में एस० सी० और एस० टी० लोगों को वरीयता दी जाएगी। यहां तक कहा जाता है कि साढ़े 22 परसेंट आरक्षण नौकरियों की तरह इसमें भी है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो 44 गैस की एजेन्सियां हरियाणा में दी गई हैं और इस वर्ष और भी एजेन्सियां दी गई हैं, उनमें से कितनी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी गई हैं और वर्षों से जो बैकलॉग चला आ रहा है, पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के वितरण में, उनको पूरा करके ही आगे और एजेंसियां दी जाएंगी ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य के इस दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि ऐसी आरक्षणों का पालन किया जाता है और उसमें यदि कोई कठिनाई होगी तो हम उसके समाधान के लिए सभा के समक्ष उपस्थिति होंगे। इस मुद्दे के सन्दर्भ में हमारे परस अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है और मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री इन 44 में कितने हैं ? अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको लिखकर भेजने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : आरक्षण पहले से ही लागू है।

श्री बी० शंकरानन्द : आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे लागू किया जा रहा है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि

क्या 3 नवम्बर, 1987 को मन्त्रालय द्वारा एल० पी० जी० डीलरशिप के आवंटन के सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश दिए गए जिसमें यह कहा गया था कि सहकारी समितियों को कुछ रियायत दी जाएंगी। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या इस दिशानिर्देश का पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री कार्यालय द्वारा उल्लंघन का मामला मन्त्रालय के समक्ष आया है और मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत ही सीमित है। मन्त्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं अतः मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा नहीं है फिर भी मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के लिए आरक्षण हैं। दो प्रकार की सहकारी समितियां हैं। एक है किसी विशेष सहकारी समिति के सदस्य जो व्यावसायिक होते हैं या उसी समिति के सदस्य जो सहकारी समिति द्वारा प्रस्तावित या मनोनीत होते हैं और दूसरा उपभोक्ता सहकारी समिति है जिसका अपना तन्त्र है ताकि ऐसी एजेंसियों से उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा उल्लेख किया गया है और मैं उसकी जांच कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो गैस एजेंसियों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं, उन मानदण्डों की बार-बार उपेक्षा होती है और उन मानदण्डों का पालन नहीं होता है। यद्यपि मार्केट सर्वे इस पक्ष में होता है कि 20 हजार की आबादी पर यहां गैस ऐजेंसी दी जानी चाहिए लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी वर्षों लग जाते हैं, उस निर्णय को पहुंचने में और उसका एकमात्र कारण उपेक्षा है तो क्या इस समय की कमी को दूर करने का आप प्रयत्न करेंगे जिससे कि फेवरेबल रिपोर्ट आने के बाद तत्काल एजेन्सी वहां स्थापित की जा सके ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यह कार्य करने के लिए सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : सर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में किन-किन जगहों का आपने सर्वे कराया है, गैस एजेंसियां देने के बारे में और पेट्रोल पम्प के बारे में और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गैस एजेंसियों में जो रिजर्व कोटा एस० सी० और एस० टी० को मिलता है, उसमें आप कितना उनको दे रहे हैं ? यह जरा आप विस्तार से बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं तत्काल सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं, लेकिन सभा से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पालन करने की कोशिश करेंगे।

भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतन्त्र गणराज्यों के साथ सम्बन्ध

+

*43. श्री पी० एम० सईद :
श्री ई० अहमद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सोवियत संघ के सभी स्वतन्त्र गणराज्यों को मान्यता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन गणराज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन गणराज्यों के साथ मित्रता बनाए रखने तथा उनके साथ व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग स्थापित करने हेतु कोई समझौता अथवा सन्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) रूस के साथ राजनयिक सम्बन्ध विद्यमान हैं और एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं । अन्य गणराज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है ।

(ग) और (घ) पूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के स्वाधीन गणराज्यों में से प्रत्येक के साथ आपसी लाभ के लिए विभिन्न तथा विशिष्ट क्षेत्रों में आपसी हितों तथा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए द्विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद करार/सन्धियां सम्पन्न हो जाएंगी । उजबेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के साथ ऐसे कुछ करार सम्पन्न किए जा चुके हैं । रूस, यूक्रेन, किरगिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा तदजिकिस्तान के साथ यथावश्यक ऐसे करार सम्पन्न करने के लिए बातचीत चल रही है ।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के अनुसार नौ गणतन्त्रों से अभी हमें राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने हैं ।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि सामरिक दृष्टि से यूक्रेन, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इन गणतन्त्रों, विशेषकर यूक्रेन और रूस के साथ व्यापार और तकनीकी जानीते हुए हैं अथवा नहीं । कब तक इन नौ गणतन्त्रों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसाकि माननीय सदस्य महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना एक बात है और उस विशेष देश अथवा गणतन्त्र में मिशन खोलना वास्तव में

दूसरी बात है। सभी गणतन्त्रों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं। वहां मिशन खोलने का कार्य भी हो रहा है। कुछ दूतावास यथार्थ में खोले जा चुके हैं। कुछ में कार्मिक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। कुछ दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति कर दी गयी है। ये संरचनात्मक व्यवस्थायें की जानी हैं। लेकिन प्रत्येक गणतन्त्र के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं। जहां अभी तक हमने यथार्थ रूप में दूतावास नहीं खोला है वहां के लिए मास्को में हमारे राजदूत को समवर्ती रूप से प्राधिकृत किया गया है।

इसलिए ये सभी संरचनात्मक व्यवस्थायें प्रक्रिया में हैं।

श्री पी० एम० सईद : मैं माननीय मन्त्री महोदय के दोष नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया है वह उनके द्वारा अभी दिए गए वक्तव्य से भिन्न है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि रूस समेत छः गणतन्त्रों से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं।

चूंकि, पाकिस्तान विशेष रूप से इन इस्लामी गणराज्यों में घुसपैठ करने और भारत के बारे में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका सामना करने और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ हमारी पुरानी दोस्ती कायम रखने हेतु भारत सरकार क्या कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत यात्रा पर आने के क्या परिणाम निकले हैं और इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, हम भूतपूर्व सोवियत संघ के प्रत्येक गणराज्य के साथ सम्बन्ध कायम करने के इच्छुक हैं। लेकिन माननीय सदस्य महोदय की बात ठीक है। एतिहासिक परिपेक्ष्य में, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम मध्य एशियाई गणराज्यों से निकट सम्बन्ध स्थापित करने में विशेष इच्छुक होंगे।

मुझे यह कहते हुए खुशी होती है और सभा को भी इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावित नये संघ की सन्धि पर हस्ताक्षर होने के पूर्व, सोवियत संघ के विघटन के बहुत समय पूर्व उजबेकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने उजबेकिस्तान से बाहर पहला दौरा भारत का किया था। इससे भारत के प्रति उन देशों की रुचि प्रकट होती है। आज इस समय हमारे नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री अजरबेजान में। वे वहां हमारे मिशन की स्थापना करेंगे, वे अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। अतः उनके साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाएंगे। हमारे सम्बन्ध हमेशा से ऐसे रहे हैं। हमने इसे बनाए रखा है।

आगामी कुछ महीनों में हम आशा करते हैं कि मध्य एशियाई गणराज्य के सभी शासनाध्यक्ष यहां आएंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध स्थापित करने हेतु औपचारिकताये पूरी करेंग और इन्हें अन्तिम रूप देंगे।

जहां तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नजरबयेव के दौरे का सम्बन्ध है, उन्होंने यहां हमारे माननीय प्रधानमन्त्री के साथ बहुत ही विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हर प्रकार से उनकी यात्रा सफल रही है।

श्री ई० अहमद : पाकिस्तान को छोड़कर, अन्य देश जैसे कि इरान, तुर्की और सऊदी अरब इन

गणराज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हमें, भारत को न सिर्फ सरकारी तौर पर बल्कि जनता के स्तर पर भी इन गणराज्यों के साथ अपने पुराने एतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करते हुए सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए। अनेक माननीय सदस्यगण प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया बिना किसी भूमिका के प्रश्न पर आइये !

श्री ई० अहमद : यह ठीक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन गणराज्यों के साथ हमारे जो एतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध थे उनके आधार पर सरकार सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है और क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या नीति अपनाना चाहती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मध्य एशियाई गणराज्यों की ही भांति सभी देशों के साथ सरकारी स्तर पर सम्बन्ध कायम करने के अतिरिक्त जनता स्तर पर सम्बन्ध स्थापित किया जाना बहुत ही सराहनीय है और वास्तव में यह बहुत ही आवश्यक है। इस सन्दर्भ में जहां तक मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, हमने जनता स्तर पर सम्बन्ध कायम किए जाने को बढ़ावा दिया है।

आपके माध्यम से इस सभा को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी होती है कि हाल ही में गैर-सरकारी सदस्यों का एक शिष्टमण्डल, जिसमें इस सभा के माननीय सदस्य शामिल थे और वास्तव में जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ सदस्यों ने किया था जोकि विदेश मन्त्रालय में मन्त्री भी रह चुके थे, ने मध्य एशियाई गणराज्यों का दौरा किया था और यह इस सरकार द्वारा जनता स्तर पर सम्बन्ध कायम किए जाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिए जाने का संकेत मात्र है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मन्त्री जी से यह जान सकती हूं कि इन गणराज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते समय क्या उन्हें इन गणराज्यों में रह रहे भारतीय छात्रों की दुखद स्थिति की जानकारी है ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा हेतु और उन्हें उस खर्च में ही जिसका वहन वे कर सकते हैं, वापस लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से जरा हटकर है लेकिन माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बहुत से छात्र कष्ट झेल रहे हैं। यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सत्य है कि यह बात मूल प्रश्न से जरा हटकर है और यहां मैं यह कह सकता हूं कि हमें यह मालूम है कि सोवियत संघ में 4,000 भारतीय छात्र है। उनमें से अधिकांश वहां सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से गए हैं। अब वे भारी मुसीबत में हैं।

श्री अन्ना जोशी : क्या उनकी संख्या बहुत अधिक है ?

श्री एडुआर्डो फलेरो : 4000 में से 100 छात्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत हो सकते हैं। उनकी संख्या उतनी ही होगी। सोवियत संघ की समस्या के कारण वे परेशानी में है। वहां उनके भरण-पोषण के लिए हमने 50 डालर प्रतिमाह भत्ते की अनुमति दे दी है जोकि सोवियत संघ की वर्तमान स्थिति में पर्याप्त है क्योंकि वे वहां रूबल में भुगतान कर रहे हैं। यहां भारत में उनके माता-पिता समान धनराशि रुपयों में जमा करनी होगी। जहां तक उनके वापस लौटने का प्रश्न है, यदि वे वापस आना चाहें तो उनका स्वागत है। उनकी छुट्टियों के लिए भी हमने उनके माता-पिता द्वारा रुपए में पी० टी० ए० का भुगतान करने की अनुमति दे दी है। (व्यवधान) हमने यह सब कार्य किया है। हम पूरी तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं। हम हर बात पर ध्यान दे रहे हैं। वहां हमारे लोगों के कल्याण के लिए दिए जाने वाले अन्य परामर्शों का भी स्वागत है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जिसकी चिन्ता सब लोगों को है कि सोवियत यूनियन सिक्यूरिटी काउंसिल में कश्मीर के सिलसिले में हमारे पक्ष में वीटो देता था, तो अब सोवियत यूनियन की समाप्ति के बाद जिन रिपब्लिक्स से सम्बन्ध स्थापित हुए हैं, क्या इनके साथ कश्मीर के बारे में कोई बात हुई है ?

(ख) दूसरी चीज मैं डिफेंस के बारे में जानना चाहता हूं। "मिग" विमानों को ऊर्जा देने के बारे में हम लोगों को चिन्ता होती है। इस सम्बन्ध में कौन-कौन से रिपब्लिक से बात हुई है और उसका क्या नतीजा निकला है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलेरो : जैसाकि इस सभा को मालूम है कि इस महीने के प्रारम्भ में सुरक्षा परिषद की पहली शिखर स्तर की बैठक हुई थी जोकि सुरक्षा परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। उस समय हमारे माननीय प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति श्री येल्टसीन के बीच वार्ता के अवसर का सदुपयोग किया गया। राष्ट्रपति येल्टसीन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां तक कश्मीर मुद्दे का सम्बन्ध है भूतपूर्व सोवियत संघ की पहले की स्थिति जोकि अविरोधी स्थिति है, बरकरार रहेगी।

रक्षा सम्बन्धी प्रश्न के मामले में मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मन्त्री जी अधिक बेहतर ढंग से उत्तर देंगे।

श्री राम कापसे : प्रश्न का जवाब देते समय नये समझौतों और व्यापार समझौतों का भी जिक्र हुआ है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ हुए समझौतों का क्या हुआ ? उन व्यापार समझौतों का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के इस भाग का उत्तर दे दिया गया है। उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब दे चुके हैं। उन्होंने हमारे माननीय प्रधान मन्त्री और श्री येल्टसीन के बीच हुई वार्ता का जिक्र किया है।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि कि मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे माननीय विदेश मंत्री द्वारा हमारे भारतीय छात्रों के लिए मास्को में राजदूत के कार्यालय में व्यवस्था करने हेतु कुछ कदम उठाया गया है, कल मुझे कुछ टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री अन्बारासु इरा : यह मेरा पूरक प्रश्न है । उन्हें इस प्रकार वापस लाना सराहनीय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं । कृपया मूल बात पर आइए ।

श्री अन्बारासु इरा : यदि वे उन्हें वापस लाते हैं तो उन्हें हमारी मेडीकल कालेजों में कुछ स्थान दिए जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं । आपका प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है । अब हम अगले प्रश्न संख्या 44 पर आते हैं ।

श्री अन्बारासु इरा : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह 4000 छात्रों के जीवन से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी, कृपया उनकी सहायता बाद में करें । अन्य प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं ।

(व्यवधान)

ब्रिटेन के सैक्रेटरी आफ स्टेट तथा फोरेन सैक्रेटरी की भारत यात्रा

+

*44. **श्री आर्थर फर्नान्डीज :**
श्री भवन कुमार पटेल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के सैक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा फोरेन सैक्रेटरी ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) क्या उक्त बातचीत में पंजाब तथा काश्मीर में आतंकवाद और भारत-पाक संबंधों पर भी विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) ब्रिटेन के विदेश तथा राष्ट्रमंडल

मन्त्री श्री डगलस हर्ड ने 15 से 18 जनवरी, 1992 तक भारत की यात्रा की। ब्रिटेन के गृह मन्त्री ने भी 3 से 5 जनवरी, 1992 तक भारत की यात्रा की।

(ख) आतंकवाद से निपटने में अपेक्षाकृत अधिक सहयोग, नियमित राजनीतिक बातचीत को संस्थागत रूप देने, व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने तथा अन्य द्विपक्षीय मसलों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसलों पर भी विचार-विनिमय हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्रिटिश पक्ष ने इन मसलों पर हमारी स्थिति को समझा और उसने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इसमें सरकार यह बता रही है कि हिन्दुस्तान में आतंकवाद से निपटने के लिए इन दोनों मन्त्रियों के साथ बातचीत हुई है। मैं यह समझता हूं कि आतंकवाद के बारे में उनसे बात इसलिए की है क्योंकि उत्तर आयरलैंड और इंगलिस्तान में भी वहां की सरकार को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इधर अध्यक्ष जी, हमारे रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि इजराइल के साथ भी आतकवाद से निपटने के लिए वार्ता चलायी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो वार्ताएं चल रही हैं, आतंकवाद के बारे में, भारत सरकार और दुनिया की अन्य सरकारों के बीच में, उसमें यहां आज आपने कबूल किया है कि अंग्रेज लोगों से इसके बारे में हमारी बात हो गयी। तो यह वार्ता और रक्षा मंत्री इजरायल के साथ जो बातचीत चला रहे हैं वह वार्ता, ये दोनों मिलाकर चला रहे हों या अलग-अलग बातचीत हो रही है। इस बातचीत में आप ठोस रूप से किस प्रकार के सहयोग की बात कर रहे हैं। चूंकि मैं नहीं समझता हूं कि वे लोग इससे कोई सहायता चाहते हैं—न इजरायल और न इंगलिस्तान। आप जो सहायता चाह रहे हो वह सहायता ठोस रूप से किस प्रकार की है? आप क्या उनसे सलाह चाहते हो या यहां पर लोगों को बुलाने का काम कर रहे हो?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है आतंकवाद भारत तथा ब्रिटेन दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। यह सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। दरअसल, जब हम मानवीय अधिकारों के विषय में बात करते हैं तो हम उन लोगों के मानव अधिकारों की बात कतई नहीं करते हैं जिनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी जाती है, हम उन निर्दोष लोगों के विषय में कभी नहीं ऐसा सोचते जिनके जीवन को आतंकवाद से बर्बाद कर दिया जाता है। जहां तक व्यावहारिक कदम की बात है, हमारा एक दल प्रत्यावर्तन संधि के लिए लंदन विचार-विमर्श के लिए गया है ताकि उन अपराधियों का प्रत्यावर्तन किया जा सके, जो अपराध करने के उपरान्त ब्रिटेन भाग जाते हैं। यह पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि एक संधि पर बातचीत हुई जिसके अन्तर्गत उस धन को जब्त किया जा सकता है जो धन नशीली दवाईयों की

तस्करी तथा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अन्य मामले जैसे मुद्रा लेन-देन सम्बन्धी मामले। इसलिए यह चल रहा है। ये व्यावहारिक कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्वे फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, इजराइल के साथ रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। आपस में इस लोगों का तालमेल है या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उस भाग के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया दूसरे पूरक प्रश्न पर आ जाइए।

[हिन्दी]

श्री आर्वे फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के एक प्रतिनिधिमण्डल में मेरे ख्याल से उसमें राजनीतिक नेता हैं। कुछ रिटायर्ड मिलिट्री जनरल है और एक सर्विंग आए० आए० एस० अफसर है। वे पिछले कुछ दिनों से इंगलिस्तान में है और इन्हीं मसलों के बारे में वहां के नेताओं के साथ बातें कर रहे हैं और रोज यहां पर खबरें आ रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके साथ सलाह-मशिवरा करके गया हुआ प्रतिनिधिमंडल है जो इस समय इंगलिस्तान में बात कर रहा है और जो दोनों मंत्रियों ने यहां पर बात की थी तो क्या इसी सन्दर्भ में प्रतिनिधिमंडल वहां पर भेजा है।

[अनुवाद]

श्री एदुआर्दो फैलीरो : जहां तक भारत और ब्रिटेन का मामला है तो यह आज की ही बात नहीं है हमेशा ही लोग एक दूसरे देश में आते-जाते रहे हैं तथा दूसरे से बातचीत करते रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। यह प्रश्न विदेश मंत्री मि० डगलस हर्ड से सम्बन्धित है न कि मि० वेकर से इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अत मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य किस शिष्ट-मण्डल की बात कर रहे हैं।

श्री अवध कुमार पटेल : सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जब से नई सरकार आई है तब से भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के व्यवहार में व्यापक परिवर्तन आया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ब्रिटिश मि० केन्नीथ वेकर और विदेश मंत्री मि० डगलस हर्ड पर इस बात के लिए दबाव डाला गया है कि वह पाकिस्तान को भारत में छद्म युद्ध चलाने से रोके, जो वह पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध चला रहा है। यदि यह सही है तो उनका उत्तर क्या था और ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान पर इस उद्देश्य के लिए क्या दबाव डाला गया है ताकि वह इस छद्म युद्ध को रोक सके ?

श्री एदुआर्दो फैलीरो : ब्रिटिश सरकार ने पहले ही पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बन्द कर दे। दरअसल, यह ब्रिटिश सरकार ने ही नहीं बल्कि ऐसा पूरे यूरोपीय समुदाय ने किया है। वर्तमान स्थिति यही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में मि० डगलस हर्ड ने कभी यह उल्लेख किया था कि कश्मीर में भारत का मानवाधिकारों का रिकार्ड अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रहा है और क्या उन्होंने मित्रवत् सुझाव भी दिया था कि भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस विषय में उसे अपनी छवि ठीक करनी चाहिए जिससे कि एकतरफा दुष्प्रचार बन्द हो सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विनम्रतापूर्वक यह कह सकता हूं कि हमारे मानवाधिकार सम्बन्धी रिकार्ड किसी से खराब नहीं हैं। इस पर किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं है। हमारे पास संसद है, स्वतंत्र प्रेस है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह ब्रिटिश सरकार को ही नहीं बताया गया था बल्कि उस प्रत्येक सरकार को बताया गया है जिससे हमें मिलने का मौका मिला था और जिस किसी सरकार ने इस सवाल को उठाया।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : ब्रिटिश सरकार के लोग यहां आए थे और उन्होंने जम्मू व कश्मीर में हमारे दृष्टिकोण की सराहना की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इससे हमें सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों से जम्मू और कश्मीर के मामले पर मदद प्राप्त करने की प्रेरणा मिली है। और क्या इससे यह साफ नहीं हो जाता है कि हम भी इस मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमने इस मसले से सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों को ही नहीं अवगत कराया है बल्कि अधिसंख्यक राष्ट्रों को अवगत कराया है चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। सुरक्षा परिषद के पांच सदस्य से कुछ विशेष जुड़ा हुआ नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सुदर्शन रायचौधरी : क्या हमने सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को बताया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सच है कि सरकारी स्तर पर एक बैठक हुई थी। ये मंत्रालयीय स्तर पर कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न है जिनके बारे में मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया है। **(व्यवधान)** इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कई लोगों को कहा है।

कृषि विकास दर

*45. **डा० असीम बाला :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा पशुपालन के सम्बन्ध में देश के पूर्वी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास दर क्या रही; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 के दौरान देश के पूर्वी भाग के सहित विभिन्न भागों में

फसल उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार है :—

1987-88 को आधार मानते हुए 1988-89 से 1990-91 के दौरान फसल उत्पादन की क्षेत्रवार चक्रवृद्धि वृद्धि दर

फसलें	पूर्वी	उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	अखिल भारत
खाद्यान्न	6.48	6.71	11.04	3.38	7.14
तिलहन	1.44	11.85	22.41	1.66	11.29
रेशे	9.13	6.83	25.38	15.85	12.98
गन्ना	10.91	4.47	16.63	5.48	7.31

पशुपालन के क्षेत्र में पूर्वी भाग तथा देश के शेष भागों में उत्पादन की वृद्धि दर नीचे दी गयी तालिका में दिखाई गई है :—

पशुपालन के क्षेत्र में 1980-89 से 1990-91 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दर

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

	दूध	अंडे	ऊन
पूर्वी भाग में वृद्धि दर	4.39	2.53	2.93
देश के शेष भागों में	5.04	6.50	0.42

(ख) विभिन्न भागों की वृद्धि दरों में भिन्नता के कारण इस प्रकार हैं—कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों, मृदा की उर्वरता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों जिनमें जोतों का आकार भी शामिल है, सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता, प्रति हैक्टेयर उर्वरक की खपत, बुनियादी ढांचे के विकास जैसे परिवहन और मंडी तथा प्रौद्योगिकी की स्थिति में अन्तर।

डा० असीम बाला : यह प्रश्न प्रत्यक्षतः सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास और पशुपालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, विशेषकर सिक्किम, आसाम, मनीपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पशुपालन के कयर करने जा रही है? पूर्वोत्तर तथा पूर्वी राज्यों में कृषि और पशुपालन तथा अनुसन्धान के लिए कितना धन आबंटित किया गया है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय सदस्य का प्रश्न राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। कृषि राज्य का विषय है। हम कुछ चीजों को समन्वित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम हैं और मैं उनका यहां उल्लेख कर सकता हूं। हमारे पास भारत सरकार का कृषि विभाग (समन्वय) है जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अत्तर-पश्चिम राज्यों में उत्पादकता

बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। और इसके लिए हमारे पास गेहूं, मक्का और ज्वार-बाजरा के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। दूसरा चावल के लिए समन्वित कार्यक्रम हैं। तीसरा कार्यक्रम नलकूपों और कुओं की खुदाई के लिए है, जो छोटे और सीमान्त किसानों के लिए है। और भी कुछ है। दूसरी बात यह है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमने पूर्वी राज्यों में बहुत से जिलों का चयन किया है। जैसे—आसाम 18, बिहार 39, पश्चिम बंगाल में 15, आदि। इस प्रकार हमने उन्हें मदद करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, हमने उन्हें डेयरी पशुपालन तथा मुर्गी पालन के मामले में भी मदद की है।

डा० असीम बाला : क्या आप कृपया उन स्वदेशी बीजों की संख्या बताएंगे जो आपके वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए हैं तथा जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? और प्रति वर्ष कितने कृषि-वैज्ञानिक अन्य देशों में चले जाते हैं? और, कृपया विगत तीन वर्षों का उर्वरक आयात बिल भी पेश करें। यही वे तीन प्रश्न थे जो मैंने एक ही प्रश्न में पूछे थे। कम से कम, वे एक प्रश्न का तो उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री के पास सूचना है, तो वे दे सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं उर्वरकों के बारे में उत्तर दे सकता हूं। उर्वरकों के प्रयोग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही कम है। असम में यह प्रति हेक्टेयर मात्र 6 कि० ग्रा० है जोकि बहुत ही कम है और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। बिहार में भी यह बहुत कम है जोकि लगभग 50 कि० ग्रा० है।

डा० असीम बाला : वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए बीजों की किस्मों के बारे में आप क्या कहेंगे? हम उस जलवायु विशेष के लिए इस बारे में जानना चाहते थे।

श्री बलराम जाखड़ : हम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बीजों का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० असीम बाला : आपने अपने उत्तर में कृषि सम्बन्धी जलवायुविक स्थितियों का उल्लेख किया है। किन्तु जलवायुविक स्थितियों के लिए बीज की किस्मों के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : हमने उत्तर में पूरी सूचना दे दी है।

डा० असीम बाला : मैंने आपके उत्तर को ध्यान से सुना है। किन्तु···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप बार-बार इस प्रकार नहीं पूछ सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं कतिपय अन्य बातें कहना चाहता था। किसानों को वस्तुओं की कतिपय उपलब्धता के बारे में हमें उन्हें शिक्षित करना है। हमें चाहिए कि हम उचित केन्द्रों पर आदान उपलब्ध कराएं। हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने वाला हूं जिससे कि हम इन चीजों में वृद्धि कर सकें और देश के शेष भागों के बराबर स्तर पर पहुंच सकें।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री से यह जान

सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि उड़ीसा में कृषि और दुग्ध उत्पादों की विकास दर में कमी आई है। यदि हां, तो विकास दर को पुनः बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्पूर्ण भारत के बारे में है जबकि आप केवल उड़ीसा के बारे में पूछ रहे हैं। यदि माननीय मन्त्री जी के पास कोई सूचना है तो वे दे सकते हैं, अन्यथा वे लिखित में दे सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हर राज्य को अपेक्षित स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसाकि देश की जरूरत है। हम यह करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, प्रदेश की सरकार समन्वय के सम्बन्ध वार्षिक विकास की योजना तय करती है लेकिन आपने बिहार और अन्य प्रदेशों के नाम लिए हैं। बिहार से मिलता-जुलता प्राकृतिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा शायद नहीं आई है···

अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, यह प्रश्न पूरे हिन्दुस्तान का है उस सन्दर्भ में कुछ पूछिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : लेकिन अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश भी हिन्दुस्तान का एक भाग होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश···

अध्यक्ष महोदय : यह भूगोल समझाने के लिए आपका शुक्रिया मगर आप प्रश्न पूछिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि के मायने में विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन कृषि की विकास दर बहुत कम है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि के विकास के बारे में आपको कुछ चिन्ताएं होनी चाहिएं, उसके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं कि इसके बारे में चर्चा और चिन्ता निश्चित रूप से करें।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उनको विनती के साथ कहना चाहता हूं और मेरी बड़ी प्रार्थना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बराबर आए देश के उस भू-भाग पर जिसने कमाल कर दिया है। आप पीछे क्यों हैं, आगे बढ़ें और अपनी सरकार से कहें कि जरा काम करें।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार, अन्य क्षेत्रों की तुलना में, दक्षिणी क्षेत्र में खाद्यान्न तथा तिलहन का उत्पादन सबसे कम है। उस क्षेत्र में लगातार आने वाले चक्रवात एवं बाढ़ के कारण अधिकतर ऐसा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत के दक्षिणी भागों में बाढ़ और चक्रवातों के दौरान होने वाली हानि को कम करने तथा कृषक समुदाय को हानि से बचाने हेतु क्या सरकार का विचार कोई कार्यक्रम चलाने का है।

अध्यक्ष महोदय : यह उससे सम्बन्धित नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कृपया मुद्दे पर बात करें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय तिलहन अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

[अनुवाद]

*46. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल के वर्तमान मूल्यों का, उतरने तक की लागत, सीमा शुल्क और शोधन की लागत की दृष्टि से अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य क्या रहे हैं; और

(ग) इनके मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

कच्चे तेल की उतराई लागत श्रोत दर श्रोत और समय-समय पर बदलती है और रिफाइनरी के आकार और संसाधित की जाने वाली क्रूड की किस्म के आधार पर मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल की शोधन लागत रिफाइनरी दर रिफाइनरी अलग-अलग होती है। सीमा शुल्क अनुबन्ध-I में दिखाया गया है और मूल्यों के सम्बन्ध में विवरण संलग्न विवरण संलग्न अनुबन्ध-II में दिया गया है।

सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन आपूर्तियों, मांग में वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन आपूर्तियों, मांग में वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

अनुबन्ध-I

कच्चा तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को दिखाने वाला विवरण

रुपए प्रति इकाई

उत्पाद	बिक्री इकाई	मौलिक कर	सहायक कर	अतिरिक्त कर	कुल
1	2	3	4	5	6
क्रूड आयल	मि० टन	1000	500	—	1500

1	2	3	4	5	6
कैरोसीन	के० लि० 15°सी	—	—	335	335
पेट्रोल	—वही—	—	—	2255+ 10% विशिष्ट उत्पाद कर	2255+ 10% विशिष्ट उत्पाद कर
डीजल	—वही—	—	—	335+ 5% वि० उ०क०	335+ 5% वि० उ०क०

अनुबन्ध-II

गत तीन वर्षों के दौरान भंडारण स्थल पर मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल के मूल्य को दिखाने वाला विवरण

रु०/ बिक्री की इकाई

	20-3-90 से पूर्व (1989-90)	20-3-90 से	15-10-90 से	25-7-91 से
कैरोसीन (घरेलू उपयोग के लिए)	1956.93	1956.93	2446.16	2201.54
पेट्रोल (एम एस 87)	7694.07	8944.07	11180.09	13416.11
डीजल	3095.55	3631.53	4541.91	4541-91

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उद्देश्य था मंत्री जी से पता लगाने का कि क्रूड की कीमत हमको कितनी पड़ती है ? उसको रिफाईन करने में कितना पैसा लगता है और साफ करके कितने पैसे में बेचा जा रहा है ? मन्त्री जी ने प्रश्न के पहले भाग का जवाब गोलमोल कर दिया है । इसका जवाब है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं खन्डरी जी, आप सप्लीमेंटरी पूछिए प्लीज, जवाब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष जी, इसमें कहा है कि क्रूड की कीमत सोर्स टू सोर्स डिपेंड करती

है, साफ करने की कीमत रिफाईनरी टू रिफाईनरी डिफेंड करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी सोर्स का लैंड स्पॉट बता दीजिए, किसी एक रिफाईनरी का साफ करने की कीमत बता दीजिए और यह बता दीजिए कि कितने में बेचा जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य मुख्य उत्तर में पहले ही दिए जा चुके हैं। पहले हम कच्चे तेल का पोत पर्यन्त निःशुल्क पूल मूल्य निर्धारित करेंगे। यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, मूल्य सूची में जो वस्तुएं शामिल हैं, वह इस प्रकार हैं : समुद्री देशीय भाड़ा, समुद्री देशीय बीमा, समुद्री कानून, घाटशुल्क, सीमा शुल्क, इत्यादि। कच्चे तेल के पोत पर्यन्त नि.शुल्क पूल में परिष्करण लागत और पूंजी पर लाभ को जोड़ दिया जाता है। अन्तिम मूल्य निर्धारित करने के लिए परिष्करण मूल्य सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बोतलों में डालने का खर्च, विपणन्, ई एण्ड एफ अभिप्रभार इत्यादि को शामिल किया जाता है।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं प्रतिकिलोलीटर कच्चे तेल तथा प्रति किलोलीटर परिष्कृत तेल की लागत के बारे में पूछ रहा हूं। यदि आप नहीं बता सकते तो मैं सी० ए० जी० की रिपोर्ट में से पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है, आपको उत्तर नहीं देना है। कृपया प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : शायद माननीय सदस्य प्रत्येक परिष्करण-शाला में परिष्करण लागत के बारे में जानना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य तथा इस सदन के लिए आंकड़े दे सकता हूं। ये परिष्करण लागत प्रत्येक परिष्करण-शाला में प्रति मीट्रिक टन है।

	(रुपयों में)
बी० पी० सी० एल०, बम्बई	109.66
एच० पी० सी० एल०, बम्बई	81.86
एच० पी० सी० एल०, विजाग	112.08
एम० आर० एल०, मद्रास	92.10
सी० आर० एल०, कोचीन	110.37
आई० ओ० सी०, गुवाहाटी	211.85
आई० ओ० सी०, बरौनी	124.82
आई० ओ० सी०, गुजरात	63.00

देश में आई० ओ० सी०, गुजरात में परिष्करण लागत सबसे कम है।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : मुझे यह सूचना नहीं चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रकार नहीं चल सकता। आपको स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिए। वे इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यहां पर गणित नहीं करेंगे। वे जानकारी दे रहे हैं। हम उन्हीं से मालूम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इस देश में 12 तेल शोधक कारखाने हैं और प्रत्येक तेल शोधक कारखाने में जो तेल शोधन पर लागत आती है, उसकी जानकारी सदन को देना मेरा कर्त्तव्य है।

	(रुपयों में)
आई० ओ० सी, हल्दिया	123.23
आई० ओ० सी०, मथुरा	87.55
आई० ओ० सी०, डिगबोई	367.05
बी० आर० पी० एल०, बोंगेगांव	186.42

महोदय, इससे यह ज्ञात होता है कि डिगबोई में सबसे अधिक लागत आती है, उसके बाद गुवाहाटी में है और फिर बोंगेगांव में। मैं फिर से कहूंगा कि गुजरात में तेल शोधन लागत सबसे कम है। **(व्यवधान)**

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : श्रीमान, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मोटर स्प्रिट की कीमत आज इस तरह से है :

कच्चे तेल पर लागत 19.87 प्रतिशत है, तेल शोधन लागत 2.15 प्रतिशत है और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि का प्रतिशत 78 है। अतः पेट्रोलियम की कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई।

इसलिए मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या सरकार पेट्रोलियम और अन्य कच्चे तेल का विक्रय 'लाभप्रद' मानती है ? यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार यह जानती है कि सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा 87 प्रतिशत के लगभग पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग होता है और निजी व्यक्तियों द्वारा केवल पांच से सात प्रतिशत ही उपयोग होता है ? एक विभाग से दूसरे विभाग में, 80 से 85 प्रतिशत के लगभग केवल किताबी समायोजन करने से, सरकार को कैसे लाभ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं यह कहूंगा कि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण असंगत है और इनकी कीमत को घटाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें यहां पर किसी को आतंकित करना नहीं है; हमें प्रश्न पूछना है।

(व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : श्रीमान, वे तो केवल टिप्पणी कर रहे हैं। वे प्रश्न नहीं कर रहे हैं; उन्होंने केवल कुछ सुझाव दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को स्पष्ट प्रश्न करने के एक और मौका देता हूं।

(व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या सरकार कच्चे तेल की कीमत और उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों से लाभार्जन करना कम करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना लाभ कम करके जनता के लिए पेट्रोल सस्ते दामों पर सुलभ कराना चाहेंगे ?

श्री वी० शंकरानन्द : हम इससे कोई लाभ नहीं कमा रहे है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

श्री पी० सी० थामस : श्रीमान, तेल शोधक कारखानों तथा अन्यथा बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार निजी एजेन्सियों को भी इस क्षेत्र में लाकर प्रतिस्पर्धा आरम्भ करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यह इतना बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर यहां पर नहीं दिया जा सकता।

फसल बीमा योजना

+

*47. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :
श्रीमती रीता वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-91 के दौरान राज्य-वार कितने किसानों को व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार किसानों से प्रीमियम की कितनी राशि एकत्र हुई और उन्हें मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गये किसानों की संख्या, एकत्र किए गए प्रीमियम तथा दी गई क्षतिपूर्ति का राज्य-वार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शामिल किए गए किसान		बीमा प्रभार		चुकता दावे	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2>4761	571035	198.74	385.44	478.18	—
2.	अंडमान और निकोबार	262	396	0.13	0.21	—	—
3.	असम	21797	6195	6.59	2.12	3.98	—
4.	बिहार	134708	90278	58.87	40.39	14.26	—
5.	गोवा	1141	1073	0.13	0.14	—	—
6.	गुजरात	590355	679368	305.06	358.80	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	180	300	0.03	0.10	नगण्य	—
8.	कर्नाटक	41056	78388	20.68	35.56	31.74	—
9.	केरल	23612	14018	12.17	8.09	2.06	—
10.	महाराष्ट्र	724002	1094869	178.74	272.96	89.17	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मध्य प्रदेश	212877	938957	43.45	198.06	1.57	—
12.	मेघालय	36	1275	0.01	0.68	नगण्य	—
13.	उड़ीसा	182650	119436	54.10	41.57	270.91	—
14.	पांडिचेरी	1413	1799	1.86	2.19	—	—
15.	तमिलनाडु	247397	131884	146.66	103.07	72.72	—
16.	त्रिपुरा	1657	1130	8.63	0.40	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	258679	182239	88.37	61.25	333.30	—
	कुल :	2736583	3912340	1116.22	1511.02	1255.89	—

*खरीफ 1991 के दावों को पैदावार के फाइनल आंकड़े मिलने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा। खरीफ मौसम के लिए पैदावार के आंकड़े प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 जनवरी, 1992 है तथा रबी 1991-92 के पैदावार के आंकड़े प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1992 है। इसलिए, पैदावार के आंकड़ों की सूचना मिलने पर ही दावों का पता चलेगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : *अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 39 लाख किसानों को लिया गया। देश में किसानों की कुल संख्या दस करोड़ है। इस योजना के अन्तर्गत बहुत से किसानों को नहीं लिया गया, इसलिए क्या मन्त्री जी इस योजना को व्यापक बनाना चाहते हैं ? इस फसल योजना में बड़ी संख्या में किसानों को सम्मिलित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव रखा जाएगा ?*

दूसरी बात यह है कि तम्बाकू, गन्ना और कपास की फसलों पर पूंजी लागत अधिक आती है। इन्हें योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। क्या मन्त्री जी का इन फसलों को भी सम्मिलित करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, यह अनिवार्य योजना नहीं है। यह स्वैच्छिक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि इसे सुनिश्चित करना है। भावी योजना के लिए यह एक समस्या बन गई है।

17 मार्च को देश के सभी भागों के बड़े किसानों के साथ मैं एक बैठक कर रहा हूं। मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। जैसाकि तुम्हें याद होगा, पिछली बार सत्र के समय, मैंने इस माननीय सदन से अपील की थी कि क्या किसी माननीय सदस्य के पास कोई व्यवहार्य योजना है। किस तरह से क्षतिपूर्ति करें और किस तरह से हानि को कम करें, यह एक अधिक कठिन पहलू है। देखें, शायद हम उसे व्यवहार्य बना सकें। इसमें प्रीमियम भी है और क्षतिपूर्ति भी होती है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सुस्पष्ट पद्धति होनी चाहिए। नहीं तो हमें असफल होना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि कितना क्षेत्र, कितनी फसल और कितने राज्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया। यह सब कुछ विचाराधीन है।

मैं सम्माननीय सदन या इसमें रुचि रखने वाले किसी भी सदस्य से 17 मार्च से पहले सहयोग और मार्गदर्शन चाहूंगा क्योंकि उस दिन मुझे सम्मेलन में भाग लेना है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : फसल की हानि के आकलन के लिए क्या मानदण्ड है ? क्या यह जिलावार है, या मंडलवार है अथवा ग्रामवार है ? इस मानदण्ड के अन्तर्गत एक बड़े क्षेत्र को दिया गया है। इसलिए, कई किसानों की हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि मानदण्ड सर्वेक्षण संख्या के आधार पर हो ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सर्वेक्षण संख्या के आधार पर हो ? यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : यह एक सीमित योजना है। यह योजना 10,000 रुपए तक कर्ज लेने वालों पर लागू होती है और इसका अनुपात बीमा कराए हुए रकम का 100% है, प्रीमियम 2% है। एक तो बीमा एजेन्ट द्वारा दिया जाता है जोकि वह काम पूरा करता है और दूसरा भाग केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि फसल में कितने प्रतिशत वसूली हुई और कितनी हानि हुई। उसके बाद, राज्य सरकार को इसकी पूर्ण स्थिति ज्ञात हो जाती है और राज्य सरकार इसे सीमित कर देती है। इस तरह से हमारा काम होता है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में जो कुछ कहा है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं बतायी है कि किस टाइम लिमिट के अन्दर इन्श्योरैंस का क्लेम सैटल हो जाता है क्योंकि हमारे देश के किसान बहुत ज्यादा धनी नहीं हैं कि अपने क्लेम के सैटल होने के लिए इन्डैफिनिट पीरियड तक वेट करें। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है, जिसमें उनके क्लेम्स सैटल कर दिए जायेंगे। दूसरे, इसी प्रश्न के भाग (बी) में जवाब को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि क्लेम्स बहुत ज्यादा हैं और उसकी तुलना में सैटलमैंट बहुत ही कम हुई है, बिल्कुल नैग्लीजिबल है, खासतौर से बिहार जैसे राज्यों में। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी का क्या विचार है, वे क्या करना चाहते हैं ताकि फार्मर्स के, गरीब किसानों के क्लेम्स, जो अभी जल्दी सैटल नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें जल्दी सैटल किया जा सके, अभी उनके सैटल होने में बहुत टाइम लग रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, टाइम तो लगता है, हिसाब से ही लगता है। उसका तरीका भी है, हर स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं। अगर जरूरत होती है तो कमेटी बना देते हैं, जैसे गुजरात में बनाई गई है। (व्यवधान)

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाना, तो टालने का बहाना है। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, टाइम तो हिसाब से ही लगता है और यदि कहीं आवश्यक होता है, तो कमेटी बना देते हैं। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

*48. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1986-87 में राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम अन्य राज्यों में अभी तक चल रहा है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ परियोजनाएं भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राजस्थान, गुजरात और पंजाब में सीमा-

वर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 1986-87 के दौरान शुरू किया गया था। 1987-88 से सरकार ने इस कार्यक्रम को पुनः दिशा प्रदान की ताकि इसे केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित रखा जा सके।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मन्त्रालय को कोई नई परियोजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परती भूमि का विकास

*47. श्री राम टहल चौधरी :
श्री सर्वन्ना मोंडय्या सज्जुल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी परती भूमि है; और

(ख) इसे कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० बलराम जाखड़) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भूमि राज्य का विषय है। अतः बंजर भूमि तथा परती भूमि को उत्पादक उपयोग में लाने का काम, जिसमें खेती करना भी शामिल है, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा नीति निर्धारित की जाती है और मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तय किए जाते हैं। स्थायी उपयोग की दृष्टि से भू-ससाधनों का भूमि की सक्षमता तथा उपयुक्तता के अनुसार प्रयोग करना होता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि बंजर भूमि और परती भूमि को उत्पादक बनाया जाए। इसलिए जरूरी नहीं है कि उसे कृषि फसलों के उत्पादन योग्य ही बनाया जाए। इस समय सरकार के पास कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है; खासकर बंजर भूमि के सुधार के लिए। पर्यावरण और वन मन्त्रालय का राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड वनरोपण और वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से देश में परती भूमि को उत्पादनशील बनाने के लिए एक शीर्ष अभिकरण है। परती भूमि का विकास करने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

(1) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना स्कीम।

(2) काष्ठ ईंधन/चारा परियोजना स्कीम।

(3) जनसाधारण के लिए विकेन्द्रित पौधशाला स्कीम।

(4) मार्जित मनी सहायता योजना।

(5) औषधीय पादपों सहित लघुवनोपज उठाने की स्कीम।

(6) बीज विकास योजना।

(7) एरियल सीडिंग स्कीम।

(8) सहायता अनुदान योजना (स्वैच्छिक अभिकरणों के लिए)।

केन्द्र/राज्य क्षेत्र के मृदा संरक्षण और जलागम विकास कार्यक्रमों में ऐसी भूमि की क्षमता में वृद्धि करने की बात भी शामिल है। ये कार्यक्रम हैं :—

(क) नदी घाटी परियोजना के अपवाह क्षेत्रों मे मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित योजना, (ख) वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजना, (ग) बाढ़-प्रवण नदियों के अपवाह क्षेत्रों में समन्वित जलागम प्रबन्ध की केन्द्र प्रायोजित योजना, (घ) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में क्षारीय मृदा के सुधार की केन्द्र प्रायोजित योजना और (ङ) उत्तर प्रदेश के बीहड़ क्षेत्रों में भूमि सुधार तथा गुजरात में समन्वित जलागम प्रबन्ध की यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

विवरण

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	बंजर और अकृष्य भूमि* (1988-89 की स्थिति के अनुसार)	परती भूमि (आकलित) **	कैफियत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2259	11416	नौ गुणा भू उपयोग वर्गीकरण के अनुसार बंजर तथा अकृष्य भूमि की सूचना साथ-साथ दी गई है, जैसाकि कालम संख्या 3 में है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	—	
3.	असम	1541	1730	
4.	बिहार	1016	5458	
5.	गोवा	13	—	
6.	गुजरात	2676	7836	
7.	हरियाणा	135	2478	
8.	हिमाचल प्रदेश	191	1958	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	279	1565	
10.	कर्नाटक	800	9165	
11.	केरल	71	1279	
12.	मध्य प्रदेश	2208	29142	
13.	महाराष्ट्र	1699	14401	

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	1419	1438	
15.	मेघालय	142	1918	
16.	मिजोरम	201	—	
17.	नागालैण्ड	—	1386	
18.	उड़ीसा	450	6384	
19.	पंजाब	72	1230	
20.	राजस्थान	2802	19934	
21.	सिक्किम	173	281	
22.	तमिलनाडु	513	4401	
23.	त्रिपुरा	—	975	
24.	उत्तर प्रदेश	1060	8061	
25.	पश्चिमी बंगाल	187	2536	
26.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	3604 वही	
27.	चंडीगढ़	—	वही	
28.	दादर व नगर हवेली	—	वही	
29.	दमन व दीव	2	वही	
30.	दिल्ली	10	वही	
31.	लक्षदीप	—	वही	
32.	पांडिचेरी	—	वही	
	योग :	19989	129574	

* — कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली (अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय)।

** — पर्यावरण और वन मन्त्रालय (राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड)।

यह आकलन देश की सभी परती भूमि के लिए सम्पूर्ण देश के सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

प्रत्यर्पण के बारे में भारत-ब्रिटेन समझौता

*: 0. **प्रो० राम कापसे :**
श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान ब्रिटेन से कितने व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में तथा आतंकवादी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और नशीली दवाओं का व्यापार करने वालों की सम्पत्ति जब्त करने के बारे समझौता करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह समझौता संभवतः कब से प्रभावी होगा ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) शून्य ।

(ख) जी, हां । यू० के० के साथ प्रत्यर्पण सन्धि और अपराध (जिसमें मुद्रा के अन्तरण सम्बन्धी अपराध भी शामिल है) से अर्जित धन और अपराध के साधन के रूप में प्रयुक्त सम्पत्ति और आतंकवादी कोषों का पता लगाने, उसकी रोकथाम करने तथा उसे जब्त करने के बारे में करार को अन्तिम रूप दिए जाने की बातचीत अभी चल रही है ।

(ग) और (घ) उक्त करारों को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही उनकी विशेषताएं बताई जा सकती हैं । दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने और सम्बन्धित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात ही उनको लागू किया जाएगा ।

श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजना

*51. **श्री आर० जीवरत्नम :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन शरणार्थियों को वापस भेजने की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की सम्भावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार का कितना खर्चा होने का अनुमान है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त शरणार्थियों के श्रीलंका लौटने पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में श्रीलंका सरकार से बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) श्रीलंका के विदेशी मंत्री की 5 से 7 जनवरी, 1992 तक दिल्ली यात्रा के दौरान श्रीलंका सरकार ने बताया कि यह इस समय भारत में रह रहे श्रीलंका के शरणार्थियों को वापिस लेने की स्थिति में है। तब यह निर्णय किया गया कि भारत में शरणार्थी शिविरों में रह रहे श्रीलंका के जो शरणार्थी वापस जाना चाहते हैं उन्हें वापस भेजने का काम शुरू किया जाए। श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और उनकी सहमति के बाद 20 जनवरी, 1992 से शरणार्थियों को वापस भेजने का काम शुरू कर दिया गया। 20 जनवरी और 21 फरवरी के बीच 3538 श्रीलंका शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजा जा चुका है।

(ग) तथा (घ) श्रीलंका के शरणार्थियों को उनके देश वापिस भेजने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और यह श्रीलंका व भारत दोनों में कई कारणों पर निर्भर करती है। इसलिए इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि वापसी की यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। इसी कारण से इस समय यह अनुमान लगाना भी संभव नहीं है कि इस संबंध में सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, हां।

श्रीलंका के शरणार्थियों की वापसी वापस जाने वाले शरणार्थियों की रक्षा, सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए उचित प्रबंध के लिए श्रीलंका सरकार से प्राप्त आश्वासनों पर आधारित है। वापसी और आरम्भिक पुनर्वास की प्रक्रिया अभी तक सुचारू रूप से चल रही है।

बोडोलैंड मसले पर बातचीत

[हिन्दी]

*52. श्री मृत्युंजय नायक :
श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोडोलैंड के मसले पर बोडो नेताओं और केन्द्रीय सरकार के बीच अन्तिम बार वार्ता कब हुई थी;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या कुछ बोडो नेताओं ने इस बात की धमकी दी है कि यदि सरकार एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस मसले को सुलझाने में विफल रही तो वे अपना आंदोलन पुनः शुरू कर देंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार व ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन तथा बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी के मध्य नवीनतम विचार-विमर्श 7 जनवरी, 1992 को हुआ।

(ख) से (घ) इन विचार-विमर्श से तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1991 में हुई जनगणना के आधार पर कतिपय सूचना प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई गई है और अब इसे अपनी रिपोर्ट मार्च, 1992 में प्रस्तुत करनी है।

भारतीय तेल निगम द्वारा दूसरा गैस सिलेंडर जारी करने पर रोक

*53. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**
श्री मुमताज अंसारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने उपभोक्ताओं को दूसरा गैस सिलेंडर जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं के लिए इस सुविधा को पुनः कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

'कट्टरपंथी' इस्लामी राज्यों का संघ

[अनुवाद]

+

*54. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कट्टरपंथी' इस्लामी राज्यों का, जिनमें से कुछ के पास परमाणु क्षमता विद्यमान है, एक संघ बनाए जाने की आसन्न संभावना के बारे में हाल में चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। ऐसी खबरें छपती रही हैं जिनके बारे में यह चिन्ता व्यक्त की जाती रही है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक स्तर पर भारत के लिए बन रहे सुरक्षा पर्यावरण पर भारत सरकार सतत निगाह रखती है और सभी परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है।

राजस्थान में पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्र खोलना

[हिन्दी]

*55. **श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पेट्रोल/डीजल के अभी तक कितने खुदरा विक्रय केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में वर्ष 1992 में पेट्रोल/डीजल में नए खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 894 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र थे ।

(ख) और (ग) विपणन योजनाओं, उत्पादों की उपलब्धता आदि के अनुसार विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं । जिसमें राजस्थान भी शामिल है ।

पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक मानदंड

*56. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार कोई आर्थिक मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करते समय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में से अधिक गरीब वर्गों और लोगों के आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य ऐसे समूहों जो आरक्षण की किसी विद्यमान योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं, तरजीह देने के लिए अपनाए जाने वाले आर्थिक मानदंडों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए प्रधानमन्त्री द्वारा 21-10-1991 को राज्यों के मुख्यमन्त्रियों राज्यपालों और उप-राज्यपालों को लिखा गया था ।

2. उच्चतम न्यायालय को 31-10-1991 को सूचित किया गया कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार प्राप्त होने पर इन मुद्दों पर आगे चर्चा के लिए मुख्यमन्त्रियों/राज्यपालों/उप-राज्यपालों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने का भी सरकार का प्रस्ताव है। न्यायालय को आगे यह भी सूचित किया गया कि ये परामर्श कर लेने और यदि संभव हुआ तो इस विषय पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाकर सरकार इस विषय से सम्बन्धित 25-9-1991 के कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित आर्थिक मानदंडों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगी।

3. सरकार को आशा थी कि 26-01-1992 तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा। तथापि, इस समय अनुसूची का अनुपालन संभव नहीं हो पाया क्योंकि बकायादार राज्य सरकारों को भेजे गए अनेक स्मरण-पत्रों के बावजूद प्रधानमन्त्री के 29-10-1991 के पत्र के अनेक उत्तरों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

4. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए सावधानी तथा समुचित विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ना वांछनीय है। तदनुसार, इस मामले में राज्य सरकारों के साथ पुरजोर लिखा-पढ़ी की जा रही है। सरकार का यह प्रयास होगा कि यदि संभव हो तो इस विषय पर एक राष्ट्रीय आम सहमति तैयार की जाए ताकि सामाजिक न्याय का सामाजिक सामंजस्य और शांति के वातावरण में संवर्धन किया जा सके।

कृषि इन्जीनियरी कालेज

*7. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में कृषि इन्जीनियरी कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए प्रत्येक राज्य में चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) महोदय, देश में 18 इन्जीनियरिंग कालेज हैं। ये कालेज कृषि इन्जीनियरिंग के विषय में वांछित मानव-शक्ति तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार के पास नए कृषि इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आतंकवादियों की घुसपैठ

[अनुवाद]

*58. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा पार के प्रशिक्षण कैम्पों से प्रशिक्षण प्राप्त करके आतंकवादी हमारे राज्य क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, महीनावार ऐसे कितने आतंकवादी मारे गए तथा कितनों ने आत्मसमर्पण किया और उनसे कितनी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद पकड़ा गया;

(घ) ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। कई स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ङ) और (च) पाकिस्तान सरकार के साथ मामले को समय-समय पर उठाया गया है परन्तु प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान बरामद हुए शस्त्र और गोला-बारूद तथा मारे गए और पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या

		पीछे से लाया गया	99426
ए० के०-47 राईफल	29	सफाई किट	10
ए० के०-56 राईफल	153	ए० के०-74 राईफलें	18
पिस्तोल	146	एस० एल० आर०	1
रिवाल्वर	22	डिटोनेटर्स	424
मैगजीन असार्ट्ड	966	हथगोले	126
राकेट	16	प्रोजाक्टाईल हथगोले	7
पिस्तौल/राईफल की सफाई किट	77	हथगोले सांचिग कार्डेक्स	3 261.5 मीटर
विस्फोटक	371.5 कि०ग्रा०	एस० एम० जी०	2
असार्ट्ड गोला बारूद	97998	बन्दूकें	2

जिलाटिन	7 कि०ग्रा०	मैगजीन असार्टेड	120
चार्जर क्लिप	82	जी० पी० एम० जी०	5
टाईम पेंसिल	7	303 राईफलें	2
रिमोट कन्ट्रोल	1	सेफ्टी फ्यूज	92
अन्य बोर की राईफलें	1	ई० एल० सी० डिटोनेटर्स	25
सफाई किट	10	बम/खोल	1
		कुल जोड़ :	1,00,257

राज्य	सीमा पर घुसपैठी		सीमा पर आतंकवादी	
	मारे गए	पकड़े गए	मारे गए	पकड़े गए
पंजाब	128	12,929	17	8
राजस्थान	84	2,332	15	10
जम्मू व कश्मीर	36	173	17	6
जोड़ :	248	15,434	49	24

घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए उठाए गए कदम

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है :–

(i) सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ सीमा चौकियों को बढ़ाना ताकि बी० ओ० पी० एस० के बीच का फासला कम हो सके ।

(ii) गश्त और नाकाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

(iii) 550 निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(iv) पैदल गश्त, सवार गश्त तथा मशीनरी गश्त के द्वारा सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है।

(v) सीमा पर तैनात सैनिकों को रात का दृश्य देखे जा सकने वाले उपकरण, दूरबीन, ह की खोजी बत्तियां, आदि जारी की गई हैं ताकि बेहतर निगरानी की जा सके ।

(vi) पंजाब की 356 कि०मी० की सीमा पर और राजस्थान की 171.5 कि०मी० सी पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है ।

(vii) पंजाब सैक्टर में लगभग 382 कि०मी० में तथा राजस्थान सैक्टर में लगभग 237 कि०मी० में फ्लड लाईट लगायी गई है।

(viii) पंजाब में डिच-कम-बन्द में सेना को द्वितीय अवरोधन लाइन के रूप में तैनात किया गया है।

रूस से कच्चे तेल का आयात

*59. श्री अन्नाराशु इरा :
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भूतपूर्व सोवियत संघ से कितने कच्चे तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या रूस गणराज्य ने भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) पूर्व कालिक सोवियत रूस वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा क्रमशः 1.652, 4.109 और 3.168 मिलियन टन थी।

(ख) से (घ) रूसी गणराज्य के साथ हस्ताक्षरित ट्रेड प्रोटोकोल की शर्तों के अनुरूप वर्ष 1992 दौरान 4.0 मि०मी० टन कच्चे तेल का आयात करने का प्रावधान है।

दिल्ली में बम विस्फोट

*60. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1991 में और 1992 में अब तक, कितने बम विस्फोट हुए और उनमें से प्रत्येक मामले में किस-किस प्रकार का बम इस्तेमाल किया गया;

(ख) प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि में दिल्ली में कितने आतंकवादी पकड़े गए तथा इनमें से कितने लोगों को अपराधी ठहराया गया; और

(ङ) दिल्ली में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कारगर उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) 1991 के दौरान तथा 24 फरवरी, 1992 तक दिल्ली में बम विस्फोटों की 17 घटनाएं हुईं। प्रयोग में लाए गए बमों की किस्में और मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की मामले-वार संख्या नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं०	घटना-स्थल और तारीख	बम की किस्म	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5
1991				
1.	अमेरिकन एयर लाइन (17-1-91)	तात्कालिक विस्फोटक यंत्र	—	—
2.	पी० एच० क्यू०, भवन के पीछे (22-1-91)	—तदैव—	—	5
3.	तीस हजारी कोर्ट (22-1-91)	—तदैव—	1	53
4.	लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के सामने (25-1-91)	फ्यूज बम	—	1
5.	जुबली सिनेमा (27-1-91)	—तदैव—	1	5
6.	नरूला रेस्टोरेन्ट (18-3-91)	—तदैव—	1	3
7.	मोहन सिंह प्लेस (22-3-91)	—तदैव—	—	4
8.	शनि बाजार, खयाला (23-3-91)	तात्कालिक विस्फोटक यंत्र	15	58
9.	पालिका पार्किंग (26-4-91)	फ्यूज बम	3	5
10.	श्री जगदीश टाइटलर पर हमला (18-5-91)	चाइनीज स्टिक ग्रेनेड	2	55

1 2	3	4	5
11. त्रिलोकपुरी (6-6-91)	तात्कालिक विस्फोटक यंत्र	—	3
12. आई० जी० आई० एयर पोर्ट (25-6-91)	—तदैव—	—	3
13. रेल पटरी, पटपड़गंज (15-7-91)	—तदैव—	—	—
14. लाल किले के पीछे (22-12-91)	—तदैव—	4	44
15. आर्य समाज रोड (30-12-91)	—तदैव—	—	1
1992			
1. लाल रोड (29-1-92)	—तदैव—	1	32
2. कमला नगर पुलिस में (आलविन निसान) वाहन (8-2-92)	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परिणाम प्रतीक्षित	—	1

(ग) मृतकों के निकट सम्बन्धियों को 12.5 लाख रुपए की अनुग्रह राहत राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, घायल हुए व्यक्तियों को 10.05 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में गिरफ्तार किए गए तथा दोष-सिद्ध आतंकवादियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	दोष सिद्ध
1989	16	1
1990	21	—
1991	29	—
1992	11	—

(ङ) राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों में प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी विरोधी सैल का गठन करना, संवेदनशील/सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना, चलती-फिरती गश्त को तेज करना, लोगों को अधिक सतर्क करने के लिए उनमें अनुदेशात्मक साहित्य का वितरण करना, भेदियों की तैनाती करना, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो प्रदर्शित करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पी० सी० आर० वाहनों की तैनाती करना, और पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना शामिल हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

461. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इसके लिए कौन-कौन से समयबद्ध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1983-84 के आंकड़ों के अनुसार 54.90 प्रतिशत और 40.30 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या का क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने का अनुमान है। इसी प्रकार 68.90 प्रतिशत और 52.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का भी क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने का अनुमान है।

(ख) और (ग) विशेष संघटक योजना, आदिवासी उप-योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता और अन्य योजनाओं की कार्यनीति के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सहकारी शिक्षा कोष के लेखे

462. **डा० सुधीर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी शिक्षा कोष के लेखाओं, जिनका संचालन दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, का वार्षिक लेखा परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में कोष में कुल संचित धन कितना था;

(ङ) क्या धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध मे कोई शिकायत मिली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 1989 तक का लेखा परीक्षा कार्य पूरा कर लिया गया है। बाद के वर्षों के लिए लेखा परीक्षक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं।

(घ) पिछले तीन वर्ष के अन्त में संचयी हानि निम्नवत् थी :—

मार्च, 1989	2 ,52,000 रुपए
मार्च, 1990	30,4 ,000 रुपए
मार्च, 199	39,71,00 रुपए

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

[हिन्दी]

463 **श्री स्वामी चिन्मयानन्द** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का विचार है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) यह निगम किन-किन राज्यों में चल रहा है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सीधे कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सस्वीकृत योजनाएं रोजगार अवश्य पैदा करती है।

(ख) निगम पूरे देश को शामिल कर सकता है। आज तक चंडीगढ़, सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड से कोई योजनाएं प्राप्त नहीं हुई है।

पाकिस्तान टी० वी० प्रोपैगंडा वार

[अनुवाद]

464. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1991 के "आब्जार्वर पोलटीकल" में "पाकिस्तान टी० वी० प्रौपेगंडा वार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान को कई अवसरों पर यह कहा है कि वह शत्रुतापूर्ण प्रचार से दूर रहे जो शिमला समझौते और अन्तर्राज्यीय आचरण के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदण्डों का उल्लंघन करता है। सरकार ने स्थिति को ठीक करने और भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों की स्थिति के बारे में सही तस्वीर प्रतिलक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं और उठाती रहेगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एशियाई विकास बैंक से ऋण लेना

465. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है; और

(ख) उसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गांधार क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 267 मि० अमरीकी डालर। शर्तों में साधारण ऋण प्रचालन विनियम सहित गैस के मूल्य निर्धारण पर निर्णय, चौथे दौर की बोली आदि जैसी और कुछ अन्य शर्तें शामिल हैं।

दिल्ली में डी० एम० एस० घी की कमी

[हिन्दी]

466. **श्री मंगल किशोर राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध एवं दुग्ध उत्पादों, विशेष रूप से डी० एम० एस० घी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेरी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दूध की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। 1991 के दौरान ताजे दूध की उपलब्धता में कमी आने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार किए जाने वाले घी के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी थी।

(ग) ताजे दूध की सप्लाई को बढ़ाने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्रोतों में विविधता लाई गई।

भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संधियां और समझौते

[अनुवाद]

467. **श्री देवी प्रसाद पाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई संधियों और समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्र संघ के नए प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों के साथ इन संधियों और समझौतों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) विगत तीन वर्षों में भारत और पूर्व सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित संधियां और करार सम्पन्न हुए थे :—

1. विंध्याचल-बीना-नागदा विद्युत संचरण व्यवस्था स्थापित करने के लिए करार (12-9-1989)।

2. "मैथों", "कयामकुलम" और मैंगलोर की ताप बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए करार (12-9-1989)।

3. सूचना के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार (23-7-1990)।

(ख) 21 दिसम्बर, 1991 को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के सदस्य-राज्यों ने अल्मा-अटा में यह घोषणा की कि वे अपनी-अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार उन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की गारण्टी देते हैं जो पूर्व सोवियत संघ के साथ सम्पन्न संधियों/करारों के अन्तर्गत उन पर आए हैं।

फलदार वृक्ष लगाना

468. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा फलदार वृक्ष लगाने के लिए आवंटित की गई धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1989-90 के दौरान फलदार वृक्ष लगाने की कोई योजना भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार 1990-91 से फलदार वृक्ष लगाने की दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक बागानों की स्थापना; और

(ii) उष्णकटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों के समन्वित विकास की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना।

उपर्युक्त योजना के तहत निधियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार निर्मुक्ति और उपयोग का विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्रों के नाम	निर्मुक्त धनराशि	(लाख रुपए में) उपयोग की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.110	0.750
2.	बिहार	4.030	—
3.	गोवा	0.298	—
4.	गुजरात	4.030	—
5.	हरियाणा	1.910	0.800
6.	कर्नाटक	5.200	2.688
7.	केरल	0.293	—
8.	मध्य प्रदेश	4.030	—
9.	महाराष्ट्र	9.810	4.750
10.	उड़ीसा	5.110	2.875
11.	तमिलनाडु	11.030	9.698
12.	उत्तर प्रदेश	22.435	15.303
13.	पश्चिम बंगाल	1.920	—
14.	पंजाब	2.134	2.124
15.	जम्मू एवं कश्मीर	1.125	—
16.	राजस्थान	2.388	2.318
17.	अरुणाचल प्रदेश	0.513	1.020
18.	असम	0.513	—
19.	मेघालय	0.513	—
20.	मणिपुर	0.513	—
21.	मिजोरम	0.513	—

1 2	3	4
22. नागालैंड	1.026	—
23. सिक्किम	0.513	—
24. त्रिपुरा	1.026	—
योग :	87.988	42.326

नोट : उपर्युक्त सूचना राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थिति स्पष्ट करती है। आबंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिए 1990-91 में आबंटित निधि को 1991-92 में उपयोग के लिए फिर से बैध कर दिया गया है।

बिहार में बिना बारी के पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

[हिन्दी]

469. **श्री ललित उराँव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार मे बिना बारी के स्वीकृत पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसके लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) सरकार के स्वविवेक शक्तियों के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक बिहार में 2 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्वीकृत की गई थी।

(ख) सरकार द्वारा अनुकंपा आधार पर किया गया आबंटन ही विवेकाधीन आबंटन होता है।

बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का पता लगाना

470. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना, उत्तरी चौबीस परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद, जिलों और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तेल और गैस का पता लगाने और ड्रिलिंग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ निजी कम्पनियों को ठेका देने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर अनुमानित कितना खर्च होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इन क्षेत्रों में तेल और गैस प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) चौथे दौर की बोली के अंतर्गत बंगाल बेसिन में 2 तटवर्ती और 3 अपतटीय ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है । बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 1992 है ।

प्रधान मन्त्री के विदेश दौरे

471. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री ने गत दो महीनों के दौरान किन-किन देशों का दौरा किया है; और

(ख) इन यात्राओं के उद्देश्य और इनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 में प्रधान मन्त्री ने कोलम्बो (श्रीलंका) न्यूयार्क (अमरीका) की यात्रा की ।

(ख) 21 दिसम्बर, 1991 को कोलम्बो की यात्रा का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की छठी बैठक में भाग लेना था । इस यात्रा के परिणाम कोलम्बो घोषणा में प्रतिलक्षित हैं जिसे राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है । इस घोषणा की प्रति संसद पुस्तकालय में रखी हुई है ।

न्यूयार्क की यात्रा का उद्देश्य 31 जनवरी, 1992 को शिखर स्तर पर सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेना था । प्रधान मन्त्री ने विचाराधीन मसलों पर न केवल भारत का दृष्टिकोण बदला है बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर शिखर बैठक में भाग लेने आए शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन में रिक्त पड़े हुए पद

[अनुवाद]

472. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनाधीन, श्रेणीवार और विभागवार, कुल कितने पद खाली पड़े हुए हैं; और उनका श्रेणीवार तथा विभागवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का विचार इन पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भर्ती करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी किसी विभाग में स्पष्ट रिक्तियां होती हैं तो संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों और रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू करता है ।

विवरण

क्रम सं०	विभाग का नाम	पदों की श्रेणी	पदों की संख्या	तारीख, जब से खाली पड़े हुए हैं
1	2	3	4	5
1.	समाज कल्याण निदेशालय	ख	3	6-1-88 से 1-1-91 आगे
		ग	2	21-5-77 से 6-1-87 आगे
		घ	2	6-1-87
2.	स्वास्थ्य विभाग	क	34	10/81 से 8/91 आगे
		ख	7	1/86 से 2/91 आगे
		ग	72	89/85 से 9/92 आगे
		घ	24	1/92
3.	जिला उद्योग केन्द्र	क	3	29-12-87 से 1-6-89 आगे
		ग	2	19-9-83 से 1-3-90 आगे
4.	मुख्य वेतन तथा लेखा संगठन	ग	9	3/91 से 12/91 आगे
5.	सहकारिता विभाग	ग	5	3/90 से 1/91 आगे
		घ	1	6/91
6.	अण्डमान लोक निर्माण विभाग	क	14	1986 से 1991 आगे
		क	18	1975 से 1991 आगे
		ग	73	1985 से 1991 आगे
		घ	21	1988 से 1991 आगे
7.	रोजगार कार्यालय	ख	1	30-11-91
8.	उप आयुक्त (ए)	ग	8	1/91 से 8/91 आगे
9.	सरकारी प्रेस	ग	12	6/86 से 12/92 आगे

1	2	3	4	5
		घ	1	12/91
10.	शिक्षा विभाग	क	34	1/87 से 1/92 आगे
		ख	10	3/89 से 6/89 आगे
		ग	130	1989 से 11/91 आगे
		घ	34	11/89
11.	पुलिस विभाग	क	1	12-12-90
		ग	201	5-11-84 से 12-11-91 आगे
		घ	1	5-3-91
12.	मत्स्य विभाग	क	1	26-10-91
		ख	6	15-10-87 से 13-2-92 आगे
		ग	24	24-5-88 से 13-2-92 आगे
		घ	22	18-2-91 से 13-2-92 आगे
13.	(आई० पी० टी०) निदेशालय	क	1	3/91
		ख	7	6-2-87 से 11/91 आगे
		ग	9	2/87 से 1/90 आगे
		घ	4	16-11-90
14.	(टी० डब्ल्यू०) निदेशालय	ग	1	1986
15.	पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड	क	4	1-4-89 से 31-1-92 आगे
		ख	1	1-4-90
		ग	26	1-4-89 से 8/91 आगे
		घ	45	1-4-89 से 6/91 आगे
16.	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर	क	11	5/90
		ख	1	3/90
		ग	5	6/89
		घ	3	6/90
17.	पशुपालन व पशुचिकित्सा सेवा निदेशालय	क	1	30-3-90
		ख	11	8-4-75
		ग	10	11/86
		घ	3	2/91

1	2	3	4	5
18.	वन विभाग	क	2	10-9-86
		ख	2	8/89
		ग	27	10-10-85
19.	आपूर्ति विभाग	ग	3	8/91
		घ	2	8/90
20.	कृषि विभाग	क	2	11/90
		ख	16	11/83 से 12/86 आगे
		ग	32	11/87 आगे
		घ	11	7/89
21.	ग्रामीण विकास व पंचायत निदेशालय	ख	3	6/89 से 6/9 आगे
		ग	17	6/89
22.	दूसरा पोलिटेकनीक पहाड़ गांव	क	10	8/89
		ख	3	8/89
		ग	11	8/89
23.	डा० बी० आर० अम्बेडकर राजकीय पालिटेकनीक	क	2	9/90 और 12/90 से आगे
		ग	10	5/87
		घ	2	5/91
24.	सांख्यिकीय ब्यूरो	क	2	26-6-90
		ख	6	31-12-89
		ग	6	31-12-89
25.	उद्योग विभाग	ख	5	8/87 से 6/90 आगे
		ग	5	2/84
		घ	2	10/90
26.	विद्युत विभाग	क	1	11/89
		ख	4	10/86 और 12/89 आगे
		ग	20	10/86
		घ	3	12/89

1	2	3	4	5
27.	राजभाषा विंग	ख	2	4/88 से 1/92 आगे
		ग	13	2/88
28.	नौसेना यूनिट, एन० सी० सी०	घ	1	4/88
29.	श्रम विभाग व आई०टी०आई०	क	1	12/91
		ख	1	11/90
		ग	4	8/89
		घ	3	8/89
30.	प्रदेश परिषद सचिवालय	ख	4	11/87
		ग	1	1988
31.	समुद्री और जहाजरानी सेवा विभाग	क	2	12-11-87, 1-11-90
		ख	4	17-11-87 से 7-6-88 आगे
		ग	48	2-5-88 से 11/90 आगे
		घ	148	30-11-86 से 11/90 आगे

राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहन

473. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए भारतीय पुलिस पदकों से और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उनकी सराहनीय विशिष्ट सेवाओं के लिए पदकों के अतिरिक्त आर्थिक अथवा सेवा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक/सेवा प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) इस समय ऐसे कोई उपाय विचाराधीन नहीं हैं ।

निर्धनों, वृद्धों, विधवाओं और अनाथों के लिए कल्याण योजनाएं

474. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनों, वृद्धों, विधवाओं और अनाथों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित योजनाएं कौन-कौन-सी हैं;

(ख) इनसे 1 अप्रैल, 1991 को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार लाभान्वित हुए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तव में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिवा देखभाल केन्द्रों, वृद्धावस्था गृहों, पालन-पोषण देखभाल कार्यक्रमों तथा मेडिको सोशल सेवाओं के माध्यम से वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान योजना के अधीन अनुमोदित लागत के 90% तक वित्तीय सहायता की जा रही है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत जरूरतमन्द बच्चों की सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन अनुदान का 90% केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में बराबर-बराबर बांटा जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90% शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान का 10% ही वहन करना होता है। आदिवासी क्षेत्रों के मामले में अनुदान का 95% केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है तथा स्वैच्छिक संगठन व्यय का 5% वहन करते हैं।

(ख) तथा (ग) वयोवृद्धों, गरीबों, विधवाओं तथा निराश्रितों के लाभ के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लगभग 30,000 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अधीन लाभान्वित बच्चों के सम्बन्ध में राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-1991 तक लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3225
2.	असम	920
3.	बिहार	1550
4.	गुजरात	1218
5.	हिमाचल प्रदेश	82

1	2	3
6.	कर्नाटक	5005
7.	केरल	1200
8.	हरियाणा	609
9.	मध्य प्रदेश	875
10.	महाराष्ट्र	3045
11.	मणिपुर	175
12.	मेघालय	550
13.	नागालैंड	425
14.	उड़ीसा	3288
15.	पंजाब	286
16.	राजस्थान	2825
17.	सिक्किम	100
18.	तमिलनाडु	10593
19.	त्रिपुरा	475
20.	उत्तर प्रदेश	3167
21.	पश्चिम बंगाल	5535
22.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100
23.	अरुणाचल प्रदेश	345
24.	दिल्ली	1245
25.	गोवा	420
26.	मिजोरम	25
27.	पांडिचेरी	350
	योग :	47693

नेपाल के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग

475. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुत्तायपल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और नेपाल के बीच 6 दिसम्बर, 1991 को कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन में खाद्य और नकदी फसलों के उत्पादन और परिसंस्करण, बहुविध फसल पद्धतियों, मृदा संरक्षण तथा जल प्रबन्ध, फल और सब्जी विकास, बागवानी, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, चारा विकास, पशुधन संवर्धन, डेरी विकास, पशु-स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, जल-कृषि, चीनी प्रौद्योगिकी, कृषि सहकारी समितियों, कृषि व्यापार मे संयुक्त उद्यमो को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में सहयोग करने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नायक रेडियो आपरेटरों तथा नायकों के लिए पदोन्नति के अवसर

476. **श्री ए० चारल्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नायक रेडियो आपरेटरों तथा सामान्य श्रेणी के नायकों की पदोन्नति के अवसरों में कोई विषमता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में रेडियो आपरेटर संवर्ग में नायक और सामान्य ड्यूटी संवर्ग में नायक दो अलग संवर्गों के हैं और उनके पदोन्नति के अवसर उनके सम्बन्धित संवर्ग मे वर्तमान सेवा शर्तों के अनुसार होते है। अतः उनके पदोन्नति के अवसरों में किसी प्रकार की असमानता का प्रश्न नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जी० आई० आई० सी० को प्राकृतिक गैस का आवंटन

477. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार की ओर से गुजरात इंडस्ट्रियल एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया और अन्य औद्योगिक एककों के लिए प्राकृतिक गैस का आवंटन करने के लिए कितने प्रस्ताव मिले हैं जो लम्बित पड़े हैं; और

(ख) प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गुजरात में विभिन्न इकाइयों से प्राप्त 21 । मागे गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ पंजीकृत हैं । इन इकाइयों को कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

478. **श्री धर्मेन्द्रिसाव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ, प्रतिवर्ष जिलावार, कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियां देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 199 -92 के दौरान धनराशि के नियतन में कमी करने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	अ० जा० और अ० ज० जा० लाभग्रहियों की सं०	किया गया कुल व्यय (रुपए लाखों में)
1988-89	1,24,656	2027.17
1989-90	1,08,518	2017.77
1990-91 (प्रत्याशित)	1,52,512	2618.52

(इसमें प्रतिबद्ध देयता शामिल है । जिलावार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं) ।

(ख) मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1991-92 के दौरान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अब तक 316.08 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है जोकि 199 -9 के दौरान दी 100.67 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से अधिक है ।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मानदण्ड—1-7-1989 से लागू

1. माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा	छात्रवृत्ति के लिए पात्रता
(क) प्रतिमाह 1500 रु० से अधिक नहीं।	सम्पूर्ण अनुरक्षण भत्ता व फीस।
(ख) प्रतिमाह 1500 रु० अधिक लेकिन 2000 रुपए से कम।	(1) वर्ग "क" के पाठ्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण अनुरक्षण भत्ता व फीस।
	(2) अन्य वर्गों के लिए आधा अनुरक्षण भत्ता व पूरी फीस।

टिप्पणी : जिन छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय सभी स्रोतों से 2000/- रु० प्रति-मास से अधिक है, उन्हें छात्रवृत्ति अनुज्ञेय नहीं है। जो छात्र पूर्णकालिक रोजगार में हैं वे पात्र नहीं होंगे। तथापि रोजगार युक्त छात्र जो पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए बिना वेतन छुट्टी लेते हैं और पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन करते हैं, छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।

2. एक ही मां-बाप/अभिभावक के केवल दो बच्चे ही, यदि वे अन्यथा योजना के अन्तर्गत पात्र हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

नई मुम्बई में नई डेयरी

480. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) का नई मुम्बई में नई डेयरी की स्थापना करने में महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सरकार को यह प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए अन्य डेयरियों को की जाने वाली दूध की सप्लाई प्रभावित न हो ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोको का उत्पादन और निर्यात

481. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, देश में कितनी मात्रा में कोको का उत्पादन हुआ;

(ख) घरेलू खपत के लिए कितनी मात्रा में कोको की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोको का आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कोको का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुक्कलापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मोटे तौर पर लगाए गए अनुमानों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कोको की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टन)
1989-90	6900
1990-91	7400
1991-92	6200

(ख) अनुमानित घरेलू खपत 6700 मी० टन प्रतिवर्ष है ।

(ग) और (घ) कोको का आयात छोटे पैमाने के क्षेत्रों में लगे वास्तविक पात्र उपयोगकर्त्ताओं द्वारा "एक्सिम स्क्रिप्स" और विशेष लाइसेन्सों से किया जा सकता है। कोको का आयात करने के लिए लाइसैंसिंग वर्ष 1990-91 और 1991-91 के दौरान कोई विशेष लाइसेंस जारी नहीं किया गया है । 'एक्सिम स्क्रिप्स' के तहत कोको की फलियों का आयात करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल

482. **श्री टी० जे० आंजलोस :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने होस्टलों का निर्माण किया गया, और वे कहां स्थित हैं;

(ख) कितने होस्टल निर्माणाधीन हैं और कितने निर्माणार्थ विचाराधीन हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 होस्टल मंजूर किए गए जो निर्माणाधीन हैं । इन होस्टलों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए, संघ सरकार द्वारा 60,10,050/- रुपए की राशि प्रदान की गई थी ।

विवरण

लड़कियों के होस्टल

क्रम सं०	वर्ष	होस्टलों के स्थान अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1.	1988-89	(1) वेक्यूम कोटायम (2) अजीयूर, कोजीकोड (3) एर्नाकुलम	—
2	1989-90	(1) कोजीकोड (2) एर्नाकुलम (3) अजीयूर कोजीकोड (4) पलाईकेलयाम	(1) पालघाट (2) श्रीसयूर (3) वयानाद
3	1990-91	(1) कोजीनूपम, पलक्कल	(1) पठनाथिरट्टा (2) वयानाद (3) इडडूकी (4) पलाकाड
		लड़कों के होस्टल	
1.	1988-89	—	—
2.	1989-90	—	—
3.	1990-91	(1) कैलन (2) वेलयामबलम, त्रिवेन्द्रम (3) पठनामथिट्टा	(1) वयानाद (2) मालाप्पूरम (3) वयानाद
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए 11 होस्टल	अनुसूचित जन-जातियों के लिए 10 होस्टल

गोदावरी बेसिन में नरसापुर के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस का उपयोग

483. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बेसिन में नरसापुर के कुओं में जलाई जा रही प्राकृतिक गैस का उपयोग आन्ध्र प्रदेश के लाभ के लिए उपयोग किए जाने की कोई योजना हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) गोदावरी बेसिन के नरसापुर के कूपों की गैस नहीं जलायी जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जम्मू और कश्मीर में रिहा किये गए उग्रवादी

484. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर कितने उग्रवादी रिहा किये गए;

(ख) क्या उनमें कुछ खतरनाक उग्रवादी भी थे;

(ग) क्या उनके विरुद्ध अभियोग समाप्त कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश की विभिन्न जेलों मे जम्मू और कश्मीर के कितने उग्रवादी बन्द हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर 281 व्यक्तियों को रिहा किया गया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले अभी भी जारी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ङ) 1-2-1992 को राज्य से बाहर की जेलों में रखे गए जम्मू और कश्मीर पी० एस० ए० नजरबंदियों की संख्या 146 है ।

उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों का पुनर्वास

485. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूकम्प पीड़ितों का उचित रूप से पुनर्वास न दिए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों को पर्याप्त सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय राहत व्यय की वर्तमान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह विपदा राहत कोष की निधि का इस्तेमाल करके जरूरी राहत एवं पुनर्वास उपाय अपनाये। वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र सरकार ने अपने विपदा राहत कोष के सम्पूर्ण हिस्से के रूप में 67.50 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही निर्मुक्त कर दी है।

2. भूकम्प पीड़ितों के लिये तत्काल राहत और पुनर्वास के लिये सेना और अन्य अर्ध सैन्य-बलों के द्वारा वस्तुपरक सहायता पहुंचाने के अलावा केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता प्रदान की है :

(1) अग्रिम अर्थोपाय के रूप में 25.00 करोड़ रुपये।

(2) प्रभावित जिलों के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपये।

(3) प्रभावित जिलों में घरों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 5.80 करोड़ रुपये।

3. प्रभावित जिलों में 20,000 घरों के निर्माण के लिये आवास एवं शहरी विकास निगम ने 30.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं जिसमें से 14.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त निर्मुक्त की जा चुकी है। आवास एवं शहरी विकास निगम उत्तर काशी टिहरी और चमोली जिलों में 72.00 लाख रुपये की लागत से तीन केन्द्रों और छह उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है।

फल और सब्जी उत्पाद

486. **डा० रवि मल्लू :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में फलों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान प्रत्येक प्रमुख मद का कुल कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और यह उत्पादन कितने-कितने भू-क्षेत्र में हुआ;

(ग) विश्व के अन्य देशों की तुलना में प्रमुख फलों और सब्जियों की उत्पादकता का स्तर क्या है;

(घ) क्या बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों और कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में धीमी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ख) 1991-92 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि 1989-90 के आंकड़ें निम्नवत् हैं :—

क्रम सं०	फल और सब्जियां	क्षेत्र (लाख हैं० में)	उत्पादन (लाख मी० टन में)
1.	फल	28.50	269.7
2.	सब्जियां	55.50	538.8
3.	आलू	9.57	151.36
4.	प्याज	2.98	30.16

(ग) अंगूर उत्पादकता के क्षेत्र में भारत दूसरे सर्वोच्च स्थान पर है। आलू की उत्पादकता 15.87 मी० टन प्रति हैक्टेयर है जबकि विश्व का औसत 15.09 प्रति है० है। तथापि अन्य मदों की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है।

(घ) और (ङ) अनुसन्धान प्रयासों से फलों की 25 किस्में, संकर प्रजाति सहित सब्जी और फसलों की 119 किस्में, आलू की 27 किस्में तथा अन्य कन्द फसलों की 16 किस्मों का विकास किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन फसलों के लिए अनुसन्धान प्रयासों को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

बरौनी तेल-शोधक कारखाने का उत्पादन

[हिन्दी]

487. श्री गोविंद राव निकम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेल का कम उत्पादन होने के क्या कारण है; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) असम कच्चे तेल की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से बरौनी रिफाइनरी की क्षमता का उपयोग अपेक्षाकृत कम रहा है। बरौनी रिफाइनरी को यथासम्भव अधिकाधिक क्रूड की आपूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज भाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालय

[अनुवाद]

488. **श्री प्रवीन डेका** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज भाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत देश मे कार्य कर रहे क्षेत्रीय कार्यालय कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो क्या गुवाहाटी में उक्त क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर दी गई है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है और इसकी स्थापना संभवत: कब तक की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन देश में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं और ये कार्यालय नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा जबलपुर में स्थित हैं।

(ख) से (घ) गोवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का न तो पहले कोई प्रस्ताव था और ना ही इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों को मान्यता

[हिन्दी]

489. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों को मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) उन्हें मान्यता कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(घ) क्या इन सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें अन्य सुविधाएं कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए गोवा लिब्रेशन मूवमेंट को पहले ही मान्यता है।

(ग) 750/- रुपये की मासिक पेंशन के अलावा उपलब्ध अन्य सुविधाओं में (1) प्रथम श्रेणी का मुफ्त रेलवे पास और (2) केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करना सम्मिलित है। जहां कहीं केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्य कर रही है वहां इस योजना के अन्तर्गत भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। सुविधाओं के बढ़ाने के बारे में केन्द्र सरकार के पास, इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पान को कृषि वस्तु के रूप में घोषित किया जाना

[अनुवाद]

490. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पान को एक कृषि वस्तु के रूप में घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) पान का पत्ता बागवानी फसल है। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल नहीं किया गया है।

तिब्बतियों के शिविरों में चीनियों की घुसपैठ

491. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "चाइनीज एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट तिब्बतन" कैम्पस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार को दिनांक 8-10-1991 को इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित चीनी एजेंटों के तिब्बती शिविरों में घुसपैठ करने सम्बन्धी समाचार की जानकारी है। भारत में स्थित किसी भी तिब्बती शरणार्थी शिविर में से किसी

भी चीनी एजेन्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बुरे तत्वों की पहचान करने के लिए जहां तक सम्भव होता है तिब्बत से आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाती है।

गुजरात में सहकारी विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

492. श्री काशीराम राणा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए गए और इनसे वहां जिलावार समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या-क्या लाभ पहुंचे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की खपत

[अनुवाद]

493. प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक राज्य में उर्वरकों की खपत में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उर्वरक खपत में वृद्धि की राज्यवार प्रमात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

("000 मी० टन एन+पी+के)

क्रमांक	राज्य	1988-89	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	1989-90	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	1990-91 आकलित	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1355.33	40.20	1532.42	13.07	1635.20	6.71
2.	कर्नाटक	799.85	43.20	779.10	—2.59	811.33	4.14
3.	केरल	213.93	17.20	212.45	—0.89	254.92	19.99
4.	तमिलनाडु	768.59	13.20	782.13	1.76	879.35	12.43
5.	गुजरात	64 .47	45.50	695.38	8.07	688.82	—0.94
6.	मध्य प्रदेश	684.13	34.70	674.69	—1.38	792.33	17.44
7.	महाराष्ट्र	891.10	20.40	1182.00	32.65	1294.00	9 48
8.	राजस्थान	305.37	42.20	205.59	—6.48	390.25	36.65
9.	हरियाणा	509.17	29.30	535.48	5.17	596.62	11.42
10.	पंजाब	1116.91	0.50	1144.87	2.50	1224.08	6.92

1 2	3	4	5	6	7	8
11. उत्तर प्रदेश	2135.87	33.70	2091.71	—2.07	2274.39	8.73
12. हिमाचल प्रदेश	30.30	20.0	32.71	7.95	35.20	7.61
13. जम्मू एवं कश्मीर	53.52	37.20	47.51	—11.23	43.06	—9.37
14. बिहार	608.03	25.10	564.89	—7.23	612.80	8.64
15. उड़ीसा	161.69	6.60	204.74	26.63	200.21	—2.21
16. पश्चिम बंगाल	634.95	13.10	671.10	5.69	684.80	1.92
17. असम	25.46	7.20	23.63	—7.26	35.20	48.96
18. त्रिपुरा	8.92	4.90	9.10	2.02	11.73	28.90
19. मणिपुर	7.30	15.30	6.90	—5.48	9.71	40.72
20. मेघालय	3.08	—5.80	2.86	—6.54	2.82	—1.40
21. नागालैंड	0.30	78.00	0.69	130.00	1.11	60.87
22. अरुणाचल प्रदेश	0.36	21.40	0.39	8.33	0.44	12.82
23. सिक्किम	1.80	6.30	1.67	—7.22	1.06	11.38
24. मिजोरम	0.32	62.60	0.50	56.25	0.82	64.00
25. अन्य संघ शासित क्षेत्र और चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	80.30	—2.80	86.45	7.66	96.54	11.67
सम्पूर्ण भारत	11040.05	25.70	11568.16	4.78	12576.79	8.72

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

494. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और इस बैठक में कौन-कौन से संकल्प पारित किए गए; और

(ग) उन संकल्पों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जम्मू और कश्मीर की स्थिति और पंजाब की स्थिति । उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में पारित संकल्प की प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है । इसके अतिरिक्त कावेरी जल विवाद पर एक और संकल्प पारित किया गया, जिसकी प्रति भी विवरण-II के रूप में संलग्न है ।

(ग) इन संकल्पों को सभी सम्बन्धितों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है । संकल्पों का अपेक्षित प्रचार भी किया गया ।

विवरण-I

31 दिसम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में परिषद द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के बारे में पारित संकल्प ।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब में लगातार हो रही आतंकवादी हिंसा पर दुख व्यक्त किया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे गए । परिषद ने आतंकवादियों द्वारा निस्सहाय व्यक्तियों के मारे जाने की घटनाओं की कड़ी निंदा की ।

परिषद ने सीमा पार की ताकतों द्वारा आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार वित्तीय सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार के रूप में सक्रिय सहयोग देने की निंदा की ।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों द्वारा बार-बार भड़काये जाने पर भी इन दोनों राज्यों में साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ऐसा वर्षों से देश द्वारा अपनायी गयी धर्मनिरपेक्ष नीतियों के परिणाम-स्वरूप हुआ ।

परिषद ने उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और अवपीड़न के कारण कश्मीर घाटी के निवासियों द्वारा बड़ी संख्या में पलायन करने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की तथा आशा जाहिर की कि इन प्रवासियों के घाटी में अपने घरों को जल्दी लौटने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की जाएगी ।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने, फरवरी, 1992 में पंजाब में चुनाव कराने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया और सभी राजनैतिक दलों से चुनाव कराने में गड़बड़ी करने वाले आतंकवादी और

अलगाववादी तत्वों के प्रयासों को नाकाम बनाने की अपील की। परिषद ने पंजाब और जम्मू और कश्मीर में विकास और अन्य गतिविधियों में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को भी नोट किया और उम्मीद जाहिर की कि इन राज्यों की बकाया समस्याओं का हल निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। परिषद ने, इन राज्यों में लोकतांत्रिक और राजनैतिक प्रक्रियाओं को पुनः सक्रिय करने में अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया और उम्मीद जाहिर की कि इस प्रयोजन के लिए जल्दी उपयुक्त वातावरण बनाया जाएगा।

बृहत सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं वाले अनेकतावादी समाज में समस्या को हल करने के तरीकों में मतभेद हो सकते हैं। लोगों की कठिनाईयां वास्तविक भी हो सकती है जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तथापि, इनको लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए हल करना होगा। समस्याओं को दूर करने अथवा विवादों को हल करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव चरमरा जाएगी। राष्ट्रीय एकता परिषद, देश की एकता और अखण्डता को इन उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से उत्पन्न किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कृत संकल्प है।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने विक्षुब्ध क्षेत्रों के युवकों के उस वर्ग से राष्ट्रीय मुख्यधारा में पुनः आने की अपील की है जिन्होंने हिंसा और अलगाववाद का मार्ग अपनाया है। इसने युवकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार की ताकतों के बहकावे में न आएं।

परिषद ने इस बात पर बल दिया है कि इस विकट परिस्थिति में देश पर थोपे गए अघोषित युद्ध की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक जनाधार और राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के निश्चित प्रयास किए जाने चाहिए। परिषद ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और आम जनता से अपील की है कि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए एकजुट हो जाएं तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें अथवा ऐसा कुछ कहें जिससे इन प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती हो।

विवरण-II

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 31 दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में कावेरी जल विवाद से संबंधित पारित संकल्प

राष्ट्रीय एकता परिषद ने कावेरी जल विवाद के कारण हुई हिंसक घटनाओं और इन घटनाओं के कारण लोगों के पलायन करने पर गहन चिंता व्यक्त की। परिषद ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों और वहां के लोगों से तेजी से सामान्य हालात बहाल करने और प्रवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और इस प्रकार के कार्यों या बयानों से बचने की अपील की, जिससे वातावरण और खराब होता है।

असम राइफल्स के जवानों द्वारा किया गया तथाकथित सामूहिक बलात्कार

495. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राइफल्स के कुछ जवानों द्वारा त्रिपुरा स्थित उजान मैदान में आदिवासी महिलाओं

के साथ किए गए तथाथित सामूहिक बलात्कार के मामले की जांच के लिए नियुक्त किए गए देव आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई दो याचिकाओं में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट 14-9-1991 को न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। इस मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ग) त्रिपुरा सरकार के अनुसार जिला प्रशासन को गहन निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है और यदि कोई घटना ध्यान में आती है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली

497. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री गुरुदास कामत :
श्री प्रतापराव वी० भोसले :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अनिश्चित अवधि के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यालय को इसके वर्तमान परिसर से स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए वैकल्पिक स्थान के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। विदेश मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालय के बीच इस बारे में बातचीत हुई थी जिसके दौरान इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को केवल दो दिन की अल्पावधि के लिए सील कर दिया गया था। इसके बाद और आगे बातचीत हुई थी और यह तय किया गया है कि इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को उपयुक्त व्यवस्था किए जाने के पश्चात वर्तमान परिसर से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

औरैया में पेट्रो-रसायन उद्योग

[हिन्दी]

498. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरैया (उत्तर प्रदेश) में 2400 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा एक पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश ने 1989 में केन्द्रीय सरकार को आशय-पत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर अभी तक कोई निर्णय न लिए जाने के क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में औरैया में एक पेट्रो-रसायन परिसर स्थापित करने के सम्बन्ध में गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० के प्रस्ताव को 1989 मे प्रथम चरण का अनुमोदन दिया गया था। गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर सरकारी अनुमोदन देने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

स्विट्जरलैंड में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता

[अनुवाद]

499. श्री मोहन रावले :
श्री जी० एल० शर्मा प्रेम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरिकिशोर सिंह :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री साइमन मरान्डी :
श्री के० प्रधानी :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री रवि राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों की स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के दौरान किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को भारत स्थित पाकिस्तान उच्च आयुक्त द्वारा स्विटजरलैण्ड में उनकी बातचीत के समय कश्मीर के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने कश्मीर की जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 5 फरवरी, 1992 को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करने की तरफ ध्यान दिया है;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) कश्मीर विवाद के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2 फरवरी, 1992 को दवोस (स्विटजरलैंड) में मिले थे।

(ख) दोनों प्रधान मन्त्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर और इन मसलों के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय करने के सम्बन्ध में विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया।

(ग) जी, हां।

(घ) पाकिस्तान के हाई कमिश्नर द्वारा नई दिल्ली में दिए गए वक्तव्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं। इन टिप्पणियों पर सरकार की गम्भीर आपत्ति और चिंता से पाकिस्तान की सरकार को अवगत करा दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि इस भेंटवार्ता के तथ्यों से स्थिति अनुचित रूप से बिगड़ेगी जिसका भारत पाक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने इस बात पर गहरी चिंता के साथ गौर किया है कि पाकिस्तान की सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष जनमत को भड़काने और लोगों को हिंसा और उग्रवाद के लिए उकसाने वाले बयानों और कार्रवाइयों में अपने आपको शरीक किया है और यह हमारे आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है।

(छ) पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान जो समर्थन दे रहा है और जम्मू और कश्मीर की घटनाओं को वह जिस तरह से तोड़-मरोड़कर और गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत करा दिया गया है। इस बात को सभी व्यापक रूप से मानते हैं कि भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है और शिमला समझौते का भी सभी आज समर्थन करते हैं जिसमें यह अपेक्षित है कि भारत-पाकिस्तान के सभी मसलों की द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट

[हिन्दी]

500. **श्री नीतिश कुमार :**
प्रो० के० वी० थामस :
श्रीमती वासंवा राजेश्वरी :
श्री हरिन पाठक :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में, 1991-92 के दौरान खाद्यान्न-वार खरीफ की कुल कितनी फसल हुई;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान खरीफ की फसल के खाद्यान्नों में कुल कितनी गिरावट आई है;

(ग) गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दलापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन का कुल आकलन अभी भी कुछ राज्यों से प्राप्त किया जाना है । तथापि, राज्यों से उपलब्ध सूचना के आधार पर 1991-92 के दौरान राज्यवार, अन्नवार सम्भावित खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

(ख) हाल के मूल्यांकन के अनुसार खाद्यान्न का संभावित उत्पादन 1991-92 में लगभग 94.1 मिलियन मीटरी टन प्रत्याशित है, जबकि 1990-91 दौरान 99.9 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन हुआ था ।

(ग) 1991-92 के दौरान खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में आई गिरावट के कारणों में लम्बी अवधि तक सूखे का दौर तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर, 1991) के दौरान खासकर देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में मौसम की अनियमित स्थिति शामिल है ।

(घ) बाजार तथा मूल्य समर्थन प्रचालनों के अलावा, भारत सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना जैसे विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके ।

विवरण

खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1991-92

("000 मी० टन में)

राज्य	चावल	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	छोटे कदन्न	मोटे अनाज	तूर	खरीफ की अन्य दालें	योग खरीफ दालें	योग खरीफ खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	7100	480	170	700	105	66	1521	82	298	298	2810
असम	2800			12		6	18	5		5	2823
बिहार	5200	3	5	917	67	35	1027	89	102	191	6418
गुजरात	750	205	940	500	23	16	1684	284	152	436	2870
हरियाणा	1748	30	312	42			384	50	6	56	2188
हिमाचल प्रदेश	110			650	6	10	666		8	8	784
जम्मू व कश्मीर	549		8	440		9	457		22	22	1026
कर्नाटक	2150	825	206	662	1147	57	2857	175	332	507	5554
केरल	944	2			2	2	6		5	5	955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश	5237	1500	138	1350	5	296	3289	400	250	650	9176
महाराष्ट्र	2000	3000	1000	93	189	69	4351	463	110	873	72 5
उड़ीसा	5250	30	6	180	251	37	504	124	233	357	6111
पंजाब	6600	1	12	350			363	12	55	67	7030
राजस्थान	100	334	1669	826		9	2838	15	630	645	3583
तमिलनाडु	5271	474	300	37	242	165	1218	109	278	387	6876
उत्तर प्रदेश	9100	400	775	1131	153	295	2754	637	78	715	12569
पश्चिम बंगाल	8100	1	1	124	11	0	143	3	54	57	8300
अन्य	1449	6	3	172	14	32	227	4	21	25	1701
अखिल भारत	64458	7291	5545	8186	2215	1110	24347	2452	2852	5304	94109

आतंकवाद से निपटने हेतु बैठक का आयोजन

[अनुवाद]

501 **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आतंकवाद और अन्य अलगाववादी प्रवृत्तियों से लड़ने हेतु समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मुख्यमन्त्रियो ने बैठक में आने के लिए अपनी सहमति जताई है;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों के कार्यकरण में ताल-मेल बिठाने के लिए कोई केन्द्रीय बल का गठित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर विचार-विमर्श करने के लिए गृह मन्त्री ने 29 फरवरी, 1992 को गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों और दिल्ली के उपराज्यपाल की एक बैठक बुलाई है । उम्मीद है कि सभी आमंत्रित बैठक में भाग लेंगे ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-पाक सीमा पर निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी

502. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री बी० कृष्ण राव :
श्री प्रकाश बी० पाटील :
श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जब्त किए गए हथियारों और अन्य निषिद वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों और जासूसों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या हाल के महीनों में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

[हिन्दी]

503. श्री रामकृष्ण कुसुमारिया :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री राजवीर सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, खुर्जा, बरेली, बदायूं और नोएडा क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1989 में गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को इन क्षेत्रों के लिए गैस का आबटन यू० पी० एस० आई० डी० सी० को करने के लिए कहा गया था और यू० पी० एस० आई० डी० सी० को गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पाइपलाइन से गैस लेना था और गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ योजना का विवरण तैयार करना था । गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार यद्यपि यू० पी० एस० आई० डी० सी० ने विपण अध्ययन किया था लेकिन कोई विशेष प्रस्ताव विचारार्थ लम्बित नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आतंकवादी गतिविधियां

504. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री संतोष कुमार गंगावार :
श्री मणि शंकर अय्यर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों में 1990 और 1991 के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं घटी;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पूछताछ के लिए कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोगों को छोड़ा गया और कितने लोगों को पूछताछ की जा रही है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम में कितने लोगों का अपहरण किया, कितने लोग छोड़ दिए गए और कितने लोग अभी भी आतंकवादियों के पास बन्धक हैं;

(घ) उस अवधि के दौरान दिल्ली, पंजाब, असम तथा जम्मू और कश्मीर में अपहृत व्यक्तियों के बदले में कितने आतंकवादी छोड़े गए; और

(ङ) अपहृत व्यक्तियों के बदले में आतंकवादियों को छोड़े जाने की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ले जा रहे विमान पर गोलीबारी

505. **श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री यशवंतराव पाटिल :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ले जा रहे विमान पर गोलीबारी की गई और राकेटों से हमला किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए तथा विमान को कितनी क्षति पहुंची;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 25 जनवरी, 1991 को सारे कश्मीर में गोलीबारी हो रही थी; और

(च) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ले जाने वाले जहाज पर कश्मीर में गोली चलाई गई और राकेटों से हमला किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक दल ने स्थल का निरीक्षण किया और सूचना दी है कि यहां पर टूट-फूट के कोई चिह्न नहीं हैं। ग्राउण्ड स्टाफ से भी किसी हमले की पुष्टि की सूचना नहीं मिली।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 25 जनवरी, 1992 सहित जनवरी के अन्तिम सप्ताह में विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों में काफी तेजी आई।

(च) सरकार ने पहले ही आतंकवादियों पर दबाव तथा सीमा पर चौकसी में वृद्धि कर दी है। आसूचना अभियानों को और भी गहन कर दिया गया है।

भारत-पाक वार्ता

[अनुवाद]

506. **श्री गोपी नाथ गजपति :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने भारत-पाक वार्ता को राजनैतिक स्तर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर भारत-पाक अधिकारी स्तर की वार्ताओं का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या द्विपक्षीय विवादों का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कोई अन्य प्रभावी कार्यप्रणाली बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) सरकार ने ऐसी प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जिनमें

पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने यह सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को राजनैतिक स्तर का कर दिया जाए।

(क) से (च) भारत सरकार हमेशा से पाकिस्तान के साथ ऐसे किसी स्तर पर बातचीत करने की इच्छुक रही है जो द्विपक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त समझा जाता हो। फिर भी, राजनैतिक स्तर पर चर्चा शुरू करने से पहले पर्याप्त तैयारी करनी होगी। इस समय दोनों देशों की विदेश सचिव स्तर पर बातचीत चल रही है। इस बातचीतों के पांच दौर पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि अगले दौर की बातचीत मार्च अथवा अप्रैल, 1992 में होगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य

507. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) परिषद में सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों की एक सूची संलग्न है।

(ख) कतिपय केन्द्रीय मन्त्रियों के अलावा सभी राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतागण और निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता और संसद के दोनों सदनों में कम से कम एक सदस्य वाले क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेतागण, व्यापार, ट्रेड यूनियनों, मीडिया, महिलाओं के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और कुछ अन्य विख्यात व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, जो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं, द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं।

सत्य मेव जयते

राष्ट्रीय एकता परिषद

1991

सदस्यों की सूची

प्रधान मंत्री — अध्यक्ष

I. केन्द्रीय मंत्री और मुख्य मंत्री

1. केन्द्रीय गृह मन्त्री
2. केन्द्रीय वित्त मन्त्री
3. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री
4. केन्द्रीय कल्याण मन्त्री
5. संसदीय का मन्त्री
6. केन्द्रीय रेल मन्त्री
7. सूचना और प्रसारण मन्त्री

8. से 33. सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री, जहां विधान परिषदें हैं, संलग्न सूची के अनुसार ।

II. निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के नेता

34. अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।

35. श्री एस० आर० बोम्बई,
अध्यक्ष,
जनता दल ।

36. डा० एम० एम० जोशी,
अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी ।

37. श्री एच० एस सुरजीत,
सदस्य, पोलित ब्यूरो,
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ।

38. श्री इन्द्रजीत गुप्ता,
जनरल सेक्रेटरी,
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ।

39. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन,
जनरल सेक्रेटरी,
इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट सरत चन्द्र सिन्हा) ।

40. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी,
अध्यक्ष,
जनता पार्टी ।

41. श्री राम अवधेश सिंह,
अध्यक्ष,
लोक दल ।

42. श्री देवी लाल,
अध्यक्ष,
जनता दल (समाजवादी) ।

III. निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त तथा संसद के किसी भी सदन में एक प्रतिनिधि वाले क्षेत्रीय दलों के नेतागण ।

43. *सुश्री जे० जयललिता, महासचिव,
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कज़गम ।

44. श्री चित्त बसु,
महासचिव,
अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक ।

45. श्री प्रफुल्ल कुमार महन्त,
अध्यक्ष,
असम गण परिषद् ।

46. डा० एम० करुणानिधि,
अध्यक्ष,
द्रविड मुनेत्र कजगम ।

47. डा० फारूख अब्दुल्ला,
अध्यक्ष,
जम्मू व कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ।

*ये नाम राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की सूची में भी होंगे ।

48. श्री त्रिदिब चौधरी,
महासचिव,
रेवुल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी ।

49. *श्री एन० बी० भण्डारी,
अध्यक्ष,
सिक्किम संग्राम परिषद ।

50. श्री एन० टी० रामा राव,
अध्यक्ष,
तेलुगु देशम पार्टी ।

51. श्री पी० जे० जोसेफ,
अध्यक्ष,
केरल कांग्रेस ।

52. श्री कांशी राम,
अध्यक्ष,
बहुजन समाज पार्टी ।

53. श्री काबुल सिंह,
अध्यक्ष,
शिरोमणि अकाली दल ।

54. सैय्यद मोहम्मद अली शिहाब थेंगल,
अध्यक्ष,
मुस्लिम लीग ।

55. श्री बालासाहब ठाकरे,
अध्यक्ष,
शिव सेना ।

56. श्री आर० डी० खलप,
अध्यक्ष,
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ।

57. श्री के० एम० मणी,
चेयरमैन,
केरल कांग्रेस (एम)

*ये नाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों की सूची में भी होंगे ।

58. श्री शिबू सोरन,
अध्यक्ष,
झारखंड मुक्ति मोर्चा ।

59. श्री डेविड लेजर,
जनरल सेक्रेटरी,
नूतन असम गण परिषद ।

60. श्री एच० एस० लिंगदेह,
अध्यक्ष,
हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ।

61. श्री वाई० यैमा सिंह,
अध्यक्ष,
मणिपुर पीपुल्स पार्टी ।

62. श्री बंसी लाल,
अध्यक्ष,
हरियाणा विकास दल ।

63. श्री विजोल,
अध्यक्ष,
नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल ।

IV. जानी-मानी हस्तियां

64. श्री सुरजीत सिंह बरनाला

65. श्री चन्द्र शेखर

66. सरदार स्वर्ण सिंह

67. श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ

68. श्री एन० डी० तिवाड़ी

69. श्री सैयद मीर कासिम

70. श्री पी० एन० हक्सर

71. श्री प्रकाश सिंह बादल

72. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

73. श्री एल० के० आडवाणी

74. श्री सत्यजीत राय

75. श्री गोपेश्वर
76. श्री जे० आर० डी० टाटा
77. लेफ० जन० जे० एस० अरोड़ा (सेवा निवृत्त)
78. श्री एस० रामकृष्णन (भारतीय विद्या भवन)
79. प्रो० बी० के० गोकाक (सत्य साईं बाबा ट्रस्ट)
80. आचार्य तुलसी (जैन विश्व भारती)
81. श्री प्रकाश अम्बेडकर
82. श्री शरद जोशी
83. श्री सुनील दत्त
84. ब्रिगे० टी० सैलो
85. श्री राजमोहन गांधी
86. सुलतान सलाहुद्दीन ओवैसी
87. सुश्री शबाना आजमी
88. श्री ए० आर० अन्तुले
89. फादर ए० मिन्ज
90. श्री राम सुन्दर दास
91. श्री होकिशे सेमा
92. मौलाना असम मदनी
93. श्री एम० फारूकी
94. श्री जावेद हबीब
95. श्री शाहिद सिदिकी
96. श्री एम० फजल
97. श्री भीष्म साहनी
98. प्रो० सतीश चन्द्र
99. श्री के० एफ० रस्तमजी
100. डा० सी० नारायण रेड्डी
101. श्री सुभाष घीसिंग
102. श्री पिण्टो नाबूं
103. स्वामी रंगनाथ नन्द

104. एलन-बी-लास्टिक, आर्कबिशप दिल्ली

105. श्री मोहित सेन

106. श्री सैफुद्दीन सोज

107. श्री बी० पी० सिंह

108. श्री एम० जे० अकबर

109. श्री बी० एच० डालमिया

110. श्री सिमरनजीत सिंह मान

111. श्री फ्रैंक एन्थोनी

112. श्री एस० जयपाल रेड्डी

113. प्रो० भीम सिंह

V. व्यापार

114. श्री एस० के० बिरला

115. श्री रौनक सिंह

116. श्री बी० एल० दत्त

117. श्री विजय जो० कालांतरी

118. श्री एन० शंकर

119. श्री ध्रुव एम० साहनी

VI. श्रम

120. श्री जी० रामानुजम,
अध्यक्ष,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

121. श्री चतुरानन मिश्र,
अध्यक्ष,
आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

122. श्री ई० बालानन्दन,
सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स ।

123. श्रीमती कमला सिन्हा,
अध्यक्ष,
हिन्द मजदूर सभा ।

124. श्री रमन गिरधर शाह,
अध्यक्ष,
भारतीय मजदूर संघ ।

VII. आयोग

125. श्री एस० एम० एच० बर्नी,
अध्यक्ष,
अल्पसंख्यक आयोग ।

126. श्री जी० रामोरेड्डी,
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

127. श्री राम धन,
अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ।

VIII. मीडिया

128. श्री निखिल चक्रवर्ती

129. श्री प्रभु चावला

130. श्री प्रभाष जोशी

131. श्री आर० के० मिश्र

132. श्री आबिद अली खान

133. वी० रामोजी राव

134. श्री माधव गडकरी

135. श्री खुशवन्त सिंह

136. श्री बी० जी० वर्गीज

137. श्री इन्द्रजीत

138. श्री प्रेम भाटिया

139. श्री गोविन्द राव तलवालकर

140. श्री डी० पी० कुमार

141. श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी

142. श्री अशोक जैन

143. श्री अबीक सरकार

144. श्री जी० कस्तूरी

145. श्री के० के० बिरला

IX. महिला प्रतिनिधि

146. बेगम आबिदा अहमद

147. श्रीमती इला भट्ट

148. बेगम एजाज रसूल

149. श्रीमती लीला दामोदर मेनन

150. श्रीमती निर्मला देशपाण्डे

151. डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला

जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डल हैं उनके मुख्यमंत्रियों की सूची

1. श्री एन० जनार्दन रेड्डी,
   मुख्य मन्त्री, आंध्र प्रदेश,
   हैदराबाद ।

2. श्री गगांग अपांग,
   मुख्य मन्त्री, अरुणाचल प्रदेश,
   ईटानगर ।

3. श्री हितेश्वर सैकिया,
   मुख्य मन्त्री, असम,
   दिसपुर ।

4. श्री लालू प्रसाद यादव,
   मुख्य मन्त्री, बिहार,
   पटना ।

5. श्री चिमन भाई पटेल,
   मुख्य मन्त्री, गुजरात,
   गांधी नगर ।

6. श्री रवि नाइक,
   मुख्य मन्त्री, गोवा,
   पणजी ।

7. श्री भजन लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

8. श्री शांता कुमार,
मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश,
शिमला ।

9. *श्री जी० सी० सक्सेना,
राज्यपाल, जम्मू व कश्मीर,
श्रीनगर ।

10. श्री एस० बंगारप्पा,
मुख्य मन्त्री, कर्नाटक,
बंगलौर ।

11. श्री के० करुणाकरण,
मुख्य मन्त्री, केरल,
त्रिवेन्द्रम ।

12. श्री सुन्दर लाल पटवा,
मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

13. श्री सुधाकर राव नाइक,
मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र,
बम्बई ।

14. श्री राज कुमार रणबीर सिंह,
मुख्य मन्त्री, मणिपुर,
इम्फाल ।

15. *श्री मधुकर दिघे,
राज्यपाल, मेघालय,
शिलांग ।

16. श्री लालथन हवला,
मुख्य मन्त्री, मिजोरम,
एजोल ।

*राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के कारण ।

17. श्री वामिजो,
मुख्य मन्त्री, नागालैंड,
कोहिमा ।

18. श्री बीजू पटनायक,
मुख्य मन्त्री, उड़ीसा,
भुवनेश्वर ।

19. *श्री सुरेन्द्र नाथ,
राज्यपाल, पंजाब,
चण्डीगढ़ ।

20. श्री भैरों सिंह शेखावत,
मुख्य मन्त्री, राजस्थान,
जयपुर ।

21. श्री नर बहादुर भण्डारी,
मुख्य मन्त्री, सिक्किम,
गंगतोक ।

22. सुश्री जे० जयललिता,
मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु,
मद्रास ।

23. श्री एस० आर० मजूमदार,
मुख्य मन्त्री, त्रिपुरा,
अगरतला ।

24. श्री कल्याण सिंह,
मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

25. श्री ज्योति बसु,
मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल,
कलकत्ता ।

संघशासित क्षेत्र

1. श्री वी० वैथिलिंगम,
मुख्य मन्त्री, पाण्डिचेरी,
पाण्डिचेरी-605001 ।

*राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के कारण ।

"खालिस्तान का नक्शा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

508. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1992 के "संडे आब्जर्वर" (हिन्दी) में "खालिस्तान का नक्शा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) पंजाब में आतंकवाद तथा विघटनकारी गतिविधियों को पाकिस्तान की सरकार जो सहायता दे रही है उसके सम्बन्ध में और इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित ऐसी गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार ने अनेक अवसरों तथा विभिन्न स्तरों पर अपनी आपत्ति से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया है ।

सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट

[अनुवाद]

509. **श्री सुधीर सावंत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के सिन्धदुर्ग और रत्नागिरि जिलों के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि के जिलों के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जिस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसकी सरकार को जानकारी है । वर्तमान वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतों को देखते हुए इस समय एक और पासपोर्ट कार्यालय खोलना मुमकिन नहीं है । तथापि जनता की दिक्कत को दूर करने के लिए पासपोर्ट क्रियाविधि को सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे कुछ पासपोर्ट कार्यालयों ने जो अनुरोध किया है, उस पर भी विचार किया जा रहा है ।

उर्वरकों की सप्लाई

510. श्री शंकरराव काले :
श्री रामलखन सिंह यादव :
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान, खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों के कितनी मात्रा की मांग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ग) विभिन्न उर्वरकों का कितना स्टाक है और इस समय इनका बाजार मूल्य कितना है; और

(घ) राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पोषक तत्व-वार मांग का मूल्यांकन 89-90 तक किया गया था तथा 1990-91 से उत्पादवार मूल्यांकन किया जा रहा है । 1(क) से 1(ङ) तक के विवरणों मे तदनुसार जानकारी दर्शायी गई है।

(ख) 1989-90, 1990-91 के दौरान उर्वरकों की उत्पाद-वार, राज्यवार और मौसमवार खपत अनुबन्ध 2(क) से 2(घ) मे दी गई है । खरीफ, 91 के दौरान उर्वरकों की उत्पादवार उपलब्धता तथा मौजूदा रबी 91-92 के दौरान 31-12-91 तक की उत्पादवार उपलब्धता विवरण 2(ङ) और 2(च) में दी गई है ।

(ग) विनिर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1-1-92 को उर्वरकों का राज्यवार भण्डार विवरण 3(क) में दर्शाया गया है । उर्वरकों के वर्तमान सांविधिक उपभोक्ता मूल्य अनुबन्ध 3(ख) में दिए गए हैं ।

(घ) राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिनिश्चत करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और विनिर्माताओं के साथ समीक्षा के लिए की जाने वाली आवधिक बैठकों में उर्वरकों के संचलन का प्रबोधन करती है । जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

विवरण-IX

निर्धारित मांग/आवश्यकता

(हजार मी० टनों में)

क्रम सं०	राज्य	खरीफ 89				रबी 89-90			
		एन	पी	के	कुल	एन	पी	के	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	460.00	200.00	50.00	710.10	447.90	165.54	52.00	665.44
2.	कर्नाटक	275.00	170.00	90.00	535.00	162.59	84.46	43.54	290.59
3.	केरल	54.95	33.96	62.13	151.04	37.48	22.46	34.93	94.87
4.	तमिलनाडु	160.00	78.02	93.26	331.28	268.01	102.38	120.15	490.54
5.	पांडिचेरी	4.20	1.40	2.20	7.80	5.56	1.83	2.46	9.85
6.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.18	0.18	0.25	0.61	2.55	0.39	0.20	3.14
7.	गुजरात	188.00	85.00	22.00	295.00	236.94	110.01	23.70	370.65
8.	मध्य प्रदेश	250.00	160.00	30.00	440.00	239.36	155.71	22.36	417.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	महाराष्ट्र	380.00	175.00	80.00	635.00	200.62	104.12	45.50	350.24
10.	राजस्थान	75.00	33.00	2.00	110.00	142.65	67.54	3.00	213.19
11.	गोवा	3.29	2.29	2.32	7.90	1.38	0.92	0.73	3.03
12.	दमन और दीव	0.10	0.05	0.02	0.17	0.02	0.02	0.01	0.05
13.	दादर और नगर हवेली	0.33	0.23	0.01	0.57	0.20	0.10	0.03	0 33
14.	हरियाणा	160.00	30.00	3.00	193.00	257.18	95.52	2.43	335.13
15.	पंजाब	370.00	70.00	10.00	450.00	471.89	255.00	8.31	735.20
16.	उत्तर प्रदेश	745.00	175.00	75.00	995.00	981.31	363.03	91.33	1435.67
17.	हिमाचल प्रदेश	13.11	2.00	0.26	15.37	10.73	4.70	3.64	19.07
18.	जम्मू व कश्मीर	29.25	9.00	2.75	41.00	11.18	6.08	3.82	21.08
19.	दिल्ली	3.43	0.53	0.21	4.17	7.25	2.60	0.56	10.41
20.	चण्डीगढ़	0.35	0.10	0.03	0.48	0.67	0.22	0.01	0.90
21.	असम	9.00	4.50	4.50	18.00	11.17	4.04	4.45	19.66
22.	बिहार	235.00	63.50	28.00	326.50	256.02	95.89	37.60	389.51
23.	उड़ीसा	95.00	35.00	20.00	150.00	54.60	22.34	20.12	97.06
24.	पश्चिम बंगाल	150.00	60.00	50.00	260.00	244.47	120.18	66.46	431.11
25.	त्रिपुरा	3.67	1.87	1.00	6.54	3.77	1.88	1.82	7.47
26.	मणिपुर	7.00	2.70	0.60	10.30	5.14	1.59	0.26	6.99

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. मेघालय	0.78	0.60	0.12	1.50	1.30	1.07	0.18	2.55
28. नागालैंड	0.20	0.20	0.10	0.50	0.15	0.35	0.06	0.56
29. अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.06	0.03	0.22	0.10	0.06	0.02	0.18
30. मिजोरम	0.13	0.15	0.04	0.32	0.05	0.06	0.06	0.17
31. सिक्किम	1.06	0.50	0.15	1.71	0.58	0.48	0.18	1.24
32. टी० बोर्ड (एन० ई०)	11.00	2.00	9.00	22.00	16.00	4.62	12.00	32.62
सम्पूर्ण भारत	3685.16	1396.84	638.98	5720.98	4078.82	1795.19	601.92	6475.93

विवरण-1(ख)

खरीफ, 1990 के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित आवश्यकता

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. डी.एच.एस.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	डी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	750.00	7.00	75.00	80.00	305.00	125.00	2.00	8.00
2.	हरियाणा	322.01	2.00	26.00	31.00	222.81	40.00	30.00	35.00
3.	केरल	64.80	0.35	7.65		2.00	8.05	46.40	2.10
4.	पांडिचेरी	6.00	0.60	0.80		1.30	1.12	0.50	0.20
5.	तमिलनाडु	274.40	13.00	30.00	10.00	81.09	60.00	10.00	20.00
6.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.40				0.44			
	एस० जैड० कुल :	1417.61	22.95	139.45	121.20	612.64	234.12	88.90	65.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. दादर और नगर हवेली		0.65		0.10		0.67	0.05		
8. दमन और दीव		0.20				0.13			
9. गोवा		3.00				1.50		0.75	0.50
10. गुजरात		322.00		121.00	8.00	186.63	60.00		
11. मध्य प्रदेश		412.60		8.80	2.10	168.92	500.00		
12. महाराष्ट्र		800.00	0.50	42.00	2.00	226.00	248.22		75.00
13. राजस्थान		155.48		0.30	7.00	80.55	56.90		
डब्ल्यू० जैड० कुल :		1693.93	0.50	172.20	19.10	664.40	865.20	0.75	75.00
14. चण्डीगढ़		0.85							
15. दिल्ली		7.50			0.40	2.00			
16. हरियाणा		357.11			10.00	68.25	53.00		
17. हिमाचल प्रदेश		15.00			30.00	3.50	1.50		
18. जम्मू व कश्मीर		61.48				20.65			
19. पंजाब		768.00	5.00	5.00	30.00	106.87	200.00		
20. उत्तर प्रदेश		1435.00	8.00	10.00	20.00	153.02	377.60		
एन० जैड० कुल :		2644.94	13.00	15.00	90.40	354.29	632.10		

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	477.30		25.00	10.00	64.08	58 00		
22. उड़ीसा	166.45		13.00	22.00	16.10	28.00	2.05	7.61
23. प० बंगाल	245.00	5.00	20.00	20.00	70.00	150.80	2.00	40.00
ई० जैड० कुल :	888.75	5.00	58.00	52.00	150.18	236.80	4.05	47.61
24. अरुणाचल प्रदेश	0.23				0.08	0.20		
25. असम	16.50		0.50		5.50	12.00	0.96	0.40
26. मणिपुर	11.00				5.45	3.00	0.11	
27. मेघालय	0.58		2.32		0.38	1.42		
28. मिजोरम	0.20				0.55		0.10	
29. नागालैंड					1.55			
30. सिक्किम	1.50				0.50			
31. टी० बोर्ड (एन० ई०)	20.21		3.40			10.60		
32. त्रिपुरा	7.67				1.52	2.19	0.75	
एन० ई० कुल :	57.89		6.22		15.53	29.41	2.92	0.40
सम्पूर्ण भारत :	6703.'2	41.45	390.87	282.70	1797.04	1997.63	96.62	188.81

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.	एस.बी.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.00		15.00	10.00	110.00	10.00	120.00		130.00	43.80	3.50
3.00		60.00	31.00	105.00	40.00	75.00			88.28	6.00
		2.76	1.10	37.00		79.66			93.50	
			0.60	1.50		1.00			2.87	
		10.00	15.00	80.00		40.00			141.17	
									0.25	
8.00		87.76	57.70	333.50	50.00	315.66		130.00	369.87	9.50
									0.05	
									0.03	
					5.50				1.20	
40.00		5.00				5.00			29.75	
40.00		6.00				5.00		20.00	39.50	
		110.00			49.30	130.30			110.00	5.00
7.00									4.80	
87.00		121.00			54.80	140.00		20.00	185.33	5.00

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.60									0.50	
3.00									2.00	
2.00		1.00								
									4.58	
2.50									11.00	
60.00									37.33	
68.10		1.00							55.41	
13.48		3.00				5.00			20.90	
								32.55	18.35	
		23.35				20.00		20.00	54.85	
13.48		26.35				25.00		52.55	94.10	
		0.10							0.03	
									6.00	
									2.50	
									0.16	
									0.17	
									0.30	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									21.67	
									1.26	
		0.10							32.09	
176.58		236.21	57.70	333.50	104.80	480.66		202.55	736.80	14.50

विवरण-1(ग)

रबी 1990-91 के लिए निर्धारित मांग/आवश्यकता

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. सी.एच.एल.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	सी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी. आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	943.00	4.00	64.85	84.00	186.11	95.00	11.57
2.	हरियाणा	237.00	2.00	41.00	25.00	98.17	52.91	11.60
3.	केरल	45.72	0.41	14.23	0.91	3.30	34.08	3.77
4.	तमिलनाडु	448.00	16.00	40.00	10.00	106.80	77.02	23.22
5.	पांडिचेरी	8.27	0.40	0.80		1.90	1.89	0.35
6.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.91				0.44		
	एस० जैड० कुल :	1686.90	22.81	160.88	119.92	396.72	260.90	50.51

1 2	3	4	5	6	7	8	9
7. गुजरात	429.00		115.00	14.17	191.20	74.20	
8. मध्य प्रदेश	336.60		10.00		205.65	396.23	
9. महाराष्ट्र	450.00	0.48	25.00	1.70	145.00	269.18	58.00
10. राजस्थान	263.91		2.00	7.00	150.00	66.54	
11. गोवा	1.65				1.00	0.60	0.50
12. दमन और दीव	0.03				0.01		
13. दादर और नगर हवेली	0.30		0.05		0.20	0.09	
डब्ल्यू० जैड० कुल :	1481.49	0.48	152.05	22.87	693.06	806.84	58.50
14. हरियाणा	476.00				221.56	78.91	
15. पंजाब	846.85	25.00	2.50	34.00	497.22	263.19	
16. उत्तर प्रदेश	1859.00	6.00	19.20	24.15	612.19	437.92	
17. हिमाचल प्रदेश	14.00		0.80	16.00	1.00	4.53	
18. जम्मू व कश्मीर	35.00				14.62		
19. दिल्ली	12.00			0.20	3.39		
20. चण्डीगढ़	0.40			0.20	0.06	0.10	
एन० जैड० कुल :	3243.25	31.00	22.50	74.55	1350.04	784.65	

1 2	3	4	5	6	7	8	9
21. बिहार	430.00		29.93	24.00	168.58	70.00	
22. उड़ीसा	65.80		16.00	12.70	12.00	24.32	9.28
23. प० बंगाल	460.00	2.00	27.73	8.30	175.69	183.88	58.33
ई० जैड० कुल :	955.80	2.00	73.66	45.00	356.27	278.20	67.61
24. असम	22.00		0.50		9.00	14.82	
25. त्रिपुरा	7.95				2.00	5.30	
26. मणिपुर	3.57				2.45	1.36	
27. मेघालय	0.47		3.73		1.00	1.82	
28. नागालैंड	0.20				0.60		
29. अरुणाचल प्रदेश	0.18				0.11	0.40	
30. सिक्किम	1.05				1.00		
31. मिजोरम	0.10				0.10	0.10	
32. टी० बोर्ड (एन० ई०)	19.50		11.00			25.00	
एन० ई० कुल :	55.02		15.23		16.26	48.80	
सम्पूर्ण भारत :	7422.46	56.29	424.32	262.33	2812.35	2179.39	176.62

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:2	17:17:17	19:19:19	20:20:2	28:28:0	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.00	7.73	12.00	6.73	108.32	18.00	100.00	100.14	58.77	7.50
3.00		25.00	20.00	66.91	30.00	40.00		54.10	3.05
			0.73	16.95	2.50	60.00		61.90	
			19.00	94.55	22.00	35.00		200.37	0.05
			0.70	3.50		1.20		4.40	
8.00	7.73	37.00	47.16	290.23	72.50	236.20	100.14	379.54	10.60
41.60		4.55				4.75		40.20	
15.00		5.00				10.00	22.82	22.30	
		100.00			46.45	100.00		78.00	7.70
5.00								6.10	
					2.00			0.30	
								0.02	
								0.05	
61.60		109.55			48.45	114.75	22.82	146.98	7.70
5.00								6.90	0.30
10.00								15.38	
86.47		9.09						93.00	
8.80								1.67	
								2.78	

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.00									
								0.04	
111.27		9.09						119.77	0.30
22.00						10.00		57.20	
							25.00	15.84	
		32.73					25.00	107.51	
22.00		32.73				10.00	50.00	180.55	
								9.35	
								4.01	
								1.00	
								0.30	
								0.12	
								0.10	
								0.33	
								0.12	
								31.90	
								47.23	
202.87	7.73	188.37	47.16	290.23	120.95	360.35	172.96	874.06	18.60

विवरण-1(घ)

खरीफ 1991 के लिए निर्धारित मांग/आवश्यकता

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. डी.एच.एस.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	डी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	793.86	5.00	55.00	56.00	319.75	130.00	1.00	18.18
2.	कर्नाटक	350.14	2.00	26.00	12.00	216.30	50.00	20.00	27.82
3	केरल	75.00	0.25	12.00		17.37	4.22	22.00	2.00
4.	पांडिचेरी	9.24		0.76		2.76	0.93	0.55	0.53
5.	तमिलनाडु	250.00	16.00	22.00	10.00	68.90	65.80	5.00	18.18
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.37				0.45			
	एस० जैड० कुल :	1478.61	23.25	115.76	78.00	645.53	251.95	48.55	66.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	330.00		89.92	7.75	185.33	75.00		
8.	मध्य प्रदेश	519.00		9.00	1.50	180.00	450.00		
9.	महाराष्ट्र	880.00	0.15	30.50	2.50	208.95	300.00		92.64
10.	राजस्थान	200.00		1.45	2.30	130.00	73.74		
11.	गोवा	2.78				1.30		0.80	0.50
12.	दमन व दीव	0.20				0.13			
13.	दादर एवं नगर हवेली	0.80		0.10		0.75	0.07		
	डब्ल्यू० जैड० कुल :	1932.78	0.15	130.97	14.05	706.46	898.71	0.80	93.14
14.	हरियाणा	360.00			6.00	75.00	40.11		
15.	पंजाब	800.00	8.00	5.00	47.00	118.00	215.68		
16.	उत्तर प्रदेश	1450.00	10.00	20.00	20.00	151.00	375.00		
17.	हिमाचल प्रदेश	22.70			25.00	1.00	1.50	1.50	
18	जम्मू व कश्मीर	57.51				20.62			
19.	दिल्ली	7.40			0.20	1.80			
20.	चण्डीगढ़	0.77							
	एन० जैड० कुल :	2298.38	18.00	25.00	98.20	367.42	632.29	1.50	

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	456.00		28.00	9.00	72.00	70.00		
22. उड़ीसा	155.30		10.33	20.00	24.40	30.00	2.50	6.00
23. पश्चिम बंगाल	254.62		19.49	15.00	74.70	154.80	2.00	50.00
ई० जैड० कुल :	875.92		57.82	44.00	171.10	254.80	4.50	56.00
24. असम	30.00		0.40		10.00	17.00	0.10	1.55
25. त्रिपुरा	10.00				3.00	2.60	1.00	
26. मणिपुर	13.00				8.00	2.50	0.50	
27. मेघालय	0.63		2.94		0.67	2.27		
28. नागालैंड	1.12				0.50	1.19		
29. अरुणाचल प्रदेश	0.25				0.10	0.07		
30. सिक्किम	1.30				0.80	0.10		
31. मिजोरम	0.15				1.00			
32 टी० बोर्ड (एन० ई०)	22.60		5.00			2.50	13.00	
एन० ई० कुल :	79.05		8.34		24.07	28.23	13.60	1.55
अखिल भारत :	7064.74	41.40	337.89	234.25	1914.58	2065.98	69.95	217.40

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.82	17.50	10.00	9.00	166.07	9.00	109.00	10.00	103.33	65.00	8.55
7.28		35.00	20.00	191.50	30.00	62.17			120.00	7.00
			0.80	30.00		93.64			100.00	
			0.55	2.95		1.29			4.53	
			12.15	148.57		53.00			155.40	
									0.41	
12.10	17.50	45.00	42.50	539.09	39.00	319.10	10.00	103.33	445.34	15.55
45.00		6.00				5.00	18.21		32.00	2.00
35.00		7.00				4.00	7.73	14.51	40.00	
		105.26		63.88	32.63	99.41	18.21		126.50	7.00
10.00							7.73		5.00	
					3.75				0.70	
									0.03	
									0.11	
90.00		118.26		63.88	36.38	108.41	51.88	14.51	204.34	9.00

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.00									5.00	1.50
23.18									15.00	
65.00									60.00	0.15
3.00										
									5.93	
									0.20	0.10
									0.05	
96.18									86.18	1.75
20.00									24.00	
								32.72	24.00	
				11.65				20.00	71.00	
20.00				11.65				52.72	119.00	
									10.25	
									2.82	
									2.50	
									0.29	
									0.30	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									0.30	
									0.20	
									0.15	
									25.00	
									41.81	
218.82	17.50	163.26	42.50	614.62	75.38	427.51	61.88	170.56	896.67	26.30

विवरण-1(ङ)

रबी, 1991-92 के लिए निर्धारित मांग/आवश्यकता

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	डी.ए.पी.	एस.एम.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	993.00	187.00	106.00	1.00	10.00
2.	कर्नाटक	254.08	105.00	28.00	20.00	12.00
3.	केरल	49.11	3.00	10.00	22.88	3.20

1	2	3	4	5	6	7
4.	पांडिचेरी	11.80	2.00	1.32	0.90	0.60
5.	तमिलनाडु	477.45	105.50	64.00	9.00	25.00
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.20	0.20		0.05	
	एस० जैड० कुल :	785.64	402.90	209.32	63.83	50.80
7.	गुजरात	408.68	198.70	80.00		
8.	मध्य प्रदेश	410.00	225.00	386.80		
9.	महाराष्ट्र	450.00	145.00	280.00		60.00
10.	राजस्थान	305.00	150.00	80.00		
11.	गोवा	2.10	0.70		0.60	0.50
12.	दमन व दीव	0.60	0.40	0.01		
13.	दादर एवं नगर हवेली	0.70	0.60			
	डब्ल्यू० जैड० कुल :	1847.03	720.40	876.81	0.60	60.50
14.	हरियाणा	539.60	225.00	60.00		
15.	पंजाब	918.20	500.00	270.00		
16.	उत्तर प्रदेश	2071.80	625.00	365.65	0.91	

1 2	3	4	5	6	7
17. हिमाचल प्रदेश	23.00	2.00	7.00	1.20	
18. जम्मू व कश्मीर	34.00	15.00			
19. दिल्ली	15.00	4.40			
20. चण्डीगढ़	0.50	0.20			
एन० जैड० कुल :	3602.10	1371.60	702.65	2.11	107.00
21. बिहार	46 .50	152.50	58.70	0.50	
22. उड़ीसा	75.00	20.00	29 00	1.90	8.00
23. प० बंगाल	520.00	175.00	175.00	2.00	80.00
ई० जैड० कुल :	1058.50	347.50	262.70	4.40	88.00
24. असम	23.63	8.16	14.38		
25. त्रिपुरा	9.60	2.00	6.10	3.00	
26. मणिपुर	4.00	3.94	1.20		
27. मेघालय	2.64	1.17	4.16		
28. नागालैंड	0.45	0.20	0.35		
29. अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.09	0.05		
30. सिक्किम	0.80	0.80			
31. मिजोरम	0.33	0.20	0.47		
32. टी० बोर्ड (एन० ई०)	32.00		7 00	21.00	
एन० ई० कुल :	73.54	16.56	33.71	23.00	
अखिल भारत :	8166.81	2858.96	2035.19	94.94	199.30

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.00	8.50	15.00	5.20	94.00	15.00	117.30	9.00	120.20	61.50
3.00		40.00	20.00	65.00	39.00	55.00			68.23
			1.00	15.00		6.00			59.97
			0.80	4.60		1.50			5.19
		1.00	15.00	80.00	16.00	60.00			212.67
									0.20
5.00	8.50	56.00	42.00	258.60	70.00	299.80	9.00	120.20	407.76
44.93		10.00				10.00	12.70		41.00
20.00		5.00				10.00	2.00	25.00	29.50
5.00		110.00			60.00	110.00	40.00		84.85
10.00							10.00		6.00
					2.50				0.50
									0.03
									0.05
79.93		125.00			62.50	130.00	64.70	25.00	161.93

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.00									5.92
7.00									9.80
85.00									120.00
10.00									2.40
									5.00
									1.00
107.00									144.12
18.50		3.50				5.00			52.00
								27.50	21.00
		60.00				20.00		30.00	100.00
18.50		63.50				25.00		57.50	173.00
									8.35
									3.00
									0.83
									0.34
									0.16

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									0.02
									0.20
									0.14
									35.00
									48.04
210.43	8.50	244.50	42.00	258.60	132.50	454.80	73.70	202.70	934.85

विवरण-2(क)

उर्वरक की उत्पादवार खपत खरीफ 1989 (अनुमानित)

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. सी.एच.एल.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	सी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.ओ.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	738.51	6.10	51.22	74.36	339.83	119.13	1.88	8.05
2.	कर्नाटक	313.62	1.40	24.90	27.60	265.76	36.38	23.80	12.70
3.	केरल	48.82	0.71	14.10		4.39	11.14	22.65	1.60
4.	तमिलनाडु	225.01	14.70	28.72	7.28	87.94	55.55	8.13	12.67
5.	पांडिचेरी	6.02	0.50	0.72		1.28	0.59	0.33	0.20
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.17				0.14	0.03		
	कुल :	1332.15	23.41	119.66	109.24	699.34	221.87	56.79	35.27

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. गुजरात*								
8. मध्य प्रदेश	348.90		7.20	2.10	146.60	410.70		
9. महाराष्ट्र	728.60		25.86	1.62	196.61	212.89		56.14
10. राजस्थान	122.98		1.00	2.00	46.37	40.00		
11. गोवा	1.95				1.42			0.36
12. दमन व दीव								
13. सादर एवं नगर हवेली	0.40		0.01		0.45	0.01		
कुल :	1207.73	0.00	34.07	5.72	391.45	666.60	0.00	56.50
14. हरियाणा	315 57			6.45	59.43	25.56		
15. पंजाब	731.71	3.32	2.21	24.00	97.45	147.69		
16. उत्तर प्रदेश	1310.70	5.00	5.53	10.00	141.60	377.00		
17. हिमाचल प्रदेश	12.67		0.03	26.15	3.00	1.20		
18. जम्मू व कश्मीर	38.17				12.63			
19. चण्डीगढ़	0.83				0.11			
20. दिल्ली	2.62			0.93	0.96	0.05		
कुल :	2412.22	8.32	7.77	68.03	315.18	552.10	0.00	0.00

*उपलब्ध नहीं ।

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	403.66	0.01	20.26	5.26	63.72	30.61		
22. उड़ीसा	151.08		10.39	18.29	27.93	26 22	2.07	7.14
23. प० बगाल	237.62	0.74	18.40	12.43	67.23	89.03		32.33
कुल :	792.36	0.75	49.05	35.98	158.88	145.86	2.07	39.47
24. असम	10.92				3.80	4.03		
25. त्रिपुरा	4.78				0.60	1.31	1.24	
26. मणिपुर	10.32				1.55	0.60		
27. मेघालय	0.57		2.05		0.28	1.47	0.02	
28. नागालैंड	0.26				0.11			
29. अरुणाचल प्रदेश	0.24				0.13			
30. सिक्किम	1.57				0.50	0.32	0.14	
31. मिजोरम	0.13				0.23		0.21	
32. टी० बोर्ड (एन० ई०)	10.72		2.40			0.43	7.07	
कुल :	39.51	0.00	4.45	0.00	7.20	8.16	8.68	0.00
अखिल भारत :	5778 97	32.48	215.00	218.97	1572.05	1594.54	67.54	131.19

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:20	17:17:17	19:19:19	20:20:00	23:23:00	28:28:00	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.88	7.52	13.20	6.69	40.61	13.37	62.23		121.51	52.99	3.30
1.70		36.90	24.50	26.80	24.90	47.70		0.20	118.75	5.30
		1.50	1.30	5.90		72.80			89.06	
0.49		10.02	13.73	35.39		31.82			142.04	
			0.56	1.07		0.90			3.01	
									0.08	
3.08	7.52	61.62	46.78	109.77	38.27	215.45	0.00	121.71	405.93	8.60
28.70		5.20				4.10		15.70	36.00	
		121.60			22.73	127.52			102.81	3.41
5.00									3.41	
					2.30				0.77	
									0.01	
33.70	0.00	126.80	0.00	0.00	25.03	131.62	0.00	15.70	143.00	3.41
0.41									1.91	
8.80									8.18	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.41									42.49	
0.85									0.19	
									1.47	
									0.02	
0.01									0.05	
25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.31	0.00
6.26		0.04							20.38	
								31.78	25.22	
		20.24				11.97		17.13	50.78	
6.26	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	48.91	96.28	0.00
									3.85	
									0.82	
									0.15	
									0.13	
									0.05	
									0.05	
									0.27	
									0.07	
									21.67	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00
68.52	7.52	208.70	46.78	109.77	63.30	359.04	0.00	186.32	726.58	12.01

विवरण-2(ख)

उर्वरकों का उत्पादवार उपभोग रबी 1989-90 (अनुमानित)

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए एम.एम. डी.एच.एल.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	डी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	860.57	4.32	56.82	40.47	149.13	62.48		7.11
2.	कर्नाटक	224.57	0.80	25.70	11.40	78.58	20.25	15.70	11.70
3.	केरल	39.81	0.35	12.37		1.90	4.03	24.86	
4.	तमिलनाडु	414.92	14.44	35.94	6.48	91.67	55.39	8.19	
5.	पांडिचेरी	7.97	0.22	0.77		1.87	1.13	0.69	0.32
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.37				0.07			
	कुल :	1549.21	20.13	131.60	58.35	323.22	143.28	49.44	19.13
7.	गुजरात	408.28		73.85	2.87	182.10	51.51		0.85

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. मध्य प्रदेश	301.10		8.30	1.10	133.52	255.10		
9. महाराष्ट्र	399.27	0.38	15.70	1.66	128.39	207.41		34.95
10. राजस्थान	212.52		0.13	5.48	119.30	34.81		
11. गोवा	1.02				0.49			
12. दमन व दीव								
13. दादर एवं नगर हवेली	0.19		0.03		0.15	0.14		
कुल :	1322.39	0.38	98.01	11.11	563.95	548.97	0.00	35.80
14. हरियाणा	441.11			24.89	197.49	36.80		
15. पंजाब	791.30	8.12	2.07	32.55	444.30	234.60		
16. उत्तर प्रदेश	1721.50	5.98	18.29	23.00	551.46	321.86		
17. हिमाचल प्रदेश	12.52		0.23	12.44	0.75	4.41		
18. जम्मू व कश्मीर	22.74				12.94			
19. चण्डीगढ़	0.41			0.18	0.04	0.12		
20. दिल्ली	9.36			0.97	2.97	0.07		
कुल :	2998.94	14.10	20.59	94.03	1209.45	597.86	0.00	0.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	378.10		26.75	16.36	124.10	53.62	0.19	
22. उड़ीसा	54.50		10.10	11.70	6.00	10.50	1.10	7.57
23. पश्चिम बंगाल	415.32	2.97	16.92	7.93	119.91	151.74	3.82	45.81
कुल :	848.02	2.97	53.77	35.99	250.01	215.86	5.11	53.38
24. असम	12.12				3.50	7.00	1.00	
25. त्रिपुरा	7.37				0.97	1.63	2.27	
26. मणिपुर	0.95				0.69	0.21		
27. मेघालय	0.50		2.00		1.17	1.10		
28. नागालैंड	0.13				0.60			
29. अरुणाचल प्रदेश	0.17				0.11			
30. सिक्किम	0.24				0.34	0.15		
31. मिजोरम	0.11				0.20			
32. टी० बोर्ड (एन० ई०)	18.65		10.00			5.00	18.56	
कुल :	40.24	0.00	12.00	0.00	7.58	15.09	21.83	0.00
अखिल भारत :	6758.80	37.58	315.97	199.48	2354.21	1521.06	76.38	108.31

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:00	17:17:17	19:19:19	20:20:00	23:23:00	28:28:00	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.56	47.22		95.67	24.30	123.72	110.69	90.25	48.56	8.09
3.00			18.60		18.90	47.90	57.19		44.40	1.70
									46.31	
									171.46	
		0.15	0.66	3.17		1.14			4.31	
									0.10	
3.00	5.56	47.37	19.26	98.84	43.20	172.76	167.88	90.25	315.14	9.79
28.33		4.69				4.32	1.39		38.39	
11.70		5.20				6.20	1.50	19.10	14.20	
		86.88			46.13	76.89			74.14	2.52
2.28							0.68		4.29	
					1.52		0.20		0.25	
									0.14	
42.31	0.00	96.77	0.00	0.00	47.65	87.41	3.77	19.10	131.41	3.02
2.53									3.70	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.97									9.04	
62.58		4.99				14.35			87.38	
8.04							5.61		1.69	
									3.77	
0.02									0.03	
0.01									0.07	
78.15	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	14.35	5.61	0.00	105.68	0.00
10.22		3.08				5.00			50.34	
								34.00	15.00	
		42.55				6.95		24.77	90.37	
10.22	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	58.77	155.71	0.00
									4.50	
									1.47	
									0.10	
									0.20	
									0.05	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									0.03	
									0.07	
									0.05	
									28.85	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32	0.00
133.68	5.56	194.76	19.26	98.84	90.85	286.47	177.26	168.12	743.26	12.81

विवरण-2(ग)

उर्वरक की उत्पादवार उपभोग खरीफ 1990 (अनुमानित)

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. सी.एच.एल.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	सी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.ओ.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	765.03	3.76	48.82	54.28	308.20	120.45	1.06	6.45
2.	कर्नाटक	320.39	0.80	20.90	11.20	224.30	33.00	19.20	26.10
3.	केरल	60.51	0.21	10.66		2.47	9.59	24.06	1.63
4.	पांडिचेरी	7.88	0.59	0.64		1.72	0.60	0.74	0.48
5.	तमिलनाडु	225.37	10.52	20.21	9.53	80.00	57.81	7.20	14.48
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.16				0.15	0.03		
	कुल :	1379.34	15.88	101.23	75.01	616.84	221.55	52.26	49.14

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. गुजरात	276.59		93.37	6.75	174.53	51.41		0.42
8. मध्य प्रदेश	435.30		9.00		148.90	387.04		
9. महाराष्ट्र	824.75	0.12	28.30	1.58	181.23	267.16		97.70
10. राजस्थान	158.74		1.25	2.10	96.65	44.71		
11. गोवा	2.01				0.54			
12. दमन व दीव	0.33				0.54			
13. नादर एवं नगर हवेली	0.57		0.04		0.51	0.01		
कुल :	1699.29	0.12	131.96	10.43	602.90	750.28	0.00	98.12
14. हरियाणा	332.80			6.18	74.93	19.19		
15. पंजाब	755.69	8.01	4.95	24.97	106 20	168.72		
16. उत्तर प्रदेश	1368.86	8.80	8.49	10.55	120.53	367.53		
17. हिमाचल प्रदेश	16.28		0.08	24.93	0.04	1.15		
18. जम्मू व कश्मीर	36.28				10.84			
19. दिल्ली	4.08			0.38	1.31			
20. चण्डीगढ़	0.82				0.11			
:	2514.81	16.81	13.52	67.01	313.96	556.59	0.00	0.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	414.21	0.01	19.52	8.59	58.08	51.74		
22. उड़ीसा	150.27		6.93	9.47	21.38	19.11	1.74	5.84
23. प० बंगाल	198.20	5.26	14.02	14.02	64.79	134.65	1.08	43.97
कुल :	762.68	5.27	40.47	32.08	144.25	205.50	2.82	49.81
24. असम	21.58				5.55	11.51		
25. त्रिपुरा	4.93				1.05	1.64	1.01	
26. मणिपुर	9.64				4.06	0.62		
27. मेघालय	0.40		1.80		0.55	1.18		
28. नागालैंड	0.78				0.40			
29. अरुणाचल प्रदेश	0.23				0.08			
30. सिक्किम	0.99				0.71	0.14		
31. मिजोरम	0.10				0.37			
32. चाय बोर्ड (एन० ई०)	21.65		2.50			1.23	5.18	
कुल :	60.30	0.00	4.30	0.00	12.77	16.32	6.19	0.00
अखिल भारत :	6415.42	38.08	291.48	184.53	1690.72	1750.25	61.27	197.07

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:00	17:17:17	19:19:19	20:20:00	23:23:00	28:28:00	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.14	13.23	10.61	8.86	117.49	15.97	103.97		118.68	57.28	6.55
1.70		27.90	22.60	112.60	28.10	66.30	2.00		04.90	5.60
		3.17	0.95	36.99		90.93	3.00		89.57	
			0.53	1.64		1.09	0.40		4.27	
		8.63	12.07	87.50		42.47			145.31	
									0.08	
5.84	13.23	50.31	45.01	356.22	44.07	304.76	5.40	118.68	401.41	12.15
47.00		7.60				5.57	4.58		37.80	
21.70		6.60				4.40	1.80	14.10	38.50	
		111.89			37.07	107.16			122.87	2.75
5.25							1.92		4.94	
					3.25				0.58	
					1.21				0.02	
									0.07	
73.97	0.00	126.09	0.00	0.00	41.53	117.13	8.30	14.10	204.93	2.75

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.00									2.40	
6.72									13.12	
33.65		0.31				1.32			51.03	
2.47							1.60		0.18	
									1.93	
									0.08	
									0.02	
44.84	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	1.32	1.60	0.00	86.76	0.00
8.63		2.88				0.49		0.06	22.44	
							1.10	28.82	18.79	
		9.38				3.92	4.00	17.66	62.14	
8.63	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	4.41	5.10	46.54	103.37	0.00
									7.81	
		0.26							0.85	
									0.31	
									0.13	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							0.60		0.07	
							0.30		0.03	
									0.17	
							0.37		0.09	
									20.06	
0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	29.52	0.00
133.28	13.23	189.23	45.01	356.22	85.60	427.62	21.67	179.32	807.99	14.90

विवरण-2(घ)

उर्वरकों का उत्पादवार उपभोग रबी 90-91 (अनुमानित)

(हजार मी॰ टन में)

क्रम सं॰	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. डी.एच.एस.	ए.एम.एम. एस.यू.एल.	डी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.ओ.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	911.48	4.54	53.42	54.12	171.52	98.24	0.50	5.29
2.	कर्नाटक	238.80	1.40	13.00	13.10	98.80	24.10	15.80	11.80
3.	केरल	42.16	5.24	11.65		2.90	5.06	25.29	0.31
4.	पांडिचेरी	9.00	0.22	0.70		1.70	0.70	1.01	0.37
5.	तमिलनाडु	440.91	16.24	19.21	10.12	94.12	56.26	7.91	21.00
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.08				0.07	0.03		
	कुल :	1642.43	27.64	97.98	77.34	369.11	184.39	50.51	38.77
7.	गुजरात	400.26		71.41	12.05	181.17	76.07		2.12

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. मध्य प्रदेश	426.63		5.84		188.10	326.19		
9. महाराष्ट्र	438.30	0.70	17.70	6.50	131.50	262.50		43.10
10. राजस्थान	275.15		0.46	2.83	123.06	58.63		
11. गोवा	1.45				0.86			
12. दमन व दीव	0.61				0.01			
13. दादर एवं नगर हवेली	0.30				0.20	0.09		
कुल :	1542.72	0.70	95.41	21.38	624.90	723.48	0.00	45.22
14. हरियाणा	517.24				204.53	33.66		
15. पंजाब	882.28	11.40	2.39	36.93	451.07	251.17		
16. उत्तर प्रदेश	1980.63	6.60	9.40	25.70	558.21	345.02		
17. हिमाचल प्रदेश	11.14		0.42	14.14	0.28	5.56		
18. जम्मू व कश्मीर	23.58				11.30			
19. दिल्ली	11.98			0.20	3.51			
20. चण्डीगढ़	0.50			0.21	0.19			
कुल :	3427.35	18.00	12.21	77.18	1229.09	597.86	0.00	0.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	471.28		9.55	19.54	138.68	51.03	0.07	
22. उड़ीसा	62.20		3.11	10.28	14.65	22.71	1.51	3.83
23. पश्चिम बंगाल	506.37	0.99	11.98	8.18	172.31	168.61	1.47	49.02
कुल :	989.85	0.99	24.64	38.00	325.64	242.35	3.05	52.85
24. असम	18.75				5.60	9.05		
25. त्रिपुरा	7.28				1.24	4.05	2.30	
26. मणिपुर	2.00		1.50		0.80	0.36	0.04	
27. मेघालय	0.42		2.86		0.20	3.07		
28. नागालैंड	0.14				0.20	0.38		
29. अरुणाचल प्रदेश	0.09				0.08	0.12		
30. सिक्किम	0.38				0.42			
31. मिजोरम	0.21				0.11			
32. चाय बोर्ड (एन० ई०)	30.51		5.38			5.33	17.26	
कुल :	59.78	0.00	9.74	0.00	8.65	22.36	19.60	0.00
अखिल भारत :	7662.13	47.33	239.98	213.90	2557.39	1807.99	73.16	136.84

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:20	17:17:17	19:19:19	20:20:00	23:23:00	28:28:00	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.64	8.00	24.01	4.81	88.55	19.70	107.65		110.34	54.15	7.12
1.70		28.90	13.60	64.50	32.50	49.00			63.20	0.70
			0.51	9.70	2.75	66.42			53.29	
			0.47	3.75		1.24			3.90	
		1.79	12.76	59.50	24.10	47.00			192.32	
									0.01	
2.34	8.00	54.70	32.15	226.00	79.05	271.31	0.00	110.34	366.87	7.82
35.53		4.70				4.49	5.14		31.70	2.18
7.11		4.95				5.84	1.34	19.73	21.74	
		88.70			58.20	91.00	3.20		77.80	6.40
4.01							1.64		4.15	
					1.83				0.39	0.40
									0.02	
									00.5	
46.65	0.00	98.35	0.00	0.00	60.03	101.33	11.32	19.73	135.85	8.98

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.12									5.11	0.06
6.05									7.49	
57.38									85.58	
8.42		4.94							2.04	
									1.50	
									0.13	
									0.02	
72.97	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.87	0.06
16.00		0.04				4.55			45.21	
								22.82	18.64	
		42.31		11.89		0.18		26.04	105.56	
16.00	0.00	42.35	0.00	11.89	0.00	4.73	0.00	48.86	169.41	0.00
									6.58	
		0.81							3.45	
									0.11	
									0.15	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									0.13	
									0.01	
									0.10	
									0.13	
									32.36	
0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.02	0.00
137.96	8.00	201.15	32.15	237.89	139.08	377.37	11.32	178.93	817.02	16.86

विवरण-2(ङ)

खरीफ 91 के लिए 30-09-91 की स्थिति

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	ए.एम.एम. डी.एच.एस.	ए.एम.एम. एस.यू.एस.	डी.ए.एन.	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.ओ.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	805.55	7.44	17.33	38.08	430.44	117.70	0.48	16.21
2.	कर्नाटक	399.64	1.75	8.14	5.54	313.47	31.87	15.31	22.54
3.	केरल	56.19	0.53	13.23		7.77	2.86	23.78	3.12
4.	पांडिचेरी	8.39		0.27		2.74	0.63	0.41	
5.	तमिलनाडु	288.09	17.43	24.03	3.59	98.99	49.26	4.75	17.74
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.10				0.10			
	एस० जैड० कुल :	1557.96	27.15	63.00	47.21	853.51	202.32	44.73	59.61
7.	गुजरात	382.71		11.73	11.99	169.80	68.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	621.45		4.83	1.72	260.21	436.78	0.20	
9.	महाराष्ट्र	876.44	0.06	19.01	4.36	271.29	282.41	0.03	65.49
10.	राजस्थान	257.90		1.82	6.38	158.44	74.51		
11.	गोवा	2.17				1.31		0.47	
12.	दमन व दीव								
13.	दादर एवं नगर हवेली						0.02		
	डब्ल्यू० बैंड० कुल :	2140.67	0.06	37.39	24.45	861.05	861.89	0.70	65.49
14.	हरियाणा	461.48			4.90	181.32	30.75		
15.	पंजाब	956.12	50.09	2.12	32.05	298.17	243.55		
16.	उत्तर प्रदेश	1679.26	0.65	10.48	28.54	377.88	359.74		
17.	हिमाचल प्रदेश	15.11			23.44	0.47	0.95	0.64	
18.	जम्मू व कश्मीर	34.35				1.93			
19.	दिल्ली	7.83			0.14	1.98			
20.	चण्डीगढ़	0.84							
	एन० जैड० कुल :	3154.99	50.74	12.60	89.07	861.75	634.99	0.64	

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. बिहार	455.16		4.70	8.24	141.36	59.72	0.16	
22. उड़ीसा	149.90		2.02	13.42	72.87	19.62	1.82	9.94
23. पश्चिम बंगाल	249.53		7.61	18.13	129.71	138.94	0.47	44.58
ई० जैड० कुल :	854.59		14.33	34.79	303.94	218.28	2.45	54.52
24. असम	25.40		0.05		8.43	12.22	0.50	
25. त्रिपुरा	7.68				1.36	2.05	1.10	
26. मणिपुर	9.51				4.49	0.77		
27. मेघालय	0.77		0.97		1.27	3.03		
28. नागालैंड	0.06				0.55			
29. अरुणाचल प्रदेश	0.01				0.08			
30. सिक्किम	0.69				0.57			
31. मिजोरम					0.55			
32. चाय बोर्ड (एन० ई०)	24.86		1.32			2.17	14.15	
एन० ई० कुल :	68.98		2.34		17.30	20.24	15.75	
अखिल भारत :	7777.19	77.95	129.66	195.52	2897.55	1937.72	64.27	179.62

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.	एस.ओ.पी.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.46	18.80	15.38	11.04	83.72	1.83	136.56	9.94	112.86	84.98	14.10
7.73		43.29	23.89	77.13	26.93	84.46		6.87	134.33	6.26
			0.87	32.40		102.69			97.95	
			0.50	2.79		1.29			4.17	
		3.05	14.86	74.23		79.49			187.31	
									0.15	
12.19	18.80	61.72	51.16	270.27	28.76	404.49	9.94	119.73	508.89	20.36
49.61		6.00				5.11	19.48		48.78	2.44
36.55		6.89				4.33	7.51	13.72	52.81	
		129.22			31.62	109.10	15.27	6.63	165.50	4.78
11.82							3.64		9.88	
					1.90			0.44	0.69	
97.98		142.11			33.52	118.54	45.90	20.79	277.66	7.22
3.93									6.68	0.08
20.36									29.99	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
47.95		3.43				0.58	1.29		97.99	
3.11										
									2.47	
									0.17	
75.35		3.43				0.58	1.29		137.30	0.08
7.16		0.75				2.59			46.68	
								33.61	25.90	
		10.06		0.49		0.01		16.43	106.30	
7.16		10.81		0.49		2.60		50.04	178.88	
									11.11	
									1.74	
									0.13	
									0.88	
									18.15	
									32.01	
192.68	18.80	218.07	51.16	270.76	62.28	526.21	57.13	190.56	1134.74	27.66

विवरण-2(ख)

(रबी 91-92 के लिए) 31-12-91 की स्थिति के अनुसार उपलब्धता

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	590.11	166.51	63.97	0.32	5.73
2.	कर्नाटक	185.44	96.05	13.99	4.07	6.86
3.	केरल	36.47	3.87	0.90	12.20	2.55
4.	पांडिचेरी	5.78	1.80	0.38	0.26	
5.	तमिलनाडु	309.46	73.85	34.18	5.68	6.82
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.10			
	एस० जैड० कुल :	1127.36	342.18	113.42	22.53	22.00
7.	गुजरात	216.41	121.07	44.75		

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्य प्रदेश	341.61	169.89	228.45		
9.	महाराष्ट्र	330.61	92.62	129.45		16.59
10.	राजस्थान	242.69	154.30	29.24		
11.	गोवा	0.33	0.14		0.05	
12.	दमन व दीव					
13.	दादर एवं नगर हवेली					
	डब्ल्यू० बैंड० कुल :	1131.65	538.02	431.89	0.05	16.59
14.	हरियाणा	286.93	231.11	26.21		
15.	पंजाब	645.90	479.77	103.13		
16.	उत्तर प्रदेश	1285.88	615.23	221.91	0.26	
17.	हिमाचल प्रदेश	4.98	1.58	2.32	0.29	
18.	जम्मू व कश्मीर		9.96			
19.	दिल्ली	1.40	4.11			
20.	चण्डीगढ़	0.16				
	एन० बैंड० कुल :	2223.25	1341.76	353.57	0.55	

1	2	3	4	5	6	7
21.	बिहार	266.14	168.93	43.75	0.16	
22.	उड़ीसा	41.17	11.78	7.56	1.77	4.74
23.	प० बंगाल	229.93	159.69	89.39	2.97	31.35
	ई० जैड० कुल :	537.24	340.40	140.70	4.90	36.09
24.	असम	12.14	3.71	4.81		
25.	त्रिपुरा	3.70	1.97	1.84	0.10	
26.	मणिपुर	1.95	1.45	0.41		
27.	मेघालय	0.63	0.25	1.69		
28.	नागालैंड	0.22	0.22			
29.	अरुणाचल प्रदेश		0.06			
30.	सिक्किम	0.10	0.55			
31.	मिजोरम		0.32			
32.	टी० बोर्ड (एन० ई०)	10.80		0.26	9.71	
	एन० ई० कुल :	29.54	8.53	9.01	9.81	
	अखिल भारत :	5049.04	2570.89	1048.59	37.84	74.68

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.24	4.62	12.94	7.83	79.33	10.78	80.78	5.49	63.01	41.88
0.87		18.97	11.54	46.02	25.02	35.22			58.22
			0.27	18.69		53.09			59.97
			0.40	4.43		0.72			1.67
		0.70	11.63	80.00		59.84			126.69
									0.58
3.11	4.62	32.61	31. 7	228.47	35.80	229.65	5.49	63.01	288.71
11.60		5.65				3.37	14.47		31.63
12.29		4.47				6.82	9.06	9.39	20.30
		66.23			40.07	60.17	5.20		61.21
8.31							8.25		7.45
					1.34				0.02
32.20		76.35			41.41	70.36	36.98	9.39	120.61
5.18							0.11		3.50
1.77							0.75		17.91

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40.19		10.85				6.40	9.12		122.87
5.43									
52.57		10.85				6.40	9.98		144.28
8.58		0.75				0.51			43.10
								14.56	10.48
		0.59				0.01		19.25	61.81
8.58		1.34				0.52		33.81	115.39
									10.75
									0.65
									0.26
									11.66
96.46	4.62	121.15	31.67	228.47	77.21	306.93	52.45	106.21	680.65

विवरण-3(क)

1-1-92 तक का भण्डार

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	आर.सी.के.	10:26:26
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.29	71.04	8.68	0.31	3.80
2.	कर्नाटक	41.11	27.00	1.71	0.99	2.10
3.	केरल	10.52	2.37		0.59	0.90
4.	पांडिचेरी	1.31	0.80	0.03		
5.	तमिलनाडु	41.99	22.21	1.13	0.76	2.70
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह					
	एस० जैड० कुल :	305.22	124.42	11.55	2.65	9.50
7.	गुजरात	35.99	24.06	4.72		

1 2	3	4	5	6	7
8. मध्य प्रदेश	144.63	25.93	23.99		
9. महाराष्ट्र	188.14	52.98	47.12		2.70
10. राजस्थान	52.01	22.15	7.31		
11. गोवा					
12. दमन व दीव					
13. दादर एवं नगर हवेली					
डब्ल्यू० जैड० कुल :	420.77	125.12	83.14		2.70
14. हरियाणा	107.38	25.89	4.45		
15. पंजाब	219.50	54.87	27.98		
16. उत्तर प्रदेश	292.24	116.31	37.74		
17. हिमाचल प्रदेश		0.20			
18. जम्मू व कश्मीर					
19. दिल्ली		0.78			
20. चण्डीगढ़					
एन० जैड० कुल :	619.12	208.05	70.17		

1 2	3	4	5	6	7
21. बिहार	61.23	23.99	0.24	0.16	
22. उड़ीसा	15.85	5.98	3.12	0.20	1.70
23. प० बंगाल	52.45	23.29	1.04	1.93	6.50
ई० जैड० कुल :	129.53	53.26	4.40	2.29	8.20
24. असम	5.08	2.82	0.61		
25. त्रिपुरा	0.62	0.01	1.84	1.10	
26. मणिपुर	0.24	1.45	0.41		
27. मेघालय	0.12		1.69		
28. नागालैंड	0.22	0.22			
29. अरुणाचल प्रदेश		0.06			
30. सिक्किम		0.03			
31. मिजोरम		0.10			
32. चाय बोर्ड (एन० ई०)				7.33	
एन० ई० कुल :	6.28	4.69	4.55	8.43	
अखिल भारत :	1480.92	526.54	173.81	13.37	20.40

12:32:16	14:35:14	15:15:15	16:20:0	17:17:17	19:19:19	20:20:0	23:23:0	28:28:0	एम.ओ.पी.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04	2.02	5.24	0.98	18.46	2.45	12.29	3.51	6.34	17.90
0.10		5.79	2.33	11.32	1.80	13.60			33.27
			0.02	4.75		11.00			26.00
				0.74		0.18			
		0.70	0.58	13.87		11.84			25.89
									0.58
1.14	0.02	11.73	3.91	49.14	4.25	48.91	3.51	6.34	103.64
0.60		2.37				1.75	10.31		15.73
4.20		1.11				1.80	2.91	0.40	7.60
		31.34			3.97	24.73	3.55		38.06
1.52							3.42		4.63
6.32		34.82			3.97	28.28	20.19	0.40	66.02
2.60									1.33
0.20							0.31		11.67
8.90		3.46				2.81	2.71		61.27
0.26									
11.96		3.46				2.81	3.02		74.27

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.60		0.75				0.51			3.72
								0.86	4.96
		0.52						2.27	11.35
3.60		1.27				0.51		3.13	20.03
									5.48
									0.01
									0.22
									5.71
23.02	0.02	51.28	3.91	49.14	8.22	80.51	26.72	9.87	269.67

विवरण-3 (ख)

14-8-91 से उर्वरकों का सांविधिक उपभोक्ता मूल्य

क्रम सं०	उर्वरकों का नाम	अधिकतम मूल्य प्रति मी० टन (निबल) (रुपए में)
1	2	3
1.	यूरिया (46% एन०)	3060
2.	म्यूरिएट आफ आफ पोटाश (60% के०)	1700
3.	डाई-अमोनियम फासफेट (18-46-0)	4680
4.	एन० पी० के० (17-17-17)	3380
5.	एन० पी० के० (15-15-15)	2740
6.	एन० पी० के० (19-19-19)	3840
7.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	3380
8.	नाइट्रो फास्फेट (20-20-0)	3120
9.	नाइट्रो फास्फेट (23-23-0)	3800
10.	अमोनिया फास्फेट सल्फेट (16-20-0)	3000
11.	यूरिया अमोनिया फास्फेट (24-24-0)	3960
12.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0)	4680
13.	एन० पी० के० (14-28-14)	3960
14.	एन० पी० के० (14-35-14)	4420
15.	एन० पी० के० (10-26-26)	3840
16.	एन० पी० के० (12-32-16)	4220
17.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (46% $पी_2 ओ_5$) (ग्रेनुलर)	3380
18.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (पाउडर)	3120
19.	सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (14% $पी_2 ओ_5$)	1080
20.	सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (16% $पी_2 ओ_5$)	1240

1	2	3
	21. सिंगल सुपर फास्फेट (ग्रेनुलर) (16% पी$_2$ ओ$_5$)	1440
	22. एनहाइड्रस अमोनिया	4900

दिल्ली में नाइट क्लब

[हिन्दी]

511. **श्री राम बदन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नाइट क्लबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्लबों को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में कोई नाइट क्लब पंजीकृत नहीं है ।

(क) से (घ) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों (सिनेमा घरों को छोड़कर) तथा सार्वजनिक मनोरजन हेतु प्रदर्शन के लिए लाइसेंस देने तथा नियन्त्रित करने सम्बन्धी विनियम, 1980 के तहत 6 स्थापनाओं को मंच प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं । तीन को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए लाइसेंस रद्द करने के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं । उपर्युक्त 6 स्थापनाओं के अतिरिक्त एक स्थापना उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, दिल्ली के न्यायालय से प्रदत्त स्थगन आदेश के आधार पर कार्य कर रही है ।

राज्य जनजाति निगमों को हुआ घाटा

[अनुवाद]

512. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी शराब कारखानों द्वारा उत्पादित महुआ फूल की खरीद में कमी किए जाने के कारण अनेक राज्य जनजाति निगमों को घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों के आवंटन हेतु नियम और मार्गनिर्देश

513. श्री जगप्रणीत यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन हेतु नये नियम और मार्गदर्शन बनाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दूध तथा मक्खन की कमी

[हिन्दी]

514. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध तथा मक्खन की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) देश में दूध तथा मक्खन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) दूध तथा मक्खन का उत्पादन बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर डेयरियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सहकारी क्षेत्र में, 1991 के दौरान दूध की खरीद में लगभग 7 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान, तरल दूध के विपणन में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मक्खन के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी थी क्योंकि सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के डेरी संयंत्रों द्वारा शहरों तथा नगरों में तरल दूध की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विकासात्मक आरम्भिक कदम उठाए जाने के फलस्वरूप दूध का उत्पादन 1985-86 के 44.0 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 में 53.7 मिलियन टन (अनन्तिम) होने का अनुमान है जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता 160 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 176 ग्राम प्रतिदिन हो गई ।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, दुग्ध परिसंस्करण की निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है :—

अहमदाबाद	100 ह० ली० प्र०
भावनगर	44 ह० ली० प्र०
कच्छ	40 ह० ली० प्र०
सुरेन्द्रनगर	80 ह० ली० प्र०
अलगांव	100 ह० ली० प्र०
त्रिवेन्द्रम	100 ह० ली० प्र०
विशाखापत्तनम	100 ह० ली० प्र०
उज्जैन	190 ह० ली० प्र०

(ह० ली० प्र०=हजार लीटर प्रतिदिन)

नये तेलशोधक कारखाने

[अनुवाद]

515. **श्री नुरुल इस्लाम :**
श्री शिवाजी पटनायक :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नये तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कर्नाटक के मंगलौर में, तमिलनाडु के नारीमनम में, हरियाणा के करनाल में और असम के नूमालीगढ़ में नयी रिफाइनरी परियोजनाएं अनुमोदन/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आठवीं योजनावधि में प्रस्तावित अन्य ग्रासरूट रिफाइनरियों के लिए स्थान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

"बिना बैच नम्बर और तारीख वाली शराब की बोतलें"
लोकमत में प्रकाशित समाचार

516. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1992 की "जनसत्ता" में "बिना बैच नम्बर और तारीख वाली शराब की बोतलें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) शीर्षक-गत समाचार की जानकारी होने के तुरन्त बाद 48 शराब के गोदामों पर तैनात सभी निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों को शराब की बोतलों पर यह जांच करने के निर्देश दिए गए कि बोतलों की लेबलों पर बैच संख्या और निर्माण की तारीख छपे हैं अथवा नहीं। शराब के दो गोदामों से कुछ विशेष ब्राण्ड की बोतलों पर बैच संख्या तथा निर्माण की तारीख न छपे होने का समाचार प्राप्त हुआ। इन ब्राण्डों की बिक्री तुरन्त रोक दी गई तथा दो लाईसेंस धारकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की गई।

(ग) शराब के सभी निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को बोतलों को जारी करने से पहले उनकी जांच करने और उत्पादन की तारीख सहित बैच संख्या लिखने तथा परिवहन-परमिट में वाहन संख्या लिखने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

पंजाब कार्य योजना

517. **प्रो० डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब कार्य योजना के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पंजाब कार्रवाई योजना की निम्न-लिखित मुख्य विशेषताएं हैं :—

(i) भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ चुनिन्दा क्षेत्र में बाड़ लगाना।

(ii) भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ चुनिन्दा क्षेत्र में फ्लड लाइटिंग लगाना।

(iii) भारत-पाकिस्तान सीमा पर जीप जाने योग्य रास्ते का निर्माण करना।

(iv) नदी के साथ-साथ अवरोधों का निर्माण करना और नाव द्वारा गश्त लगाना।

(v) निगरानी बुर्जों का निर्माण करना ।

(iv) डिच-कम-बंद पर द्वारों का निर्माण करना ।

(vii) निगरानी करने के लिए विद्युत उपकरण उपलब्ध कराना ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष में पंजाब कार्रवाई योजना के अधीन राजस्थान सरकार को कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई/दी गई ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में डाक्टरों की संख्या

518. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में कितने डाक्टर कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर लागू होने वाले नियम और विनियम उन पर लागू हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन डाक्टरों को उन्हें दिये गये पदों के अनुसार वेतन दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 227, सीमा सुरक्षा बल में 242 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में 97 डाक्टर काम कर रहे हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान, चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1986 से पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं ।

आंवला (उत्तर प्रदेश) में गैस संयंत्र

[हिन्दी]

519. **श्री राजवीर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंवला (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस संयंत्र कार्य प्रारम्भ करना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इस पर संभवत: और कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आई० एफ० एफ० सी०ओ० ने 665.27 करोड़ रुपये की लागत पर ओनला में एक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता

[अनुवाद]

520. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास तेल प्रौद्योगिकी में निकट भविष्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रौद्योगिकी कब तक चालू हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी का विकास एक सतत प्रक्रिया है और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का यथासम्भव उपयोग किया जाना देश के हित में है।

पुष्पकृषि विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ दल

[हिन्दी]

521. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमति पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पुष्पकृषि विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ दल ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) संघ सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा फूलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश्वरी रामचन्द्रन) : (क) श्रीमती पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में पुष्पकृषि विकास से संबद्ध विशेषज्ञ दल द्वारा की कई मुख्य सिफारिशों को दर्शानेवाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पुष्पकृषि विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया था। सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समिति ने एक कार्ययोजना तैयार की है। उसके अनुपालन में पुष्पकृषि का विकास करने के लिए एक योजना तैयार की गयी है जिसे 1992-93 और 8वीं योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(i) 1988 में लागू की गयी नयी बीज नीति से निर्यात हेतु उत्पादन को बढ़ाने के लिये पौध रोपण सामग्रियों का आयात करने में सुविधा हुई है।

(ii) संगरोध प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(iii) सरकार की नयी नीति के अनुसार, अब पुष्प/निर्यातकों को वायुयान के द्वारा निर्यात करने में 40% "एग्जिम स्क्रिप्ट" दिया जाता है जो कि निर्यात की सामान्य श्रेणी को दिये जाने वाले एग्जिम स्क्रिप्ट से 10% अधिक है।

(iv) संभाव्यता का अध्ययन करने, प्रचार सामग्रियों, विशिष्ट परिवहन इकाइयों और पैकेजिंग विकास के लिये कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) से वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

विवरण

श्रीमती पी० पी० त्रिवेणी की अध्यक्षता में पुष्प-कृषि विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(क) प्रत्येक अभिज्ञात पुष्प कृषि विकास क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, उत्पादन प्रचार, फसलों की कटाई पश्चात व्यवहार, भंडारण एवं परिवहन के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने के लिये समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता।

(ख) प्रमुख वाणिज्यिक पुष्पों और पौधों के अमैथलाज्मों का आयात और नयी तथा उत्कृष्ट किस्मों का विकास करना।

(ग) हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क और संगरोध से आयातित पौध रोपण सामग्रियों की बिना किसी क्षति के निकासी करने में सुविधा प्रदान करना।

(घ) आयात और निर्यात किए जाने वाले पुष्प उत्पादों का भंडारण करने के लिए हवाई अड्डों पर सुविधायें उपलब्ध कराना।

(ङ) पौधा घर घटकों सहित सामानों के आयात के लिए आयात नीति और सीमा-शुल्क में रियायत बरतना ।

(च) राष्ट्रीय स्तर पर नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुष्प कृषि परिषद का गठन करना ।

(छ) राज्यों में पुष्प कृषि का विकास करने के बारे में नीति तैयार करने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में परामर्श देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना ।

(ज) पुष्प कृषि विकास कार्यक्रमों को रोजगार एवं आय सृजक कार्यक्रमों से जोड़ना ।

(झ) कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों में आवश्यकता परक शोध कार्यों को सुदृढ़ एवं सघन बनाना ।

(ञ) मुख्य पुष्प फसलों के प्रचार हेतु उन्नत विधियों का विकास करना और कुहासा और कुहरा प्रतिरोधी गृहों की व्यवस्था करना ।

(ट) वायु भाड़े को युक्तिसंगत बनाना ।

(ठ) नगद मुआवजा समर्थन को फिर से शुरू करना ।

(ड) परिवहन एवं भंडारण के लिए "कोल्ड वेन" जैसी विशिष्ट अवसंरचनाओं की व्यवस्था करना ।

अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

[अनुवाद]

522. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :**
श्री ललित उरांव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, त्रिपुरा और मिजोरम में रह रहे चकमा लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिल गई है;

(ख) वर्ष 1964 में भारत में कितने चकमा लोग आए और अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं और इस समय उनकी जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1966 से पूर्व असम आने वाले और 1971 की लड़ाई में भारत आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा शरणार्थियों को किस कारण से भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की गई; और

(ङ) अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा शरणार्थियों को कब तक भारतीय नागरिकता प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) असम, त्रिपुरा और मिजोरम में रह रहे चकमा लोगों की अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान की गई है ।

(ख) अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के अनुसार, चकमा के लगभग 4012 परिवार 1964 के बाद अन्ततः अरुणाचल प्रदेश में बस गए ।

(ग) असम समझौते की शर्तों के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1966 से पूर्व असम में आए शरणार्थियों को भारत का नागरिक माना जाता है । 25-3-1971 के बाद भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती ।

(घ) और (ङ) स्थानीय कारणों से अरुणाचल प्रदेश की सरकार इस बारे में अपनी परेशानी व्यक्त करती आ रही है ।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु सहायता

523. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकारों के आवंटन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए 20 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है । राज्य की जनसंख्या, पुलिस बल की संख्या, थानों की संख्या तथा राज्य में अपराध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन जारी किया जाता है ।

(ग) योजना के अधीन जिन मदों के लिए सहायता दी जाती है, उसमें, संचार, परिवहन; विधि-विज्ञान उपकरण और भवन, प्रशिक्षण और जांच-पड़ताल हेतु वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं ।

मास्को में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह

524. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में भारतीय पहले की तरह इस वर्ष भी गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में सार्वजनिक सभा अथवा समारोह मनाया गया था; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल की मूल्य संबंधी नीति

[हिन्दी]

525. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और आयल इण्डिया लिमिटेड के बीच जनवरी, 1992 में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सेल के शोधन के बाद उत्पादित पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) आयल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 16-1-1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

(ख) समझौता ज्ञापन में वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयल इण्डिया लि० का दायित्व, इस सम्बन्ध में इसके द्वारा सरकार से मांगी जाने वाली सहायता आदि निर्दिष्ट है ।

(ग) समझौता ज्ञापन से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय आतंकवादी संगठनों के लिए प्रशिक्षण शिविर

)

[अनुवाद]

525. **श्री० ओम चूनल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय आतंकवादी संगठनों के लिए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण शिविर हैं। तथापि उनकी संख्या और स्थान समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है।

जनगणना के लिए नियुक्त कर्मियों का नियमन

527. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना कर्मियों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है;

(ख) क्या जनगणना का काम पूरा हो जाने पर उन्हें नियमित कर दिया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 की जनगणना के लिए नियुक्त ऐसे कर्मियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थाई सेवा में नहीं लिया गया; और

(घ) क्या उन्हें सेवा में लिए जाने की कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जनगणना का क्षेत्रीय कार्य करने के लिए अंशकालिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को सामान्यतः स्कूल अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों में से लिया जाता है। पर्यवेक्षी अधिकारी जैसे, प्रधान जनगणना अधिकारियों, जिला जनगणना अधिकारी और चार्ज अधिकारियों, आदि को उनकी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना ड्यूटी करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से लिया जाता है। ये सभी नियुक्तियां जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन की जाती हैं।

जनगणना संगठन में नियमित कर्मचारियों की भर्ती संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

जनगणना रिकार्डों की मैनुअल सारणियां बनाने में जनगणना संगठन के नियमित कर्मचारियों की सहायता करने के लिए कांट्रेक्ट आधार पर अल्प अवधि के लिए समेकित वेतन पर अस्थाई आधार

पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। इन अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा आम जनता में से 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा रोजगार कार्यालयों के जरिए 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों में से की जाती है।

(ख) जनगणना के क्षेत्रीय कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये अपने-अपने संबंधित संगठनों में पहले से नियुक्त हैं। मैनुअल सारणी बनाने के कार्य के लिए अल्प अवधि तथा समेकित वेतन पर लिए गए स्टाफ को उनका कार्य पूरा हो जाने पर हटा दिया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में 981 की जनगणना की मैनुअल सारणी बनाने के कार्य के लिए अल्प अवधि तथा समेकित वेतन पर कुल 5,13 व्यक्ति नियुक्ति किए गए थे और बाद में उनको हटा दिया गया।

(घ) इन कर्मचारियों को जनगणना संगठन में स्थायी रूप से ले लेने में बारे में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नोएडा में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

528. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के औद्योगिक विकास के लिए गैस पर आधारित 400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए संघ सरकार की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) गैस का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

भूमि का कटाव

529. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि का कटाव हुआ है;

(ग) भूमि के कटाव से कितने प्रतिशत जमीन प्रभावित हुई है; और

(घ) भूमि के कटाव को रोकने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्र लाख हैक्टेयर में (करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्रफल	कुल समस्या-ग्रस्त क्षेत्र	सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के समस्या-ग्रस्त की प्रतिशतता	1991-92 तक उपचारित क्षेत्र	1991-92 तक किया गया खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	276.82	122.31	44.18	1[illegible].10	49.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.58	26.54	31.75	0.31	29.40
3.	असम	78.52	29.99	38.19	2.26	50.97
4.	बिहार	173.88	65.52	37.68	14.49	104.71
5.	गुजरात	195.98	125.86	64.22	25.28	132.68
6.	हरियाणा	44.22	41.62	94.12	6.49	55.85
7.	हिमाचल प्रदेश	55.67	19.14	34.39	3.20	89.12
8.	जम्मू व कश्मीर	222.24	8.93	4.02	2.72	34.00
9.	कर्नाटक	191.77	114.03	59.46	35.63	189.09
10.	केरल	38.86	19.35	49.78	4.53	43.06
11.	मध्य प्रदेश	442.84	207.17	46.78	45.83	259.21
12.	महाराष्ट्र	307.76	198.46	64.48	106.36	405.11
13.	मणिपुर	22.36	7.34	32.83	1.11	29.92
14.	मेघालय	22.49	11.02	49.00	1.16	50.91
15.	मिजोरम	21.09	6.10	28.92	0.17	16.61
16.	नागालैंड	16.53	10.38	62.79	0.98	38.62

1 2	3	4	5	6	7
17. उड़ीसा	155.78	78.03	50.09	8.17	73.59
18. पंजाब	50.36	32.30	64.14	8.59	113.31
19. राजस्थान	342.22	342.22	100.00	17.78	90.56
20. सिक्किम	7.30	3.03	41.51	1.81	27.62
21. तमिलनाडु	130.07	38.22	29.38	15.81	130.85
22. त्रिपुरा	10.48	2.79	26.62	1.46	35.36
23. उत्तर प्रदेश	294.41	131.15	44.55	36.39	571.53
24. पश्चिम बंगाल	87.85	43.03	48.98	4.06	57.42
25. गोवा	3.70	2.00	54.05	0.12	2.00
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.29	2.59	31.24	—	0.45
27. चंडीगढ़	0.11	0.01	9.09	0.02	0.95
28. दादर एवं नगर हवेली	0.49	0.12	24.49	1.31	42.68
29. दिल्ली	1.48	0.75	50.67	—	0.65
30. दमन व दीव	0.11	—	—	—	—
31. लक्षद्वीप	0.03	—	—	—	0.16
32. पांडिचेरी	0.49	0.03	6.12	—	0.29
योग	3287.78	1690.03	—		
		+			
		14.65*			
सकल योग	3287.78	1704.68	—	358.13	2725.94
		+			
	अम्लीय मृदा	45.00			
		1749.68	53.22		

*अम्लीय मृदा का राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

**तटवर्ती रेतीले क्षेत्र कहीं भी शामिल नहीं किए जाते हैं।

यह भूमि अवक्रमण को रोकने तथा आर्द्रता व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शामिल क्षेत्र को दर्शाता है।

टिप्पणी : इसमें वर्ष 1991-92 के लिए प्रत्याशित व्यय और उपलब्धि शामिल है।

आपरेशन राइनो

[अनुवाद]

5 0. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑपरेशन राइनो शुरू करने के बाद से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) और अन्य उग्रवादी संगठनों के कितने कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किए गए/मारे गए तथा बरामद किए गए हथियारों और गोलीबारूद का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अभियान के दौरान "अल्फा" तथा अन्य संगठनों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले में कितने उग्रवादियों को मुक्त किया गया है;

(ग) क्या "ऑपरेशन राइनो" स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस अभियान की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है :

	उल्फा	बोडो
पकड़े गए	5188	2
मारे गए	24	1
शस्त्र बरामद किए गए	434	1
	एल० एम० जी	1
	ए० के०-47 राईफल	1
	स्टेनगन/ कार्बाईन	22
	राईफल	18
	पिस्तौल/रिवाल्वर	92
	असोरट्यड गन	53
	अन्य	247

(ख) शून्य ।

(ग और घ) संविधान को स्वीकार करने, इसके भीतर समाधान ढूंढने हिंसा त्यागने के बारे में उल्फा के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उनके विरुद्ध अभियान स्थगित कर दिया गया है ताकि बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके ।

(ङ) और (च) इस समय अभियान को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एकता यात्रा

[हिन्दी]

531. **श्री बलवन्त राव पाटिल :**
श्री मोरेश्वर सावे :
श्रीमती चन्द्र प्रभा असे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकता यात्रा के दौरान कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने घायल हुए थे;

(ख) मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) एकता यात्रा के दौरान किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव था;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी यात्राओं पर प्रतिबन्ध लगाने का है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता हो;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) लोक व्यवस्था राज्य का विषय है जैसाकि संविधान के सातवें अनुसूची के सूची-II-राज्य सूची में सम्मिलित है । तदनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्य सरकारों का है । तथापि, केन्द्र सरकार ने एकता यात्रा से सम्बन्धित स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की है और यात्रा के सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था के पहलुओं को सम्बन्धित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया । उस समय पर प्रस्तावित एकता यात्रा से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए प्रधानमन्त्री ने 10 दिसम्बर, 1991 को राजनीतिक दलों की एक बैठक भी बुलाई ।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

533. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) देश में उक्त वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए इनका आयात किन-किन देशों से किया जाता है और उनकी दरें क्या हैं; और

(ग) इन मदों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) (क) पेट्रोल, डीजल और एल० पी० जी० का वर्ष 1990-91 के दौरान वार्षिक उत्पादन और उसकी खपत अनुमानतः निम्नानुसार है :—

(आंकड़े हजार टन)

उत्पाद	उत्पादन	खपत
पेट्रोल	3545	3545
डीजल	17186	21139
एल० पी० जी०	2444	2415

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात आवधिक करारों और स्पाट खरीद दोनों माध्यम से किया जाता है। स्पाट खरीद हमेशा किसी देश विशेष से नहीं जुड़ी होती है। उत्पादों की दर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य और श्रोत पर निर्भर करती है।

(ग) मूल्य का निर्धारण आपूर्तियों, मांग में वृद्धि और सामाजिक आर्थिक घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

सेन्ट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिसर्च इन्सीटिट्यूट, विट्टल का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

534. श्री जी० धनंजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले में विट्टल में स्थित सेन्ट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिसर्च इन्सटिट्यूट का दर्जा बढ़ाकर इसे कोको का एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोको पर केन्द्रीय बागानी फसल अनुसन्धान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र विट्टल साथ-साथ ताड़ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना में भी पहले से ही अनुसन्धान कार्य में प्रगति जारी है ।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

535 **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पिछले छह महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सूचना जिस हद तक उपलब्ध है, विवरण में दे दी गई है ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न एहतियाती निवारणात्मक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक तथा कार्मिक नीति उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया है । इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों के लिए कठोर सजाओं का प्रावधान है ।

प्रधानमन्त्री जी ने सभी मुख्यमन्त्रियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए उनसे प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है । इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री जी ने अक्तूबर, 1991 के प्रथम सप्ताह में मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन भी बुलाया था तथा सम्मेलन में किए गए निर्णयों में उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य/संघ क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं ।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा सूचित अगस्त, 1991 से जनवरी, 1992 तक गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अत्याचार की घटनाओं की संख्या	तक प्राप्त
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	60	सितम्बर, 91

1	2	3	4
2.	असम	4	अक्तूबर, 91
3.	बिहार	सूचित नहीं	
4.	गोवा	5	दिसम्बर, 91
5.	गुजरात	751	दिसम्बर, 91
6.	हरियाणा	26	दिसम्बर, 91
7.	हिमाचल प्रदेश	13	नवम्बर, 91
8.	जम्मू और कश्मीर	24	दिसम्बर, 91
9.	कर्नाटक	184	सितम्बर, 91
10.	केरल	255	नवम्बर, 91
11.	मध्य प्रदेश	2258	दिसम्बर, 91
12.	महाराष्ट्र	268	दिसम्बर, 91
13.	उड़ीसा	172	दिसम्बर, 91
14.	पंजाब	6	दिसम्बर, 91
15.	राजस्थान	748	अक्तूबर, 91
16.	सिक्किम	11	दिसम्बर, 91
17.	तमिलनाडु	197	नवम्बर, 91
18.	उत्तर प्रदेश	2224	दिसम्बर, 91
19.	पश्चिम बंगाल	1	अगस्त, 91
20.	दिल्ली	1	
21.	पांडिचेरी	शून्य	दिसम्बर, 91
	कुल :	7208	

टिप्पणी : अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है ।

एम० आर० : सूचित नहीं किया गया ।

दिल्ली में नकली डी० एम० एस० पोलीपेक्स का विपणन

536. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कई फर्में पोलीपैक में दूध का उसी तरह विपणन कर रही हैं जिस तरह दिल्ली दुग्ध योजना करती है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी फर्मों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित फर्म, वैसे ही पौलीपैक प्रयोग में ला रही थीं जैसी दिल्ली दुग्ध योजना प्रयोग करती है :—

(1) मेसर्स डीनसन्ज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड नोएडा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

(2) मेसर्स मोहित मिल्क (रसान डेयरी उद्योग), गुड़गांव, हरियाणा।

(3) मेसर्स आनन्द डेयरी लिमिटेड, करनाल (हरियाणा)।

(घ) उपरोक्त तीनों फर्मों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रयोग किए जा रहे पौलीपैक जैसे पौलीपैक प्रयोग करने के लिए मुकदमा चलाया गया है। न्यायालय के समक्ष रखी गयी दलीलों के दौरान यह बात ध्यान में लायी गई कि मैसर्स नानक फूड इंडस्ट्रीज भी दिल्ली दुग्ध योजना जैसे पौलीपैक प्रयोग कर रही है। न्यायालय ने इन फर्मों को निर्देश दिए हैं कि वे दिल्ली दुग्ध योजना के डिजाइन वाले पौलीपैक प्रयोग न करें।

तेल संरक्षण सप्ताह मनाया जाना

[हिन्दी]

537. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इण्डिया लिमिटेड ने 27 जनवरी, 1992 से "तेल संरक्षण सप्ताह" मनाया था;

(ख) यदि हां, तो ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रचार कार्य, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, इश्तिहारों, वाद-विवादों और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, विज्ञापनों आदि पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस "तेल संरक्षण सप्ताह" के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तेल की बचत की गयी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) तेल संरक्षण सप्ताह 10 फरवरी से 16 फरवरी, 1991 तक मनाया गया था।

(ख) आयल इण्डिया लिमिटेड ने प्रचार, पोस्टर, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नमंच का आयोजन आदि सहित विभिन्न जन-जागरण कार्यक्रमों पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए।

(ग) इस सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता और अनिवार्यता के बारे में जनता में जागरण पैदा करना था जोकि एक बराबर चलने वाला कार्य है। इसीलिए उक्त सप्ताह के दौरान कितना तेल बचाया गया उसे मात्रा के रूप में बताया नहीं जा सकता है।

शहद का उत्पादन करना

538. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर शहद बड़ी मात्रा में एकत्र किया जाता है;

(ख) क्या शहद का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के शहद का निर्यात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) खादी तथा ग्राम-उद्योग आयोग के मधुमक्खी पालन के कार्यकलाप प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में और कुछ हद तक बिहार, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में संकेन्द्रित हैं।

(ख) तथा (ग) देश से शहद का निर्यात नगण्य है और वर्ष 1988-89 के दौरान केवल 1,987 रु० मूल्य की शहद की एक छोटी मात्रा का निर्यात किया गया था।

महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्ड

[अनुवाद]

539. श्री अंकुशराव टोपे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संसद में विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 371(२) के अन्तर्गत विकास बोर्ड गठित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कानूनी और संवैधानिक सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

केन्द्रीय मन्त्रियों की विदेश यात्राओं पर खर्च

549. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात किए गए दौरों, प्रत्येक मामले में दौरा किए गए देशों के नाम, यात्रा का उद्देश्य तथा विदेशी मुद्रा के खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन यात्राओं पर हुआ खर्च सरकार द्वारा अपनाए गए मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ जेल में 'क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन नेटवर्क' स्थापित करना

541. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मार्च, 1991 के दौरान तिहाड़ जेल, दिल्ली में एक 'क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन नेटवर्क' स्थापित किया गया था जिससे जेल अधिकारियों को कैदियों पर कड़ी निगरानी रखने में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त टेलीविजन नेटवर्क प्रणाली को चालू कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसको कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) केन्द्रीय जेल, तिहाड़, के सभी चारो जेलों में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन स्थापित करने का कार्य मार्च, 1991 में किया गया था। सिस्टम को स्थापित करने का 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

छोटा नागपुर और सन्थाल परगना (बिहार) के कल्याण संघों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता

542. श्री कड़िया मुण्डा :
श्री ललित उरांव :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कितने कल्याण संघ/संस्थाएं हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) छोटा नागपुर और सन्थाल परगना (बिहार) के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें दिया गया अनुदान नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठनों के नाम	के दौरान दी गई अनुदान राशि		
		1988-89	1989-90	1990-91
1.	रामकृष्ण मिशन लायरोग ऐनेटोरियम, रांची, बिहार-834221	100121	135963	205560
2.	सोसायटी फॉर रूरल इण्डस्ट्रीयलाईजेशन, बरतु, रांची-834009, बिहार	—	—	384750

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मन्त्रालय गैर-सरकारी संगठनों को उनके न्यायोचित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर वर्षानुवर्ष

के आधार पर अनुदान देना है। इसलिए सरकार अनन्य रूप से केवल छोटा नागपुर (बिहार) की स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिक निधियां उपलब्ध नहीं कर सकती।

गन्ने का उत्पादन

[हिन्दी]

543. **श्री बाबू दयाल जोशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ने की खेती हुई;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य में कोई परियोजना कार्यान्वित की है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी सहायता दी गई है;

(घ) क्या राजस्थान को गन्ने पर अनुसंधान और विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रम) : (क) वर्ष 1988-89 1989-90 और 1990-9 के दौरान राजस्थान में गन्ने का क्षेत्र क्रमशः 16.1 15.6 तथा 22.8 हजार हैक्टेयर था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों और आतंकवादियों के बीच संबंध

544. **श्री राम नगीना मिश्र** :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कुछ सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी तत्वों से सम्पर्क पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० रंगनाथ) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

उड़ीसा में खाद्यान्न का उत्पादन

[अनुवाद]

545. **श्री कार्तिकेश्वर पाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खाद्यान्नों, तिलहनों तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) किसानों को अच्छे किस्म के बीज तथा उर्वरक, कीटनाशक तथा अतिरिक्त बिजली प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है;

(ग) उड़ीसा मे तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां-कहां पर स्थित है; और

(घ) उड़ीसा के लिए गत एक वर्ष के दौरान इन संस्थानों द्वारा विकसित की गई तिलहन की उन्नत प्रजाति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में खाद्यान्नों, तिलहनों और दलहनो के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने संशोधित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का और कदन्न, तिलहन और दलहन कार्यक्रम, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उथले नलकूप/खुदे हुए कुएं तथा चावल, मक्का और कदन्नों के लिए मिनिकिट कार्यक्रम जिसमें नई प्रौद्योगिकी का प्रचार शामिल है, जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानो के जरिए खाद्यान्नों, तिलहनों और दलहनों की उन्नत किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान भी किया जा रहा है ।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कृषि आदानों अर्थात बीजों, उर्वरकों और कृमिनाशी दवाइयों की उपलब्धता संतोषजनक बताई जाती है। आदानों की क्वालिटी पर नियंत्रण सुनिश्चित करना मूलतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है । राज्य सरकारों के प्रयासों में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा सहायता की जाती है । अधिकतम मांग वाली अवधि के प्रतिबन्धों को छोड़कर किसानों को बिजली की सप्लाई की उपलब्धता पर्याप्त बताई जाती है ।

(ग) उड़ीसा में तिलहनों पर अनुसंधान के लिए अनुसंधान संस्थान/केन्द्र चिप्लीमा, भुवनेश्वर और सेमिलिगुडा में स्थित हैं ।

(घ) आर० एस० एच० बाई०-1 (मूंगफली), पूसा बहार तथा पूसा बसन्त (तोरिया-सरसों) दो ऐसी किस्में जो उड़ीसा के लिए उपयुक्त है, पिछले एक वर्ष में विकसित की गई । इन किस्मों का

ब्यौरा इस प्रकार है :—

किस्म का नाम	पैदावार की क्षमता (क्विंटल/हैक्टेयर)	इन्हें उपजाने का क्षेत्र
मूंगफली		
आर० एस० एच० वाई०	25	बची-खुची नमी की स्थितियों में।
तोरिया सरसों		
पूसा बहार	10-12	वर्षा सिंचित स्थितियां
पूसा बसन्त	10-12	सिंचित स्थितियां

दिल्ली में कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की परेशानी

546. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली में कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को परेशान करने की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली में वर्ष 1991 के दौरान कालेज की लड़कियों को परेशान करने की पांच घटनायें सूचित की गई।

(ख) ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ गहन अभियान चलाना, कालेज के निकट के बस स्टापों पर विशेष गश्त लगाना, तथा विश्वविद्यालय के लिए विशेष बसों में सादे कपड़ों में स्टाफ तैनात करना, शामिल हैं।

आन्तरिक सुरक्षा अकादमी को ले जाने का प्रस्ताव

547. **श्री आलफान्स फ्रैंकाण्डेस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा अकादमी को माउन्ट आबू (राजस्थान) से कर्नाटक में बंगलौर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

बल की आन्तरिक सुरक्षा अकादमी को माउन्ट आबू (राजस्थान) से स्थानातरित करने का प्रस्ताव है। नए स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

तमिलनाडु को विश्व बैंक से सहायता

548. **श्री पी० जी० नारायणन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में व्यापक कृषि विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस सहायता से किस क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई पूर्व शर्त रखी है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए अंतिम पूर्व-प्राक्कलन तथा प्राकलन सम्बन्धी बैठक कब तक आयोजित करने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) (ख) और (घ) तमिलनाडु के लिए, कृषि विकास परियोजना, जून 1991 में पहले ही मंजूर की जा चुकी है जो पूरे राज्य को कवर करती है तथा जिसकी कुल लागत 133.3 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से विश्व का ऋण 112.8 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) राज्य को, इस परियोजना के तहत निवेश घटकों को तैयार करने तथा अन्तिम रूप देने के पहले कृषि सम्बन्धी विकास के लिए एक विस्तृत विश्लेषण तथा वृहत कार्यनीति तैयार करनी थी।

पश्चिम बंगाल में विजातीय पशु प्रजनन फार्म

549. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में कई डेयरी विकास परियोजनाएं और एक क्षेत्रीय विजातीय पशु प्रजनन फार्म खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) हरिम्बाटा में 885.00 लाख रुपए का अनुमानित लागत से एक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म की स्थापना करने का प्रस्ताव तथा 810.90 लाख रुपए की अनुमानित लागत से हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार किए जाने के लिए एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) हरिद्वाटा में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म की स्थापना के बारे में कृषि मन्त्री ने मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल को अन्तिम उत्तर भेज दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि केन्द्र सरकार और अधिक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म खोलने के बारे में विचार नहीं कर रही है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह ऐसे प्रस्तावों के लिए राज्य योजना अथवा विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन निधि की व्यवस्था करने पर विचार करे।

हिमित बीयं प्रौद्योगिकी परियोजना के विस्तार के बारे में आठवीं योजना अवधि के दौरान गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

अफगानिस्तान से भागे हिन्दू परिवारों को सहायता

550. **श्री पवन कुमार इसल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बहुत अधिक संख्या में हिन्दू परिवार वहां से पलायन कर गए हैं और दिल्ली तथा इसके आसपास के इलाकों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एस० ढोकने) : (क) और (ख) यद्यपि अनेक अफगानी परिवार दिल्ली और उसके आस-पास के स्थानों में रह रहे हैं, उनका दयनीय स्थिति में रहने के मामले ध्यान में नहीं आए हैं। जिन्हें शरणार्थी, संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के कार्यालय में शरणार्थी के तौर पर पंजीकृत किया गया है, वे मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त करते हैं।

डेयरी और मुर्गीपालन

551. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के प्रत्येक जनजाति जिले में डेयरी और मुर्गीपालन को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के जनजातीय जिलों में मुर्गीपालन और डेयरी उद्योग को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और समेकित जनजातीय विकास एजेंसी के अंतर्गत मुख्यतः गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, कोरापुट, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, केन्झार और फूलबनी के जनजातीय जिलों में 1991-92 के दौरान 1,327 डेयरी इकाइयां वित्त पोषित की गई हैं। इसी प्रकार, केन्द्रीय प्लान योजना के अंतर्गत, 1990-91 के दौरान प्रत्येक जिले में घरों के पिछवाड़े में 50 मुर्गीपालन की इकाइयां भी बनाई गई हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

और समेकित जनजातीय विकास एजेंसी की मदद से जनजातीय जिलों में घरों के पिछवाड़े में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। डेयरी और मुर्गीपालकों को, पशु रोग को नियंत्रित करने के लिए जनजातीय जिलों में 190 पशु-चिकित्सा डिस्पेंसरी और 888 पशु सहायता केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सलेमपुर में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों का आवंटन

[हिन्दी]

552. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के आवंटन सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न स्थानों मे पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल० पी० जी० की एजेंसियां को खोलने के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानो पर नए पेट्रोल पम्प और एल० पी० जी० की एजेंसियां आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के आधार पर खोली जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

553. **श्री देवी बक्स सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है और इन्हें केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी अनुदान राशि प्रदान की;

(ख) क्या यह संगठन अपने लेखे व प्रतिवेदन प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करते आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जहां तक कल्याण मन्त्रालय का सम्बन्ध है, वित्तीय सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) अधिकांश संस्थाएं उनके द्वारा प्राप्त अनुदानों के सम्बन्ध में परीक्षित लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती रही है। जब तक यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते, अनुदान निर्मुक्त नहीं किए जाते।

विवरण

आवंटित राशि (रुपए में)

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठनों का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	श्री वृन्दावन बंध महाविद्यालय, राधा निवास, वाराणसी	1,03,230	1,12,608	2,48,481
2.	प्रायनारायण मूक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़	1,68,255	1,34,978	1,54,980
3.	मूक एवं बधिर विद्यालय, आजमगढ़	2,61,858	—	—
4.	मूक एवं बधिर विद्यालय, मेरठ	1,21,483	1,34,715	1,57,036
5.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, रामपुर	2,00,000	2,90,000	3,76,795
6.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति मण्डल, अयोध्या	2,36,067	1,48,000	—
7.	चेतना लखनऊ	4,25,361	3,79,166	3,99,565
8.	मूक एवं बधिर विद्यालय, लखनऊ	1,37,209	1,68,192	6,19,922
9.	बधिर बधिरों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालिज, लखनऊ	34,423	67,200	1,33,040

1	2	3	4	5
10.	रेफिल रेडर चेसेर इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर दी रीलिफ ऑफ सफरिंग, देहरादून	1,37,012	1,63,317	1,81,000
11.	सूर स्मारक मण्डल, आगरा	1,93,451	2,44,699	2,18,233
12.	रोटरी प्रायोजित क्रीपल्ड एवं यूथ वेल्फेयर सोसाइटी, इलाहाबाद	3,20,102	62,676	3,29,925
13.	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, अंध विद्यालय, वाराणसी	4,54,121	4,77,944	6,75,984
14.	मूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर	2,63,471	92,115	55,383
15.	मंगलम, लखनऊ	1,91,018	1,52,560	1,40,216
16.	नेशनल फेलोशिप एवं रिहैबिलीटेशन सेंटर, इलाहाबाद	51,620	30,000	—
17.	शहीद मेमोरियम सोसाइटी, लखनऊ	41,880	1,37,945	1,23,006
18.	मूक एवं बधिर विद्यालय, वाराणसी	1,31,915	1,05,177	2,02,643
19.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइन्ड, अलीगढ़	80,100	3,38,730	2,30,286
20.	अजर धाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार	31,131	2,17,746	3,90,501
21.	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	8,41,386	—	—
22.	अभिनय रिपेट्री, थियेटर एण्ड रिसर्च इन्सीट्यूट, लखनऊ	—	0,300	81,108
23.	एन० सी० चतुर्वेदी स्कूल फॉर डेफ, लखनऊ	—	3,00,000	1,50,000
24.	उत्तर प्रदेश मूक एवं बधिर संस्थान, इलाहाबाद	—	1,86,040	48,340
25.	पर्यावरण जन जागृति समिति, अल्मोड़ा	—	—	63,180

1	2	3	4	5
26.	ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद	86,667	3,40,910	1,64,944
27.	ह्यूमन सर्विसेज चैरिटेबल सोसाइटी आफ इण्डिया, लखनऊ	—	—	2,99,835
28.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर	1,60,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
29.	मंगलम, लखनऊ	13,50,000	15,00,000	17,00,000
30.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	15,00,000	11,50,000	13,00,000
31.	अभिनय रिपैट्री थियेटर एण्ड रिसर्च संस्थान, लखनऊ	—	—	—
32.	बहुजन हिताय संस्थान, बरेली	21,600	—	1,50,000
33.	बोधी सत्वा साहेब, लखनऊ	56,700	—	—
34.	फ्रेंड्स क्लब, सीतापुर	1,37,700	—	—
35.	हरिजन युवक कल्याण परिषद, लखनऊ	42,300	—	—
36.	मानव संस्थान, सहारनपुर	1,21,500	1,65.474	—
37.	श्री राम सरन स्मारक सेवा, पुस्तकालय, बसौली	22,500	—	—
38.	सराई नहर औद्योगिक समिति, बदायूं	39,150	—	—
39.	समाज कल्याण सेवा समिति, बीरसिंगपुर, सुल्तानपुर	74,160	—	—
40.	सर्वोदय मानव विकास, इलाहाबाद	9,000	—	—
41.	काशी क्लब, वाराणसी	20,10,080	10,25,460	18,69,360
42.	श्री राम बाबू वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, आगरा	2,13,086	7,04,887	3,30,302
43.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन न्यू दिल्ली	—	1,46,881	3,79,794

1	2	3	4	5
44.	अभिनय रिपेटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	—	3,02,050	2,34,900
45.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	—	2,24,100	85,050
46.	श्री कांछी लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	—	94,500	42,750
47.	अखिल भारत विकास परिषद, लखनऊ	—	47,700	—
48.	स्व० रामदेव सिंह स्वतन्त्र संग्राम सेवा, निराश्रित दलित एवं पिछड़ा वर्ग, बस्ती	—	50,400	—
49.	ब्यूरो ऑफ चाईल्ड वैल्फेयर एण्ड रिसर्च, लखनऊ	20,564	—	—
50.	रोटरी प्रायोजित क्रिप्पल्ड एवं यूथ वैल्फेयर सोसाइटी, इलाहाबाद	50,000	25,000	34,881
51.	समाज सेवा संघ, दिल्ली	27,697	81,540	54,540
52.	अलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	—	—	11,700

काली मिर्च की बेलों पर रोगों का प्रभाव

[अनुवाद]

554. श्री थाला के० एम० मैथ्यू :
श्री पी० सी० चाको :

क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में काली मिर्च की बेलों की बीमारियों जैसे शीघ्र मुरझा जाने और कीड़े लग जाने इत्यादि के कारण होने वाले विनाश के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कारणों का पता लगाने एवं इन बीमारियों को दूर करने के लिए कौन-सा अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है तथा अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मसालों के विकास हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र समेकित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत काली मिर्च में रोगों पर काबू पाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें (1) केरल में जीर्ण व रोगग्रस्त पुराने काली-मिर्च-उद्यानों को फिर से ठीक करना (2) राजसहायता पर आदान किट और पौध रक्षक छिड़काव यंत्र सप्लाई करना और (3) किसानों को रोगमुक्त रोपण सामग्री मुफ्त सप्लाई करना शामिल है। 1991-92 के दौरान केरल में काली मिर्च के विकास हेतु 3.25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। हाल ही में इस मंत्रालय में शीघ्र मुरझान रोग की समस्या की समीक्षा की गई और केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को 11.81 लाख रुपए की एक अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है जो, राज्य में केवल शीघ्र मुरझान रोग से ग्रस्त क्षेत्रों में ही इस्तेमाल के लिए है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने भी केरल में काली मिर्च के रोगग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए 20.00 लाख रुपए की एक परिव्यय से एक योजना स्वीकृत की है।

काली मिर्च के रोगों और कृमियों पर अनुसन्धान मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना के अधीन राष्ट्रीय मसाला अनुसन्धान केन्द्र, कालीकट में किया जाता है। शीघ्र मुरझान का कारण फाइटोफ्थोरा-कैपसिको नामक फफूंदी पाई गई है। रोगों और कृमियों पर नियन्त्रण के लिए फाइटोसैनिटेशन, कृषि विधियां, रासायनिक नियन्त्रण उपाय जैसी उन्नत प्रबन्धन विधि तैयार की गई हैं। कुछेक रोग रोधी किस्मों (कल्टीवार्स) का पता लगाया गया है और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें किसानों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

[हिन्दी]

55 . **श्री विनय कटियार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जिनके अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 25 अथवा इससे अधिक है;

(ख) इनमें से ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और नियमित रूप से हर तिमाही को इसकी बैठक होती है; और

(ग) इनमें से ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जहां यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि वहां राजभाषा नीति का पालन किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों और एल० पी० जी० गैस एजेंसियों का आबंटन

556. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से अक्तूबर, 1990 तक, नवम्बर 1990 से मई 1991 तक और जून 1991 से जनवरी 199 तक की प्रत्येक अवधि में कितने-कितने पेट्रोल पम्पों एल० पी० जी० गैस एजेंसियों और मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधियों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर तथा विज्ञप्ति के आधार पर कितने बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया;

(ग) इन विक्रेताओं में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(घ) क्या इन बिक्री केन्द्रों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा नहीं भरा गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कोटे को सरकार द्वारा कब तक भरा जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का सरकार के विवेकाधीन आबंटन :—

अवधि	संख्या
दिसम्बर, 89 से अक्तूबर, 90	66
नवम्बर, 90 से मई, 91	128
जून, 91 से जनवरी, 92	24
योग :	218

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 413 डीलरशिपें/डिस्ट्रिब्यूटरशिपें तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से आवंटित की गई हैं।

(ग) 102।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के तहत आवंटित की जाने वाली सभी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है।

तथापि अनुकम्पा के आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

मिट्टी के तेल का आयात

[अनुवाद]

557. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल (एस० के० ओ०) के आयात के लिए बहरीन से कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निदेशपद क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जायेगा और इसमे कितनी धनराशि व्यय होगी;

(घ) क्या इस आयात से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक आवंटन में वृद्धि हो जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समझौते के अन्तर्गत वर्ष 1992 के दौरान एफ० ओ० बी० पर 150 टी० एम० टी० और सी० ऐंड एफ० बम्बई आधार पर 50 टी० एम० टी० एस० के० ओ० का आयात किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस० के० ओ० का आवंटन उत्पाद की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आयल पाम का उत्पादन

558. **श्री के० आर० नारायणन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पलोड, केरल स्थित अनुसन्धान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र बना दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस केन्द्र को केरल से हटाकर अन्यत्र ले जाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पलोड स्थित अनुसन्धान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर केरल में आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश में तेल ताड़ (आयलपाम) उगाये जाने की क्षमता वाले 5.75 लाख हैक्टर क्षेत्र में से केरल में 0.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तेल-ताड़ उगाया जाता है जबकि कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश प्रत्येक में 2.50 लाख हैक्टर क्षेत्र में तेल ताड़ उगाया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ना उत्पादन

559. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों से गन्ने के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए गन्ने के उत्पादन का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

गन्ने का राज्य-वार उत्पादन

(लाख टन में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
आंध्र प्रदेश	107.7	111.3	125.3
असम	18.6	16.7	15.2
बिहार	54.8	66.9	78.1
गुजरात	79.1	91.6	106.0
हरियाणा	65.8	67.5	77.5
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.3	0.3
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.2	0.2
कर्नाटक	187.3	212.1	194.4
केरल	5.4	5.3	5.4
मध्य प्रदेश	16.4	13.7	17.1
महाराष्ट्र	225.0	340.1	384.2
उड़ीसा	32.0	33.3	35.5
पंजाब	60.0	65.0	55.9
राजस्थान	6.9	7.2	12.0
तमिलनाडु	237.7	234.4	245.8
उत्तर प्रदेश	885.2	974.2	1035.3
पश्चिमी बंगाल	11.6	10.3	8.6
अन्य	6.5	5.8	6.1
अखिल भारत	2030.4	2255.9	2402.9

कश्मीर घाटी से लोगों का अन्यत्र जाना

560. श्री हरिन पाठक :
कुमारी उमा भारती :
श्री राम नाईक :
श्री मणि शंकर अय्यर :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी छोड़कर प्रति वर्ष कितने कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम अन्यत्र चले गए;

(ख) जम्मू, दिल्ली और अन्य स्थानों पर पृथक-पृथक कितने शरणार्थियों को ठहराया गया है;

(ग) उन्हें वित्तीय और अन्य क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) इन शरणार्थियों को वापस उनके घरों को भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यक समुदाय के 1,50,000 से अधिक व्यक्ति अधिकांशत: जम्मू और दिल्ली में आए है । कुछ परिवार अन्य राज्यों में भी चले गए हैं । जम्मू में 40,000 परिवार प्रवासियों के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि दिल्ली में 18,000 से अधिक परिवार पंजीकृत हुए हैं ।

जम्मू में लगभग 6,000 परिवारों को टैन्टों और निर्मित मकानों में रखा गया है । अन्य परिवारों ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है । जम्मू में पात्र परिवारों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 1000 रु० की मासिक नगद राहत और प्रति व्यक्ति को एक महीने में 9 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा और प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है । टैन्टों में, चारपाई, टेबल फैन और ग्राउन्ड सीट भी दी जाती है ।

दिल्ली में, लगभग 1500 व्यक्ति शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है । शिविरों में रहने वालों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 500 रु० की नगद सहायता मासिक आधार पर दी जाती है और 500 रु० की कीमत का मासिक राशन दिया जाता है । उन्हें एक समय खाना बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले बर्तन और बिस्तर भी दिया गया है ।

शिविरों से बाहर रहने वाले पात्र परिवारों को चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 1000 रु० की अधिकतम मासिक नगद सहायता दी जाती है ।

धन ऐंठने और लगातार आतंकवादी हिंसा के कारण घाटी से मुस्लिम परिवारों, जिनमें अधिकांश व्यापारी हैं, के पलायन करने की रिपोर्टें भी हैं । तथापि प्रभावित परिवार आतंकवादियों के डर से उग्रवादियों के विरुद्ध खुलेआम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें यह भय है कि वे उनके सम्बन्धियों और घाटी में उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं ।

जम्मू तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा

[हिन्दी]

561. **कुमारी उमा भारती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जम्मू तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो लद्दाख के बौद्ध संगठनों को किस आधार पर मान्यता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) लद्दाख बौद्ध संगठन विद्यमान है, अतः कोई औपचारिक मान्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन

562. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) गत दो वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया और इसकी मांग कितनी रही; और

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करने की बजाय इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उत्पादन लगभग 50.3 एमएमटी हो जाएगा। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्रमशः 49.46 और 49.49 एमएमटी के लगभग थी। उपर्युक्त वर्षों के दौरान क्रमशः लगभग 54.10 एमएमटी और 54.80 एमएमटी की खपत हुई थी।

(ग) अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन के लिए नई ग्रास रूट रिफाइनरियों की स्थापना और वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तारण जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की बचत

563. **श्री राम नारायण कैरवा** :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन हुआ तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए कोई प्रभावी नीति अपनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क)

(आंकड़े मि० मी० टन में)

	1988-89	1989-90	1990-91*
पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	46.425	49.459	49.489
पेट्रोलियम उत्पादनों का आयात	6.495	6.564	8.660

*अस्थायी ।

(ख) और (ग) किए गए उपायों के परिणामस्वरूप सातवीं योजनावधि के दौरान 6.9% की औसत मिश्रित वार्षिक वृद्धि की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की दर 1990-91 में 1.3 प्रतिशत तक और अप्रैल-दिसम्बर, 1991-91 में 2.4 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था ।

तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में ड्रिलिंग आपरेशन

[अनुवाद]

564. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में अब तक कितने ड्रिलिंग आपरेशन किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है और आगामी तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कावेरी बेसिन में तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) जी।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा क्रमशः 0.201 मिलियन टन, 0.203 मिलियन टन और 0.250 मिलियन टन रही है। आगामी तीन वर्षों के लिए लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) नागापट्टिनम के नजदीक पन्नगुडी ग्राम में 0.5 मिलियन टन क्षमता की एक क्रूड आसवन इकाई स्थापित की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरण

565. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक दंगों के अपराधियों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक विधेयक संसद में कब तक पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में भभुआ में कृषि फार्म

[हिन्दी]

566. श्री छेदी पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, भभुआ स्थान पर एक कृषि-फार्म खोलने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गैस संयंत्र

567. डा० लाल बहादुर रावल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में गैस संयंत्र की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र और एक विद्युत संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित एक और विद्युत संयंत्र चालू किया जा रहा है तथा गैस का आवंटन दो अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों, एक स्पंज आयरन संयंत्र और एक पेट्रो-रसायन परियोजना के लिए भी किया गया है।

बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि मुद्दे पर राष्ट्रीय समिति

[अनुवाद]

568. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि विवाद का समाधान ढूंढने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट हेतु विचाराधीन आवेदनपत्र

569. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री पी०सी० थामस :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में कितने पासपोर्ट आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) उक्त पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के क्या कारण थे;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) 31-12-1991 के दिन की स्थिति के अनुसार

देश के प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में कुल कितने आवेदनपत्रों पर कार्रवाई की जा रही थी उसको दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का मुख्य कारण पासपोर्ट सेवाओं के लिए बढ़ते हुए आवेदनपत्रों की संख्या को निपटाने के लिए कर्मचारियों की कमी है । 1991 में प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या लगभग 35 लाख थी जबकि 1990 में प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या लगभग 24 लाख थी ।

(ग) से (ङ) उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से पासपोर्ट प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया था । 1990 की तुलना में 1991 में लगभग 77,000 अधिक पासपोर्ट जारी किए गए थे । इसके अलावा पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

31 दिसम्बर, 1991 के दिन की स्थिति के अनुसार प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों और कार्रवाई किए गए आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

पासपोर्ट कार्यालय	पासपोर्ट सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या	दी गई पासपोर्ट सेवाओं की कुल संख्या	जिन आवेदनपत्रों पर कार्रवाई की जा रही है उनकी कुल संख्या
1	2	3	4
अहमदाबाद	2,09,005	1,87,187	21,818
बंगलौर	1,41,529	1,00,264	41,265
बरेली	1,04,376	90,639	13,737
भोपाल	34,562	32,338	2,224
भुवनेश्वर	12,504	11,840	664
बम्बई	5, 8,160	4,62,124	56,036
कलकत्ता	90,535	78,549	11,986
चण्डीगढ़	1,54,831	1,16,103	38,728
कोचीन	3,58,278	2,28,430	1,29,848
दिल्ली	2,03,352	1,86,251	17,101
गोवा	32,481	30,267	2,214

1	2	3	4
मुबाहाटी	9,329	6,635	2,694
हैदराबाद	3,30,593	2,46,508	84,085
जयपुर	1,70,323	1,17,531	52,802
जालन्धर	1,79,540	1,59,939	19,601
कोजीकोड	2,82,884	1,79,266	1,03,618
लखनऊ	1,28,948	67,137	61,811
मद्रास	1,85,697	1,41,952	43,745
नागपुर	10,919	10,336	583
पटना	50,484	27,629	22,855
तिरुची	2,51,912	1,66,802	85,110
त्रिवेन्द्रम	42,721	42,676	45
कुल :	35,02,973	26,90,403	8,12,570

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

[हिन्दी]

570. श्री नवलकल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खरीफ और रबी मौसमों में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस फार्म में सिंचित तथा असिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना था; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस फार्म ने कितना लाभ कमाया/हानि उठाई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

(क)		1988-89	1989-90	1990-91
	खरीफ	26640	20865	33187
	रबी	59597	48321	40895
	कुल :	86237	69186	74082
(ख)	सिंचाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)	3379	2993	3577
	असिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	3148	3151	2959

(ग) यह उल्लेखनीय है कि निगम का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1992 को समाप्त होगा। अतः, इस समय फार्म को 1991-92 की अवधि में होने वाले लाभ/हानि को सही राशि बतलाना सम्भव नहीं है। फिर भी, वर्तमान संकेतों के अनुसार फार्म को 1991-92 के दौरान 90 लाख रुपये का लाभ होने की आशा है।

पिछड़ी जातियों के लोगों के कल्याण के लिए एक निगम स्थापित करना

[हिन्दी]

571. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़ी जातियों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए कोई निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निगम कब स्थापित किया जाएगा ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत दिनांक 13-01-1992 को 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी सहित लाभ न कमाने वाली एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया है।

(ख) इस निगम के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :—

(1) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक-क्रियाकलापों को बढ़ावा देना;

(2) पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक तथा वित्तीय व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आय और/अथवा आर्थिक मानदण्ड के अध्यधीन ऋणों तथा अग्रिमों द्वारा सहायता करना;

(3) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार तथा अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना;

(4) भारत सरकार द्वारा कंपनी को दी गई बजट सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सरकार/मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए चुनिंदा मामलों में रियायती वित्त प्रदान करना;

(5) स्नातक तथा उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण जारी रखने के लिए ऋण प्रदान करना;

(6) उत्पादन इकाईयों के उचित तथा कारगर प्रबन्ध के लिए पिछड़े वर्गों के तकनीकी तथा उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता करना;

(7) वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा पुनः वित्त पोषण द्वारा वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में पिछड़े वर्गों के विकास से सम्बन्धित कार्य को करने के लिए राज्यस्तरीय संगठनों की सहायता करना;

(8) जहां तक इसका पिछड़े वर्गों के विकास से सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डों के कार्य का समन्वय तथा मानिटरिंग करने के लिए गए एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में काम करना;

(9) पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करना ।

(ग) यह निगम पिछड़े वर्गों के निम्नलिखित लक्षित समूहों को सहायता प्रदान करेगा :—

(1) योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है ।

(2) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हैं किन्तु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले आय/आर्थिक मानदण्ड को पूरा करते हैं उन्हें स्वरोजगार योजनाओं तथा अन्य वित्तीय तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है ।

वीसा की स्वीकृति के लिए विनिमय

[अनुवाद]

572. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्रता से वीसा स्वीकृति के लिए कोई विनिमय लागू किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1990 में एक उदार वीजा नीति शुरू की थी । इस नीति के अन्तर्गत विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के प्राप्त विदेशियों को 5 वर्ष तक के लिए बंध दीर्घकालिक वीजा देने का प्राधिकार दिया गया है । कुछ मामलों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों को सरकार से वीजा के लिए स्वीकृति लेनी होती है ।

त्रिपुरा में भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र

[हिन्दी]

573. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने हेतु कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सम्पूर्ण त्रिपुरा राज्य में पहचान पत्र जारी करने की योजना को लागू करने का प्रस्ताव है ।

पेट्रोल पम्पों पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा

[अनुवाद]

574. **श्री रूपचंद पाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने सिटी बैंक के साथ अपने पेट्रोल पम्पों पर उनके क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बंगलौर में आई० ओ० सी० के चुने हुए डीलर एम० एस०/एच० एस० डी० और अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं ।

सुअरों के लिए बूचड़खाना

575. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में सुअरों के लिए कोई बूचड़खाना नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में विशेष रूप से सुधरों के लिए एक बूचड़खाना बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली में सुअरों के बूचड़खानों के वास्ते भूमि आवंटित करने के लिए सम्पर्क किया गया है ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति में गिरावट का गैस प्राधिकरण पर प्रभाव

576. **श्री बापू हरि चौरे** :
श्री माणिक राव होडल्या गावित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1990-91 के दौरान विदेशी मुद्रा की स्थिति में गिरावट का गैस प्राधिकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्त हेतु मंच

577. **श्री सुधार गिरि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए एक मंच बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मंच ने जम्मू और कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या कार्रवाई की गयी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए प्राप्त अनेक सुझावों में से कुछ सुझाव इस फोरम से भी प्राप्त हुए हैं। सभी व्यवहारिक सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाता है और जहां तक संभव हो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अल्पसंख्यक संगठन

[हिन्दी]

578. **श्री ललित उराँव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी संगठन को अल्पसंख्यक संगठन घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या बिहार में मुसलमानों, बौद्धों और ईसाईयों द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संगठनों को अल्पसंख्यक संगठन घोषित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार के अल्पसंख्यक संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से ग) भारत सरकार द्वारा वैसे तो किसी संगठन को अल्पसंख्यक संगठन घोषित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, तथापि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को छोड़कर अल्पसंख्यक प्रबन्धित अन्य शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के अलावा अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए नीति सम्बन्धी नियम तथा सिद्धांत

1. अल्पसंख्यक धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो सकते हैं।

2. अल्पसंख्या धार्मिक अथवा भाषायी उस समुदाय के संदर्भ में हो सकते हैं जो अल्पसंख्यक दृष्टि से सम्बन्धित राज्य की जनसंख्या के 50% से कम हों।

3. शैक्षिक संस्था का प्रबन्ध करने वाली एजेन्सी का कोई वैधानिक दर्जा हासिल होना चाहिए। सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ अथवा निगमित निकाय आदि।

4. अल्पसंख्यक प्रबन्धित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश अल्पसंख्यक सदस्यों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. शैक्षिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार समुचित विनियमों के अध्यधीन होगा जिसमे निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

— सम्बद्ध प्राधिकारियों (जैसे शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, ए० आई० सी० टी० ई०) द्वारा मान्यता की शर्तों से सम्बन्धित मानदण्ड;

— अध्यापकों की अर्हताएं तथा सेवा शर्तें;

— यह अपेक्षा की अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाएं ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो कि साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भाव में बाधक हो;

— यह अपेक्षा कि संस्था अल्पसंख्यक संस्था के रूप मे अपने विशेषाधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह के आर्थिक लाभ के लिए नहीं करेगी;

— शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित संस्थाओं के अनुशासनिक नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होंगे;

— सुप्रशासन के सिद्धान्तों का अनुपालन;

— सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं से सम्बंधित देश के सामान्य कानूनों का प्रवर्तन।

6. अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी योग्य प्रत्याशी को नियुक्त करने की स्वतन्त्रता होगी परन्तु अध्यापको और अन्य कर्मचारियों का चयन रोजगार केन्द्रों अथवा खुले विज्ञापन के माध्यम से करना उनके लिए उपयुक्त होगा।

7. अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों के पास अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिएं।

8. विनियम ऐसे न हों कि जिनसे अल्पसंख्यको के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, उदाहरणार्थ:—

— यह शर्त कि सरकार को किसी सस्था के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा;

— यह कि सरकार को प्रबंध समितियां गठित करने का अधिकार होगा;

— यह कि संस्था के शासी निकाय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य भी होंगे;

— यह कि सरकार संस्था से कुछ स्थान आरक्षित करने की उपेक्षा कर सकती है;

— यह कि संस्था के छात्र उच्च शिक्षा के अवसरों के पात्र नहीं होंगे;

— यह कि सरकार को संस्था में किसी भाषा के शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग पर जोर देने का अधिकार होगा;

— यह कि संस्था छात्रों आदि से कोई शुल्क नहीं लेगी ।

ये मानदण्ड विनियामक और/या शैक्षिक प्रकार से तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संस्थाओं के प्रभावी माध्यम बनाने में सहायक होने चाहिएं ।

9. सहायता अनुदान मंजूर करने के मामले में अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं होगा । निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनियामक नियम बनाकर ऐसे सहायता अनुदान को सशर्त बनाया जा सकता है ।

10. राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाएं अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के व्यक्तियों को धर्म, जाति आदि के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करेंगी ।

— छात्र अथवा उसके अभिभावक की सहमति के बिना, धार्मिक शिक्षा देने अथवा धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए छात्र को बाध्य नहीं किया जाएगा ।

11. निम्नलिखित संबंध में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए :—

— किसी सोसायटी/न्यास को अल्पसंख्यक माने जाने की पात्रता;

— मान्यता प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी;

— मान्यता प्रदान करने/वापस लेने के लिए प्रक्रिया;

— निर्णय लेने के लिए समय सीमा ।

12. जहां मान्यता देने पर अनुकूल विचार नहीं हो पाता तो शैक्षिक संस्था को मान्यता अस्वीकार किए जाने के कारण से अवगत कराया जाएगा ताकि मान्यता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में उसे मदद मिले ।

बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाएं

[हिन्दी]

579. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनको मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं भी मिलती है जबकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केवल उनके लिए निर्धारित सुविधाएं ही दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ईसाईयों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली अथवा उनको मिलने वाली सुविधाओं में से एक ही सुविधा देने का है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियां उनका धर्म कोई भी हो उनके लिए अभिप्रेत सुविधाओं की पात्र है। अनुसूचित जातियां जो धर्म परिवर्तन कर हिन्दू, सिख अथवा बौद्ध धर्म से भिन्न किसी धर्म को अपना लेती है, वे अनुसूचित जातियां नहीं रहती है और उसके बाद अनुसूचित जातियों के रूप में सुविधाएं प्राप्त करने की हकदार नहीं रहती है।

(ग) ईसाई, धर्म आधारित अल्पसंख्यक हैं।

दूध का उत्पादन

[अनुवाद]

580. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या कृषि मन्त्री दुग्ध उत्पादन के बारे में 19 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक दुधारु पशु द्वारा औसतन कितना दूध देने का अनुमान है;

(ख) देश में दूध का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) देश में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध होता है; और

(घ) सरकार ने प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में किए गए नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार वर्ष 1987-88 के लिए प्रति पशु की औसत दुग्ध उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(1) अज्ञात नस्ल के पशु : 1.525 कि० ग्रा० प्रतिदिन

(2) संकर प्रजनित पशु : 5.561 कि० ग्रा० प्रतिदिन

(ख) 1987-88 में देश में दूध का कुल अनुमानित उत्पादन 46.67 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) 1987-88 में देश में दूध की प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धता वर्ष 59.3 कि० ग्रा० थी।

(घ) दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) स्वदेशी नस्लों में चयनित प्रजनन और अन्य चयनित क्षेत्रों में सुधार करके राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का आनुवंशिक सुधार;

(2) अज्ञात नस्ल के पशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन;

(3) दूध के उत्पादन में सुधार के लिए चयनित प्रजनन करके महत्वपूर्ण भैंसों का अनुवंशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में अज्ञात नस्लों का सुधार;

(4) आहार और चारे के स्रोतों का विकास; और

(5) उत्पादन कार्यक्रम के समर्थन के लिए प्रभावी पशु चिकित्सा सेवाओं का आयोजन।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग

581. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में अनुमानतः भारतीय मूल के निवासी कितने हैं;

(ख) उस देश की जनसंख्या के अनुपात में इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या वे सभी व्यक्ति उस देश के मान्यता प्राप्त नागरिक हैं;

(घ) क्या इन व्यक्तियों को सक्षम राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) दक्षिण अफ्रीका में अनुमानतः भारतीय मूल के दस लाख व्यक्ति हैं।

(ख) ये लोग दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं।

(घ) और (ङ) दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय ने पृथग्वासन के अधीन उन सभी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का सामना किया है जिनका सामना दक्षिण अफ्रीका के अन्य अश्वेत लोगों ने किया है। भारत की सरकार ने पृथग्वासन विरोधी लड़ाई का बराबर समर्थन किया

है। भारत ऐसा पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी नतियों के विरोध में उससे अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़े थे और उस देश के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए चलाए गए अभियान में भी भारत सबसे आगे रहा है। हमने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को भी पर्याप्त सहायता दी है और इसे हम इसके बहुजातीय स्वरूप तथा जाति विहीन वास्तविक लोक तन्त्र के प्रति उसकी वचनबद्धता के कारण दक्षिण अफ्रीका में दमित बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि मानते हैं।

जनजातियों का रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए जनजातीय उप-योजना सम्बन्धी नीति

582. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय उप-योजना सम्बन्धी नीति जन-जातियों के रहन-सहन का स्तर सुधारने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनजातियों के रहन-सहन के स्तर में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यनीति अपनाने के बाद, आदिवासी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास आरम्भ किया गया है। गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। आदिवासियों के उत्पाद के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य देने हेतु आदिवासी विकास सहकारी निगमों, लघु वन उत्पाद सहकारी संघों की स्थापना की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति, सचार आदि जैसे क्षेत्रों में सामान्य मानदण्डों में छूट दी गई।

(ग) आदिवासियों के रहन-सहन स्तर में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए गए मानदण्ड विभिन्न सामाजिकार्थिक सूचकों पर आधारित है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त आदिवासी परिवार निम्न प्रकार है :—

अवधि	सहायता प्राप्त परिवार (रु० लाखों में)
छठी योजना	39.66
सातवीं योजना	52.89
1990-91	8.93
1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक)	5.34

1981 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी जनजातियों के बीच साक्षरता की प्रतिशतता जो 1961 की जनगणना 8.53% थी बढ़कर 16.35% हो गई है। 986 के अन्त तक आदिवासी क्षेत्रों में 1.88 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10,540 उप केन्द्र खोले गए। मैदानी क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार, मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या की तुलना में, आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है।

विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

583. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विस्थापित आदिवासी लोगों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह नीति कब तक बनायी जाएगी ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित परियोजना विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

584. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में अगले पांच वर्षों में आत्म-निर्भरता पा लेने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन उनके आयात की तुलना में कितना रहा है; और

(घ) आगामी पांच वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी प्रायोजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि शोधन क्षमता को बढ़ाने की योजनाएं हैं, फिर भी, अनुमानित मांग की तुलना में स्वदेशी उत्पादन अपेक्षाकृत कम होगा।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अपनी रिफाइनरियों में स्वदेशी और आयातित क्रूड से उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा लगभग 49.489 एम० एम० टी० थी और लगभग 8.66 एम० एम० टी० की मात्रा का आयात किया गया था।

(घ) स्वदेशी उत्पादन की अनुमानित उपलब्धता और आयात अतिरिक्त शोधन क्षमता के

वास्तविक रूप से पूरा होने, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर निर्भर करेगा।

राजीव-जयवर्धने पत्रों को कार्यरूप न देना

585. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1992 के "द आब्जर्वर आफ बिजनस ऐण्ड पालिटिक्स" में "लंका टू आस्क फोर रिवोकेशन आफ राजीव-जयवर्धने लेट्र्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को श्रीलंका की सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए शिक्षण केन्द्र

586. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षापूर्व तैयारी हेतु स्थापित किए गए शिक्षण केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान शिक्षण प्राप्त करने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने प्रत्याशियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला मिला ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्रीय सहायता से, आन्ध्र प्रदेश में, पांच केन्द्र जारी रखे गए।

(ख) 23,68,000/- रुपए।

(ग) कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत मैडीकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की कोचिंग अभी आरम्भ नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय

587. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन न्यायालयों द्वारा अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम के प्रभारी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) संलग्न सूची के अनुसार (विवरण-1)।

(ख) 2269।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न उपायों, जिसमें कानूनी सहायता अधिकारियों की नियुक्तियां, समितियों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, आवधिक सर्वेक्षण और प्रचार शामिल हैं, के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बराबरी के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशेष न्यायालयों की सूची

क्रम सं०	स्थानों का नाम
1	2
1.	चित्तूर
2.	कुड्डपा
3.	पूर्वी गोदावरी
4.	पश्चिमी गोदावरी
5.	श्रीकाकुलम
6.	मेहबूब नगर
7.	मेडक
8.	गंटूर
9.	आदिलाबाद
10.	वारांगल
11.	करीम नगर
12.	रंगा रेड्डी
13.	प्रकासम
14.	नलगोंडा

1	2
15.	कम्माम
16.	करनूल
17.	विशाखापटनम
18.	कृष्णा
19.	विजयानगरम
20.	निजामाबाद
21.	अनन्तपुर
22.	नैल्लौर

दिल्ली में सुरा-काण्ड में हुई मौतें

588. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 19 दिसम्बर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "अथारिटीज मिसगाइडेड पार्लियामेंट आन इशु" समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में हाल में हुए सुरा काण्ड में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जहरीली शराब पीने के परिणामस्वरूप 202 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दिल्ली प्रशासन ने घटना की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ उक्त जहरीली शराब के पीने के कारण व्यक्तियों की संख्या के बारे में अपने निष्कर्ष रिकार्ड करने हैं।

बोडो समस्या के समाधान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

589. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोडो समस्या का राजनैतिक समाधान निकालने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नए रसोई गैस कनैक्शन जारी करने पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

590. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ऑयल कारपोरेशन ने नए रसोई गैस कनैक्शन जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

हाई स्पीड डीजल का प्रयोग

[अनुवाद]

591. श्री विजय नवल पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 की तुलना में 1991 के दौरान हाई स्पीड डीजल की खपत दुगनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाई स्पीड डीजल के प्रयोग में कटौती करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) मांग को देशी उत्पादन और डीजल का आयात करके पूरा किया गया था ।

(ग) और (घ) सरकार ने डीजल के उपयोग में कटौती करने के लिए मांग प्रबंधन, संरक्षण आदि सहित विभिन्न उपाय किए हैं।

उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में पेट्रोल/डीजल की दुकानें

[हिन्दी]

592. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में पेट्रोल/डीजल की दुकानें खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये दुकानें कब तक खोल दी जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र तेल उद्योग की विपणन योजना, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के अनुसार खोले जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक

[अनुवाद]

593. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री चन्द्र जीत यादव :
श्री साईमन मरांडी :
श्रीमती वासवाराजेश्वरी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री पवन कुमार बंसल :
डा० सी० सिलवैरा :
कुमारी उमा भारती :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वहां क्या प्रस्ताव रखे और अन्य सदस्य देशों की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई;

(ग) बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और इन पर क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(च) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसी देश ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता हेतु समर्थन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मन्त्री ने शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, सुरक्षा परिषद की संरचना मानवाधिकार, विकास से सम्बद्ध मसले तथा सभी पहलुओं के संदर्भ में नाभिकीय अप्रसार जैसे अनेक मसलों पर भारत का नजरिया रखा । उन्होंने नाभिकीय निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध भारत की कार्य योजना का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया कि नाभिकीय अस्त्रमुक्त विश्व की स्थापना के लिए जो तारीख रखी गई है उसे कम करके वर्तमान शताब्दी के अन्त तक लाया जाना चाहिए । उनके विचारों की सराहना हुई ।

(ग) इस बैठक का मूल विषय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी थी । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया जाए कि वे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की परिधि के भीतर शान्ति स्थापना तथा शान्ति बनाए रखने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए अपना विश्लेषण तथा सिफारिशें देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करें ।

(घ) और (ङ) भारत और जापान ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सुरक्षा परिषद की संरचना की समीक्षा की जाए ।

(च) और (छ) सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए किसी की अभ्यर्थिता के प्रश्न पर इस बैठक में विचार नहीं किया गया ।

वर्ष 1992 को "भारत एकता वर्ष" के रूप में मनाना

594. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1992 को "भारत एकता वर्ष" के रूप में मनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शीत लहर से मौतें

595. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान शीत लहर से बड़ी संख्या में लोगों के मरने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान समान अवधि में हुई मौतों की तुलना में यह कितनी है; और

(ग) देश मे शीत लहर से मौत की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लक्षद्वीप सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति

596. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान लक्षद्वीप सरकार की सेवा से कितने व्यक्ति सेवा निवृत्त हुए;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनको पारिवारिक पेंशन दी जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेवा निवृत्त हुए मृत-कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन कब तक दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा

597. **श्री ई० अहमद** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह दर्जा कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

598. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के विकास के लिए किन-किन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : अपेक्षित सूचना, हिमाचल प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है।

खाद्यान्नों का उत्पादन-लक्ष्य

599. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन-लक्ष्य कम होगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादन-लक्ष्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी आएगी; और

(घ) उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विभिन्न फसलों के लिए नियत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए विभिन्न राज्यों में गेहूं, मक्का, कदन्न तथा दलहन के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, अनाजों का मिनिकिट कार्यक्रम, गेहून कपास विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा उथले नलकूपो/खुदे कुओं के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानो को सहायता देने के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग

[हिन्दी]

600. डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री धर्मण्णा मोन्डव्या साहुल :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की हाल की बैठक के दौरान किन-किन मामलों पर चर्चा हुई; और

(ख) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की मन्त्रिस्तर की पहली बैठक दिल्ली में 5 से 7 जनवरी, 1992 तक हुई थी। संयुक्त आयोग ने व्यापार, पूंजी-निवेश एवं वित्त तथा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक मामलों से सम्बद्ध दो उप-आयोगों के कार्य की समीक्षा की, जिनकी बैठक अक्तूबर, 1991 में हुई थी तथा संयुक्त-आयोग ने उनके भावी कार्य के लिए उन्हें दिशा-निर्देश दिए। दोनों पक्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक तीसरा उप-आयोग गठित करने पर भी सहमति हुई ताकि इस क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों की सरकारों और वैज्ञानिक समुदाय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा दोनों पक्षों में चाय के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में सहयोग तथा श्रीलंका की रेल-व्यवस्था के रख-रखाव और उसकी उन्नति में भारत की साझेदारी तथा दूर-संचार, तेल निकालने, कृषि तथा लघु-उद्योगों के क्षेत्रों में भी सहयोग के विषय में भी मुख्य रूप से बातचीत हुई। अक्तूबर, 1991 में दोनों देशों के बीच सम्पन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के परस्पर सहमत मुद्दों पर अमल करने के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।

भारत तथा श्रीलंका की सरकारों ने भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग के माध्यम से पारस्परिक सहयोग को और सुदृढ़ करने और उसे और अधिक विविधता प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई।

नई कृषि नीति

601. डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री रति लाल कालिदास वर्मा :
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र के दौरान एक नई कृषि नीति पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) मार्च, 1991 में निरूपित कृषि नीति संकल्प का एक मसौदा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा राज्यीय कृषि विश्वविद्यालयों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। अब तक 21 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा विश्वविद्यालयों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

म्यान्मार से प्रवास

[अनुवाद]

602. श्री पी० एम० सईद :
श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक कार्यवाही के कारण म्यान्मार से कितने लोग भारत आए हैं;

(ख) क्या इन आप्रवासियों को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को म्यान्मार सेना और नागालैंड के प्रतिबन्धित राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के गुरिल्लों के बीच निरन्तर होने वाली सशस्त्र झड़पों के बारे में जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) म्यान्मार सेना और म्यानमार नागा उग्रवादी ग्रुपों के बीच हुई झड़पों के परिणामस्वरूप लगभग 1250 म्यान्मार राष्ट्रिकों ने भारत में पलायन किया है।

(ख) से (घ) इन म्यान्मार राष्ट्रिकों को केवल लोकोपकारी आधार पर अस्थाई तौर पर खाना और आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ङ) ऐसी रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(च) चूंकि म्यान्मार सेना और उस देश से कार्यरत उग्रवादी संगठनों के बीच झड़पें हुई हैं, इसलिए यह म्यान्मार सरकार का काम है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली झड़पों के सम्बन्ध में कदम उठाएं। तथापि, म्यान्मार सरकार को यह बता दिया गया है कि वह अपने राष्ट्रिकों को वापस ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ताकि भविष्य में इस प्रकार का पलायन न हो।

एकता यात्रा पर खर्च

603. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री पी० सी० थामस :
श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्रीमती चन्द्र प्रभा असं :
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के एकता यात्रा को आसानी से पूरा करवाने के लिए कितने सुरक्षा कर्मचारी तैनात किये;

(ख) संघ सरकार ने यात्रा के प्रबन्धों पर राज्य-वार कितना धन खर्च किया;

(ग) क्या सरकार का यात्रा के आयोजनकों से धनराशि वसूल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) लोक व्यवस्था राज्य का विषय है जैसाकि यह संविधान की सातवीं अनुसूचि की सूची-II—राज्य सूची में शामिल है। तथापि राज्यों के अनुरोध पर, केन्द्र सरकार, राज्यों को अर्ध-सैनिक बल और अन्य सहायता जैसा भी सम्भव हो, उपलब्ध कराती है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अनुरोध पर उन्हें और उनके 16 साथियों को हवाई जहाज से उधमपुर से श्रीनगर जाने की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध में हुए 1,32,716.00 रु० का व्यय भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्बन्धित एजेन्सियों/संगठनों को दे दिया गया है।

प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन

604. **श्री पी० एम० सईद :** क्या पेट्रोलियम और गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के कोटों में से प्राथमिकता के आधार पर कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए;

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन को इस अवधि के दौरान रसोई गैस कनेक्शन, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोटा के बदले में जारी किया गया था, सम्बन्धी पत्रों के मार्ग में गुम हो जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) 199. के कैलेंडर वर्ष के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा अग्रता आधार पर लगभग 68400 एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए गए थे ।

(ख) और (ग) किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर उन पर तत्परता से कार्य करने के प्रयास किए जाते हैं ।

आतंकवादियों द्वारा हत्याएं

605. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री साईमन मरान्डी :
श्री सैयद शाहाबुद्दीन :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
प्रो० प्रेम धूमल :
श्री कड़िया मुण्डा :
श्री रामनारायण डेरवा :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990, 1991 और 1992 में अब तक दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कितने नागरिकों तथा सुरक्षा कर्मियों को मारा गया/घायल किया गया;

(ख) इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में कितने आतंकवादी मारे गए/घायल किए गए/गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या पंजाब में सुरक्षा कर्मियों के सम्बन्धियों की हत्याओं में भारी वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ग) ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन राज्यों में आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।

(घ) सितम्बर, 1991 के महीने में पंजाब में आतंकवादियों द्वारा पुलिस कार्मिकों के 43 रिश्तेदारों की हत्या की गयी ।

(ङ) पुलिस कार्मिकों और उनके परिवारिक सदस्यों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

विवरण

पंजाब	1990	1991	1992 (जनवरी तक)
1	2	3	4
पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गए नागरिकों की संख्या	1974	2093	95
मारे गए पंजाब पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या	493	493	15
घायल व्यक्तियों की संख्या (पंजाब पुलिस/ सुरक्षा बलों के कार्मिकों सहित)	1791	1261	116
मारे गए आतंकवादियों की संख्या	1321	2177	80
गिरफ्तार किए गए आतंवादियों की संख्या	1759	1977	159
जम्मू और कश्मीर			(15-2-92 तक)
आतंकवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों की संख्या	461	382	88
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या	154	168	14
घायल हुए सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या	323	520	99
मारे गए आतंकवादियों की संख्या	550	844	64
गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या	2360	2549	286
दिल्ली			(24-2-92 तक)
आतंकवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों की संख्या	20	34	1

1	2	3	4
मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	1	2	—
घायल हुए नागरिकों की संख्या	134	244	32
घायल हुए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	11	15	1
मारे गए आतंकवादियों की संख्या	—	2	—
गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या	21	29	11

पेट्रोलियम उत्पादों में कमी

606. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की घरेलू उपलब्धता में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए गैस सम्बन्धी क्षेत्र का विस्तार कम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आठवीं योजनावधि के अन्त तक गैस के उपयोग के बढ़कर 80 एम० एम० एस० सी०—ए० डी० तक होने की सम्भावना है जो लगभग 27 मिलियन टन तेल के समतुल्य है। अतिरिक्त उपलब्ध गैस की अधिकांश मात्रा को औद्योगिक और विद्युत क्षेत्रों में इकाइयों को आवंटित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को वजीफा/छात्रवृत्ति

607. **डा० असीम बाला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, स्नातकोत्तर, स्तानक, माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कितनी वृत्तिका/छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को वृत्तिका/छात्रवृत्ति दी गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : वर्गवार अनुरक्षण भत्ता संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभग्रहियों की संख्या

नीचे दी गई है :—

वर्ष	लाभग्रहियों की संख्या
1988-89	11,57,728
1989-90	12,24,772
1990-91	16,46,277 (प्रत्याशित)

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरें—दिनांक 1-7-1989 से लागू

वर्ग	दर (प्रति माह रु०)	
	होस्टल में रहने वाले	दिवा छात्र
वर्ग "क"		
मेडिकल/इन्जीनियरिंग, बी० एस० सी० कृषि/ बी० बी० एस० सी० आदि	280	125
वर्ग "ख"		
भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी में डिग्री, इन्जीनियरिंग/मेडिकल/प्रौद्योगिकी आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	190	125
वर्ग "ग"		
इन्जीनियरिंग/चिकित्सा/प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र कला और विज्ञापन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	190	125
वर्ग "घ"		
सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष और आगे)	175	90
वर्ग "ङ"		
कक्षा 10+2 पद्धति और सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम	115	65

अन्य भत्ते

नेत्रहीन छात्रों के लिए रीडर प्रभार

नेत्रहीन छात्रों को निम्नानुसार रीडर प्रभार की अतिरिक्त राशि दी जाएगी :—

वर्ग	प्रतिमाह रीडर भत्ता (रुपयों में)
वर्ग "क", "ख", और "ग"	100
वर्ग "घ"	75
वर्ग "ङ"	50

अध्ययन दौरे

व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में, अध्ययन कर रहे छात्रों को परिवहन आदि पर छात्र द्वारा व्यय किए गए वास्तविक खर्च तक सीमित अधिकतम 100/- रु० प्रतिमाह तक अध्ययन दौरा प्रभार अनुज्ञेय है ।

थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार

संस्थान के प्रधान की सिफारिश पर शोध छात्रों को अधिकतम 600/- रु० थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार के रूप में दिए जाएंगे ।

फीस

संस्थान को देय अनिवार्य वापस न की जाने वाली फीस की छात्रों की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

पत्राचार पाठ्यक्रम

पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन कर रहे उम्मीदवार भी वापस न की जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं ।

शरणार्थियों के बारे में म्यानमार के साथ बातचीत

608. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यानमार के अधिकारियों के साथ शरणार्थियों को आने के मुद्दे को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) म्यानमार की सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 6-7 सप्ताहों में बड़ी संख्या में म्यानमार के नागा शरणार्थी भारत में आए हैं। उन्होंने हमें इन शरणार्थियों की शीघ्र वापसी को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हमें आशा है कि इन आश्वासनों को अविलम्ब पूरा कर लिया जाएगा। वे अपने राष्ट्रिकों को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। इन शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के तौर-तरीकों पर बातचीत हो गई है। लगभग 00 शरणार्थी म्यानमार में अपने गांवों को पहले ही वापस जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसले पर समर्थन पाने का प्रयास

609. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर मध्य एशिया के मुस्लिम गणतन्त्रों से समर्थन पाने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान के आर्थिक कार्य राज्य मन्त्री की 26 नवम्बर से 14 दिसम्बर, 1991 तक मध्य एशियायी गणराज्यों की यात्रा के बाद इस सम्बन्ध में अखबारों से छपी खबरें देखी हैं।

(ग) इन गणराज्यों को कश्मीर मामले के बारे में सही तथ्यों से अवगत करा दिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

610. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री केशरी लाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उनके लिए चुने गए राज्यवार स्थान कहां-कहां हैं, और

(घ) ये केन्द्र कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) महोदय, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य ये हैं (i) किसानों, खेतिहर महिलाओं, युवा किसानों,

स्कूल छोड़ने वाले छात्रों और क्षेत्र स्तर पर विस्तार कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना; (ii) जिले से सम्बन्धित कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार जिसमें वह स्थित है; और (iii) खेतों पर अनुसन्धान ।

(ख) से (घ) धनराशि उपलब्ध होने पर ही नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

611. **श्री दत्तात्रेय बन्डारू :**
श्री शिवाजी पटनायक :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री अम्मा जोशी :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 12 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी तेल कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ भारत में तेल की खोज के लिए चर्चा की गयी थी;

(ख) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ समझौता हुआ है; और

(घ) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) यद्यपि विभिन्न विदेशी तेल कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था, चौथे दौर की बोली के लिए बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल, 1992 है।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

612. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री बीकान्त जेना :
श्री नीतीश कुमार :
श्री मोहन सिंह :
श्री मुमताज अंसारी :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री अन्ना जोशी :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री विजय नवल पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान भी भारी कमी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे तेल की अनुमानित कितनी मात्रा का आयात किए जाने प्रस्ताव है और इसकी लागत कितनी होगी; और

(च) कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। मुख्य कारणों में भंडारण अवरोध, हड़ताल, कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या, परियोजनाओं की स्लिपेज आदि शामिल हैं। 1992-93 के दौरान उत्पादन में और कमी आने की सम्भावना है।

(ङ) अनुमान के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 27 एम० टी० कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता होगी। इसकी लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमत पर निर्भर होगी।

(च) देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक तेल क्षेत्र विकास परियोजनाएं हाथ में ली गयी हैं।

दिल्ली में अपराध

613. श्री दत्तात्रेय बंडारु :
श्रीमती कुन्वेंद्र कौर (दीपा) :
श्री राम विलास पासवान :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री राम नगीना मिश्र :
श्री अन्ना जोशी :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1991 के दौरान अपराध दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) दिल्ली में 1991 के दौरान अपहरण, हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती तथा दंगों के मामलों की संख्या कितनी-कितनी रही है तथा पिछले दो वर्षों के तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है;

(ङ) कितने मामलों में अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं; और

(च) दिल्ली में अपराध को रोकने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1991 दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना मे कुल अपराधी की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) अपराधों मे वृद्धि का मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण होना और जनसंख्या में वृद्धि होना है।

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण के दी गई हैं।

(च) अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों मे गश्त बढ़ाना, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती करना, आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के स्थानो पर प्रायः छापे मारना, निगरानी तेज करना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वयन बैठकें करना, आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, संचार-नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना शामिल है।

विवरण										
वर्ष	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए मामले	स्वीकार किए गए मामले	हल निकाले गए मामले	न्यायालय में दायर किए गए	दोष सिद्ध मामले	दोष मुक्त मामले	विचारणाधीन लम्बित मामले	जांच हेतु लम्बित मामले	पता नहीं चले मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					अपहरण					
1989	644	314	330	215	208	12	21	175	4	118
1990	657	313	344	228	210	6	5	199	23	111
1991	658	245	413	222	115	—	1	114	254	44
					हत्या					
1989	351	7	344	244	244	2	21	221	5	95
1990	394	12	382	282	269	1	6	262	36	77
1991	496	10	486	355	274	—	—	274	192	20
					हत्या के प्रयास					
1989	367	8	359	337	337	2	13	322	—	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990	387	9	378	351	336	1	2	333	17	25
1991	501	1	500	434	230	—	—	230	259	11
					लूटपाट					
1989	214	7	207	131	131	4	4	123	—	76
1990	224	3	221	151	150	1	3	146	6	65
1991	284	6	278	187	133	1	—	132	130	15
					डकैती					
1989	15	—	15	12	12	—	—	12	—	3
1990	21	—	21	17	17	—	—	17	—	4
1991	33	—	33	27	23	—	—	23	9	1
					दंगे					
1989	150	2	148	127	126	—	4	122	2	20
1990	301	3	298	224	207	—	—	207	20	71
1991	329	2	327	200	92	—	—	92	222	13

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

614. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्रीमती कुन्थेन्द्र कौर (दीपा) :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की दरें तय करने के सम्बन्ध में ईश्वर समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समिति की रिपोर्ट पर सरकार जांच कर रही है।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

[हिन्दी]

615. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने मिट्टी के तेल की मांग की गयी तथा उन्हें उसकी कितनी-कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ?

तेल और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के दौरान की गई मिट्टी के तेल की आपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान की गई मिट्टी के तेल की आपूर्ति

(आंकड़े मी० टन में)

राज्य	1988-89 आपूर्ति	1989-90 आपूर्ति	1990-91 आपूर्ति
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	510125	542403	575505

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	8923	10841	11299
असम	245867	240055	258927
मनीपुर	20935	21161	20503
मिजोरम	7719	8163	9483
बिहार	429518	465534	468521
दिल्ली	197026	212881	232217
गोवा	24265	26450	30682
गुजरात	687081	753418	777263
डी०एन०एस०/दमण/दीव	5310	5612	10434
हरियाणा	132203	147620	152430
पंजाब	270989	323748	327956
हिमाचल प्रदेश	32804	37339	34188
चण्डीगढ़	15146	17939	24423
जम्मू और कश्मीर	63756	63654	81104
कर्नाटक	393459	428053	439519
केरल	240230	254870	261515
मध्य प्रदेश	345325	377918	379797
मेघालय	11194	16198	15706
महाराष्ट्र	1341097	1446081	1494044
नागालैंड	10781	11090	10217
उड़ीसा	136427	154648	156508
राजस्थान	239110	255924	272596
सिक्किम	5127	9516	5439
तमिलनाडु	583444	644410	656128
पांडिचेरी	13679	14292	14662
उत्तर प्रदेश	818134	901088	917031
त्रिपुरा	22481	21360	20827

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	649477	720236	751567
अण्डमान	3735	4109	3975
लक्षद्वीप	195	167	351
कुल :	7471560	8136778	841427

रसोई गैस सिलिंडरों से गैस की चोरी

616. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई के दौरान रसोई गैस सिलिंडरों से गैस चोरी होने के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 1991 के दौरान राज्य-वार किन स्थानों पर इन घटनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991 के दौरान एल० पी० जी० की चोरी के मामलों का विवरण निम्नलिखित है :—

स्थान	राज्य
बख्तियारपुर	बिहार
मांगलिया	मध्य प्रदेश
सरदार पुलिस स्टेशन	पंजाब

(ग) सभी एल० पी० जी० परिवहनकर्त्ताओं को वितरकों से पृष्ठांकन प्राप्त करना होता है । सिलिंडरों या उत्पाद की कमी होने की स्थिति में परिवहनकर्त्ताओं को दण्ड दिया जाता है ।

भूख के कारण मौतें

[अनुवाद]

617. श्री राम टहल चौधरी :
श्री नीतिश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान देश में भूख के कारण अनेक मौतें होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मौतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रांची में रसोई गैस एजेंसियां

618. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला रांची बिहार में इस समय कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) उक्त जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान अलग-अलग, कितने रसोई गैस कनैक्शन मंजूर किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जिले में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) 13 ।

(ख) 1990-91 — 1346

1991-92 — 1148 (दिसम्बर, 1991 तक)

(ग) और (ख) आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के आधार पर एल० पी० जी० की नई एजेंसियां विभिन्न स्थानों पर खोली जाती हैं ।

"बोम्बे हाई" से गैस की सप्लाई

619. प्रो० राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे उद्यम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों को तेल न भेजने के सिद्धांत का "बोम्बे हाई" के मामले में पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बोम्बे हाई से गैस की सप्लाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है।

(ग) पश्चिमी अपतटीय गैस की आपूर्ति कृभको, हजीरा; आर० सी० एफ०, थाल; आर० सी० एफ०, ट्राम्बे; दीपक फर्टीलाइजर, तलोजा; इफको, अनोला; एन० एफ० एल०, बिजयपुर और इण्डो गल्फ, जगदीशपुर को किया जा रहा है।

बोम्बे हाई से गैस का उत्पादन

620. प्रो० राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोम्बे हाई में गैस का उत्पादन कब से हुआ;

(ख) बोम्बे हाई से कब तक उत्पादन होने लगेगा;

(ग) बोम्बे हाई के तेल क्षेत्रों के सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या कुछ संगठनों को बिजली के उत्पादन के लिए गैस टर्बाइन चलाने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1976 से।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुमान के अनुसार बोम्बे हाई क्षेत्र कम से कम सन् 2010 तक उत्पादन आरम्भ करेगा।

(ग) तेल और गैस के अधिक भण्डारों को स्थापित करने के लिए अन्वेषण प्रयास लगातार आधार पर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) देश में 31 विद्युत स्टेशनों को दुहरे और "सिद्धांततः" गैस से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

पाकिस्तान के प्रवासी डाक्टरों को नागरिकता

621. **प्रो० राम कापसे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के प्रवासी डाक्टरों को भारत की नागरिकता देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पाकिस्तान में जातीय दंगों के बाद सिन्धी डाक्टर भारत में आ बसे और भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्रों के लिए अनुरोध किया। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(1) में अन्य बातों के साथ-साथ लगातार 10 वर्षों तक आवास करने की शर्त है। इस धारा के परन्तुक में आम ढील की व्यवस्था नहीं दी गई है। फिर भी इन मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया था और उनमें से 7 मामलों में भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थी

622. **श्री आर० जीवनरत्नम** :
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) उन्हें शिविर सुविधाएं किन-किन स्थानों पर दी गयीं हैं; और

(ग) उन पर केन्द्र सरकार का अब तक कितना धन खर्च हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय अनुमानतः 2,06,909 श्रीलंका के शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, जिनमें से 218 उड़ीसा के कोरापुट जिले के मल्कानगिरि में हैं और शेष मुख्य रूप से तमिलनाडु में हैं।

(ख) इन शरणार्थियों को तमिलनाडु के विभिन्न जिलों तथा उड़ीसा के कोरापुट जिले में शिविर सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

(ग) भारत में केन्द्रीय सरकार ने इन शरणार्थियों को राहत सहायता तथा आवास उपलब्ध कराने पर अभी तक लगभग 68.00 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

नींबू का उत्पादन

623. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में नींबू का उत्पादन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देशवार, कितनी मात्रा में नींबू का निर्यात किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान नींबू के उत्पादन के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चूंकि नींबू के निर्यात से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, अतः 1990-91 के दौरान नींबू सहित नींबू-जातीय फलों के निर्यात का विवरण देशवार नीचे दिया गया है :—

देश	किलोग्राम में मात्रा
बांग्लादेश	1865927
संयुक्त अरब अमीरात	126812
सउदी अरब	18219
बहरीन	14010
मालदीव	8007
कतर	5335
मसकट	710
मलेशिया	200
कुल :	2039220

तमिलनाडु में तूतीकोरिन स्थित मत्स्यन अनुसंधान संस्थान

624. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक मत्स्यन अनुसन्धान संस्थान की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तूतीकोरिन के तट पर पाई जाने वाली मछलियों की किस्मों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तूतीकोरिन तट पर मछली की निम्न प्रजातियां पाई जाती हैं—लेसर साडिन्स, बैराकुडास, कोस्टल ट्यूना, सीयरफिश, अंकोविस और कैरांगिड्स।

इसी तरह डिमरसल मछली की महत्वपूर्ण प्रजातियां ये हैं—पर्च, सिलवर बेलीज नेमोप्टीराइडस, सिएनिड्स, कैटफिश, गोटफिश, लिजार्ड फिश और एलास्मोब्रांक्स।

क्रस्टोसिअन मछलियों में पेनाइड प्रौन और लोबस्ट्स सामान्य मछलियां हैं। मोलूस्कन मछली में स्क्वीड्स और कैटफिश प्रमुख प्रजातियां हैं। मोती, खाने योग्य सीपी, चैंक्स, क्लेम्स, कीचड़ में पाया जाने वाला केकड़ा, समुद्री ककड़ी और समुद्री खरपतवार सहायक समुद्री संसाधन हैं।

मेहम उप-चुनाव की सी० बी० आई० द्वारा जांच

[हिन्दी]

625. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फरवरी, 1991 में हुए मेहम उप-चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) मेहम उप-चुनाव की पूर्व संध्या पर, अर्थात 16/17 मई, 1990 को श्री अमीर सिंह की हत्या की सी० बी० आई० जांच कराने के लिए हरियाणा सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है और इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

फरवरी, 1990 में हुए हिंसा के अन्य मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर बंगाल में गलियारे के सम्बन्ध में भारत नेपाल वार्ता

[अनुवाद]

626. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने नेपाल और बंगलादेश के बीच सामान की ढुलाई हेतु उत्तर बंगाल से एक दूसरा गलियारा खोलने के बारे में हाल ही में वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। नेपाली प्रधानमंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर सामान्य तरीके से बातचीत हुई थी। तथापि, न तो किसी विशिष्ट सुझाव पर बातचीत हुई थी और न ही इस मामले पर कोई निर्णय लिया गया था।

आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त फर्जी पासपोर्ट

[हिन्दी]

627. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1991 के "संडे आब्जर्वर" (हिन्दी) में "फर्जी पासपोर्ट पर भाग रहे हैं खूंखार आतंकवादी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करवाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : जी, हां।

(ख) से (घ) ऐसे कुछ मामले ध्यान में आए हैं जहां जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने का संदेह हुआ है; इन मामलों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को भेज दिया गया है। जांच पड़ताल के परिणामों की प्रतीक्षा है।

प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी रखने/रोकने के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

628. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी रखने/रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। संस्थान के प्रस्तावित क्रियाकलाप अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है :—

(क) आपदा प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रलेखन;

(ख) अनुसन्धान;

(ग) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम; और

(घ) आपदाओं के बारे में लोगों की जागरूकता और सामुदायिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना और राहत व आपदा कमी सम्बन्धी कार्यों में भाग लेना।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

629. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री हरि किशोर सिंह :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित दिल्ली प्रशासन द्वारा पुराने रिकार्डों और रद्दी कागजों को बांधने में राष्ट्रीय झंडे का उपयोग करके इसका अपमान किए जाने से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मामले की प्राथमिक जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), दिल्ली द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर उप आयुक्त कार्यालय के स्टोर कीपर और दो अवर श्रेणी लिपिकों को निलम्बित किया गया है। उस कार्यालय के केयरटेकर का तबादला कर दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

पाकिस्तान को फ्रांस द्वारा एकमुश्त सहायता

630. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री एम० जी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री वी० देवराजन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को मिराज 2005 के दो स्क्वाड्रन एवं एक परमाणु संयंत्र सहित हाल ही में एकमुश्त सहायता का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इससे भारत की सुरक्षा प्रणाली प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ की जनवरी, 1992 में फ्रांस की यात्रा के दौरान नाभिकीय विद्युत संयंत्र और मिराज 2000 विमानों के दो स्क्वड्रनों की सामान्य आपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई थी; तथापि, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) सरकार इस सम्बन्ध में घटनाओं पर निगाह रखे हुए है और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी। पाकिस्तान को उसकी उचित सुरक्षा आवश्यकताओं से अधिक शस्त्रों की बिक्री के बारे में अपनी चिंता से हमने फ्रांस सरकार को अवगत करा दिया है।

तिहाड़ जेल में सुरंग का पता लगाना

631. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री गुरुदास कामत :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में कैदियों द्वारा हाल ही में खोदी गयी एक सुरंग का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है तथा सम्बन्धित कैदियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तारीख 28 जनवरी, 1992 को तिहाड़ जेल परिसर में गश्ती ड्यूटी दे रहे तमिलनाडु विशेष पुलिस के दो कांस्टेबलों को तिहाड़ जेल परिसर के जेल नं० 1 की चाहरदीवारी और कांटेदार तार के बीच एक सुरंग खुलने का पता चला। सुरंग को विचारणाधीन वार्ड के सेल नं० 6 से खोदा गया था।

(ग) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली प्रशासन ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जिसमें अपरजिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), उप महा-निरीक्षक (जेल) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (3री बटालियन) डी० ए० पी० है। समिति ने दिल्ली प्रशासन को 22-2-1992 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) तथा (ङ) जांच समिति की रिपोर्ट की दिल्ली प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जेल के महानिरीक्षक ने 1 सहायक अधीक्षक, 4 हैड वार्डनों तथा 5 वार्डनों को निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:—

(i) प्रत्येक जेल अधीक्षक को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह अपने जेल के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन कम से कम एक बार व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बैरक/सैल तथा वार्ड का निरीक्षण करे और प्रत्येक सप्ताह रात में कम से कम एक बार अचानक जांच करे तथा किए गए प्रतिदिन की/साप्ताहिक निरीक्षणों की रिपोर्ट निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करें।

(ii) प्रत्येक जेल में सभी स्तरों पर तलाशियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(iii) जेल की समस्त सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एकता यात्रा में भाग लेने वालों के लिए सरकारी वाहन

632. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री मोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाजपा अध्यक्ष सहित एकता यात्रा में भाग लेने वाले कुछ लोगों को श्रीनगर, में 26 जनवरी, 1992 के अपने कार्यक्रम के लिए सरकारी हेलिकाप्टरो तथा विमानों में जम्मू से श्रीनगर ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च हुआ तथा कितने यात्रियों को इस प्रकार श्रीनगर ले जाया गया;

(ग) क्या सरकारी वाहनों की सुविधायें एकता यात्रियों के अनुरोध पर उपलब्ध की गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें सरकारी वाहन तथा हेलिकाप्टर/विमान किन परिस्थितियों में उपलब्ध कराये गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अनुरोध पर उन्हें, उनके 16 साथियों सहित, हवाई जहाज से उधमपुर से श्रीनगर ले जाने का प्रबन्ध किया गया था। इस पर हुए 1,32,716.00 रु० का व्यय भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्बन्धित अभिकरणों/संगठनों को अदा कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के अधिभार में वृद्धि

633. श्री राम विलास पासवान :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :
श्री सत्य गोपाल मिश्र :
श्री मोहन सिंह :
श्री मुमताज अंसारी :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के अधिभार में वृद्धि की थी;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं और अधिभार में कितने प्रतिशत प्रभावी वृद्धि की गयी;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ता पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ प्रमुख उत्पादों के मामले में अधिभार की दरों में परिवर्तन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों ने समय-समय पर न उगाहने योग्य कर लगाए हैं। अतः 1-1-1992 की प्रभावी तिथि से समुचित अधिभार लगाकर सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय निकायों में बिक्री मूल्यों को संशोधित कर दिया गया है।

विवरण

एम० एस०, एस० के० ओ०, एच० एस० डी०, और एस० पी० जी० के लिए 1-1-92 के पूर्व की दरों और विभिन्न राज्यों में 1-1-92 से प्रभावी तिथि से बिक्री कर/चुंगी योजना के प्रति अधिभार की संशोधित दरों को दिखाने वाला विवरण

रु०/बिक्री इकाई

उत्पाद	बिक्री इकाई	आन्ध्र प्रदेश		असम		बिहार	
		1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी
1	2	3	4	5	6	7	8
एम० एस०	कि० ली०	—	94.32	5.00	67.01	40.00	153.49
एस० के० ओ०	कि०ली०	—	15.48	5.00	11.00	40.00	15.19
एच० एस० डी०	कि०ली०	—	31.93	5.00	22.69	40.00	51.96
एस० पी० जी०	मी०ट०	—	20.10	—	20.67	—	47.35

उत्पाद	बिक्री इकाई	गुजरात		तमिलनाडु		उड़ीसा	
		1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी
1	2	3	4	5	6	7	8
एस० एम०	कि०ली०	20.00	255.32	35.00	560.68	—	197.92
एस० के० ओ०	कि०ली०	—	41.90	35.00	92.01	—	32.48
एच० एस० डी०	कि०ली०	30.00	86.44	35.00	189.81	—	70.15
एल० पी० जी०	मी०ट०	—	78.77	—	172.97	—	61.06

उत्पाद	बिक्री इकाई	कर्नाटक		केरल		पश्चिम बंगाल	
		1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी
एम० एस०	कि०ली०	20.00	203.28	60.00	983.51	10.00	262.54
एस० के० ओ०	कि०ली०	20.00	33.36	60.00	161.39	—	43.08
एच० एस० डी०	कि०ली०	20.00	68.82	60.00	332.96	1.00	88.88
एल० पी० जी०	मी०ट०	20.00	62.71	—	303.41	—	80.99

उत्पाद	बिक्री इकाई	बम्बई		गोवा	
		1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी	1-1-92 से पूर्व	1-1-92 से प्रभावी
एम० एस०	कि०ली०	112.00	366.57	30.00	110.13
एस० के० ओ०	कि०ली०	58.05	64.15	30.00	18.07
एच० एस० डी०	कि०ली०	76.03	125.92	30.00	37.28
एल० पी० जी०	मी०ट०	67.21	119.19	—	—

तेल और प्राकृतिक गैस के विकास हेतु भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग

[हिन्दी]

634. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस के विकास हेतु भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक भारत-फ्रांस संयुक्त समिति है जो तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर विचार करती है ।

रसोई गैस के नए बाटलिंग संयंत्र

635. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रसोई गैस के नए बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य-वार कहां-कहां पर स्थित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए एल० पी० जी० संयंत्र निम्नलिखित हैं :—

स्थान	राज्य
1	2
1. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
2. भावनगर	गुजरात
3. मद्रास	मद्रास

1	2
4. पांडिचेरी	पांडिचेरी
5. पुणे	महाराष्ट्र
6. कुरनूल	आन्ध्र प्रदेश
7. उदयपुर	राजस्थान
8. पालघाट	केरल
9. केन्द्रीय केरल	केरल

केन्द्रीय पुलिस संगठनों के डाक्टरों के वेतनमानों में विसंगतियां

[अनुवाद]

637. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस जैसे तीन केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्यरत डाक्टरों के वेतनमानों में विसंगतियां केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान, चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1986 से पहले ही संशोधित किये जा चुके हैं।

कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य

[अनुवाद]

638. **श्री ई० अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत और अधिक फसलों को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार की वर्तमान मूल्यनीति 22 प्रमुख कृषि जिन्सों को कवर करती है। मूल्य समर्थन नीति के अंतर्गत कवर न किये गए कृषि जिन्सों को, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर तय की गई शर्तों के अनुसार एक निर्धारित अवधि के लिये मंडी हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत कवर किए जाने पर विचार किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

[अनुवाद]

639. श्री ई० अहमद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को प्रति माह औसतन कितने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) उनकी कितनी औसत मात्रा प्रति मास उपलब्ध की जाती है;

(ग) क्या मांग और पूर्ति में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो अन्तर को पाटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि से इन उत्पादों की खपत में कमी आई; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अनुबंध में दिये गए अनुसार।

(ग) और (घ) मांग और उपलब्धता के अन्तराल को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ङ) और (च) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अनेक घटकों पर निर्भर करती है जिसमें इन उत्पादों की कीमत शामिल है।

(क) और (ख) पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की औसत खपत निम्नानुसार है :—

("000" मी० टन)

उत्पादन	1988-89	1989-90	1990-91*
पेट्रोल	254.33	290.91	295
डीजल	1566.25	1725.50	1756.58
मिट्टी का तेल	644.25	686.58	698.75

*अनन्तिम।

अल्पसंख्यक जिलों का पता लगाना

[अनुवाद]

640. श्री ई० अहमद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक जिलों के रूप में पता लगाए गए जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत तैयार की गई और संसद के समक्ष रखी गई कार्रवाई योजना में 40 (अब 41) अल्पसंख्यक संकेद्रण वाले जिलों की एक सूची है। इस सूची की एक प्रति संलग्न है। (विवरण)

विवरण

राज्य	जिला
1	2
उत्तर प्रदेश	1. रामपुर
	2. बिजनौर
	3. मुरादाबाद
	4. सहारनपुर
	5. मुजफ्फरनगर
	6. मेरठ
	7. बहराइच
	8. गोंडा
	9. गाजियाबाद
	10. पीलीभीत
	11. देवरिया
	12. बाराबंकी
	13. बस्ती
पश्चिम बंगाल	14. मुर्शिदाबाद
	15. मालदा
	16. पश्चिम दिनाजपुर
	17. बिरभूम
	18. नडिया

1	2
	19. 24—परगना—उत्तर
	20. 24—परगना—दक्षिण
	21. कूच बिहार
	22. हावड़ा
केरल	23. मालापुरम
	24. कोजीकोड
	25. कन्नानोरे
	26. पालघाट
	27. वायनाद
बिहार	28. पूर्णिया
	29. कटिहार
	30. दरभंगा
कर्नाटक	31. बीदर
	32. गुलबर्गा
	33. बीजापुर
महाराष्ट्र	34. ग्रेटर बम्बई
	35. औरंगाबाद
आन्ध्र प्रदेश	36. हैदराबाद
	37. कुरनूल
हरियाणा	38. गुडगांव
मध्य प्रदेश	39. भोपाल
राजस्थान	40. जैसलमेर
गुजरात	41. कच्छ

महाराष्ट्र में गैस पर आधारित संयंत्र

641. **श्री मोहन रावले :** क्या पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य मे गैस पर आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विभिन्न इकाईयों को 18 मिलियन घन मीटर से अधिक गैस का आबंटन किया गया है।

घुसपैठियों की गतिविधियां

642. **श्री मोहन रावले :**
श्री द्वारका नाथ दास :
श्री नीतिश कुमार :
श्री काशी राम राणा :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री एन० डेनिस :
श्री विनय कटियार :
श्री गुदास कामत :
श्री परस राम भारद्वाज :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, असम, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों तथा देश के अन्य भागों में बंगलादेश, नेपाल और अन्य देशो के नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में घुसपैठ, तस्करी, चोरी और अन्य असामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है और उसका वर्ष-वार तथा देश-वार ब्योरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 1991 में और 1992 में अब तक कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) इन घुसपैठियों को अपने-अपने देशों को वापस भेजने और घुसपैठ को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को सीमा-पार के अपराधों और बंगलादेशी राष्ट्रिकों के भारत में घुसपैठ करने के बारे पता है।

(ख) भारत का दौरा करने वाले नेपाली तथा भूटानी नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। अन्य देशों से घुसपैठ करने वालों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1991 तथा माह जनवरी, 1992 के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किए गए बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या क्रमश: 58,534 और 2,216 है।

(घ) जब भी घुसपैठियों का पता चलता है उन्हें वापस कर दिया जाता है। घुसपैठ को रोकने के लिए किए गए उपायों में सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त लगाना, सीमा सड़कों तथा बाड़ का निर्माण करना, चलती फिरती टास्क फोर्स का गठन करना, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशी अधिनियम 1946 के उपबंधों को लागू करने और अवैध घुसपैठियों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की सलाह देना शामिल है।

सीमा पर बाड़ लगाना

643. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री मोहन रावले :
श्री पीयूष तीरकी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ किन-किन स्थानों पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है और किन-किन स्थानों पर अभी पूरा होना बाकी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और आगामी वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया जा रहा है;

(ग) क्या जम्मू तथा कश्मीर से राजस्थान तक पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लगाया जायेगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) बाड़ लगाना	बाड़ लगाना पूरा किया गया	अभी बाड़ लगाना पूरा किया जाना है
	(कि०मी० में)	(कि०मी० में)
भारत-बंगलादेश सीमा		
असम	36.57	165.43
मेघालय	—	135
भारत-पाकिस्तान सीमा		
पंजाब	356.20	77.30
राजस्थान	171.50	84.85

(ख)	दिसम्बर 1991 तक हुआ व्यय (लाखों में)	1992-93 के लिए किया गया प्रावधान (लाखों में)
भारत-पाकिस्तान सीमा	9943.00 रु०	3782.00 रु०
भारत बंगलादेश सीमा	605.24 रु०	706.00 रु०

(ग) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र गणराज्यों के साथ सम्बन्ध

644. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री हरिकिशोर सिंह :
श्री मोहन सिंह :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत-रूस सम्बन्ध को मजबूत करने के लिए समझौते का नया प्रारूप पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह 1971 के भारत-सोवियत संघ समझौते से भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री भाजवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) रूसी महासंघ की सरकार के साथ प्रस्तावित संधि पर अभी बातचीत चल रही है ।

पशु-अस्पताल

645. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पशु-अस्पतालों की वर्तमान जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में और अधिक पशु-अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कब तक किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(घ) ये अस्पताल कब तक खोलने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

[हिन्दी]

646. श्री श्रीकांत जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा उड़ीसा में कितनी कृषि परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कितनी उपलब्धियां हुईं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तरल ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु प्राकृतिक गैस का उपयोग

[अनुवाद]

647. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के तरल ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन संबंध में क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में गैस का उपयोग बढ़कर करीब 80 एम०एम०एस०सी०एम०डी० तक पहुंचने की संभावना है, जो 27 मिलियन टन तेल के समतुल्य है।

मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

648. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में मानव अधिकारों पर दिल्ली में एक छः दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जनवरी, 1992 में इस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कोई राष्ट्रीय मानव अधिकार कन्वेंशन आयोजित नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

649. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संगठनों को किन-किन देशों से कितना-कितना अंशदान मिला है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संगठनों द्वारा इस राशि का दुरुपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने अंशदान प्राप्तकर्ताओं का पंजीकरण रद्द किया गया अथवा उनका दर्जा घटाया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989 के दौरान 9132 संगठनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है । राज्यवार सूची विवरण "क" में है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे, जिनके लिए संगणकीकृत आंकड़े उपलब्ध है, विवरण "ख" में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के मामले जानकारी में आए हैं तथा इन दोषी संगठनों को या तो अधिनियम का उल्लंघन करके विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषिद्ध कर दिया गया है अथवा इनके लिये विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पहले अनुमति प्राप्त करना वांछित कर दिया गया ।

(ङ) अधिनियम में किसी सगठन का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान नहीं है परन्तु किसी संगठन अथवा व्यक्ति को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध करने के केन्द्र सरकार को अधिकार है ।

विवरण 'क'

1989 में प्राप्तकर्ता संगठनों की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	संगठनों की संख्या
1	2
अण्डमान व निकोबार	6
आंध्र प्रदेश	935
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	122
बिहार	302
चंडीगढ़	8
दादरा व नागर हवेली	13
दिल्ली	326
गोवा, दमन व दीव	103

1	2
गुजरात	425
हरियाणा	49
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू व कश्मीर	20
कर्नाटक	840
केरल	1469
मध्य प्रदेश	309
महाराष्ट्र	870
मणिपुर	75
मेघालय	89
मिजोरम	7
नागालैण्ड	29
उड़ीसा	240
पांडिचेरी	46
पंजाब	67
राजस्थान	86
सिक्किम	3
तमिलनाडु	1468
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	444
पश्चिम बंगाल	736

विवरण 'ख'

प्राप्तियों के ब्यौरे

(रुपए हजारों में)

देश का नाम	1987	1988	1989
1	2	3	4
अफगानिस्तान	6	—	41

1	2	3	4
अल्जीरिया	15	89	74
एन्टीगुआ और बारबुडा	—	8	29
अर्जेन्टीना	44	113	54
आस्ट्रेलिया	80163	114118	145527
आस्ट्रिया	57109	59938	98335
बहमास	30	109	44
बहरीन	1948	2719	2918
बंगलादेश	1037	585	365
बारबडोस	95	202	155
बेल्जियम	98737	129686	116718
बेनिन (गणराज्य	—	96	121
भूटान	525	668	1273
बोत्सवाना	95	—	85
ब्राजील	1821	122	196
ब्रूनी	12	2	15
बुलगारिया	—	—	2
बर्मा	—	49	2
कैमरून	—	360	17
कनाडा	200053	264222	300199
केप वर्दी द्वीप समूह	—	—	15
चिली	641	72	153
चीन	—	—	110
कोलम्बिया	453	62	98
साईप्रस (गणराज्य)	37	16	43
चैकोसलोवाकिया	—	63	3
डेनमार्क	36387	30086	46471
डोमिनिका	3	—	
इजिप्ट	167	404	54

1	2	3	4
इथियोपिया	22	130	377
फिजी	37	194	131
फिनलैंड	6112	8289	10796
फ्रांस	116421	155529	176793
जर्मनी जी० डी० आर०	1041	299	1
जर्मनी एफ० आर० जी०	1222020	1610211	1930220
घाना	171	1211	56
ग्रीस	91	97	23
ग्वाटेमाला	—	85	396
गुयाना	—	2	5
होली सी	111	1479	1218
हांगकांग	8557	16542	18012
हंगरी	850	3	50
आईसलैण्ड	145	204	837
इण्डोनेशिया	2611	2059	3620
ईरान	18	118	1
ईराक	24	2247	31
ायरलैण्ड	228:0	20842	30320
जरायल	82	198	67
टली	367794	449928	570146
ाईवोरी कोस्ट	631	—	21
माईका	39	3	116
ापान	15734	31692	32794
ोर्डन	30	6	177
या	627	547	902
रिया (उत्तरी) डी० पी० आर०	54	64	70
रिया (दक्षिणी) गणराज्य	336	1167	1856

1	2	3	4
कुवैत	17528	39209	39412
लेबनान	143	3	6
लोसोथो	—	54	175
लाइबीरिया	8	12	109
लीबिया	—	2	19
लक्समबर्ग	5129	5810	9495
मकाऊ	43	52	5
मलगासी रिपब्लिक (माडागास्कर)	—	—	103
मालावी	—	408	25
मलेशिया	1626	4901	3342
मालदीव	21	—	44
माल्टा	5988	9215	8352
मौरिसस	83	63	63
मैक्सिको	144	267	213
मंगोलिया (गणतन्त्र)	—	30	2
मोरक्को	2063	46	74
मोजाम्बिक	—	—	142
नेपाल	2890	2468	1759
नीदरलैण्ड	368315	499575	460610
न्यू कलेडोनिया	64	136	166
न्यूजीलैण्ड	9382	24382	19954
नाईजीरिया	259	2643	287
नार्वे	109011	51836	58025
ओमान (सल्तनत आफ)	1688	1888	2971
पाकिस्तान	171	34	128
पनामा	93	217	408
पापुआ न्यू गुनिया	2	28	26

1	2	3	4
पेरू	—	1	2
फिलीपाईन	5560	7035	10141
पोलैण्ड	75	5	9
पुर्तगाल	106	273	928
कतार	3413	3912	3979
रवाण्डा	—	—	32
सऊदी अरेबिया	8486	18924	30989
शिलेस्विग इलोस्टेन	—	—	42
सीरालिओन	9010	—	1
सिंगापुर	3368	9091	8107
सोमालिया	19	275	50
स्पेन	73176	109345	113737
श्रीलंका	1420	508	538
सैंट लुसिया	14	14	21
सूडान	13	6	129
स्वाजीलैण्ड	—	648	156
स्वीडन	77390	140981	151635
स्वीटजरलैण्ड	330474	425092	426542
ताईवान	721	459	161
तंजानिया	780	1	38
थाईलैण्ड	314	1289	853
टोगो	—	71352	131
ट्रिनिडाड तथा टोबेको	72	457	150
तुर्की	—	197	19
युगाण्डा	6	306	12
संयुक्त अरब अमीरात	15785	19498	18127
इंग्लैण्ड	471838	708445	088652
अमेरिका	1179319	1574260	1808080

1	2	3	4
रूस	587	542	73
उरुग्वे	—	—	75
वेनेजुला	369	277	6255
वियतनाम (समाज० गणतंत्र)	—	—	65
वेस्टर्न सोमोआ	—	56	24
यमन अरब रिपब्लिक	75	53	30
यूगोस्लाविया	93	2195	6
जायरे	1	62	26
जाम्बिया	25	25	64
जिम्बाम्वे	—	—	21
लघु अंशदाता	194214	202520	240061
अंगुला	146	18	—
बोलीविया	61	223	—
निया	—	10	—
डिजीबोटी	—	29	—
हेबाज	—	1	—
लाओस	37	7	—
मान्ट सेर्राट	—	11	—
नीदरलैण्ड्स अंटिल्स	—	350	—
नाइजर	43	94	—
परागुवे	31	453	—
सेनेगल	—	94	—
सियानेलेस	—	71	—
सूरिनाम	—	1444	—
सीरिया	98	21	—
सोसाइटी आईसलैण्ड	5	4	—
एल इकाडोर	13	—	—
गाम्बिया	1	—	—
मारिटियाना	—	—	—

निगमित क्षेत्र से वाणिज्यिक विंगों में कर्मियों की भर्ती

650. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में स्थित भारत के राजनयिक मिशनों के वाणिज्यिक विंग में निगमित क्षेत्र के कर्मियों की भर्ती के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों के कार्यकरण में सुधार लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखती है और उनके काम-काज में अपेक्षित सुधार कर रही है ।

औरेया गैस क्रैकर परियोजना

[हिन्दी]

652. **श्री रामकृष्ण कुसमारिया** :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री राजवीर सिंह :
श्री बलराज पासी :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औरेया गैस क्रैकर परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि जारी की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेंसियां

653. श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के परभनी और नांदेड़ जिलों में और अधिक संख्या में रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन्हें कब तक खोला जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न स्थानों में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल० पी० जी० की एजेंसियों को खोलने के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानों पर नए पेट्रोल पम्प और एल० पी० जी० की एजेंसियां आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के आधार पर खोली जाती हैं ।

जामनगर तथा जूनागढ़ (गुजरात) के स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

654. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जामनगर तथा जूनागढ़ जिलों के कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इनमें से प्रत्येक संगठन को वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सरकार ने कितनी सहायता राशि प्रदान की;

(ख) क्या ये संगठन सरकार को प्रतिवर्ष अपने लेखे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) जब तक अपेक्षित लेखा विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अनुदान विमुक्त नहीं किए जाते हैं ।

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	स्वीकृत की गई राशि (रुपए)	
		1990-91	1991-92
1.	अन्धजन, विविधलक्षी तालीम केन्द्र जामनगर।	3,35,793/-	1,89, 82/- (तदर्थ)
2.	श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, जामनगर।	50,000/- (पूर्ण)	25,000/- (पहली किस्त)
3.	जामनगर जिला समाज कल्याण संघ जामनगर।	49,452/- (पूर्ण)	50,000/- (पूर्ण)

जहरीली शराब से मरे लोग

655. श्रीमती भावना चिखलिया।
श्री के० एम० कुन्निअम्मद :
श्री वी० कृष्ण राव :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जहरीली शराब पीने के कारण राज्यवार कितने लोग मरे;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान जहरीली शराब के सेवन के कारण हुई मौतों की राज्य-वार उपलब्ध संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) इस प्रश्न में सन्दर्भित अपराधों सहित, अपराधों को दायर करने, छान-बीन करने, पता लगाने और रोकथाम करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का है। इस श्रेणी के तहत की गई गिरफ्तारियों की संख्या के बारे में सूचना का संकलन एवं प्रबोधन केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों द्वारा नहीं किया जाता।

प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान भी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 1991 को सभी विनिर्माता फर्मों का प्राथमिकता के आधार पर गहराई से निरीक्षण किए जाने हेतु सभी-राज्य औषध नियन्त्रकों को हिदायतें जारी की हैं। भारत की आयुर्वेदिक फार्मुलरी (भाग-1) में सुधार करके "प्रसन्ना" के स्थान पर परिशोधित स्प्रिट के उपयोग की अनुमति को भी समाप्त कर दिया गया है। जिन औषधियों का शराब के तौर पर दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है, उस एल्कोहल पदार्थ के पैकिंग के आकार को भी सीमित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

1989, 1990 और 1991 के दौरान जहरीली शराब पीने के कारण हुई दुर्घटना में हुई मौत

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र राज्य	1989	1990	1991(तक)	
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	88	106	78	अक्तूबर,
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	4	—तदैव—
3.	असम	—	—	2	—तदैव—
4.	बिहार	70	70	1	अगस्त,
5.	गोवा	13	एन० आर०	0	सितम्बर,
6.	गुजरात	21	10	28	सितम्बर
7.	हरियाणा	13	—	29	अगस्त
8.	हिमाचल प्रदेश	13	13	1	दिसम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	4	2	2	सितम्बर
10.	कर्नाटक	104	128	9	नवम्बर
11.	केरल	15	15	19	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	70	74	12	नवम्बर

1	2	3	4	5	
13.	महाराष्ट्र	138	184	90	दिसम्बर
14.	मणिपुर	2	—	1	दिसम्बर
15.	मेघालय	8	—	0	सितम्बर
16.	मिजोरम	—	2	0	दिसम्बर
17.	नागालैण्ड	1	—	0	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	26	27	6	अक्तूबर
19.	पंजाब	56	37	0	दिसम्बर
20.	राजस्थान	11	7	4	दिसम्बर
21.	सिक्किम	0	—	0	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	76	117	227	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	—	—	0	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	63	69	2	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	19	8	97	सितम्बर
	संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6	—	0	दिसम्बर
27.	चण्डीगढ़	6	4	0	दिसम्बर
28.	दादर और नगर हवेली	2	—	0	नवम्बर
29.	दमण और द्वीव	—	—	0	दिसम्बर
30.	दिल्ली	—	—	202	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	—	—	0	नवम्बर
32.	पाण्डिचेरी	—	—	0	अक्तूबर
				(सितम्बर और अक्टूबर को छोड़कर)	

टिप्पणी :—आकड़े मासिक अपराध आकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अनन्तिम माना जाए।

केरल को पुलिस प्रशिक्षण के लिए विशेष सहायता

[अनुवाद]

656. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार को राज्य पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विशेष सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत केरल सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में 76 लाख रुपए की राशि दी गई है। प्रस्तावों में वाहन, अपराध विज्ञान उपकरण जैसी मदें शामिल हैं परन्तु प्रशिक्षण इसमें शामिल नहीं है ।

दक्षिणी गैस ग्रिड

657. **प्रो० के० वी० थामस** :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ग्रिड को बाम्बे हाई गैस से जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) दक्षिण गैस ग्रिड स्थापित करने के प्रश्न की एक अंतरमंत्रालयी दल द्वारा जांच की जा रही है।

कोचीन हाई क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस की खोज

658. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन हाई क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस की खोज का भावी कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : अलेप्पी के पश्चिम में एक छोटे ब्लॉक को छोड़कर कोचीन हाई संरचना सहित विशिष्ट रूप से आर्थिक जोन के भीतर केरल-कोंकण बेसिन में पड़ने वाले सम्पूर्ण अपतटीय क्षेत्र को चौथे दौर की बोली में प्रस्तावित किया गया है । 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस ब्लाक में भूकम्पीय और बेधन कार्य किए जाएंगे ।

पाकिस्तानी शरणार्थी

[हिन्दी]

659. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें भोजन, आवास और रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) शरणार्थियों के पाकिस्तान से भारत आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बारे में पाकिस्तान से बात की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान से हिन्दुओं के विशेष प्रवसन की कोई समस्या नहीं है । अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की तरह हिन्दु भी वैध पारपत्रों और वीजा पर अपने रिस्तेदारों/दोस्तों से मिलने भारत आते हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि पाकिस्तान से आने वाले हिन्दु, शरणार्थी नहीं होते हैं, इसलिए इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने या उन्हें राहत या पुर्नवास सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के कारण हुई हानि

660. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने के फलस्वरूप हुए देश-व्यापी आंदोलन के दौरान जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या पीड़ित व्यक्ति के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवादी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को मुआवजा

661. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक दंगों अथवा आतंकवादियों अथवा पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। इस प्रकार के मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नेपाली राष्ट्रिकों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण

662. श्री बारे लाल जाटव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाली राष्ट्रिकों द्वारा बिहार में किए गए भारतीय वन भूमि के अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक स्थायी समस्या है जो स्वतंत्रता के पहले के समय से ही चली आ रही है। भारत सरकार ने इस मामले पर नेपाल की सरकार के साथ बातचीत की है।

(ग) और (घ) जी, हां। बिहार सरकार ने कहा है कि इसमें 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र शामिल है और अब एक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है जिस पर विचार करके उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री के केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

[अनुवाद]

663. श्री राम धवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने विकलांग व्यक्तियों को रसोई-गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 10 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को दिए गए थे जिसका विवरण

नीचे दिया गया है :—

वर्ष		जिला
1988-89	1.	आगरा
	2.	आजमगढ़
	3.	बरेली
	4.	गोंडा
1989-90		शून्य
1990-91	1.	वाराणसी
	2.	गाजियाबाद
	3.	मथुरा
	4.	एटा
	5.	बस्ती
	6.	सहारनपुर

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को एल० पी० जी० की कोई डिस्ट्री-ब्यूटरशिप नहीं दी गई थी ।

ट्राइबल कोओपरटिव मार्केटिंग डिवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा राम तिल के बीजों का निर्यात

664. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राइबल कोओपरटिव मार्केटिंग डिवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राईफेड) द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य आदिवासी निगमों से खरीदे गए राम तिल के बीजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात की गई राम तिल के बीजों की कुल मात्रा राज्य आदिवासी निगमों से ही खरीदी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसका निजी व्यापार किया जाता है; और इसके क्या कारण

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जब या तो भंडार समाप्त हो चुके थे, या प्रसंस्करण/या परिवहन में ऐसे कारणों से बाधा पड़ी जो ट्राईफेड के नियन्त्रण से बाहर थे तथा लागतों को कम कर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने के लिए ट्राइफेड ने एक सारणीबन्धन ऐजेन्सी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु निश्चित निर्यात सीमा पूरी करने के लिए नाइजर बीज की न्यूनतम मात्राएं निजी व्यापारियों से खरीदी हैं।

जनजाति सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के उद्देश्य

665. **श्री जे० चोका राव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ (ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) ऑफ इण्डिया लिमिटेड का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या जनजाति सहकारी विपणन संघ ने इन उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मोटे तौर पर ट्राइफेड के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) देश में आदिवासी जनसंख्या के हित में प्राकृतिक उत्पादों तथा तर्कसंगत वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आधार पर उनके व्यापार की बढ़ोत्तरी और विकास को संगठित तथा नियोजित करना;

(2) प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित उपयुक्त आर्थिक योजनाएं तैयार करके आदिवासी जनसंख्या के लिए अधिक आय तथा रोजगार के और अधिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करना;

(3) उत्पादों के लिए नये उपयोगों का पता लगाकर और संगठित प्रयासों के माध्यम से उनकी विपणनता में सुधार करके फार्म तथा वन उत्पादों सहित आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों का पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना;

(4) आदिवासियों से सम्बन्धित टी० डी० सी० सी०, एफ० डी० सी० तथा अन्य राज्य स्तरीय एजेन्सियों के आर्थिक तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देना;

(5) उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने तथा इसके समर्थित कार्यकलापों के लिए वित्त का प्रबन्ध करना; और

(6) सहकारी विपणन की परिधि के अन्तर्गत लाए जाने के लिए विभिन्न राज्यों में लघु वन

उत्पाद की मदों की पहचान करना और प्रत्येक राज्य द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे लघु वन उत्पादों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए सिफारिशें करना।

(ख) जी, हां। कुछ हद तक ट्राइफेड द्वारा उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रमुख आदिवासी उत्पाद के क्रय मूल्य बढ़ाए गए हैं, जैसाकि संलग्न विवरण में बताया गया है।

(2) ट्राइफेड ने भागलपुर में कोसा रीलिंग केन्द्र खोलकर रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित किए हैं जहां आदिवासियों से खरीदे गए कोसे को धागे और वस्त्र में बदला जा रहा है। बढ़े हुए मूल्य से आदिवासियों को अच्छी कमाई होती है।

(3) ट्राइफेड ने आदिवासियों को ऐसी खेती के वित्तीय सहायता देकर करबी अंगलांग स्वायत्त पहाड़ी जिले और असम के उत्तरी कछार पहाड़ी स्वायत्त जिले में तथा आगे ट्राइफेड के प्रस्संकरण यूनिटों द्वारा तेल निकालने हेतु इस घास की पुनः खरीद सुनिश्चित करके जावा सिट्रोनेला घास पौधारोपण हेतु प्रोत्साहन दिया है। इस उद्यम ने अब तक झूम खेती की प्रथा से 300 से अधिक परिवारों को छुटकारा दिलाया है।

(4) ट्राइफेड ने आदिवासी उत्पादकों के लिए अधिक मूल्य हेतु निम्नलिखित परियोजना भी आरम्भ की है :—

— **आदिवासी औद्योगिक परिसर अदगलपुर**—अदगलपुर, बस्तर जिला मध्य प्रदेश में लघु वन उत्पाद अतिरिक्त कृषि उत्पाद और चिकित्सीय जड़ी-बूटियों पर आधारित एक समेकित आदिवासी औद्योगिक कम्पलैक्स की स्थापना की जा रही है।

— **तालोजा औद्योगिक कम्पलैक्स**—ट्राइफेड को बम्बई के निकट तालोजा में 29662 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। जहां निर्यात उन्मूलन प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि ट्राइफेड आदिवासी उत्पादों की निर्यात सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में समर्थ हो सके।

— **मधु प्रसंस्करण यूनिट**—न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्तु		ट्राइफेड से पहले		ट्राइफेड स्थापना के बाद	
		1988	1989	1990	1991
1		2	3	4	5
सालबीज	0.80/किलोग्राम	1.20	1.40	1.50	1.50—2.50 (उड़ीसा)

1		2	3	4	5
नीगर बीज	4.00/किलोग्राम	4.00	5.50	6.50	10.00
गन्ना कार्य					
श्रेणी-1 (रु०/किलो)			26.00	30.00	30.00
श्रेणी-2 (रु०/किलो)			28.00	26.00	26.00
श्रेणी-3) (रु०/किलो)			20.00	22.00	22.00
कोला कोकून					
क. सम्पूर्ण (रु० पैसे		0.25	0.35	0.45	1.00
ख. कटा हुआ (रु०/किलो)		0.15	0.25	0.25	0.45
कच्चा काजू		13.20	12.00	14.00	16.00
	राज्य परिसंघ को				
इमली					
बीज वाले (रु०/किलो)	2.00/किलो	—	2.85 आदिवासियों को देने के लिए राज्य परिसंघों को	—	8.00 आदिवासियों को सीधे ही दिए गए
बीजरहित (रु०/किलो)	4.00/किलो	—	5.85 राज्य परिसंघ को	—	6.00 आदिवासियों को सीधे ही दिए गए

अनुसूचित जातियों को भूमि आवंटित करने हेतु योजना

[अनुवाद]

666. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने अनुसूचित जातियों को आवंटित करने हेतु भूमि खरीदने की कोई योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या लाभार्थियों के लिए इस योजना की उपयोगिता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों हेतु सहायता राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जी, हां । मूल्यांकन राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से किया जाता है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारी भी नमूना आधार पर परियोजना-स्थलों का दौरा करते हैं और योजनाओं की प्रभाव-कारिता का मूल्यांकन करते हैं ।

(घ) जहां कहीं वृद्धि आवश्यक समझी जाती है, योजना की व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के बाद ही की जाती है ।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	योजना	राज्य	प्रयोजन एजेन्सी	योजना की लागत	कुल निधि लाभ	रा०अ०ज०जा०/अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगम का हिस्सा		
						आवधिक ऋण	बीज पूंजी	कुल निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भूमि योजना	प० बं०	प० बं० निगम	175.00	175.00	112.50	0.00	112.50
2.	भूमि और भैंसे	हरि०	हरि० निगम	609.60	579.12	365.76	0.00	365.76
3.	कृषि और डेरी भूमि	पंजाब	पंजाब निगम	350.80	336.40	228.00	9.60	237.60
4.	भूमि योजना	कर्नाटक	कर्नाटक निगम	1584.00	1584.00	792.00	0.00	792.00
5.	भूमि योजना	त० नाडु	त० नाडु बैंक	195.00	195.00	97.60	0.00	97.50
6.	भूमि योजना लैंपटी-1	त० नाडु	तामिलनाडु निगम	75.51	73.51	46.05	0.00	46.05
7.	भूमि डेप्सी	त० नाडु	तामिलनाडु निगम	166.34	166.34	124.72	0.00	124.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	भूमि योजना लैफ्टी-2	त० नाडु	तामिलनाडु निगम	111.33	111.33	59.88	0.00	59.88
9.	भूमि योजना	म० प्र०	मध्य प्रदेश निगम	450.00	450.00	150.00	0.00	150.00
			कुल :	3717.58	3672.70	1976.41	9.60	1986.01

प० बं० : पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम ।

हरि० : हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड ।

पं० : पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम ।

कर्नाटक : कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम ।

त० नाडु : तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड ।

म० प्र० : मध्य प्रदेश अन्तेयवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड ।

संवितरित निधियां	संवितरण की तारीख	लाभार्थियों की संख्या	प्रति लाभग्राही निवेश		मंजूरी की तारीख	क्षेत्र
			संस्थागत निवेश	रा०ग्र०जा०, ग्र०ज०जा० का हिस्सा		
		500	0.35	0.23	05-12-91	पूर्व
50.00	30-12-91	480	1.21	0.76	20-03-91	उत्तर
70.00	30-11-91	370	0.91	0.64	08-06-90	उत्तर
80.00	30-11-91	8800	0.18	0.09	19-12-90	दक्षिण
15.00	04-10-91	1300	0.15	0.08	20-02-91	दक्षिण
42.00	23-06-90	982	0.08	0.05	27-03-90	दक्षिण
	11-09-90	550	0.30	0.23	20-03-91	दक्षिण
47.96	13-08-91	1029	0.11	0.06	11-06-91	दक्षिण
81.50	12-03-91	1000	0.45	0.15	30-11-90	पश्चिम
386.46		15011	0.24	0.13		

स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के सम्प्रभु गणराज्यों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण

667. **श्री बलवीत यादव :**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवगठित स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के सम्प्रभु गणराज्यों के राष्ट्राध्यक्षों को सरकारी तौर पर आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर उन राष्ट्राध्यक्षों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रकार की यात्राओं के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां । रूस, उक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकीस्तान, किर्ग्यिस्तान के राज्याध्यक्षों को अभी तक आमन्त्रित किया गया है ।

(ख) उजबेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने क्रमशः अगस्त 1991 और फरवरी 1992 में भारत की यात्रा की । रूस, उक्रेन, किर्ग्यिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ताजिकीस्तान के राष्ट्रपति हमारे निमन्त्रण को स्वीकार कर चुके हैं । राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इनकी यात्रा की तारीखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इनमें से प्रत्येक देश के साथ किए जाने वाले करारों को द्विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा जिसमें पारस्परिक लाभ के लिए बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

गेहूं का उत्पादन

[हिन्दी]

668. **श्री कांशीराम राणा :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन के लिए कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :—

(मिलियन टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1988-89	52.32	54.11
1989-90	54.00	49.85*
1990-91	54.50	54.52

*फसल की कटाई के समय खराब मौसम होने के कारण वर्ष 1989-90 के दौरान गेहूं का उत्पादन कम हो गया।

खेती की पद्धति में परिवर्तन

[अनुवाद]

669. श्री मुख्तार इस्लाम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में खेती की पद्धति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में फसल की खेती के प्रतिमान में कोई प्रमुख परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं। तथापि, फसल के बाजार मूल्य, सिंचाई वर्षा के पानी की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कुशल अन्तरण जैसे घटक फसल प्रतिमान में कुछ परिवर्तन अवश्य ही लाते हैं।

उदाहरण के तौर पर, विगत में देश में तिलहन फसलों के अधीन आने वाला क्षेत्र 1980-81 के 17.60 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 22.97 मिलियन हैक्टेयर हो गया, जबकि मोटे धान्यों के मामले में यह 41 78 मिलियन हैक्टेयर (1980-81) से घटकर 37.66 (1989-90) मिलियन हैक्टेयर रह गया। विशेषकर राज्यों के मामले में यह देखा गया है कि हाल ही की अवधि में तोरिया और सरसों तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के अधीन आने वाले क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

दिल्ली में सुरा काण्ड

670. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुए सुरा काण्ड की जांच के लिए दिए गए आदेशों का क्या परिणाम निकले; और

(ख) उस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) घटना की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया है । आयोग द्वारा निर्णय प्रस्तुत करने के बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है ।

बीज विकास परियोजना

671. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड के लिए एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तरह की अन्य राज्यों की राज्य बीज निगम परियोजनाएं भी लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

गैस लिंकेज समिति

672. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचारपत्र "इकानामिक टाइम्स" नई दिल्ली में "नेचूरल गैस सप्लाई एस्टीमेट्स गो अराई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गठित गैस लिंकेज समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समय निजी और सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैस की कितनी मात्रा की सप्लाई का वचन दिया गया है और इसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत गैस लिंकेज समिति गैस लिंकेज, परियोजनाओं की प्रगति आदि विभिन्न पहलुओं को देखती है।

(ग) लगभग 92.5 एम० एम० एस० सी० एम० डी० तक के लिए वचन दिए गए हैं। सम्बद्ध और गैर-सम्बद्ध गैस के अतिरिक्त स्रोतों को विकसित करने और इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग और परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन

673. प्रो० उमा रेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में बहुत अधिक स्वयंसेवी संगठन बन गए हैं;

(ख) क्या ऐसे संगठन पंजीकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या संगठनों द्वारा धन के उचित उपयोग तथा अन्य गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए स्वैच्छिक संगठन से पंजीकृत होना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) आवधिक निरीक्षणों के अलावा अनुदान सहायता की अगली किस्त की निर्मुक्ति से पहले स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है। पिछले वर्ष प्राप्त अनुदानों के सम्बन्ध में लेखों का परीक्षित विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

आंध्र प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र का विकास

674. **प्रो० उमा रेड्डि वेंकटेश्वरलु :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई तथा खर्च की गई;

(घ) क्या स्वीकृत धनराशि का पूरा उपयोग किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। केंद्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) लड़कियों के लिए छात्रावास लड़कों के लिए छात्रावास तथा आश्रम विद्यालय की योजनाएं मुख्यतः आदिवासियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है।

अनुसूचित/जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है।

— आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों तथा वृक्षों और वन मूल के तेलों का विकास नामक योजना का उद्देश्य वृक्षों और वन मूल के तेल बीजों विशेषरूप से साल बीज के संवर्धन तथा प्रायण को बढ़ावा देना है।

— अनुसंधान और प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को

(1) अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययनों

(2) संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों

(3) प्रकाशन

(4) आदिवासी संग्रहालय और

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान विमुक्त किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता

मुख्यतः परिवारोन्मुख आय सृजनकारी योजनाओं के लिए उनके लिए प्रासंगिक अवसंरचना पर पर्याप्त बल देते हुए दी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को दी गई विशेष केंद्रीय सहायता, किए गए व्यय सहित वर्षवार नीचे दी गई है :—

(रु० लाखों में)

वर्ष	निमुक्त राशि	उपयोगिता
1985-86	740.00	772.79
1986-87	850.38	972.77
1987-88	1061.23	1190.43
1988-89	1165.12	930.56
1989-90	1347.45	1412.78
जोड़ :	5166.18	5279.33

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण और पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करना

[हिन्दी]

675. **श्री सलीम मराण्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण और पूर्वी एशिया के साथ राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जनवरी 1991 से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों के साथ राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया है। द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की समीक्षा करने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की गई है। विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का और विस्तार करने के लिए संयुक्त आयोगों की बैठकें भी हुई हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित कृषि कार्यक्रम की समीक्षा

[अनुवाद]

676. **कुमारी कुन्ता देवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सातवीं योजना में क्रियान्वित कार्यक्रम की समीक्षा करायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि अब तक सीमा नहीं कराई गई है तो क्या अब करायी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो समीक्षा कब तक पूरी होने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री चुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर कार्य-दल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा की थी।

(ख) डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कार्य-दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों की समीक्षा की थी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए नीति की सिफारिश की थी। कार्य-दल की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

(ग) समीक्षा की जा चुकी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और मुम्बई में युवकों में नशाखोरी की आदत

677. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बम्बई में विशेषकर युवकों को नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) दिल्ली और बम्बई सहित 33 शहरों में अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों से पता चला है कि 16-35 वर्ष की आयु वर्ग अत्याधिक प्रभावित है। नशीली दवाओं के व्यसनियों का एक बड़ा अनुपात या तो बेरोजगारों, मजदूरों, परिवहन कर्मियों अथवा छात्रों का है। प्रतीत होता है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में संगी साथियों का दबाव और उत्सुकता सहायक और घटक हैं। नशीली दवाओं की आपूर्ति का सबसे आम स्रोत है। छोटे दुकानदारों, कबाड़ियों और पानवालों के माध्यम से कार्यरत फेरीवाले कल्याण मंत्रालय ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दिल्ली में 13 परामर्श,

6 निर्व्यसन और 2 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र और बम्बई में 11 परामर्श और 2 निर्व्यसन केन्द्र स्थापित किए हैं। इलैक्ट्रानिक और प्रिंट/मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है और नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में होर्डिंग्स भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

1984 के दंगों में अन्तर्गस्त व्यक्ति

[हिन्दी]

678. **श्री पीयुष तीरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 में दंगे भड़काने के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) अभी तक कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये हैं; और

(ग शेष व्यक्तियों पर मुकदमें कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) रंगनाथ मिश्र जांच आयोग ने कहा कि दंगों के दौरान कई गम्भीर अपराध किए गए थे और यह आवश्यक था कि आरोपों पर समुचित रूप से विचार किया जाए और छानबीनों का उपयुक्त तरीके से प्रबोधन किया जाए। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने कम से कम दो अधिकारियों, एक न्यायिक और एक प्रशासनिक की नियुक्ति की सिफारिश की। बेहतर होगा कि ये अधिकारी दिल्ली के बाहर से कोई उच्च रैंक का पुलिस अधिकारी हो, जिसे दस्तावेजों पर विचार करने और मुकदमा चलाने वाले अभिकरण को ऐसे निर्देश देने का पूरा प्राधिकार हो जो प्रत्येक मामले के तथ्यों के लिए आवश्यक हों। इस सिफारिश के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन ने 23-2-87 को एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों पर दायर मामलों के आधार पर तथा दिल्ली पुलिस द्वारा स्वयं ही की गई कार्रवाई के आधार पर जिन व्यक्तियों पर अभियोजन लगाया गया उनकी संख्या 2341 है। जांचाधीन मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के प्रयास जारी हैं।

मध्य-पूर्व समस्या

[अनुवाद]

679. **श्री सुधीर गिरि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मध्य-पूर्व में तनाव कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को इजराइल द्वारा हाल में निकाले गए कई फिलिस्तीनियों के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) मध्य-पूर्व शान्ति वार्ता को पुनः शुरू किए जाने

का भारत समर्थन करता है। इस वार्ता के सह-प्रयोजक और सहभागी इस वार्ता में किसी प्रकार की भूमिका निभाने के लिए यदि भारत से कहेंगे तो भारत सहर्ष इस वार्ता में भूमिका निभाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) इजराइल नीतियों के बारे में भारत का सदैव एक सैद्धान्तिक और एक जैसी नीति पर चलता आया है। सुरक्षा परिषद ने हाल ही में सर्वसम्मति से एक संकल्प (सं० 725) पारित किया जिसमें फिलीस्तीनियों के निर्वासन से सम्बन्धित इजराइली नीतियों की निन्दा की गई है और इजराइल से कहा गया है कि वह भविष्य में ऐसी कार्रवाईयां न करें और प्रश्नगत आदेशों को रद्द करे। भारत ने इस संकल्प का समर्थन किया है।

"गरीब हरिजनों को फिर खदेड़ा जा रहा है जंगल की ओर" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

680. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1992 के "जनसत्ता" में "गरीब हरिजनों को फिर खदेड़ा जा रहा है जंगल की ओर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन हरिजनों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

[अनुवाद]

681. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** :
श्री वल्लभ पानिग्रही :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रामजस सोनकर शास्त्री :
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और इसके उपयोग करने की प्रणाली विकसित कर लेने संबंधी हाल ही की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुखी परमाणु कार्यक्रम को बन्द करने के अमरीका के सुझाव पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) बताया गया है कि "वाशिंगटन पोस्ट" के संपादकों के साथ 7 फरवरी, 1992 को एक मुलाकात में पाकिस्तान के विदेश सचिव श्री शाहरयार खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय विस्फोटक संयंत्र बनाने के लिए उपकरण और जानकारी है। इससे पहले ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों की डिलीवरी के लिए अपने विमानों में संशोधन करने और मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने के प्रयास कर रहा है।

सरकार उन घटनाओं पर बराबर निगरानी रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर बराबर प्रभाव पड़ सकता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार ने समाचारपत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं किंतु यह अमरीका और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। अमरीकी अधिकारियों ने भारत सरकार को कहा है कि अमरीका की सरकार यह चाहती है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही नाभिकीय हथियारों की क्षमता हासिल करने से दूर रहें।

तिब्बत पर दलाई लामा का साक्षात्कार

682. प्रो० राम कापसे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दलाई लामा द्वारा हाल ही में तिब्बत के बारे में दिए गए साक्षात्कार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) तिब्बत के मसले पर सरकार की दीर्घकालीन और स्थिर नीति रही है। तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में दलाई लामा के प्रति सरकार का आदरभाव बना हुआ है। सरकार तिब्बती शरणार्थियों के समुदाय को भारत में चीन विरोधी राजनैतिक गतिविधियां करने की इजाजत नहीं देती।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन

683. श्री नीतीश कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा क्या है;

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई समयबद्ध उत्पादन योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तदनुसार वार्षिक उत्पादन के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वर्ष 1996-97 में कुल करीब 79 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान लगाया गया है ।

इस्राइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

[अनुवाद]

684. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री प्रतापराव जी० भोंसले :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री चित्त बसु :
श्री अन्नय्या भोंडय्या साधुल :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने इस्राइल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के लेते समय किन-किन बातों पर विचार किया गया और उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने से पूर्व फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन तथा अन्य मध्य पूर्व देशों के दृष्टिकोणों पर विचार किया है;

(घ) क्या फिलीस्तीनी समस्या तथा मध्य पूर्व के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने सामाजिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में इस्राइल के साथ कोई समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) जिन बातों से यह निर्णय लिया गया था वे इस प्रकार हैं :—बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और पश्चिम एशिया के मसले के समाधान के लिए अरब-इस्राइल वार्ता का फिर से शुरू होना । भारत इस समय चल रही शान्तिवार्ता को प्रोत्साहित करना चाहता है और उसका यह मत है कि वह शान्ति प्रक्रिया के समर्थन की दिशा में रचनात्मक भूमिका अधिक बेहतर ढंग से निभा पाएगा यदि सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ उसके सम्बन्ध हों !

(ii) दोनों देश एक दूसरे के देश में अपने-अपने राजनयिक मिशन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

(ग) यह निर्णय हमारी अपनी विदेशी नीति तथा राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखकर लिया गया था । सभी संगत बातों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया था । हमारे इस निर्णय को फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन तथा अन्य अरब राज्यों सहित हमारे सभी मित्रों ने समझा है ।

(घ) जी नहीं, फिलीस्तीनी समस्या तथा अरब इस्राइल मसलों पर भारत की पारम्परिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ङ) जी नहीं, सामाजिक, व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्रों मे इस्राइल के साथ कोई करार अभी सम्पन्न नहीं हुआ है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए लोग

[हिन्दी]

685. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए ऐसे लोगों की संख्या अलग अलग कितनी है जिन्हें राज्य में पुनर्वास प्रदान किया गया है अथवा अन्य स्थानों पर बसाया गया है और

(ख) उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31-5-1991 की स्थिति के अनुसार 27,410 परिवार राज्य के अन्य शहरों को चले गए हैं तथा दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार 20,673 परिवार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश को चले गए हैं।

(ख) पंजाब सरकार आन्तरिक प्रवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है : प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु 2000 रु० का अनुग्रह अनुदान। प्रत्येक परिवार को 500 रु० परिवहन भत्ते स्वरूप तथा 300 रु० प्रतिमाह किराया भत्ता स्वरूप। प्राथमिकता क्षेत्र योजना के तहत 25,000 रु० तक का बिना सिक्योरिटी वाली बैंक ऋण सुविधा। आन्तरिक प्रवासियों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं तथा विशेष कीमतों पर एल० आई० जी० मकान/आवासीय प्लाट/व्यावसायिक स्थान के आवंटन के पात्र हैं। उन्हें रियायतें प्राप्त करने के लिए पीले कार्ड भी जारी किए जाते हैं। मिनि बस चलाने और उचित दर दुकान का आवंटन के लिए उन्हें परमिट भी दिए जाते हैं।

परमाणु अप्रसार सन्धि

[अनुवाद]

686. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री शिवाजी पटनायक :
कुमारी उमा भारती :
श्री चित्त बसु :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु अप्रसार संधि और दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र की स्थापना करने के भारतीय रवैया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमरीकी राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हाल ही में न्यूयार्क में हुई वार्ता में इन विषयों पर बातचीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) क्या जापान ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस देश द्वारा परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने से जुड़ी होगी;

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस विषय पर उनके तथा जापानी विदेश मंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक का क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस बैठक से दोनों नेताओं को अनेक मसलों पर, जिनमें निरस्त्रीकरण और नाभिकीय अप्रसार के प्रश्न शामिल हैं, सामान्य रूप से अपने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ है। अमरीका के राष्ट्रपति के इस अनुरोध के उत्तर में कि भारत नाभिकीय अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार करे, प्रधानमन्त्री ने नाभिकीय अप्रसार सन्धि के प्रति भारत का सैद्धान्तिक विरोध तथा दक्षिण एशिया में नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्र का प्रस्ताव भेज दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जापान के विदेश मन्त्री के साथ हुई मेरी बातचीत के दौरान अन्य कई मसलों के साथ-साथ नाभिकीय अप्रसार सन्धि का प्रश्न भी उठा था। जापान के विदेश मन्त्री ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि भारत को चाहिए कि वह नाभिकीय अप्रसार सन्धि का एक पक्ष बन जाए जिसके उत्तर में मैंने उन्हें अपनी कठिनाइयों और नाभिकीय अप्रसार सन्धि के लिए अपने सैद्धान्तिक विरोध की जानकारी दी। मैंने पूरे विश्व से नाभिकीय हथियारों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता और भारत की इस आशय की सतत वचनबद्धता को दोहराया कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

न्यूयार्क में प्रधानमंत्री की विश्व के नेताओं के साथ बातचीत

687. श्री जगजीत यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने हाल ही की अपनी न्यूयार्क यात्रा के दौरान अमरीका और रूस के राष्ट्रपतियों तथा चीन के प्रधानमन्त्री और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से कोई बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रत्येक राष्ट्रध्यक्ष के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बातचीत में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में कई विचारों व अवधारणाओं पर विशेषरूप से अंतर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। प्रत्येक नेता के साथ अलग-अलग भी आपसी हित के द्विपक्षीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। इन चर्चाओं से विदेशी शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों को भारत की नीतियों, चिन्ताओं व हितों को और अधिक विस्तार से समझाने में मदद मिली।

खालिस्तानी तथा काश्मीरी ग्रुपों के अलगाववादियों के बीच सांठगांठ

688. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1992 को "द पायनीर" में "खालिस्तानी एण्ड काश्मीरी ग्रुप्स जॉयन फॉरसिज इन यू० एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यू० एस०, यू० के० तथा दूसरे देशों में अलगाववादी संगठनों द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी प्रचार को बेअसर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार को विदेशों में और वहां से संचालित ऐसे ग्रुपों की अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है । सरकार पंजाब और कश्मीर की सही स्थिति प्रतिलक्षित करने के लिए सम्बन्धित विदेशी सरकारों, सांसदों, अधिकारियों, समाचार माध्यमों, भारतीय समुदायों तथा अन्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है ।

चकमा शरणार्थियों को दी गई सुविधाएं

689. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में 1 जनवरी, 1966 से पूर्व और 1 जनवरी, 1966 के बाद आए अप्रवासियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्ववर्ती पाकिस्तान से भारत आए उन चकमा लोगों को भी ऐसी ही सुविधाएं दी जा रही हैं जो 1971-72 से पहले अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को भारत में रह रहे चकमा परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से उनकी शिकायतों सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) असम समझौते की शर्तों के अनुसार, वे सभी व्यक्ति, जो 1-1-1966 से पूर्व असम आए और वहां बस गए, उन्हें भारत के नागरिकों के रूप में नियमित किया गया है । जो व्यक्ति 1-1-66 से 24-3-71 के मध्य आए तथा बस गए, वे विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी के रूप में पता लगाने के बाद अपना पंजीकरण होने की तारीख से 10 वर्ष के लिए मत देने के अधिकार को छोड़कर भारत के एक नागरिक के सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों

का फायदा उठाने के अधिकारी हैं। जो 25-3-71 के बाद असम आए, उनको, अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध प्रवासी के रूप में निर्धारित किए जाने के बाद, निष्कासित कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्, राज्य सरकार के विरोध को ध्यान में रखते हुए।

(घ) से (च) चकमा शरणार्थियों को व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी अनुमति दी गई है और उन्हें कुछ वैधिक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु विद्युत संयंत्र का विक्रय

690. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती विभिका एस० टोपीवाला :
श्री अन्ना जोशी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल में पाकिस्तान को परमाणु विद्युत संयन्त्र की सप्लाई करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) चीन और पाकिस्तान ने मियानवाली के निकट चश्मा स्थापित किए जाने के लिए चीन द्वारा पाकिस्तान को 300 मैगावाट नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सप्लाई के लिए 31-12-91 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने कहा है कि इस करार में यह व्यवस्था है कि नाभिकीय विद्युत संयन्त्र पूरी तरह अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के सुरक्षापायों के अन्तर्गत आएगा। दोनों पक्षों ने यह भी कहा है कि इस संयन्त्र का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(ग) सरकार ने इन वक्तव्यों पर गौर किया है। पाकिस्तान के चोरी छिपे नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में सरकार की चिन्ता से पाकिस्तान को पूरी तरह अवगत करा दिया गया है।

पंजाब में रेल यात्रियों का नरसंहार

691. श्री अमरनाथ चंडेसराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने 26 दिसम्बर, 1991 को साहियाना रेल फाटक के निकट जगरोन रेल फाटक के पास कई रेल यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ितों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों को अब तक पकड़ लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पंजाब में रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम जैकब) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26-12-91 को जगराव के निकट सोहियां रेलवे क्रासिंग पर 52 यात्री मारे गए तथा 18 घायल हुए।

(ग) पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार आतंकवादी हिंसा के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को 50,000/- रु० की राशि का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है। मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा सरकारी रोजगार प्राप्त किए जाने तक, 1000/- रु० प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाता है। घायल व्यक्तियों को अन्तरंग रोगी के रूप में उपचार कराने के लिए कुल खर्च की अदायगी तथा 5000/- रु० का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। 100% विकलांगता होने की दशा में 50,000/- रु० की एकमुश्त राशि का अनुदान स्वरूप भुगतान किया जाता है। सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए एक लाख रुपए तक के मुआवजे का भुगतान किया जाता है। मारे गए व्यक्ति की पुत्री और बहनें के विवाह के लिए 10,000/- रु० का विवाह हेतु अनुदान दिया जाता है। आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा रियायती दरों पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) अभियुक्तों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है तथा राज्य सरकार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

(च) सुरक्षा एजेंसियां, रेल की पटरियों इत्यादि पर गश्त लगाने सहित सभी उचित कार्रवाई कर रही है।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों को सुरक्षा

[हिन्दी]

692. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस प्रकार की घटनाएं

ध्यान में आई है और जब कभी अपेक्षित होती है राज्यों में तैनात सुरक्षा बल उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करना

[अनुवाद]

693. श्री चित्त बसु :
श्री के० प्रधानी :
श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए नये सिरे से क्या पहल की है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस राज्य में सामान्य स्थिति कब तक बहाल हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ कड़े और संयुक्त प्रयास करना जारी रखना सरकार का प्रस्ताव है। राज्य के राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रमुख नेताओं की 13 नवम्बर, 1991 को एक बैठक हुई। गृह मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की 13 दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई। 31 दिसम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद तथा 10 फरवरी, 1992 को हुई सर्वदल सम्मेलन में भी जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।

राज्य के लोगों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है . घाटी में जिला सलाहकार समूह गठित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जोकि जम्मू क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत है।

राज्य में सामान्य हालात की बहाली करने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का बताना कठिन है।

झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में सुधार के बारे में दिनांक 27-11-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर मे लाइन 7 में निम्न शब्दों के स्थान पर :—

"ई आई यू एस स्कीम"

यह पढ़ा जाए :—

"ई आई जे जे स्कीम"

2. यह मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि के कारण हुई है। सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

12.00 म० घ०

[अनुवाद]

वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों का सरकार द्वारा विश्व बैंक को समय से पूर्व प्रकटन के बारे में

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (बसबम) : महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि सरकार का 1992-93 के बजट पर समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने का विचार है। विश्व बैंक के अध्यक्ष को डा० मानमोहन सिंह द्वारा लिखे गए पत्र में इस बजट के सम्बन्ध में यह विशिष्ट उल्लेख है। महोदय इस मामले की हमें जानकारी नहीं दी गई है लेकिन विश्व बैंक को सूचित किया गया है कि बजट में इसका समावेश किया जा रहा है। क्या यह लीकेज नहीं है, तब लीकेज क्या हो सकता है?

महोदय, दूसरी बात यह है कि समाचार पत्रों में कहा गया है कि यह पत्र पूरी रिपोर्ट और अन्य उपबन्धों आदि का एक भाग है, उसे अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य माननीय मन्त्री महोदय से मिलना चाहते हैं तो वे सभा कक्ष से बाहर उनसे मिल सकते हैं, यह सभी नहीं है। कृपया इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं आपका ध्यान पत्र के एक वाक्य की ओर आकृष्ट करना

चाहता हूं। पृष्ठ 78, अनुच्छेद 21 में उल्लेख है कि :

"सरकार का वर्ष 1992-93 के बजट पर समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने का विचार है।"

अब, क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि बजट के एक भाग की जानकारी विश्व बैंक को दे दी गई है जबकि वही बजट हमारे लिए गुप्त रहा है ? (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : अनुच्छेद 14 के अन्तिम वाक्य में उल्लेख है।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, वे किस प्रक्रिया के अन्तर्गत इस मुद्दे को उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा घंटा है जिसमें कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, पृष्ठ 11 पर यह कहा गया है कि समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1992-93 के बजट में शामिल किया जाएगा। महोदय, बजट में दो भाग हैं अर्थात भाग "क" और "ख"। यह सही नहीं है कि भाग "क" और "ख" दोनों को ही सदस्यों के लिए गोपनीय रखा गया है ? यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो बजट के भाग "क" को आर्थिक सर्वेक्षण के साथ परिचालित कर दिया जाता। ऐसा नहीं किया गया और उस पर बनाए गए नीति सम्बन्धी वक्तव्य को विश्व बैंक को भेजे गए पत्र में सम्मिलित किया गया है। यदि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है तो विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य क्या मामला हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : इसे प्रस्तुत कीजिए। हम इसका उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं आपसे सम्बोधित नहीं हूं। मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं। महोदय, इस आशय के कई उल्लेख हैं। इसके अतिरिक्त, समाचारपत्रों द्वारा यह भी छपा है कि यह पत्र पूरी रिपोर्ट का केवल एक अनुबन्ध है जोकि वित्त मन्त्रालय के साथ-साथ विश्व बैंक के हाथ में है। यह इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि श्री चन्द्रशेखर के हाथ में जो कागजात हैं वे भी 44 से शुरू होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले उस पर विचार-विमर्श के लिए हम आपके साहस की अत्यधिक सराहना करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी नहीं, यह बजट का प्रश्न नहीं है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, यह संसद की अवमानना का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : बजट को देखे बगैर आप इस विशेष परिणाम पर कैसे पहुंच सकते हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह विश्व बैंक के अध्यक्ष को दिया गया आश्वासन है। मैं उनके स्वयं के पत्र को उद्धृत कर रहा हूं। पत्र में कुछ प्रावधान किए जाने का वायदा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वित्त मन्त्री कह रहे थे कि वे उक्त पत्र को बजट के साथ सभा पटल पर रखेंगे। इन दोनों दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में आप आकलन कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि यह पत्र बजट से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं अभी इस नतीजे पर मत पहुंचे। आप 29 फरवरी, को निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस पत्र की प्रति लें। मुझे विश्वास है कि इसे पढ़ने पर आप परेशानी में पड़ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पत्र को पढ़ूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, कृपया एक मिनट शान्त रहें। वित्त मन्त्री कह रहे थे कि वे दस्तावेज को छुपा नहीं रहे हैं और वे इसे बजट के साथ सभा पटल पर रखने जा रहे हैं। लेकिन जब माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया तो उन्होंने इसे सभा पटल पर रखा। अब हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं ? यदि आपने इसे सभा पटल पर रखने के लिए जोर दिया है तो थोड़ा समय और दीजिए। जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तब इसे बजट से मिला लेना और तर्क देना, समय काफी है, यदि आप और अधिक समय चाहते हैं तो और समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आप सब को एक-एक करके अनुमति दूंगा। बाजपेयी जी, मैंने श्री निर्मल चटर्जी को अनुमति दी है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे मालूम नहीं है कि बजट में क्या दिया गया है। लेकिन विश्व बैंक को इसकी काफी जानकारी है। मुझे बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। विश्व बैंक को इतना मालूम है कि सरकार का 1992-93 के बजट पर समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने का विचार है। जबकि विश्व बैंक को इतनी अधिक जानकारी है, मुझे इसका अंशमात्र भी ज्ञान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार की नीतियों से पूरा विश्व अवगत है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं नीतियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो वर्ष 1992-93 के बजट में एक विशेष उल्लेख की बात कर रहा हूं। नीतियां सर्वविदित हो सकती है लेकिन जब आप यह कहते हैं कि 1992-93 के बजट में कुछ बातों को शामिल किया जा रहा है और उन बातों की जानकारी विश्व बैंक को है पर हमें नहीं है। यही वह पहलू है जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री इन्द्रजीत जी···

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसका दूसरा भाग भी है···(व्यवधान) प्रेस्टन रिपोर्ट में ये आंकड़े, वायदे, निर्देश और कई अन्य बातें शामिल हैं। आपको स्मरण होगा कि जब हम शर्तों के बारे में 12 नवम्बर की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे तब इस बात से इन्कार किया गया था कि ऐसा कोई कदम उठाया गया था। पूरी की पूरी प्रेस्टन रिपोर्ट, वित्त मन्त्रालय में उपलब्ध है और उसमें शर्तों के बारे में 12 नवम्बर की रिपोर्ट भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : कल यह बात पूछने से आपको किसने रोका था?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मेरी अज्ञानता। मुझे आज ही इसकी जानकारी मिली।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा-थोड़ा करके जानकारी नहीं मांग सकते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्हें इस बात से इन्कार करने दें कि प्रेजीडेंट की रिपोर्ट उनके पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने विश्व बैंक के प्रेजीडेंट को सौंपे गए अपने पत्र की प्रति सम्मानपूर्वक सभा पटल पर रख दी है। मैंने यह समझा था कि वे सभी दस्तावेज विश्व बैंक की रिपोर्ट है और वे वित्त मन्त्री द्वारा विश्व बैंक को लिखे गए पत्र नहीं हैं। मैं जानता हूं कि इस मामले को अत्यधिक बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है और लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं करने जा रहा हूं। कल वित्त मन्त्री जी ने स्वयं ही विश्व बैंक के प्रेजीडेंट को लिखे गए पत्र की प्रति सभा पटल पर रख दी थी। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे श्री चन्द्रशेखर की नेतृत्व वाली सरकार के पूर्व वित्त मन्त्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा लिखे गए पत्र—उनका विश्व बैंक के प्रेजीडेंट को दिया गया निर्देश पत्र जिसमें मैं समझता हूं कि विदेशी निवेश के बारे में कुछ वायदे और आश्वासन दिए गए थे और जिससे पूर्व प्रधानमन्त्री पीछे हट रहे हैं—वह पत्र भी सभा पटल पर रखेंगे। घाटे को कम करने के बारे में भी कुछ वायदे किए गए थे। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी कृपया उत्तर दें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाणा) : विश्व बैंक को डंकवते द्वारा लिखा गया पत्र भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेता, अगर आज हिन्दी के एक दैनिक पत्र में मुख्य पृष्ठ पर छोटा-सा मैथेमेटिक कार्टून निकाल कर मेरे ऊपर यह व्यंग्य न किया होता कि एक समिति बनी है, जिसका नाम डाक्टर मनमोहन बचाओ समिति है और अटल बिहारी वाजपेयी उसके अकेले सदस्य हैं, इकलौते सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। उन्हें इस सदन के सामने जवाब देना है कि वह सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैं वित्त मन्त्री को और सरकार को अलग करके देखने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वित्त मन्त्री जो नीतियां बना रहे हैं, या जो कदम उठा रहे हैं, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर नहीं है, तो केवल वित्त मन्त्री को बलि का बकरा बनाने की तैयारी हो रही है तो फिर मुझे बचाओ समिति बनानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम बरसों से यह मांग करते रहे हैं कि बजट में कुछ खुलापन होना चाहिए। ऐसी गुप्तता, ऐसी सिक्रेसी की जरूरत क्या है ? जो बजट के प्रस्ताव हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : बजट का टैक्सेशन मात्र सिक्रेट रहता है, पालिसी नहीं रहती है। उन पर हम सालों से डिसकस करते रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसे अभी कहा गया कि बजट के दो हिस्से होते हैं और केवल वर्ल्ड बैंक नहीं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बजट किसी दिशा में जा रहा है, इसका अनुमान लगा सकता है, इसका सही आकलन कर सकता है। अगर वित्त मन्त्री महोदय ने कुछ कर प्रस्ताव या ऐसे प्रस्ताव, जो देश की आजादी पर बुरा परिणाम डालेंगे, उनका संकेत दिया है तो यह गम्भीर बात है। बजट परसों आ जाएगा और हम दोनों की तुलना करके देख लेंगे। मैं यह भी चाहता हूं, जैसे इन्द्रजीत जी ने कहा है, अगर खुलापन है तो सब कुछ खोल कर रख दिया जाए···(व्यवधान)···केवल चन्द्रशेखर की सरकार नहीं, उससे पहले जो सरकार थी, उसके बारे में भी। आखिर, विदेशी कर्जा इतना लिया गया और जो विदेशी कर्जा उत्तराधिकार के रूप में सरकारों को मिला···(व्यवधान)···कर्जा कांग्रेस की सरकार ने लिया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन सरकारों ने क्या रवैया अपनाया और अगर वह तर्कसंगत रवैया अपनाते तो सदन को उसके बारे में निर्णय करने का, फैसला करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने कल वित्त मन्त्री महोदय को विवश किया कि वह अपना पत्र खोलें और भी जो पत्र व्यवहार हो, आपका, आपके पहले के पूर्व वित्त मन्त्री का और उससे पूर्व वित्त मन्त्री का,···(व्यवधान)···जितने परखे हैं, आज उन सबका उद्धार कर दीजिए, रखिए, क्योंकि, सदन में विश्वास लिया जाना चाहिए और हम चाहते हैं, हम बजट की तुलना करेंगे। अब वित्त मन्त्री बजट में परिवर्तन कर दें तो बात अलग है।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : जिस दिन से आपने चर्चा शुरू की है मैं आश्वासन देता हूं इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या हम परिवर्तन के लिए स्वतन्त्र हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब हमने उन्हें कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, उनको तो मान लीजिए।...(व्यवधान)...अब जैसे हमने सुझाव दिया है कि इन्कम टैक्स की लिमिट थोड़ी बढ़नी चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए अर्थ मन्त्री बोलना नहीं चाहते। किसी के भी सवाल का जवाब दिया तो वह अड़चन में आ जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब जवाब देते हैं तो मुसीबत में आते हैं और जब चुप रहते हैं तो बहुत मुसीबत में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सही बात है, बजट प्रजेण्ट होने तक वह मुसीबत में ही हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, निस्सन्देह हमने दो पत्रों का उल्लेख किया है। एक वित्त मन्त्री द्वारा लिखा गया 11 नवम्बर का पत्र और दूसरा विश्व बैंक का 12 नवम्बर का पत्र। हमें यह बताया गया कि वित्त मन्त्री को 12 नवम्बर, 1991 को लिखा गया पत्र नहीं मिला है। इसलिए जहां तक हमने पाया कि हमारी जानकारी ठीक नहीं है।

उन्होंने बताया कि 11 नवम्बर का पत्र और उससे संलग्न कागजात सभा पटल रखे जा रहे हैं। उन्होंने यह किया भी। लेकिन महोदय, तब से हम 11 नवम्बर के ही पत्र पढ़ पाए हैं।

हम अपनी ओर से दो बातों पर बल दे रहे हैं। हम इन्हीं दो प्रश्नों पर जोर दे रहे हैं। पहला, कि बजट प्रावधान लीक हो सकते हैं और दूसरा, कि हम विदेशी वित्तीय एजेंसियों को कितनी सूचनाएं दे रहे हैं और कितने वायदे कर रहे हैं और क्या यह हमारी आर्थिक प्रभुत्ता को प्रभावित कर रही है। यह दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे हमें चिन्ता हो रही है।

महोदय, इस पत्र ने बहुत ही चिन्ताजनक बातों को स्पष्ट कर दिया है। एक समिति नियुक्त की गई थी जिसे कर सुधार पर अपने सुझाव देने थे। मैं केवल डा० मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। प्रधानमन्त्री भी इससे जुड़े हैं। मैं केवल मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पूरी जिम्मेवारी स्वीकार करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसमें कहा गया है :

"अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ाने के विचार से—यह वित्त मन्त्री जी की उक्ति है—निम्नलिखित कार्यों के लिए मार्ग और तरीका अपनाने के लिए समिति को सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है :"

"शुल्कों के औसत स्तर में पर्याप्त कमी की जाएगी। शुल्कों के अधिकतम स्तर में धीरे-धीरे कमी लाई जाएगी।" पांच निर्देशों का यहां उल्लेख है। "समिति को इन मामलों में कमी लाने के लिए सिफारिश करने को कहा गया है।" यह कैसे किया जाएगा ?

"विशिष्ट शुल्क इत्यादि के उपयोग को कम किया जाएगा।"

आगे पत्र में यह कहा गया है कि :

"सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करेगी जिसे 1992-93 के बजट के लिए निर्देश दिया गया है।"

इसलिए, इस सरकार और वित्त मन्त्री द्वारा इन मामलों के बारे में एक वायदा किया गया है कि बजट में उन सिफारिशों के अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे।

श्री मनमोहन सिंह : नहीं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अपना भला-बुरा स्वयं देख सकते है। आपको अपने उन मित्रों से सावधान रहना होगा जो आपके पीछे हैं। इसीलिए एक मामला यह है।

श्री मनमोहन सिंह : आप इसमें से बहुत ज्यादा अधीनकाल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा, श्रीमान्। यदि आपका पत्र का कोई अर्थ ही नहीं है, तो वह अलग बात है। (**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर : इस पत्र का अर्थ तो है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि इसका अभिप्राय कोई बात प्रकट करना है, तो यह महत्वपूर्ण है। यदि यह उसके लिए नहीं है, तो वह अलग बात है। यदि वे यह कहते हैं कि यह तो केवल विश्व बैंक को गुमराह करने के लिए है, तो वह अलग बात है। परन्तु, श्रीमन् जी, कुछ तो है ही। इसके कुछ अन्य हिस्से भी हैं। परन्तु इसका मतलब श्री मनमोहन सिंह को निरुत्तर करना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे इस समय तो इसका उत्तर नहीं दे सकते।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे आपको किसी भी वक्त बलि पर चढ़ा देंगे। आप समझ नहीं रहे। उन द्वारा आपको कभी भी बलि पर पर चढ़ा दिया जाएगा। अतः यह सरकार चोटी पर है। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : यह आपकी काल्पनिक उड़ान मात्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप एक मन्त्री बनने की आस लगाए बैठे है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जी, नहीं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं वहां मन्त्री नहीं बनना चाहता। (व्यवधान) इसी कारण मुझे खेद है। एक अच्छा व्यक्ति अब एक बुरी संगत में है और वह संकट में है। (व्यवधान)

डा० आर० अल्लू (नगर कुरनूल) : आप हमें देश भक्ति के बारे में बताने की कोशिश मत करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समाचार-पत्र ने पुनः सनसनी खेज—हमारे देश के दृष्टिकोण के रहस्योद्घाटन किए हैं। हम बहुत परेशान हैं। यह कहा गया है कि यह पत्र, श्री मनमोहन सिंह के पत्र के कुछ पन्ने, एक बड़े दस्तावेज का एक भाग हैं। इनका यहां वर्णन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप समचार-पत्र में से नहीं पढ़ सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल एक पृष्ठ। क्या मैं उन पृष्ठों से सन्दर्भ नहीं दे सकता? वे विश्व बैंक के दस्तावेज का अहम् हिस्सा हैं और इनमें सलग्नकों का जिक्र है। मैं वह समाचार-पत्र से नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे पास यहां वह अनुलग्नक है जोकि सरकार द्वारा किए गए वायदों को दर्शाता है। वे कहते हैं, "उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। दूसरे जारी करने से पूर्व कार्रवाई की जानी है।" यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के दस्तावेज का यह हिस्सा है यह बताता है कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति, वाणिक नीति के बारे में क्या करने जा रही है; इसमें सब-कुछ कहा गया है; व्यापार नीति; शुल्क सुधार, वित्तिय बाजारऔर संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सुधारों; जो कुछ भी सरकार करने जा रही हैं वह सब कुछ इसमें उजागर किया गया है। यह केवल एक नीति की घोषणा ही नहीं है; सारे विवरण दिए गए हैं। अतः, यदि यह नीति की घोषणा के नाम पर हो रहा है और यदि इससे हरेक नाम जानने का पात्र है—श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इससे बच निकलने के लिए एक सुझाव दिया था—यदि कोई एक अच्छा सुझाव देता है, तो किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए? क्या यह विश्व बैंक की ओर से हमारे वित्त मन्त्री को एक अच्छा सुझाव नहीं है? यह तो हमारे वित्त मन्त्री द्वारा विश्व बैंक को दिया गया एक वायदा है। उन्होंने कहा था, हम यह करने जा रहे हैं। इस बजट में अब और क्या बचा रह जाता है? अतः, इस बजट को यहां पेश नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे लेखानुदान ले लें। हम आपत्ति नहीं करते। हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसी पार्टी ने श्री यशवन्त सिन्हा को बजट नहीं प्रस्तुत करने दिया था। आप लोगों को अनुमति न थी। मुझे ज्ञात नहीं है कि उस समय श्री इन्द्रजीत की क्या भूमिका थी। उस

समय वह किसको समर्थन दे रहे थे मुझे पता नहीं है ? उस समय वह इस मुद्दे को लाने का प्रयास कर रहे थे। आपने अनुमति नहीं दी थी। परन्तु, जहां तक इसका सम्बन्ध है, जबकि इतना कुछ पहले ही प्रकट किया जा चुका है, तो प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए कि हम आपको दो दिन इन्तजार करने को कह रहे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश के हित में, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ये वायदे किए गए हैं अथवा नहीं। यह अनुलग्नक उस दस्तावेज का हिस्सा है जिससे हमारे वित्त मन्त्री का सम्बन्ध है; और उन्हें पूरी रिपोर्ट दी नहीं गई है; यही इससे प्रतीत होता है। परन्तु विश्व-बैंक में कार्यकारी निदेशक, जोकि की भारत के प्रतिनिधि भी हैं, को दिनांक 12 नवम्बर वाला दस्तावेज दिया गया था। अतः, वे जानते हैं कि यह भारत सरकार को दिया गया था। यदि सरकार यह जानती है तो क्या वित्त मन्त्री कह सकते हैं कि यह उन्हें नहीं भेजा गया था; अतः वह इसे प्रकट नहीं करेंगे। यह एक बहुत गम्भीर बात है। इसे एक साधारण बात नहीं समझें ? यह एक साधारण बात नहीं है। पहली बार हमें यह बताया गया है कि नीति सम्बन्धी सभी निर्णय उन्हें बता दिए गए हैं और यह आश्वासन भी दिया गया है कि बजट में कुछ उपाय शामिल किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया इस सदन को एक बात के बारे में अवगत कराना चाहेंगे ? संविधान में, सिद्धान्तों का उल्लेख होता है। घोषणा-पत्र में, नीतियां बताई जाती हैं। यदि बजट में इन्हें शामिल किया जाता है तो क्या आप इसे यह कहेंगे कि इसे पहले ही बता दिया गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं ऐसा कहूं तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि क्या यह गतिरोध है ? मैं अपनी नीति की साधारण झलक देते हुए, जनता के पास जा रहा हूं जिस पर जनता मेरा साथ देगी। यह नीति देश के सबसे बड़े नेता, देश की जनता के लिए ही है। अब वे विश्व बैंक के पास जाकर वायदे कर रहे हैं। जोकि इन्होंने इस देश की जनता के भारत की संसद के साथ नहीं किए। वे संसद में आकर सबसे पहले इस बात को क्यों नहीं बताते ? (व्यवधान) कांग्रेस के घोषणा-पत्र के बारे में मुझसे प्रश्न किया गया है कि क्या मैंने इसे पढ़ा है ? दुर्भाग्यवश मैंने इसे पढ़ा है। (व्यवधान)

डा० आर० मल्लू : हम विश्व बैंक से बातचीत कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया में वित्त मंत्री महोदय द्वारा पत्र लिखा गया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आपका घोषणा-पत्र है। यह सत्तारूढ़ दल का वायदा है :

> "हम अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियन्त्रण लायेंगे और विशेषकर कीमतों को जुलाई 1990 के स्तर तक लायेंगे।"

यह एक वचनबद्ध नीति है। निजीकरण की आपकी नीति कहां है ? घुटनों के बल विश्व बैंक के पास जाने की आपकी नीति कहां है ? यह सब कहां है ? कृपया देखें :

> "कांग्रेस प्रत्येक वर्ष रोजगार के एक करोड़ नये अवसर पैदा करेगी।"

यह नये रोजगार कहां है? सईद जी, आप धन्यवाद प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। यह सब कहां हैं? जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है, कितनी नौकरियां दी गई हैं। आप नीति की बात करते हैं। अतः हम घोषणा-पत्र की बात न करें। हमें पता है कि यह घोषणा पत्र कहां तक संगत है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि चुनाव के दौरान कई बातें कही जाती हैं, उनकी कौन परवाह करता है? इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए वे इसकी परवाह नहीं करते।

इसलिए, यह राजनैतिक दल अपने ही घोषणा पत्र का खुला उल्लंघन कर रहा है और उसे बदनाम कर रहा है ताकि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सद्भावनाओं के कारण सत्ता में रह सके।

महोदय, अतः मेरी यही आपत्ति है, हमें इसका विरोध जारी रखना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बजट पहले ही बता दिया गया है, इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, बात बहुत उलझती चली जा रही है, इसलिए इस पर बहुत स्पष्टरूप से चर्चा होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा है कि वित्त मंत्री जी ने विवश होकर सदन के पटल पर यह पत्र रखा, लेकिन हम लोग नहीं कहते कि वित्त मंत्री जी विवशता में काम करें और जिस तरह से सरकार को विवशता में काम करना पड़ा, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को जिम्मेदार नहीं समझता हूं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार समझता हूं। जिस तरह से हम लोग विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के शरणागत होते चले जा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार समझता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी और उनको डाकूमेंट नहीं दिखाया गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और वह पत्र 8 महीने से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। आज क्या बात है, क्यों वातावरण इतना रहस्यमय होता चला जा रहा है। क्यों वित्त मंत्री की और सरकार की यह विवशता है कि पत्र को सदन के पटल पर रखना पड़ता है। क्यों सदन का इतना कीमती वक्त जाया किया गया, क्यों यह डाकूमेंट एनेक्स्चर के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जबकि सारी दुनिया को मालूम है, सिर्फ सरकार इस सदन को वाजाप्ता मालूम नहीं होने देना चाहती, इसका क्या रहस्य है, क्यों नहीं करना चाहती?

अगर इस तरह की कार्यवाही चलती रही और देश की आर्थिक सार्वभौमिकता को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष सरेंडर किया जाता रहा तो हम लोगों को मजबूर होकर वित्त मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना पड़ेगा और इसके लिए अध्यक्ष इजाजत देनी चाहिए।

श्री रवि राय (बेन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग 2 दिन से इस पर बहस कर रहे हैं। मेरा पहला मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद खासकर रिपब्लिकन कांस्टीट्यूशन बनने के बाद देश में संसद की सार्वभौमिकता के सवाल का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, आपके

समक्ष और पूर्व अध्यक्षों के समक्ष भी इस तरह का मुद्दा कभी नहीं आया था। इसलिए यह असाधारण स्थिति है। मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और यह सवाल सिर्फ मनमोहन सिंह जी का नहीं है, बल्कि सरकार के बारे में है कि नरसिंह राव सरकार को क्यों 4 महीने लगे और सारे अखबारों को कहना पड़ा, आपको भी मेहनत करनी पड़ी। 4 महीने पहले चिट्ठी लिखी जा रही है तो ईमानदारी की बात तो यह थी कि सरकार सुओमोटो इस चिट्ठी को यहां रखती। चिट्ठी के साथ बहुत से और कागजात है, सारी 72 पेज की रिपोर्ट है। हमें तो सिर्फ 1/5 चिट्ठी ही मिली है। मेरा कहना है—

[अनुवाद]

सरकार यह क्यों नहीं समझती कि देश की संसद को विश्वास में लेना और सारी रिपोर्ट सभा पटल पर रखना उसका कर्त्तव्य है ?

[हिन्दी]

हम लोगों ने रिपोर्ट का एक हिस्सा ही पाया है। अध्यक्ष महोदय, आपको तकलीफ होगी, अध्यक्ष के नाते, कि प्रेस्टन जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है उसने एग्जीक्यूटिव के सदस्यों को कहा है कि नरसिंह राव के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है, जिसके वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, सारा सदन बैठा है, उस सरकार ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सदन की सोवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं है। प्रेस्टन कहता है अपने डायरेक्टर को कि भारत सरकार के ऊपर जो कंडीशन्ज हमने लगायी थी, भारत सरकार उसको मान चुकी है। तभी हमें लगता है कि सदन के रिपब्लिकन कान्सटिट्यूशन बनने के बाद इतिहास में पहली बार इस तरह का मुद्दा पैदा हुआ। राष्ट्र के नाते, संसदीय प्रजातंत्र के नाते यह ज्वलन्त सवाल है। यह कोई मामूली सवाल नहीं है। हमने क्यों सिर्फ पत्र मांगा, 72 पृष्ठ की पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी, कोई भी यह पूछ सकता है। मैं कह रहा हूं कि कानून के दायरे में हम इसे रखेंगे तो सारी चीज समझ में नहीं आएगी। मेरी मांग है कि कोई विकसित डेमोक्रेसी में चीज आती, सरकार ईमानदार होती तो इस्तीफा दे चुकी होती। मैं सरकार का इस्तीफा मांग रहा हूं। सरकार को एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सरकार ने संसद के साथ विश्वासघात किया है, संसद को कांफीडेंस में नहीं लिया। एकस्ट्रा टैरीटोरियल लायल्टी सरकार हो गयी, विश्व बैंक को तो सूचना दे रही है लेकिन हमको नहीं दे रही है। मैं नहीं जानता, 72 पेज की रिपोर्ट में क्या है, अखबार वाले कह रहे हैं, हो सकता है और भी रिपोर्ट हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए सारी रिपोर्ट को सभा के पटल पर आप नहीं रखते तो सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सारी फाईल रखी जा सकती है ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दा रख रहा हूं कि प्रेसीडेंट प्रेस्टन कह रहे हैं डायरेक्टर को कि उन्होंने जो शर्तें लगायी थीं, भारत सरकार, नरसिंह राव की सरकार उन शर्तों को मान चुकी है। क्या यह काफी नहीं है। हमारा जो बजट का सीक्रेट है यह बाहर के लोगों को मालूम हो गया, हमको मालूम नहीं हुआ। मेरी मांग है कि सरकार की यदि संविधान के प्रति तनिक भर भी

निष्ठा है तो सरकार को अभी, इसी क्षण गद्दी से हट जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सरकार को एकमात्र दण्ड है कि सरकार इस्तीफा दे दे।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि आर्थिक संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों सौंप देने के भूत से इस सभा के बहुत से सदस्य ग्रस्त हैं।

वास्तव में जो कुछ किया जाना है, हमें उसको ध्यान में रखना है। बजट के दो पहलू होते हैं। एक तो बजट सम्बन्धी नीति का पहलू होना है और दूसरा बजट सम्बन्धी प्रावधानों का। यदि बजट सम्बन्धी प्रावधानों को बजट के प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही बता दिया जाता है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है क्योंकि यदि बजट सम्बन्धी प्रावधानों का पहले से पता चल जाए तो इससे हेरा-फेरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आज आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है और निर्यात शुल्क में सकती की जा सकती है। यदि बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व यह सूचना दे दी जाती है, तो षडयंत्रकारी शक्तियां इसका अनुचित लाभ उठा सकती हैं। और इसलिए हमारी संसद और ब्रिटेन की संसद दोनों में यह प्रथा है कि बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व बजट सम्बन्धी प्रावधानों का भेद नहीं दिया जा सकता।

लेकिन बजट सम्बन्धी नीति क्या है ? वित्त मंत्री महोदय को आम राय लेनी होती है, चैम्बर्ज आफ कामर्स के विचारों को ध्यान में रखना होता है। उसे विभिन्न संगठनों के विचार आमंत्रित करने होते हैं। उसे चर्चा करनी होती है कि यातायात सम्बन्धी प्रावधान कड़े किए जाने चाहिए अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, यह पता लगाना होता है कि उद्योग को कुछ राहत दी जाय अथवा नहीं। हमें स्वतन्त्र लोकतन्त्र चलाना है। वित्त मंत्री महोदय को बजट सम्बन्धी नीति के बारे में जनता के सभी वर्गों से विशेषकर व्यापारिक तथा दूसरे संगठनों से विचार-विमर्श करना होता है। इस प्रकार यदि नीति को लेकर विभिन्न संगठनों से विचार-विमर्श किया गया है तथा उन्हें इसके बारे में बताया तो इसमें क्या हानि है ? सारी बात मुझे यह नजर आती है कि कुछ सदस्य बजट संबंधी प्रक्रिया के संकेत पाने का प्रयास कर रहे हैं और बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व बजट संबंधी प्रावधानों का पहले से पता लाने पर दबाव डाल रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। जब वित्त मंत्री बजट तथा लिखित-पत्र को रखेंगे, तभी हम यह पता लगा सकते हैं कि बजट संबंधी प्रावधान, आर्थिक प्रावधान इस सदन में रखने से पूर्व बताये गये हैं। विशेषाधिकार केवल बजट संबंधी प्रावधानों के पहले बताने के बारे में है। कोई भी इस अन्तर का पता लगा सकता है अन्यथा बजट संबंधी नीतियों के बारे में इस सदन से बाहर कोई भी विचार-विमर्श नहीं होगा।

हमें चैम्बर्ज कामर्स तथा विभिन्न स्रोतों के विचारों का खुलासा करना होता है। हमें उद्योग संबंधी विचारों की व्याख्या करनी होती है। यदि वित्त मंत्री महोदय यह बताते हैं कि उद्योगों को कुछ राहत दी जा रही है, तो यह बजट संबंधी प्रावधानों को बता देने वाली कोई बात नहीं है।

इसलिए, यदि बात को ध्यान में रख लिया जाता है, तो कुछ माननीय सदस्यों को जिस भूत का आभास हो रहा है, वह उनका पीछा नहीं करेगा। यह मेरा विचार है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैं यह महसूस करता हूं कि समय-समय पर सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों पर उसे प्राप्त हुई सफलता के कारण विपक्ष विस्मित रह गया है। सरकार द्वारा लिखे माने गये किसी ऐसे दस्तावेज पर जो किसी समाचार ऐजेंसी अथवा हमारे किसी माननीय सदस्य के हाथों पड़ गया हो, ऐसा विवाद पहली बार नहीं उठा है।

तीन दिन पूर्व माननीय वित्त मंत्री के विरुद्ध बजट सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रकटन के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाए गए थे। प्रथम तो, यह एक बहुत ही गम्भीर आरोप है। मैं समझता हूं कि जब प्रेस के लोग अथवा माननीय सदस्य यहां किसी पर कोई आरोप लगायें, तो उन्हें पूरे उत्तरदायित्व की भावना के साथ ऐसा करना चाहिए। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। और यदि मैं कहना चाहता हूं कि वे सिर्फ शंकाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इस सम्मानीय सभा में हड़कम्प मचा दिया जाता है। जब यह देखा गया कि इस हल्ला गुल्ला के पश्चात जो हमने इस सम्मानीय सभा में देखा हुआ, (व्यवधान), मैंने यह शब्द पूर्ण उत्तरदायित्व से साथ कहा है—अन्ततः इस दस्तावेज से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। जब जनता की नजरों के सामने ये आरोप लगाने वालों का भाण्डाफोड़ हो गया, तब उन्होंने अपने विचारों को छिपाना चाहा और सभी प्रकार के आरोप लगाए।

मैं निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि सभा के समक्ष यथार्थ कार्य-सूची अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसाकि इस दिन आपने कहा था कि सामान्य बजट पर चर्चा के समय तक के लिये इसे स्थगित किया जा सकता है क्योंकि शीघ्र ही बजट जनता के समक्ष पेश किया जायेगा। वे जान जायेंगे कि जो कुछ प्रकट हुआ है क्या वह सिर्फ नीतियां ही हैं—जैसाकि मेरे माननीय मित्र कह रहे थे—और क्या यह सिर्फ बृहत मदें हैं अथवा कि क्या यह बजट के वे ब्यौरे हैं जिनको लोगों से सम्बन्ध है। जनता यह जान जायेगी कि हम सत्य को जानना चाहते हैं अथवा नहीं। किसी न किसी तरह से सरकार से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हर प्रकार की कहानियां नहीं गढ़ सकते हैं।

मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। जो कुछ हो रहा है उससे वे अवगत हैं। उन्हें इन सभी आधारहीन, झूठे आरोपों का सामना करना ही है। वे इस सम्बन्ध में धीरतापूर्वक चुप्पी साधे हुए हैं। इस समय हमें इसकी सराहना करनी होगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि दो दिन बाद सारी बात स्पष्ट हो जायेगी जब माननीय सदस्यों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा। (व्यवधान) तब जनता को यह मालूम हो जायेगा कि आप लोग देश का शासन कार्य चलने नहीं देना चाहते हैं। आपको देश की कोई चिन्ता नहीं है। आपको इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस सम्मानीय सभा द्वारा कौन-कौन से कार्य निपटाये जाने हैं। हमारे समक्ष महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये मुद्दे उठाना जनता को धोखा देना है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है।

महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं यह कहता हूं कि वे सिर्फ दो दिनों और प्रतीक्षा कर लें और फिर देख लें कि बजट में क्या है। मैंने अपनी योग्यतानुसार इस दस्तावेज के अध्ययन की कोशिश की है। इससे कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं है और यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि बजट संबंधी

कोई गोपनीय बात प्राप्त की गई है। इस पत्र में बस वही लिखा है जो सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के समय से ही इसकी नीति रही है। और महोदय हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार लाना एक विवेकपूर्ण निर्णय है। इस सम्मानीय सभा से छिपा कर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम इस सभा की प्रभुसत्ता का आदर करते हैं और इसीलिये, महोदय इस सभा की इच्छानुसार हमने यह दस्तावेज सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है। अन्त में मैं सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि अब कृपया इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। महोदय, हमें सभा की कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, कल आपने यह आशा व्यक्त की थी कि आपके कक्ष में हुई बैठक के पश्चात्···

अध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ···यह मुद्दा सभा में फिर नहीं उठाया जायेगा। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश प्रतिदिन नये-नये तथ्य, नयी-नयी घटनायें प्रत्येक दिन प्रकाश में आ रहे हैं। इसलिए हमारी कुछ विवशतायें हैं आज इस मुद्दे पर नया दृष्टिकोण पेश किया जा रहा है, अर्थात् वित्त मंत्री महोदय के बजट अभिभाषण के भाग (अ) और (ब) के बीच कोई अन्तर्सम्बन्ध नहीं है। भाग (अ) में नीति संबंधी मामले, तथा बजट नीति है जिन्हें उजागर किया जा सकता है। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि उस भाग का अधिकांश विगत वर्ष ही देश के समक्ष प्रकट किया जा चुका है और भाग (ब) में बजट सम्बन्धी विशेष उपायों का उल्लेख है। प्रथम तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या अब से हमें बजट के भाग (क) और (ख) की दो भिन्न मामले समझना है। (व्यवधान) मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया है और बजट की गोपनीयता के बारे में समूची चर्चा और वह सब कुछ केवल भाग 'य' से सम्बन्धित नहीं होता है। भाग क और भाग य में सम्पूर्ण बजट होता है। भाग क में वे सभी संकेत होते हैं कि यही वह दिशा हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं और जा रहे हैं; और इसके बाद इन संकेतों को भाग ख में मूर्त रूप प्रदान किया जाता है।

अब तक प्रचलित परम्परा, रिवाज अथवा प्रथा अथवा जो कुछ भी आप इसे कहना चाहें, यह रही है कि बजट का भाग क और भाग ख इन्हें संसद में बजट प्रस्तुत किये जाने वाले दिन पटल पर रखे जाने तक गोपनीय रखा जाता है।

श्री मनमोहन सिंह : ये भाग गोपनीय हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये भाग गोपनीय हैं, बड़ी अच्छी बात है। महोदय, मेरा कहना है कि इस समूचे मामले/विषय के बारे में हम इतने चिन्तित क्यों होते जा रहे हैं क्या भाग क में निहित बहुत सी बातें होती हैं। मैं सहमत हूं कि ये वह बातें हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। वे, जैसाकि आप कहते हैं नीति संबंधी मामले, लोक नीति और ऐसी बातें होती हैं। कोई उन मामलों से सहमत है अथवा असहमत है, यह एक अलग बात है। परन्तु इन बातों की इस बार, ।। नवम्बर के पत्र के द्वारा विश्व बैंक को इस आश्वासन के साथ जानकारी दे दी गई कि ये नीतियां अमल में लाई जाने आने वाली हैं।

यह कोई एक बचकानापन है, मैं इस पर व्यर्थ में बोलने जाना नहीं चाहता। वर्तमान समय के परिपेक्ष्य में वास्तव में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व बैंक किसी प्रकार का कोई तटस्थ एवं निष्पक्ष अभिकरण नहीं है। अब हम एक जाल में फंस गए हैं क्योंकि हमें उनसे लाखों और करोड़ों डालर के ऋण लेना पड़ेगा। यही सारी समस्या है। समस्या यह है कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा और यही एक ऐसी संस्था है जो हमें ऋण देने में सक्षम है। अतः, हम विश्व बैंक, जोकि हमारा ऋणदाता है, को बजट के भाग क के बहुत बड़े हिस्से की जानकारी क्यों दें? यदि प्रश्न उठता है। वे हमारे ऋण-दाता हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या भाग क की जानकारी किसी को दी गई है? क्या इस भाग का इस पत्र में उल्लेख है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास भाग 'क' आने से पहले कैसे आप कह सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया ध्यान से सुनें। बाद में यह सुझाव दिया गया है, 'दो दिन तक और प्रतीक्षा करें और दोनों की तुलना करें—इसकी तुलना मूल बजट प्रस्ताव से करें' और इसके पश्चात्, निःसन्देह, यदि हमें यह लगे कि हम गलती पर हैं और 11 नवम्बर के पत्र में सब कुछ लिखा गया है, उसका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है·····

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आज स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु वे साफ-साफ कुछ नहीं कह सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे नहीं पता कि वे साफ-साफ कह सकते हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वे साफ-साफ नहीं कहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे निश्चय ही इस बारे में बोल सकते हैं। इसे सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने इसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। मेरी टिप्पणी इस दस्तावेज तक सीमित है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी टिप्पणी इस दस्तावेज तक सीमित है कि यह भाग 'क' में उल्लिखित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इतना ही नहीं (व्यवधान)। महोदय, क्या एक वित्त मंत्री को अप्रैल 1991 में उठाये जाने वाले प्रस्तावित कुछ उपायों के बारे में विश्व बैंक को सूचित करना चाहिए?

इसके अनुसार :

> "वास्तविक प्रयोक्ता की आवश्यकता में पहले ही छूट दी जा चुकी है·····अप्रैल, 1992 में समाप्त कर दी जायेंगी।"

यह आयात योजना को लचीला बनाए जाने के बारे में है। बजट अभी पेश होना है।

श्री मनमोहन सिंह : माननीय वाणिज्य मंत्री ने इस सदन में यही वक्तव्य दिया है। मैं उस बात को केवल दोहरा रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी हद तक, वाणिज्य मंत्री भी इसमें शामिल हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने घोषणा की है, परन्तु इस सभा में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं केवल एक या दो मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं। बहुत सी बातें हैं। आप कृपया हमें बतायें, जैसाकि अतीत से पता चला है, कि क्या वित्त मंत्री को पत्र लिखकर सरकारी बजट आवंटन प्रस्तावों चाहते हैं के बारे में एक ऋण देने वाले एक विदेशी अभिकरण को बताना चाहिए कि क्या इनमें कटौती की जायेगी अथवा वृद्धि की जाएगी ?

वे कहते हैं :

"सरकार तीन वर्षों में सभी बजट हस्तांतरणों और ऋणों को समाप्त करने और सरकारी ऋणो की पूर्ण समाप्ति और असंरचनात्मक सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी हेतु एक लक्ष्यों की एक अनुसूची निर्धारित करना चाहती है।"

यह 1992-93, अर्थात् आगामी बजट वर्ष, से सार्वजनिक क्षेत्र में होने जा रहा है।

हमारे विचार से यह सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त करने जैसा है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बजट सम्बन्धी सभी ऋण एवं सहायता समाप्त कर दिये जाने पर···(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैंने इस सभा में यह कहा है। यदि आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें, तो आपको पता लग जायेगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मनमोहन सिंह जी, मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक पत्र लिखा है और आपने मुझे उत्तर दिया था। काश ! उस पत्र को मैं यहां पर ले आता, परन्तु मैं नहीं जानता था कि यह मामला पुनः उठेगा। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के बारे में मुझे लिखे हुए आपके पत्र में आपने स्पेष्टतः उल्लेख किया था कि नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा सम्पूर्ण मामला अभी भी विचाराधीन है। इस समय यदि मैं यह देख रहा हूं कि इस "जन नीति" आग में आप कुछ मूलभूत बातों को सम्मिलित कर रहे हैं और जो कि नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अंश हैं, तो इस सम्बन्ध में फिर मैं क्या निर्णय दूं ?

श्री मनमोहन सिंह : उस दस्तावेज में मैंने इतना ही उल्लेख किया है कि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार अपना मत प्रकट करेगी। मैंने यह नहीं कहा है कि मैं सभी सिफारिशों को स्वीकार करूंगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उस वाक्य में कहा गया है :

"सरकार समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है"

इस सम्बन्ध में अनेक समितियां हैं। आप हमें बता भी सकते हैं और नहीं भी, आप समिति की सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मनमोहन सिंह जी, यदि आपकी बात समझने में मुझ से कुछ गलती हो गई है, तो कृपया आप मुझे बता दें। क्या यह नरसिम्हन समिति की सिफारिशों का अंग नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र में आप विद्यमान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे और आप उन्हें निजी कम्पनियों के हाथ में सौंपने नहीं जा रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, तथा बैंकिंग क्षेत्र में निजी और सहकारी क्षेत्र के बैंकों का विस्तार भी किया जाना चाहिए जिसमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं। आपने कहा है कि आप ऐसा करने जा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि हम इस बारे में विचार करेंगे। यह एक गलत टिप्पणी है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चित रूप से जब बजट आता है चाहे हमें यह अच्छा लगे अथवा नहीं, हम निश्चित रूप से प्रावधानों की तुलना करेंगे। परन्तु तब आप अथवा कोई और यह कहता है कि आप केवल भाग-ख की तुलना कर सकते हैं और भाग-क का इससे सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार से यह संभव नहीं है। क्या आप कोई नयी प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं ? इसके बाद क्या भाग-क को गोपनीय नहीं समझा जाए। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : वे बजट प्रक्रिया को लीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस पत्र के हर वाक्य एवं शब्द पर तर्क देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नहीं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अयूब खान (झुंझुनू) : आप चाहते क्या हैं ? आप बजट लीक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : वे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बजट लीक हो जाये। यह गम्भीर मामला है।

आप सभा की कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं। सोमनाथ जी ने यह स्पष्ट कर दिया है।

वे चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही रोक दी जाये । वे त्यागपत्र चाहते थे । वे चाहते थे कि सरकार काम न करे ।

सभा की कार्यवाही बन्द करने के लिए जानबूझकर यह प्रयत्न किया गया है । वे बजट को लीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ऐसा कह रहा हूं । यहां पर कोई भी सदस्य बजट को लीक आउट करना नहीं चाहता । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनको ऐसी आशंका है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री जी बजट को विश्व बैंक को लीक करने पर तुले हुए हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में आपके समक्ष खड़े हुए माननीय सदस्य अपनी यह आशंका प्रकट कर रहे हैं कि यदि इसी तरह से यह सब कुछ और कुछ समय तक जारी रहता है, तब इसके लीक होने की सम्भावना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका निर्णय आप पर है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनेक बार ऐसा कहा है । मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे तथा आप यह ध्यान रखेंगे कि मैं ये सब बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं अथवा सरकार को अथवा किसी भी दल का पक्ष लेने के लिए नहीं कह रहा हूं । परन्तु मैं कह रहा हूं कि हमें दो दिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और दो दिन के पश्चात् आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है । किसी भी स्थिति में हमें प्रतीक्षा करनी है । आज 27 फरवरी है । हमें मुश्किल से केवल दो दिन और प्रतीक्षा करनी है ।

परन्तु मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम इसे अत्यधिक अनुचित समझते हैं कि बजट के भाग 'क' के अंशों को विश्व बैंक को लीक आउट किया जाए । (**व्यवधान**) ऐसा ही किया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि भाग 'क' को लीक किया जा सकता है । तब क्या इस सम्बन्ध में आप निर्णय देंगे ? उन्होंने ये ही विचार प्रकट किए हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय इस बारे में नहीं दे रहा हूं ।

यह केवल विचार प्रकट किए गए हैं । हमारे समक्ष यह कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हम अपना

निर्णय दें। यदि सभा के समक्ष यह मामला सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा परन्तु आप अकाट्य और प्रभावशाली भाषण दीजिए जोकि समझ में आ सके।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे आपके निवेदन से परेशानी है। आपने कुछ इस तरह से बताया कि बात यदि इसी तरह से चली तो फिर सम्भावना है कि बजट बाहर आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका डर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उनका जो डर है, उसे आपने उत्तर देने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि बजट प्रेजेंट होने से पहले बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। यह मेरी रूलिंग है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस दस्तावेज को, प्रिन्टन को लिखा हुआ जो पत्र है, उसे पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो उनके मुंह से ये शब्द नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि दो जगहों पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक जगह कहा गया है :

[अनुवाद]

"इस समिति की प्रारम्भिक सिफारिशों का उल्लेख वर्ष 1992-93 के केन्द्र सरकार के बजट में किया जाएगा।"

[हिन्दी]

ये शब्द इस पत्र के 11वें पन्ने पर हैं। इसके आगे, 18वें पन्ने पर भी कहा गया है··· (व्यवधान)···शायद इन लोगों को मालूम नहीं कि इस देश में सार्वभौम कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, ऐसे नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्योंकि 18वें पन्ने पर दोबारा लिखा हुआ है और वहां पर कुछ ठोस प्रस्ताव के बारे में कहा गया है, प्रस्ताव क्या है, उसे भी एन्यूमरेट किया है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने डाक्यूमैंट पर डिस्कशन एलाव नहीं किया है। आप संक्षेप में जो कहना चाहें, कह सकते हैं, इतना लम्बा नहीं। मैं आपको बहुत टाइम देता हूं, मगर आज डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री आर्य फर्नान्डीज : मुझे अपनी बात को बोलने का मौका दीजिए, बीच में आप मुझे क्यों टोकना चाहते हैं। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा लेकिन मुझे इस बात की परेशानी है।

अध्यक्ष महोदय : परेशानी क्या है, वही बताइए।

श्री आर्य फर्नान्डीज : क्योंकि यह सवाल बजट तक ही सीमित नहीं है, मेरे पास प्रधानमन्त्री का वह भाषण है जो उन्होंने देवोस में दिया था, कुछ दिन पहले, जिसमें प्रधानमन्त्री मानते हैं कि देवोस हमारे लिए एक तीर्थस्थान है।

[अनुवाद]

प्रधानमन्त्री ने कहा कि, "देवोस एक तीर्थस्थान है। मैं यहां पर एक तीर्थयात्री के रूप में आया हूं।"

"मेरे लिए यह एक प्रकार का तीर्थस्थान है। आप ऐसे स्थान पर जाकर तीर्थयात्रा पर भाषण नहीं देते। इसकी बजाय मैं कुछ ग्रहण करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप भारत और भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं।"

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री के ये शब्द हैं। अब देवोस कौन जगह है—देवोस वह स्थान है जहां हिन्दुस्तान के सबसे बड़े नौकरशाह जाते हैं और बड़े राष्ट्रों के जहां उद्योगपति जाते हैं, छोटे राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य किस तरह जमाया जाए, यह तय करने के लिए। प्रधानमन्त्री बोलते हैं कि देवोस मेरे लिए एक तीर्थस्थान है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

श्री आर्य फर्नान्डीज : आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक बजट का प्रश्न है, इस पत्र के द्वारा वित्त मन्त्री ने बजट की जानकारी विश्व बैंक को देने का काम किया है, इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

अध्यक्ष महोदय : अब वे दो दिन तक सदन करने वाले हैं इसलिए आप भी इस पर बाद में कहना।

श्री आर्चे फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जहां आप कह रहे हैं कि आपको यह डर है कि बजट लीक न हो जाये, लेकिन मुझे दूसरी आपत्ति है। मेरी आपत्ति यह है कि इस पत्र के द्वारा हमारे वित्त मंत्रालय को इंटरनेशनल मौनीटरी फण्ड और वर्ल्ड बैंक ने अपने हाथों में लेने का काम किया है। मैं यहां पर डा० मनमोहन सिंह जी के बारे में ही आपत्ति नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझे आपत्ति है प्रधान-मन्त्री पर, क्योंकि प्रधानमन्त्री की नीतियां उल्टी तरफ चलायी जाने वाली नीतियां हैं। इसलिए आपको न केवल इस सदन की गरिमा रखनी है बल्कि इस राष्ट्र की जो इज्जत है, उसे भी बनाए रखना है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल, 29 तारीख से वह काम करेंगे, सब पर चर्चा करके।

श्री आर्चे फर्नान्डीज : कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप उसके बाद बोलेंगे, जो कुछ बोलना हैं और उसका जवाब भी दिया जाएगा। दो दिन के लिए रुकने की बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं मगर उसका जो दूसरा बाजू है, मैं उसे भी देख रहा हूं। उस पर यदि आवश्यकता से ज्यादा चर्चा होगी तो लोगों के दिल में, चाहे वह सही हो या गलत हो, यह डर निर्माण हो जाएगा यानी कि बजट के सीक्रेट्स डिस्क्लोज हो जाएंगे।

श्री आर्चे फर्नान्डीज : यानी आप हमारी बात पर ध्यान नहीं देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल एक लाइन और। यदि मैं सरकार को एक पत्र लिखता हूं तो आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या वित्त मन्त्री यह उत्तर देंगे कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री ए० चार्ल्स : मुझे अफसोस है कि बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व इस सम्मानित सभा में ऐसी चर्चा हुई है।

1.00 म० प०

पूरी चर्चा के दौरान विपक्ष के हमारे माननीय मित्र कहते रहे हैं कि इस सरकार ने देश की आर्थिक स्वायत्ता को विश्व बैंक के यहां गिरवी रखा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? जब श्री आर्चे फर्नान्डीज केन्द्रीय मन्त्री थे तब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस देश के रिजर्व बैंक में रखे बहुमूल्य स्वर्ण को गिरवी रखकर क्या इस देश की स्वायत्ता, सम्मान और गरिमा का समर्पण नहीं किया ? मैं सभी सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। हमारे माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने यह कहकर अपना भाषण समाप्त

किया है कि इस बजट को पेश नहीं होने दिया जाएगा'''(व्यवधान) कृपया कार्यवाही-वृत्तान्त देखिए। उनकी यह इच्छा है। जिस प्रकार इस अल्पसंख्यक सरकार ने कार्य किया है उससे वे परेशान हैं। वे पंजाब के चुनाव परिणामों से खुश नहीं हैं; वे मुम्बई नगर निगम के चुनाव परिणामों से खुश नहीं हैं। वे जानते हैं कि लोगों को इस सरकार में विश्वास है'''(व्यवधान) इसलिए वे देश को एक गलत सन्देश देना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के नाते हमें इस देश को चलाने का दायित्व है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री तथा वित्त मन्त्री के नेतृत्व में हम देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। वे इसी कारण कार्यवाही को रोकना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मन्त्री से बोलने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन अगर वह बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मनमोहन सिंह से बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर वह स्वयं ही कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अवश्य ही 29 तारीख को वित्त मन्त्री को बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : यादव जी, आप तो बहुत समझदार है, जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा है उसी को आप क्यों हिन्दी में कह रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं उनके लाभ हेतु अंग्रेजी में बोलूंगा क्योंकि वह हिन्दी नहीं जानते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल गलत अंग्रेजी समझते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कहने पर हिन्दी में बोल दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, आपने कहा है कि किसी राजनैतिक पार्टी के चुनाव घोषणापत्र

और सामान्य नीति प्रारूप में कुछ नीतियों को लाया जा रहा है। यह सही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन कृपया मुझे किसी भी राजनैतिक पार्टी के किसी भी घोषणापत्र के बारे में बताएं जो यह आश्वासन दे कि किसी वर्ष विशेष के बजट में कुछ प्रावधान किए जाएंगे जिनका कि यहां पर उल्लेख हुआ है। वित्त मन्त्री कहते रहे हैं कि वह बजट की गरिमा को बनाए रखेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने इसे बनाए रखा है।

श्री इन्द्रजीत यादव : मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने पत्र में दो बार—पैरा-14 और पैरा-21 में बजट की गरिमा का उल्लंघन किया है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपने मामले पर तर्क देते हुए वह यह कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं कि अप्रैल, 1992 में वह 'वास्तविक उपयोग-कर्ता' की जरूरतों को समाप्त कर देंगे। वह इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं···(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए कि कहां पर सरकार अगले वर्ष के बजट पर विशेष रूप से कहती है। उन्होंने कहा है कि सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 के बजट में कार्यवाही करना चाहती है। यह एक स्पष्ट वचनबद्धता है जिसमें कहा गया है कि वे बजट में ऐसा करेंगे। ऐसा किस आधार पर किया जाएगा? उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वित्त मन्त्री ने इस उच्च स्तरीय समिति को गठित किया है। आपने कहा कि अगर कर सुधारों, शुल्क और अन्य विषयों पर कुछ किया जाता है तो उसके लिए समिति को दायित्व दिया गया है। समिति को यह अधिकार दिया गया है कि आर्थिक प्रोत्साहनों को पूरा करने में पैदा हुई खामियों को दूर करे, इसमें सीमाशुल्क का सरलीकरण और तर्कसंगत करना भी शामिल है ताकि इस सम्बन्ध में मुश्किलों को कम किया जाए और सीमाशुल्क, शुल्क आदि करों के औसत स्तर में बदलाव करना, समाप्त करना, छूट देना और कमी लाना है, इस सम्बन्ध में कमी लाना, छूट देना और अन्ततः प्रत्यक्ष करों की पूर्ति में सुधार लाना और इसके अनुपालन को मजबूत करना है। शुरू में इस समिति की सिफारिशों को 1992-93 के केन्द्रीय बजट में पेश किया जाएगा।

मुझे ब्रिटेन के एक वित्त मन्त्री का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बजट पेश करने से पूर्व एक संसद सदस्य से बात करते हुए कहा था, "चाय पीते हैं। सम्भव है कल से हमें इसके लिए अधिक अदायगी करनी पड़े।"

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से हम इस पर पहले चर्चा नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। इसी वजह से वित्त मन्त्री को भी एक विदेशी एजेन्सी को नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हमने ऐसा नहीं किया है। इसके लिए वह उत्तरदायी हैं। हम उत्तरदायी नहीं हैं। इस प्रकार की चर्चा का अवसर नहीं आना चाहिए था। आप मुझे बताएं कि स्वतन्त्र भारत में कभी भी ऐसा समय आया है जब बजट से पूर्व इस प्रकार की कोई चर्चा हुई हो? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? यह वित्त मन्त्री ही है जिन्होंने हमारे विशिष्ट उपायों में से कुछ के बारे में विश्व बैंक को लिखा है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहता

हूं कि क्या उन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट दे दी है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मुझे बोलने दें···(व्यवधान)

श्री अयूब खां (झुंझनू) : आपको बीस दिन बाद यह पूछना चाहिए था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : मनमोहन सिंह जी, आप बैठ जाइए, बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पूरा करें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सभा के संरक्षक हैं। वित्त मन्त्री बोलने के लिए उत्सुक थे। उनके दल के सदस्य उन्हें दबा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उन्हें सलाह दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उकसाइए मत क्योंकि चीनी कड़वी और धूआं जहरीला भी हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय यह कैसे हो सकता है ? सभी जानते हैं कि चीनी मीठी होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उलझाइए मत।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने उनके पत्र से उद्धृत किया है कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति को कुछ सिफारिशें करने के लिए गठित किया गया था और ये सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं। अगर यह पत्र वहां गया है तो मुझे सन्देह नहीं है कि इन सिफारिशों के बारे में भी विश्व बैंक को जानकारी होगी और उसमें कहा गया है कि ये उपाय किए जा रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं कहता हूं कि आप···*···बोल रहे हैं। (व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : वित्त मन्त्री महोदय, आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : मैं ये शब्द वापस नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर वह कहते हैं कि मैं···बोल रहा हूं तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अगर वह कहते हैं कि मैं·····बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं कि यह मेरा अनुमान है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अभी तक बहुत संयमपूर्वक, सोच समझकर कभी विश्वसनीय तरीके से और कभी प्रहार करने के उद्देश्य से मुद्दे उठाए गए हैं। इसलिए अब वाद-विवाद के अन्त में हमें कठिनाईयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिएं। वित्त मन्त्री द्वारा कहे गए शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री चन्द्रजीत कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, वे चुप हों ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। (व्यवधान) इस पत्र से एक बात और उद्धृत कर रहा हूं कि इसमें यह वायदा किया गया है कि मई 1992 में क्या किया जाएगा। मई 1992 से अभिप्राय यह है कि उस समय तक हमारे बजट को पेश करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बात को दोहरा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं दोहरा नहीं रहा हूं। कृपया पत्र का पैरा 37 देखिए जहां पर उन्होंने वचन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह दस्तावेज नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने कहा है :

"सरकार द्वारा बजट सम्बन्धी तंगी का सामना करने से ऐसे प्रावधान तुरन्त तैयार करने के महत्व को बल मिलता है कि रुग्ण और अव्यवहार्य सरकारी उद्यमों के गठन में परिवर्तन किए जाएं, उन्हें बन्द किया जाए और कुछ चुनिंदा हुई इकाइयों और क्षेत्रों को गैर-सरकारी पूंजी के लिए चालू किया जाए। इस सन्दर्भ में सरकार मई 1992 तक एकदम अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए पुनः संरचना करने और उन्हें बन्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्य योजना बनाएगी।"

अब, वे इस देश को और इस संसद को विश्वास में लिए बगैर ही ऐसे प्रमुख नीति निर्धारण पर विश्व बैंक को विश्वास दिला रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही है कि हमने सरकारी क्षेत्र के 20 प्रतिशत शेयर दे दिए हैं और अब हम इसे बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर रहे हैं। हम इसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर रहे हैं। यह तो बुनियादी और नीति निर्धारण संबंधी प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि डंकल प्रारूप में जो भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मूल्य निर्धारित हो रहा है वित्त मन्त्री उसके सम्मुख झुक रहे हैं और इस डंकल मसौदे को स्वीकार कर रहे हैं और इस प्रकार हमारी आर्थिक स्वायत्ता को गिरवी रख रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और पार्टी विपक्ष का बहुत आदर करती है और इस सदन की गरिमा को सर्वोच्च मानती है। जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है, हमने राष्ट्र के सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए आम सहमति की नीति अपनाई। मुझे खुशी है कि पिछले 7-8 महीने से, जब से हमारी सरकार बनी, विरोधी दल के सभी सदस्यों ने, सभी ग्रुप्स ने सदन के अन्दर सरकार को सहयोग दिया। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कई बार की है और जब सैशन खत्म हुआ है, तब भी की है। यही कारण है कि प्रधानमन्त्री जी ने थोड़े से समय में, जब-जब भी राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी, नेशनल इण्टीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई और दो दफा पूरी एक राय बनाई। एक राय बनाई ताकि हम सब लोग···(व्यवधान)···मैं उस पर आ रहा हूं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : आप तीन दिन से किसपर बोल रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप नेशनल इण्टीग्रेशन काउंसिल की बैठक का जिक्र कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हमारी यही चर्चा यही हुई, हमारी सरकार का यही लक्ष्य था कि हम अपोजीशन को साथ लेकर···नहीं इधर भी और आप आना ही नहीं चाहते, आपने तय ही किया है कि दूर भागना है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपने प्रयास की बात करते हैं। अगर आप उस प्रयास को ठुकराना चाहें तो हम जबरदस्ती तो किसी की गोद में बैठ नहीं सकते लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे कुछ साथी अचानक क्यों बिगड़ गए, यह हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि, हमारी उस नीति में, कंसेंसस की नीति में, आम सहमति की नीति में सरकार की तरफ से कोई भी परिवर्तन हमारी ओर से नहीं हुआ है। यह हम (व्यवधान)

[अनुवाद]

आप पिछले तीन दिन से कहते जा रहे हैं। हम जो कुछ महसूस करते हैं; उसे कहने का हमें भी अधिकार है।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे अफसोस है कि आज हमारे साथी हमें बताते हैं और हम पर देश को बेचने का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पर यह भी आरोप लगाया कि वह वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी का काम करते हैं, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। हम पर इन पिछले दो तीन दिनों से इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम देश की सोवरेंटी और प्रेस्टीज को खतरे में डाल रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से बोलना चाहता हूं कि देश में सोवरेंटी और प्रेस्टीज को हमारी पार्टी, जिसने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई है, इस देश की सोवरेंटी और इण्टेग्रीटी को कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती। हमारी सरकार विपक्ष में बैठना कबूल करेगी लेकिन देश की गरिमा को कभी भी खतरे में नहीं आने देगी। यह सोचने का ढंग है, वी० पी सिंह सरकार का और उसकी तुलना आप चन्द्रशेखर जी की सरकार से कीजिए और उसकी तुलना आज नरसिम्हाराव जी की सरकार से मैं करना चाहता हूं कि पिछले आठ महीनों में उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए पंजाब, असम में जो कार्य किया, देश की आर्थिक हालत को···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। आप कल से दस बार बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

देश की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए, उन्होंने 8 महीनों में जो प्रयास किया, देश की इण्डस्ट्रियल पालिसी को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, देश की फिस्कल पालिसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, यहां प्रोग्रेस और डवलपमैंट के लिए जो उन्होंने कार्य किया, पी० डी० एस० और पब्लिक सेक्टर को ठीक करने का जो उन्होंने प्रयास किया, अगर उसे आप कहते हैं कि यह देश के हित में नहीं है तो वह आपके सोचने का आपका ढंग है, हमारा ढंग नहीं है। हर दल का अपने सोचने का ढंग है। हमारे मित्र, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

यह बजट मालिकों को खुश करने के लिए है। मैं हमारे माननीय मित्र से यह कहना चाहूंगा कि कोई भी हमारा मालिक नहीं है। भारत की जनता ही हमारी मालिक है। हो सकता है, कुछ लोगों के मालिक भारत के बाहर भी हों। लेकिन जहां तक हमारा सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार का सम्बन्ध है और कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, हम भारत के बाहर किसी भी मालिक को मान्यता नहीं देते। भारत के 80

करोड़ जन हमारे मालिक हैं और हम उनके निर्णय पर चलते हैं। हम किसी अन्य के निर्णय पर नहीं चलते हैं।

[हिन्दी]

माननीय स्पीकर साहब यही कारण था कि दो दिन से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर··· (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : क्या फाइनेंस मिनिस्टर की चिट्ठी की जानकारी आपको थी ?

श्री गुलाम नबी आजाद : उस जानकारी से आपको क्या मतलब है। (व्यवधान) फाइनेंस मिनिस्टर साहब दो दिन से यही कह रहे थे और उसकी आम सहमति को नजर में रखते हुए अध्यक्ष महोदय जब आपकी डायरेक्शन हुई और हमारे विरोधी दल के सभी साथियों ने यह समझा कि इसको टेबल पर रखना चाहिए तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको टेबल पर रखा। वह आम सहमति हमने, जो हमारी पालिसी के, उस नीति के अनुसार और स्पीकर सहाब की डायरेक्शन के अनुसार उस बात को मान लिया, लेकिन हमें आज उम्मीद थी कि मामला और बहस यही खत्म हो जायेगा क्योंकि दो दिन के बाद बजट पेश होना है और चार दिन बजट पर बहस करने के लिए रखे गए। लेकिन आज जब यह बताया जाता है कि यह पहली दफा आजादी के बाद हुआ है तो शायद ऐसी भी पहली दफा आजादी के बाद हुआ है कि बजट पेश करने से पहले बजट पर चर्चा की जा रही है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आज हमारे साथियों ने जो कहा है कि (व्यवधान) आप कैसे कह सकते हैं कि बजट रिलीज हो गया ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस बहस की कोई सीमा है (व्यवधान) क्या जो अखबारों में रोज निकलता है, क्या यह पार्लियामैंट, जो सबसे उच्च है, देश के अखबारों से गाइड हो जाएगा कि इस देश का सदन देश को गाइडेंस देगा, यहां के कुछ अखबार या एक कालम लिखने वाला अखबार इस देश के 85 करोड़ चुने हुए प्रतिनिधियों को गाइड करेगा। तीन दिन से उसी पर गाइड किया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान की जनता ने हमको यहां चुन कर भेजा, हम यहां कानून बनाएं, हम उनके पानी के लिए, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करें, सड़कें बनाएं, पुल बनाएं। (व्यवधान)

अगर अखबार एक चीज लिखता है तो उस पर घंटों, दिनों और महीनों हम बहस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, सरकार का नहीं है बल्कि यह सदन उतना ही आपका है जितना हमारा है। इस सदन में केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि विपक्ष की ही उतनी ही जिम्मेदारी इस सरकार को चलाने की है जितनी कांग्रेस पार्टी की है या रूलिंग की है। इसलिए इस बात को नजर में रखते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस सदन को चलाना चाहते हैं, आप इस सदन की कार्यवाही करना चाहते हैं, आप राष्ट्र के हित के लिए यहां जो बिल हैं उनको पास करना चाहते हैं और यह जो काम के लिए समय निर्धारित किया है उस काम को

करना चाहते हैं या खामखवाह की बहस कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। अब यह मैं आपके हाथ में और आप पर रखता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह का भाषण दिया है उसकी सदन में कोई आवश्यकता नहीं थी। समाचार-पत्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उनका कर्तव्य क्या है, यह उन्हें निर्धारित करने दीजिए। अगर समाचार-पत्र जानकारी न देता तो चिट्ठी प्रकाश में न आती। (व्यवधान) इसके लिए आप समाचार-पत्रों की आलोचना मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : पार्लियामेंट को गाइड करने में और आलोचना करने में बहुत अन्तर है।

वाजपेयी जी, मैंने किसी समाचार पत्र की आलोचना नहीं की है, मैंने कहा है कि क्या समाचार पत्र पार्लियामेंट को गाइड करेंगे।

[अनुवाद]

दोनों में अन्तर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अर्थ समझ गए हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आजाद जी ने विरोधी दलों को उपदेश दिया है।

श्री गुलाम नबी आजाद : ये तो 3 दिन से दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब आप विरोधी दल में थे तो किस तरह का आचरण करते थे, यह मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन उपदेश देने की भूमिका मत अपनाइये। (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : उपदेश देना तो अटल जी का अधिकार है, यह अधिकार गुलाम नबी आजाद ने क्यों ले लिया। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जरा इनको मराठी में शांत रहने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे पास कोई बटन तो है नहीं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, हम अगले 2 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। बजट की पवित्रता की रक्षा की गई है या नहीं की गई है, इसके-बारे में संदेह पैदा हुआ है। वित्त

मंत्री जी ने उनका निराकरण करने का प्रयास किया है, लेकिन अन्तिम फैसला बजट प्रस्तावों को देखने के बाद होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या वित्त मंत्री महोदय के लिए जरूरी था कि वे वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट को लिखे पत्र में बजट का हवाला देते। क्या बजट का हवाला देने की जरूरत थी। अगर सरकार की नीतियों की दिशा बतानी थी···।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर 2 दिन के बाद दें तो चलेगा?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, बजट का उल्लेख क्यों किया गया। अगर यह कह देते कि सरकार की आम नीतियां ये हैं, तो बात अलग थी। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमने कर्जा लिया है, हमने माने सरकार ने कर्जा लिया है। आई०एम०एफ० से लिया है, शर्तें लगी हैं, शर्तें मानी गयी हैं और आई०एम०एफ० द्वारा लगाई गई शर्तें मानी गई हैं। आई०एम०एफ० द्वारा लगाई गई शर्तें और वर्ल्ड बैंक द्वारा लगाई गई शर्तें कोई बुनियादी तौर पर अलग-अलग होंगी, यह समझने का कोई कारण नहीं है। दोनों की शर्तें समान ही होंगी और सरकार अगर दिशा बताती वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट को लिखे गए पत्र में तो बात अलग होती, लेकिन सरकार बार-बार बजट का उल्लेख करती है, इसकी क्या जरूरत थी। इसलिए मैं इन्द्रजीत गुप्त जी से सहमत हूं कि अगर इंप्रोपरायटी है तो हो सकता है कि वित्त मंत्री जी से यह इंप्रोप्राइटी इसलिए हो गई हो कि वे नए आए हैं, सदन के कायदे-कानून को नहीं जानते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत यादव : नहीं, वित्त मंत्री जी एक्सपार्ट हैं, वे जानते हैं कि बगैर कमिटमेंट के कर्जा नहीं मिल सकता। इस बारे में आपको गलतफहमी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बजट का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। बिना बजट का उल्लेख किए हुए सरकार की नीतियों की दिशा बता सकते थे। इसके लिए आप जरा फिर से विचार करें, अगर आप समझते हैं कि इन्प्रोपरायटी हुई है तो इसके लिए खेद प्रकट करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी अटल जी ने जो कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा और लैफ्ट फ्रंट का स्टैंड है कि सरकार को 29 तारीख के पहले, इसी लेटर चिट्ठी के सेकण्ड पार्ट को सदन के पटल पर रखना चाहिए। हम 29 तारीख तक इन्तजार नहीं करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार 12 नवंबर के रिपोर्ट को पूर्ण रूप से प्रकट करने को सहमत हुई है अथवा नहीं?

श्री मनमोहन सिंह : मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के उत्तर देने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हम वित्त मंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हैं और वे इस आदर के पात्र भी हैं। लेकिन उन्हें इस समय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, सदन में जो कुछ भी कहा गया, मैंने उसे बहुत ससम्मान सुना है। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष को मैंने जो पत्र लिखा था उसमें कोई भी अनौचित्य को मैं छिपाना नहीं चाहता और मैं उस विषय पर चर्चा और वाद-विवाद करना चाहता हू।

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने किसी भी अनौचित्य को नहीं छिपाया है। मैं इस विषय पर आने से पहले, श्री हरि किशोर सिंह ने जो कहा था, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने विश्व बैंक के एक दस्तावेज का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह दस्तावेज भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी से छिपाया गया था। मेरे विचार से श्री चन्द्रशेखर यहां पर नहीं हैं। लेकिन वे मुझे क्षमा करेंगे.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप उस तरह के उल्लेख से बचकर चलेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : यदि आप कहते हैं तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इनको ज्यादा बोलने के लिए मत कहिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो यह है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब लोगों को बचाता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : जुलाई 1991 में देश की ऐसी हालत थी, जब हमारे रिजर्वस की स्थिति केवल दो सप्ताह की आवश्यकता पूरी करने की थी। ऐसी स्थिति में, मैं सोचता हूं कि देश को चलाने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से सहायता लेना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। और मैं आई०एम० एफ० के प्रबन्ध निर्देशक अथवा विश्व बैंक के अध्यक्ष को पत्र लिखने के कारण, किसी से क्षमा मांगने

के लिए बाध्य नहीं हूं। मैंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए ऐसा किया था और मैंने जो कुछ किया है, उस पर मुझे गर्व है। मैंने उस पत्र में या उससे पहले के पत्र में जो कुछ लिखा था उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम विपरीत स्थितियों वाले दुनियां में जी रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं है कि आप आई०एस०एफ० जाएं और 2.2 बिलियन डालर का ऋण लें और उसके बाद यह कहें कि आपका विश्व बैंक से कोई लेना देना नहीं है। भले ही हमें यह अच्छा लगे या न लगे, ऋण की कुछ शर्तें तो होती ही हैं। हमने आई०एस०एफ० से जो 2.2 बिलियन डॉलर का ऋण लिया है वो भी विश्व बैंक से लिए गये संरचनात्मक समायोजन ऋण के समझौते पर आश्रित है। (व्यवधान) इसलिए आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए। यदि आपको देश के कार्यों को चलाने के लिए वर्ष 1991-92 में तीन बिलियन डालर की अतिरिक्त आवश्यकता है तब आप ये तीन बिलियन डालर की राशि कहां से लाते? कुछ दिन पहले सदन के इस ओर के मेरे मित्रों ने सोवियत संघ से यह लेने के लिए कहा था, लेकिन यह हमारे सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब सोवियत संघ नहीं है (व्यवधान)

आपका यह मत हो सकता है कि हमें इसे नहीं लेना चाहिए। मेरा यह विश्वास है और अनेक अवसरों पर मैंने यह कहा है कि हमारा उद्देश्य यथाशीघ्र इस कार्य को समाप्त करना है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम बाहरी सहायता ले रहे हैं, हमें अपने पूंजी देने वालों से चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि विश्व में यह सब दान में नहीं मिलता। आपको अपने पूंजी दाताओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है कि यह ऋण दोनों पक्षों को मान्य हो···(व्यवधान) प्रश्न यह है। शर्तें किस प्रकार की हैं? मैं इस बारे में आश्वासन देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल शर्तों को न तो हमने माना है और न ही मानेंगे।

महोदय, अब कल मैंने विकास नीति सम्बन्धी पत्र सभा पटल पर रखा जिसे मैंने 11 नवम्बर, 1991 को विश्व बैंक के अध्यक्ष को भेजा था, उसमें 500 मिलियन डालर संगठनात्मक समायोजन ऋण का अनुरोध किया गया था। अन्य दस्तावेजों और विशेषरूप से विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा मेरे पत्र के जवाब में दिए गए कुछ उत्तरों पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए हैं। मैंने कल सभा में कहा था कि मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि एक समाचारपत्र में गलत और शरारतपूर्ण रिपोर्टों के माध्यम से आरोप लगाए गए हैं इसलिए मैं इस बारे में अपनी टिप्पणी पर जोर दे रहा हूं ताकि माननीय सदस्यों का इस सम्बन्ध में कोई भी सन्देह दूर हो जाए।

मैंने सभा पटल पर जो विकास नीति सम्बन्धी पत्र रखा है वह सहायता हेतु हमारे अनुरोध का आधार था। इसमें उन आर्थिक नीति निदेशों का उल्लेख है जिन्हें सरकार अपनाना चाहती है। अगर माननीय सदस्य इन पत्रों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें जिन नीति निदेशों का उल्लेख किया गया है उन पर तो इस सम्मानित सभा में काफी विस्तृत चर्चा हुई और वाद-विवाद हुआ है।

सभा की जानकारी के लिए विश्व बैंक से संगठनात्मक समायोजन सम्बन्धी ऋण प्राप्त करने लिए प्रत्यक्ष वार्ताएं अक्तूबर, 1991 के दौरान शुरू की गई थी। इन वार्ताओं का उद्देश्य अन्य सभी

देशों की भांति विश्व बैंक को हमारे कार्यक्रम की बुनियादी संभाव्यता के प्रति आश्वस्त करना है। वार्ताओं के दौरान हम कुछ निश्चित कार्य-निष्पादन के मापदण्ड पर सहमत हुए थे जिसे लगभग 2.0 बिलियन डालर ऋण की दूसरी किस्त देने से पूर्व पूरा किया जाना था। ये कार्य-निष्पादन के मापदण्ड जिन्हें सामान्यत: शर्तें कहा जाता है, हमारे अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति के लिए कुछ विशेष हिदायतें देते हैं।

इन वार्ताओं के सफल निष्कर्ष के बाद हमने विश्व बैंक को विकास नीति सम्बन्धी पत्र भेजा था। इसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा जा रहा है। यह कहा गया है कि मैंने 11 तारीख को यह पत्र लिखा और विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज 12 तारीख को भेज दिए। मैंने कहा है कि मेरा यह पत्र हमारी वार्ताओं के परिणाम था। ऐसा 11 नवम्बर, 1991 को किया गया था। विश्व बैंक ने अपनी तरफ से तुरन्त इस मामले को बोर्ड के सम्मुख रखा जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक के अध्यक्ष ने सहायता की सिफारिश करते हुए बैंक के बोर्ड को एक ज्ञापन परिचालित किया था। अध्यक्ष का ज्ञापन 12 नवम्बर, 1991 का था। बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1991 को इस व्यवस्था को अनुमोदित किया। विश्व बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के बाद ऋण की शर्तों को एक कानूनी दस्तावेज में लिखा गया। इस सम्बन्ध में वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने दो पृथक दस्तावेज पर दस्तखत किए—एक दस्तावेज विश्व बैंक से 250 मिलियन डालर के ऋण से सम्बन्धित है जबकि दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 250 मिलियन डालर ऋण से सम्बन्धित है। दोनों 500 मिलियन डालर की सहायता के लिए हैं। केवल इन्हीं दस्तावेजों को भारत सरकार ने औपचारिक रूप में स्वीकारा है। क्योंकि मेरे पत्र पर आधारित ऋण की विशेष शर्तें इन दस्तावेजों में विस्तृत रूप में निहित हैं इसलिए मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम संसद से कुछ भी नहीं छुपा रहे। मैंने आज इन ऋण समझौतों की प्रतियां आज ग्रन्थालय में रख दी हैं। मैं इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि मैंने कोई अन्य दस्तावेज विश्व बैंक के अध्यक्ष को नहीं भेजा है और मेरे पत्र के उत्तर में भी अध्यक्ष की तरफ से कुछ भी नहीं भेजा गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक के कार्यकारी बोर्ड को दिए गए ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त की हैं। यह ज्ञापन विश्व बैंक का एक आन्तरिक दस्तावेज है जोकि सभी सदस्य सरकारों को परिचालित किया जाता है इसलिए भारत सरकार के पास भी उपलब्ध है। इस दस्तावेज में विशेषरूप से यह कहा गया है कि यह बैंक का एक आन्तरिक दस्तावेज है और इसे विश्व बैंक की अनुमति के बगैर जारी नहीं किया जाए। फिर भी, मैंने एक बार अपवाद के तौर पर इस दस्तावेज की प्रति भी संसदीय ग्रंथालय में रख दी है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा किया गया समझौता अथवा हमारे विचार आवश्यक रूप में इन दस्तावेजों का भाग नहीं हैं। हमने जो वायदे किए हैं वे मेरे विकास नीति सम्बन्धी पत्र में निहित हैं, इसे मैं सभा पटल पर पहले ही रख चुका हूं और यह ऋण समझौते में भी हैं इसे मैंने आज संसदीय ग्रन्थालय में रखा है।

महोदय, मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य आश्वस्त होंगे कि इन पत्रों में सरकार का व्यवहार पूर्णतया तिरस्कार से परे हो रहा है। हमने जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया है वह सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है और इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी, 1991 में चन्द्रशेखर सरकार को भी इस कोष बैंक से सहायता की आवश्यकता थी। यह सहायता अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष से कम शर्तों पर उपलब्ध थी। उन्होंने आशयपत्र भी भेजा था। अब, मैं आज इस आशयपत्र के विवरण बतलाना नहीं चाहता।

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : आप इसे भी सभा-पटल पर रखें।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : देश को अवश्य ही इस बारे में बताया जाए।

श्री मनमोहन सिंह : मैं समझता हूं कि अगर आप उस पत्र को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हम देश की स्वायत्ता बेच रहे हैं, हमारी सरकार के खिलाफ लगाया गया यह आरोप कितना खोखला है।

(व्यवधान)

मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमनें जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया है उसे सभी सदस्य देश आमतौर पर अपनाते हैं। हमने जो वचनबद्धता की है वह हमारे चुनाव घोषण पत्र तथा अनेक अवसरों पर संसद में कहे गए हमारे कथन के अनुरूप है। बजट के लीक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। धन्यवाद।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, सम्बन्धित मन्त्री को सदस्यों को प्रतियां परिचालित करने का सुझाव दें।

श्री चन्द्रकांत खेतर (कटक) : अब यह पत्र सभा पटल पर रखा गया है और वित्त मन्त्री ने अन्य रिपोर्टें भी ग्रन्थालय में रख दी हैं इसलिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर प्रश्न पूछने या उत्तर देने के लिए नहीं हूं बल्कि सदस्यों द्वारा अपने मुद्दे अच्छी तरह कहने के लिए उनकी प्रशंसा करने के लिए हूं। यह प्रशंसा दोनों पक्षों के सदस्यों के लिए है। मेरे विचार से अब इन दस्तावेजों पर चर्चा पूरी हो जाएगी और अगर इस पर और अधिक चर्चा करनी है तो बजट प्रस्तुत होने के बाद हम और अधिक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। अब हमें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है कि केन्द्रीय कक्ष में चलें और दोपहर का भोजन करें और उसके बाद आकर कश्मीर उद्घोषणा को पारित करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आपने हमें केन्द्रीय कक्ष मे आमंत्रित किया है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगा।

1.45½ म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, कटक और नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हेंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1356/92]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हेंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हेंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1357/92]

आर्थिक समीक्षा 1991-92 (भाग एक और दो)

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं "आर्थिक समीक्षा 1991-92 (भाग 1 और 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1364/92]

राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1358/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1359/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय श्रम सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बस सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1360/92]

(7) (एक) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1361/92]

(9) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1362/92]

(11) (एक) राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादन परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1990-91

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1363/92]

1.46½ म० प०

प्राक्कलन समिति

पांचवां प्रतिवेदन तथा सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : मैं कौंसलीव पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग संम्बन्धी प्राक्कलन समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.47½ म० प०

लोक लेखा समिति

सोवां तथा बसवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) मैट्रो रेलवे, कलकत्ता—अत्याधुनिक सिग्निलिंग उपस्कर की खरीद के बारे में सोवां प्रतिवेदन।

(दो) निर्वाह प्रसंस्करण क्षेत्रों के बारे में बसवां प्रतिवेदन।

1.47½ म० प०

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता

हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री विजय एन० पाटिल, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के एक सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री विजय एन० पाटिल, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के एक सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.48 म० प०

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 1992 के अन्त तक बढ़ाया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों

के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 1992 के अन्त तक बढ़ाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.49 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 26 फरवरी, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 26 फरवरी, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.49½ म०प०

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 27-2-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एंमराज कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.00 बजे म०प० पुन: समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.50 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : यहां इतना प्रकाश क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक है। इसे कम किया जाना चाहिए।

अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

3.05 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) बंगलौर-तुमकुर एकल रेल मार्ग को दोहरा करने की आवश्यकता

श्री सी०वी० बुदाल सिद्दियप्पा (चित्रदुर्ग) : कर्नाटक राज्य में बंगलौर-तुमकुर रेलवे लाइन अति-महत्वपूर्ण लाइनों में से एक है। 'सिद्धगंगा' मठ नामक तीर्थस्थान तुमकुर में है। एच०एम०टी० फैक्ट्री और अन्य अनेक उद्योग यहां हैं। शिक्षा और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केन्द्र है। एक इंजीनियरी कालेज

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

और तीन बी०एड० कालेजों सहित वहां अनेक शैक्षणिक संस्थाएं हैं। अनेक सरकारी कर्मचारी जो टुमकुर में रहते हैं, बंगलौर शहर में अपने कार्यालयों में जाने के लिए रेल यात्रा पर ही निर्भर करते हैं। अनेक व्यापारी भी इस रेलवे मार्ग पर निर्भर करते हैं।

इस बंगलौर-टुमकुर एकल लाइन पर रोज बीसियों एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियां आती जाती हैं तथा इस महत्वपूर्ण लाइन के दोहरीकरण का कार्य अनेक वर्षों से लम्बित पड़ा है। वास्तव में डिब्बों में बहुत अधिक भीड़ होने और गाड़ियों के बार-बार पार करने के कारण बंगलौर-टुमकुर के बीच रेल यात्रा बहुत कठिन है। रेलवे ने न तो बंगलौर से मंगलौर तक और न ही बंगलौर से धारवाड़ तक इस लाइन पर कोई नई गाड़ी चलाई है। इस कारण कर्नाटक की जनता के मन में गंम्भीर रोष व्याप्त है।

बंगलौर और टुमकुर के बीच इस लाइन की लम्बाई केवल 34 कि०मी० है और इस पर 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य को शुरू किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए।

(दो) कर्नाटक के वनों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : मार्च, 1990 से कर्नाटक के वनों में सात से अधिक बाघ और तीन चीते 'रेडियो-कॉलरिंग' और अन्य कारणों से मर गए। कर्नाटक में बाघों और चीतों पर कुछ अनुसंधान कार्य किया जा रहा है जिसे तत्काल रोक देना चाहिए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कर्नाटक के वनों में वन्य जीवों के संरक्षण और विशेष रूप से 'रेडियो-कॉलरिंग' तथा बाघों और चीतों पर हो रहे अनुसंधान को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल स्वीकृत पाठ ही पढ़ें। केवल उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाता है।

(तीन) एक अखिल भारतीय ग्रेनाईट नीति तैयार करने और ग्रेनाईट को एक मुख्य खनिज घोषित करने की आवश्यकता

श्री के०वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : भारत में ग्रेनाईट का उपयोग प्राय: नहीं होता है और इसे विदेशों को निर्यात किया जाता है जो प्रतियोगात्मक विश्व बाजार में केवल पांच प्रतिशत है। कम निर्यात का मुख्य कारण है खान को पट्टे पर देने और इसके मूल्य के बारे में एक समान नीति का अभाव। ग्रेनाइट वस्तुओं जैसे तैयार माल के मूल्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में अत्यधिक अंतर है। इससे विदेशी मुद्रा के लगातार वृद्धि में अवरोध पैदा होता है। पूरे भारत में वास्तविक उत्पादकों 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों सहित निर्यातकों को एक समान नीति के अभाव में बहुत कठिनाई का सामना करना होता है जैसाकि चमड़े के तैयार वस्तुओं के साथ होता है। एक अखिल भारतीय ग्रेनाईट नीति

बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रेनाईट को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में घोषित किया जाए। ग्रेनाईट के निर्यात से विदेशी पूंजी को बढ़ाने के लिये मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह ग्रेनाईट को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में घोषित करें।

(चार) विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० सुन्दर रेड्डी (वारंगल) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना 2 × 500 मेगावाट को तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी है जिसकी अनुमानित लागत 1560 करोड़ रुपया है। यद्यपि निजी क्षेत्र से इस परियोजना के लिये आशाजनक उत्तर मिले हैं फिर भी सरकार ने यह परियोजना उन्हें अब तक नहीं सौंपी है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के जन कल्याणार्थ है। इस परियोजना को मंजूरी देने में की जा रही विलम्ब से आंध्र प्रदेश की पूरी जनता को घाटा हो रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में जल्द कार्यवाही करे।

(पांच) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए आवंटित राशि की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक सम्पदाओं का धनी बिहार अभाव और विपदाओं से ग्रसित है। विकास के लिए देश में सात पंचवर्षीय योजना संचालित की गई; किन्तु खेद है कि बिहार की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति व्यय की राशि 17 थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि 26 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय व्यय 52 की तुलना में 44 थी, तीसरी में 86 की तुलना में 70, चौथी में 125 की तुलना में 94, पांचवीं में 302 के मुकाबले 207, तथा छठी एवं सातवीं में क्रमशः 670 की तुलना में 442 एवं 1,022 की एवज में केवल 642 और इसके बाद भी यह क्रम इसी प्रकार चालू है। बिहार के आम जनजीवन की दीन-हीन अवस्था को देखते हुए आवश्यक तो यह था कि यहां के विकास पर अधिक बल दिया जाता, किन्तु वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय 338 की तुलना में बिहार के लिए 261 निर्धारित किया गया जोकि न्यायसंगत नहीं है। योजना आयोग ने स्वयं 2,251 करोड़ की राशि पूर्व में प्रस्तावित की थी, आज सरकार ने उसमें 70 प्रतिशत कटौती कर केवल 700 करोड़ रुपया मात्र कर दिया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

(छः) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा संसद सदस्यों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी०एम०सी० बालयोगी (अमालापुरम) : केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे ग्रामीण-शहरी आवास, डी०आर०डी० ए०, सी०आई० टी०डी०ए० इत्यादि में राज्यों की सरकारें केवल विधायकों को और वह भी राजनैतिक आधार पर शामिल कर रही है और संसद सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्यों की सरकारों को निर्देश दे कि वह संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्यों को भी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल करे।

(सात) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली पहाड़ी जिलों को मात्रा में खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, केन्द्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पौड़ी एवं चमोली जनपदों के लिए आबंटित खाद्यान्न गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का ढुलान नहीं किए जाने के कारण इन दोनों जनपदों में पिछले वर्ष कई महीनों मे खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में यहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है जिसका मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न गोदामों तक राशन पहुंचाने में निरन्तर उदासीनता बरता जाना है। इसके फलस्वरूप पौड़ी एवं चमोली जनपदों में वर्तमान में 500 ग्राम चावल व इतनी ही मात्रा में गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह के हिसाब से लोगों को प्राप्त हो रहा है जब कि यहां के लोग खाद्यान्न के मामले में सरकारी राशन पर ही निर्भर रहते हैं। मैं इस विषय में उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि माह जनवरी 92 में पौडी जनपद को 1775 मैट्रिक टन गेहूं मिलना था किन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल 900 मैट्रिक टन गेहूं ही दिया गया है। इसी प्रकार इस जनपद को जनवरी माह में ही 680 मैट्रिक टन चावल मिलना था किन्तु खाद्य निगम द्वारा केवल 477 मैट्रिक टन उठाया गया है जो अपर्याप्त है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने जिन विकास खण्डों का चयन किया है उनमें इन दोनों जनपदों के सभी विकास खण्ड शामिल हैं और इसके बावजूद भी वहां पर यह स्थिति पैदा की जा रही है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों जनपदों में खाद्यान्न गोदामों में शीघ्रातिशीघ्र समुचित मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य सामग्री पहुंचाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश भारतीय खाद्य निगम को तुरन्त जारी किए जाएं।

(आठ) ताजमहल को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मैंने अपके कार्यालय में मूल रूप से जो सूचना भेजी थी ताजमहल के प्रदूषण के सम्बन्ध में सकारात्मक कदम उठाने की, उसे काट दिया गया है। स्पीकर साहब स्वयं होते तो अच्छा होता। मैं उनसे मिला था। मैंने कहा कि सकारात्मक कदम उठाने का मेरा सुझाव इसमें से काट दिया गया है इसके कारण मेरे प्रस्ताव की आत्मा मर गई है। मेरे सुझावों को रखने की अनुमति दी जाए अन्यथा मैं सदन का बहुमूल्य समय केवल कागजी कार्यवाही में नष्ट नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने क्या सुझाव दिया था ?

श्री भगवान शंकर रावत : मैंने सुझाव दिए थे, वे सब काट दिए गए हैं। ओरीजिनल आपके पास है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका स्टेटमैंट लैनथी था। क्या आपके पास ओरीजिनल है ?

श्री भगवान शंकर रावत : मुझे मूल प्रति दिलाई जाए ताकि मैं उसे रख सकूं। मेरी सूचना नियमानुसार 250 शब्दों के अन्दर ही है। मैंने ताजमहल के प्रदूषण का मामला उठाया था। प्रदूषण की कार्यवाही में प्रशासन क्या सकारात्मक कदम उठाए यह मैं कहना चाहता हूं।

मुझे मूल प्रति मिल गई है।

महोदय, भारत सरकार के ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के लिए अपर्याप्त एवम् नकारात्मक कदमों के कारण ताज चमक खोता जा रहा है। आगरा की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। मेरा शासन से अनुरोध है कि ताज पर्यटकों व आगरा वासियों के स्वास्थ्य व सम्पन्नता के हित में सकारात्मक कदम उठावें।

आगरा में पत्थर के कोयले, लकड़ी व गोबर के ईंधन में प्रयुक्त किए जाने से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 1984 से आगरा के 55 हजार प्रतीक्षारत आवेदकों को रसोई गैस व वाणिज्यिक गैस कनैक्शन अविलंब दिए जावें।

प्रदूषणविहीन उद्योग लगाने के लिए तथा वर्तमान उद्योगों को प्रदूषणविहीन करने को आवश्यक तक एच०जे०बी० पाइन लाइन डाली जावे। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को 1989 में प्राकृतिक गैस देने की स्वीकृति दे चुकी है। प्रदेश सरकार डेनमार्क की "डेवीडा" कम्पनी के सहयोग से परियोजना बना चुकी है तथा लाइन डालने को तैयार है। भारत सरकार गैस अथारिटी आफ इंडिया से प्राकृतिक गैस दिलावें। आगरा से समाप्त किये गये दोनों विद्युत गृहों के स्थान पर गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित किया जाए।

आगरा को विधिवत् अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक नगर घोषित कर उसी स्तर की नागरिक व उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध कराई जावें। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में वर्तमान प्रस्तावित संसाधन विहीन

अपूर्ण योजना के स्थान पर यमुना को प्रदूषण रहित बनाने के लिए नालों व सीवर की गंदगी से मुक्त किया जावे। यमुना पर बैराज व घाटों का निर्माण किया जावे। ताज नेशनल पार्क योजना व वृक्षारोपण का कार्य तेजी से किया जावे।

3.19 म०प०

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—(जारी)

श्री पी०सी० चाको (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री एस०बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किए गए उस संकल्प का समर्थन करता हूं जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय शासन को और छह माह की अवधि तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर सभा के अनुमोदन की मांग की गई है।

मैं इसका समर्थन प्रसन्नता के साथ नहीं बल्कि खेद के साथ कर रहा हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का अभिन्न अधिकार है—चाहे कश्मीर हो या पंजाब—उनकी अपनी निर्वाचित सरकार हो। लेकिन राष्ट्रीय शासन की अवधि बढ़ने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां सरकार को विवश कर रही हैं। महोदय, मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी पक्ष इस बात से सहमत होंगे कि और अवश्यंभावी परिस्थितियों को देखते हुए संकल्प का समर्थन करेंगे के संकल्प को समर्थन ही नहीं देंगे बल्कि देश की इस संकट ग्रस्त क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने में सरकार के निश्चय को भी समर्थन देंगे।

महोदय, देश का सबसे खूबसूरत क्षेत्र कश्मीर आज सभी के चिन्ता का विषय बन गया है। कश्मीर नाम से ही ऐसा लगने लगता है कि वह कोई परियों का देश होगा जिसे ईश्वर ने स्वयं बनाया होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज विश्व के सामने कश्मीर भारत माता के गालों पर ठहरी आंसूओं के बूंद हैं। इन हालातों को बदलना होगा। और मुझे इस विषय पर पिछली बार जो इस महान सभा में चर्चा हुई थी उसकी याद आ रही है। एकमत से यहां पर यह व्यक्त किया गया था कि राजनैतिक प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। इसलिए मैं चव्हाण साहब और इस सरकार को एवं वहां राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो प्रयास शुरू किया गया है उसके लिए बधाई देता हूं। पंजाब चुनाव के बारे में विपक्ष में निराशाजनक भाव थे। वे यह कह रहे थे कि यह सरकार पंजाब में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। और निरुत्साहित करने वाले अभियान के बावजूद सरकार वहां चुनाव सम्पन्न कराने में सफल रही। देश के दुश्मनों और अन्दर के लोगों द्वारा भी अवरोध पैदा किए गए फिर हम पंजाब में चुनाव सम्पन्न करा पाए और पंजाब में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो पाई। इसी जो[illegible] साथ और उस भी अधिक शक्ति के साथ हमें सारे प्रयास करने होंगे ताकि कश्मीर में भी चुनाव कराया जा सके। यह महत्वपूर्ण समय है जबकि संकल्प सभा के समक्ष है और सभा तथा

राजनैतिक दलों का यह कर्तव्य है कि कश्मीर के लोगों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार पुनः दिलाने के लिए पूरी तरह जुटने की शपथ लें। यह प्रक्रिया गृह मन्त्री द्वारा तब शुरू की गई थी जब 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक में कश्मीर समस्या पर विशद चर्चा हो रही थी। महोदय, इस राजनैतिक शुरूआत में लम्बी दूरी तय करनी होगी और हमें वहां अनुकूल परिस्थिति पैदा करना होगा ताकि चुनाव कराया जा सके।

महोदय, इस सन्दर्भ में मैं सभा के सभी पक्षों और राजनैतिक दलों से निवेदन करता हूं कि वे केन्द्र के साथ इस मुद्दे पर खुले मन से सहयोग करें सभी प्रकार के पूर्वाभासों और पक्षपातों को छोड़कर ऐसा करना होगा। कश्मीर के नाम पर अनेक राजनीतिक अभियान चलाए गए लेकिन समाधान का तरीका समस्या से कहीं अधिक बदतर थे। इस सन्दर्भ में भा० ज० पा० द्वारा चलाए गए विफल 'एकता यात्रा' की मैं चर्चा नहीं कर सकता। यह जन आंदोलनों का उपहास मात्र बनकर रह गया। यह बुरी तरह विफल हो गया।

महोदय, कुछ लोग हिन्दू कश्मीर की बात सोचते हैं तो कुछ मुस्लिम कश्मीर की। हमारा प्यारा और खूबसूरत कश्मीर हिन्दू कश्मीर अथवा मुस्लिम कश्मीर नहीं है। यह तो धर्मनिरपेक्ष कश्मीर है यह कश्मीर मुस्लिम हिन्दू और बौद्धों का है। हमें उस पुराने और सुन्दर कश्मीर को बनाने के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करना पड़ेगा जोकि पंडित जी और शेख अब्दुल्ला का स्वप्न था। इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को और अधिक संयम बरतना होगा। उन्हें अपने पुराने नारों को त्यागना होगा जिन्हें वे अपने कुटिल राजनैतिक हितों के लिए अनावश्यक ही बोलते रहते हैं।

महोदय, मैंने केरल में एकता यात्रा देखी जो कन्या कुमारी से शुरू हुई थी। भा० ज० पा० के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में नारे लगाते हुए देखकर कष्ट हुआ। वे भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहते हैं। वे जितना जोर से यह नारा लगाएंगे कि भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया जाए उतना ही अधिक प्रत्येक भारतीय के दिमाग में यह स्पष्ट हो जाएगा की कश्मीर अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 संविधान में बना रहेगा। यह भारत के संविधान में बना रहेगा और यह मात्र ऐतिहासिक बात न होकर प्रत्येक भारतीय के दिमाग में यह बात रहेगा। प्रत्येक भारतीय के लिए कश्मीर बहुत ही प्रिय है लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस शहर के सभी ऐतिहासिक तथ्यों को भुलाया जा रहा है। वे कश्मीर के लोगों के अधिकारों की अवमानना करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ ? आपको इसका स्मरण करना है, आपको इतिहास याद करना है। वहां के लोग भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपको इसे याद करना चाहिए। जब अयूब खां और तत्कालीन विदेश मन्त्री भुट्टो ने आदिवासियों को कश्मीर घाटी में आक्रमण के लिए उकसाया था तो वीर कश्मीरी लोगों ने ही कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए संघर्ष किया था। वे बहुत ही आसानीपूर्वक इस इतिहास को भूला रहे हैं और वे कश्मीर घाटी के बहादुर लोगों को अपमानित करने के लिए नारे लगा रहे हैं। यदि वे अपने संकीर्ण राजनीतिक अभियान का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं तो इसका जवाब मिल सकता है। (व्यवधान) यदि सच्चाई जानने पर आप उत्तेजित होते हैं तो मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। यदि आप तर्क सुनने

के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। यदि भाजपा में कुछ समझदार लोग हैं तो मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि यह किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है बल्कि यह इस देश की समस्या है। श्री नरसिंह राव जी की सरकार, जिसने उल्फा की समस्या का समाधान किया, जो पंजाब समस्या का हल ढूंढ पायी है, अब आपके सहयोग से इस समस्या का भी हल ढूंढना चाहती है। आप सब खुले हृदय से सहयोग करें और अवसर आपके सामने है।

महोदय, इस देश की 85 करोड़ जनता चाहती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। (व्यवधान) मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं। मैं आपसे सहयोग देने का अनुरोध कर रहा हूं। कल जब आपकी ओर से श्री दीक्षित बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि श्री दीक्षित और श्री शाहाबुद्दीन जैसे लोग आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही उग्र रुख अपना रहे हैं। मैं भारत की आम जनता की ओर से, जो कश्मीर को बहुत अधिक चाहते हैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर मुद्दे पर अपनाए गए इन उग्र और अवास्तविक रुख का त्याग कर दें।

महोदय, आज कश्मीर की अनेक समस्याएं हैं। एक तानाशाही राज्यपाल, जिसे दिल्ली से कश्मीर पर शासन करने हेतु भेजा गया था, कश्मीर की समस्या को कश्मीरियों के लिए और भी बदतर बना दिया। मैं एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोच सकता हूं कि अपने ही देश में लोग शरणार्थी बन जायें। उन्हें कश्मीर में पुनर्स्थापित करना है। उन्हें अपनी सम्पत्ति और अपने घरों को अपनाने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें कश्मीर में अपने घरों में रहने के योग्य होना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति बनानी होगी। क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विकासात्मक समस्यायें भी हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश को बढ़ाना ही समस्या का निदान नहीं हो सकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि कश्मीर के विकास की समस्यायें तथा कश्मीर के क्षेत्रीय असन्तुलन सम्बन्धी समस्या, सीमा पार से विद्रोहियों की घुसपैठ, इन सभी समस्याओं का निदान किया जाना है।

इस देश के सभी राजनीतिक दल सरकार के पीछे एकजुट हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी दल को इन बातों पर कोई आपत्ति होगी। आज इस राष्ट्र के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान हेतु हमें राजनीतिक वार्ता और कार्यवाही की शुरूआत करनी चाहिए और हमें कश्मीर के सामान्य स्थिति और एक निर्वाचित सरकार बहाल करनी होगी।

एक व्यवहारिक नीति और दृष्टिकोण के साथ कश्मीर समस्या को देखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में सरकार कश्मीर समस्या का निदान करने में सक्षम होगी और यह इस सभा में वापस आकर यह सूचना देगी कि हमारे देश के अन्य संघर्षशील क्षेत्रों की भांति इस समस्या को भी हमने सुलझा लिया है। हमें कश्मीर समस्या का भी समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। हम इस दिन की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जम्मू और कश्मीर में

लागू राष्ट्रपति शासन, जोकि 18 जुलाई, 1990 से लागू है, की अवधि बढ़ाने के लिए एक संकल्प लेकर आयी है।

हमारे दल तेलुगु देशम की ओर से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। जब 10 फरवरी, 1992 को हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नेता श्री एन० टी० रामाराव जी ने भी में भाग लिया था और विपक्ष में अन्य नेताओं के साथ देश की प्रभुसत्ता की रक्षा हेतु समर्थन व्यक्त किया था और किसी भी सम्भाव्य घटना पर सरकार का साथ देने की भी बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कारण उचित हुआ तो वे स्वयं को अपने दल के कार्यकर्ताओं समेत किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार कर लेंगे। मैं अपने उन सभी वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हूं जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन जताया है।

जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर जोर देना अनावश्यक है। उस राज्य में अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त है। लेकिन विशेषकर विगत कुछ माह से यह विद्रोहपूर्ण स्थिति और भड़क उठी है और व्यवहारिक रूप से वहां कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही है और घाटी में कानून और व्यवस्था है ही नहीं।

समय की मांग उन नागरिकों में आत्मविश्वास जगाने की है जो अभी भयग्रस्त हैं और जो अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। विशेषरूप से जनवरी माह में कुछ बम विस्फोट हुए थे और कुछ पुलिस कर्मी मारे गए थे एवं अनेक घायल हुए थे। अब घाटी में ऐसी स्थिति व्याप्त है कि अधिकांश नागरिक अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं।

भारत धर्मनिरपेक्षता, संघवाद तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित है और इस सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं है। यहां के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी अखंडता और प्रभुसत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अब सरकार को घाटी में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की शुरूआत करनी है और यह देखना है कि वहां जल्दी से जल्दी लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना हो जाए। सरकार को धर्मनिरपेक्षता का यह सन्देश तथा हमारी वचनबद्धता विभिन्न लोगों तक पहुंचानी है।

एक बार पुनः इस संकल्प के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मुझे घंटी बजाने का अवसर दिए बिना ही आपने अपना भाषण 5 मिनट में ही समाप्त कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। कश्मीर की समस्या सारे राष्ट्र की समस्या है और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसके सम्बन्ध में भी इस देश में कोई दो राय नहीं हैं। कश्मीर की समस्या उत्पन्न हुई और आज जो इसने रूप लिया है उसके सम्बन्ध में मतभेद अवश्य है कि कश्मीर की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? मैं तो

समझता हूं कि जिस दिन भारत सरकार ने फारूख अब्दुल्ला सरकार को गिराने का और उनके स्थान पर एक कठपुतली सरकार बनाने का निर्णय लिया था और कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसी दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रारम्भ हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कश्मीर में जो यह गतिरोध चल रहा है और हमारे सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं यह नहीं होता। सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर इस समय हमारे लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चिन्ता का विषय बना हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में भी हमारी जो बदनामी होती है यह समस्या न आई होती।

इसलिए पहला शब्द यह होना चाहिए कि कश्मीर की समस्या पर दलगत भावना से विचार नहीं करना चाहिए, कश्मीर में किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है आज देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार है तो क्या हम उनको हटा देंगे? क्या हम एक ही दल की सरकार जो केन्द्र में सरकार रहे उसी की सरकार हर राज्य में होनी चाहिए, यह तो न हमारे संविधान के निर्माताओं ने रखा और न ही हमारे राजनैतिक चेतना की यह उपज है। हम वीरता में विश्वास रखते हैं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो हम देश की एकता विभिन्नता में देखते हैं और हमारी राजनीति की संरचना भी इसी दृष्टि से होनी चाहिए और यह गलती फिर नहीं दोहरानी चाहिए।

आज अगर कोई सरकार राज्य में केन्द्रीय सरकार से मतभेद रखती है या उस पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और एक कठपुतली सरकार बनानी चाहिए, कांग्रेस के लोग कठपुतली सरकार बनाने में भी सिद्धहस्त हैं मैं समझता हूं कि कृपा करके भविष्य में ऐसी चेतना नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, कश्मीर की समस्या एक संकीर्ण और संकुचित मानसिकता की उपज है। मैं उस कश्मीर को याद करना चाहता हूं जो 1947 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में था, मैं उस कश्मीर को याद करना चाहता हूं जिसने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में शब्द में शब्द मिला करके संघर्ष में हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में सरदार पटेल व राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में, जो संघर्ष इस देश में चल रहा था उस संघर्ष के साथ एकात्मकता जाहिर की थी। पाकिस्तान के आन्दोलन का विरोध करते हुए, मोहम्मद अली जिना के नेतृत्व का विरोध करते हुए, मुस्लिम लीग की नीतियों का विरोध करते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपना स्वर मिला कर एकता और एकबद्धता जाहिर की थी और उसके तहत जब भारत के संविधान की संरचना होने लगी तो संविधान के निर्माताओं ने, फाउंडिंग फादर्स ने कश्मीर की अस्मिता और विशेषता को कायम रखने के लिए उसमें धारा 370 का प्रावधान रखा, ताकि कश्मीर की अक्षुण्णता कायम रहे। आज जब भी कोई दोस्त, साथी या दल कश्मीर की अक्षुण्णता निरस्त करने के लिए कहता है, तब मुझे थोड़ा कष्ट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमको पड़ोस के बहुत ही शक्तिशाली मुल्क सोवियत संघ के विघटन से सबक लेना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फौज, सारी फौज खड़ी देखती रह गई और देश का विघटन हो गया। अगर सोवियत संघ में भी हमारे देश की तरह राज्यों को स्वेच्छा से काम करने दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। आज जब हम 1992 में देश के फेडरल रिलेशन के सम्बन्ध में बात करते हैं, संघीय ढांचे के सम्बन्ध में बात करते हैं तो हमें कश्मीर की विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जो इस देश के राष्ट्रीय

आन्दोलन के स्तम्भ थे, उन्होंने यह प्रावधान बहुत सोच-समझ कर रखा था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब भी इसमें परिवर्तन की बात होती है तो कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों को सन्देह होता है कि हमारे साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है और देश की मुख्यधारा में जुड़ने में उनको कठिनाई महसूस होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर के सम्बन्ध में एक पहलू पाकिस्तान का है। पाकिस्तान द्वारा विभिन्न अवसरों पर वहां के अलगाववादी तत्वों और आतंकवादी तत्वों को सहारा दिया गया है और आज पाकिस्तान भारत के खिलाफ लो कास्ट वार, कम खर्चे की लड़ाई लड़ रहा है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान कभी हमारा मित्र नहीं रहा है और उससे मित्रता की आशा करनी भी नहीं चाहिए, यह सम्भावना कम दिखती है। जब भी पाकिस्तान के शासक वर्ग को कष्ट होगा, तब उसके पास उसका एक ही समाधान है, जिस तरह से हम लोग कष्ट के समय भगवान को याद करते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान का शासक वर्ग कश्मीर समस्या को याद करता है और भारत के खिलाफ प्रचार के जरिए उस समस्या के आसान समाधान का रास्ता खोजता है। इस कड़ी में एक इस्लामिक राष्ट्रों का संगठन है, उसमें भी यदाकदा पाकिस्तान की शह पर कश्मीर समस्या का चिक्र चलता है और प्रस्ताव पास किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से मेरा आर्गनाइजेशन आफ इस्लामिक कंट्रीज से विनम्र निवेदन है कि वे भारत की आंतरिक समस्या में दखल न दें। भारत की जनता और भारत का संविधान सारे धर्मावलम्बियों को समान रूप से देखता है। भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आर्गनाइजेशन आफ कंट्रीज को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान पाकिस्तान की सारी आबादी से अधिक हैं और यहां पर उनके हित और उनके धर्म की हिफाजत पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इस आर्गनाइजेशन को दखल देने की जरूरत नहीं है।

कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में मानवाधिकार संगठन, अमनेस्टी इंटरनेशनल भी यदाकदा अमरीका या ब्रिटेन में यह सवाल उठाता रहता है मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में बनाई गई है, वह ठीक नहीं है। हो सकता है, सुरक्षा बल से कभी गलती हो सकती है। लेकिन जान-बूझकर नहीं। सरकार से भी अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जब भी कोई बात आए तो उसको गम्भीरता से लेकर उसका निराकरण करे। उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका लिहाज होना चाहिए।

लेकिन अमेरिकन लोगों को भी या ब्रिटेन के लोगों को भी हम याद दिलाना चाहते हैं। अमेरिका सिविल वार में मानवाधिकार के सम्बन्ध में सारी मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया था। उत्तरी आयरलैंड में जो हो रहा है उसमें भी मानवाधिकारों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो। क्योंकि इस समस्या का समाधान राजनीतिक प्रक्रिया से ही हो सकता है। बातचीत का सिलसिला शुरू हो। हम चाहेंगे कि जो राजनीतिक बन्दी हैं, जिन पर गम्भीर आरोप नहीं है सरकार उनको जल्दी रिहा कर दे और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे। राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कौन करेगा—चव्हाण साहब करेंगे या राजेश पायलट करेंगे, यह फैसला ये दोनों कर लें। हम चाहेंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें। चव्हाण

साहब हों चाहे पायलट जी, कश्मीर के मामले में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री सूरज मंडल (गौड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में आज सदन में चर्चा हो रही है। एक दिन में जम्मू-कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है या दो-तीन महीने में यह स्थिति पैदा नहीं हुई है। आज से 20-25 साल पहले से जम्मू-कश्मीर के अन्दर यह स्थिति पैदा हुई है। किसने पैदा की है, कौन इसका दोषी है, यह विचार होना चाहिए। आज पूरे देश में धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर जैसी हालत पैदा हो रही है। क्यों? जम्मू-कश्मीर में लोगों की हालत में क्या परिवर्तन हुआ? जिनके बाप और दादा खच्चर पर पर्यटकों को ढोते थे वे भी आज वही काम कर रहे हैं। जो आदमी होटल का खानसामा का काम करता है उसके पिताजी, दादाजी और परदादा जी ने भी यही काम किया। उस आदमी की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में जानबूझ कर इस तरह की हालत पैदा की गयी है। जम्मू-कश्मीर की 90 प्रतिशत आबादी को दरकिनार कर दिया गया है। उसको वहां के शासन और प्रशासन में भागीदार नहीं बनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो सिर्फ तीन प्रतिशत कश्मीरी पण्डित पूरे कश्मीर के शासन और प्रशासन पर कब्जा जमाए हुए हैं। आज जब वहां का नौजवान भूखों मरता है और अपनी बगल के लोगों को देखता है कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हवाई जहाज में उड़कर जाते हैं।

जो आजकल खच्चर पर जाता है तो उसके बाप-दादा भी खच्चर पर जाते थे लेकिन आने-जाने के साधनों का कोई विकास नहीं हुआ। पूरे हिन्दुस्तान में सामन्तवादी गरीबों को वोट नहीं डालने देते थे उसी तरह से आप लोग हल्ला मचाते हैं कि लोग भाग गए।...(व्यवधान) मैं साफ बोलता हूं इसलिए बताइए कि भागा कौन है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी, उसमें भी है। मैं भी उस बैठक में था। उसमें बताया गया है कि गांवों से चालीस हजार लोग भागकर वहां पर टिके हुए हैं और 18 हजार आदमी जम्मू-कश्मीर से भागकर दिल्ली में रह रहे हैं। ये लोग न गांव के और न शहर के हैं। जो लोग शासन में रहे हैं उनके मकान दिल्ली, चंडीगढ़ और कश्मीर में भी होंगे लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है। कश्मीर के मूलवासी कहां जाएंगे। वे नहीं भाग सकते। आज भी कश्मीर के मूलवासी वहीं पर हैं और लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा करना-वैसा भरना। शासन आप लोगों ने किया है, दूसरों ने नहीं किया है। जो आदमी कांग्रेस को वोट देता वह हो जाए हिन्दुस्तानी और जो कांग्रेस को वोट नहीं देता वह हो जाए पाकिस्तानी, यही आपका कर्म है। फारूख अब्दुल्ला की सरकार को गिराने का किसने काम किया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज आप छह महीने का समय ले रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन, छह महीने के अन्दर कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। जैसा पंजाब में कराया है, वैसे ही चुनाव कश्मीर में करवा दीजिए, लेकिन वहां पर आर्मी को मत रखिए। वहां पर लोग तबाह हो गए हैं। वहां पर सभी गरीब लोगों की मां-बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं। वहां के लोग तबाह हैं और जिन्होंने तबाही की है, उनको समझना चाहिए। यहां पर जो साथी बैठे हुए हैं, वे एकता-यात्रा की बात करते हैं और बार-बार धारा-370 की बात करते हैं...(व्यवधान) क्या आपने कभी यह सोचा कि धारा-370 क्यों बनायी और उसको क्यों लागू किया। हमारे झारखंड एरिया में एस० पी० टी० एक्ट है और सी० एन० टी० एक्ट बनाया गया। वहां इसलिए बनाया गया कि वहां आकर आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जो

मूलवासी हैं इससे उनकी पहचान नहीं हो सके, ऐसा बिहार सरकार ने हमारे साथ किया है इसलिए हम आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि हमारी आइडेन्टीटी समाप्त हो रही है। लेकिन धारा- 70 को खत्म करके आप जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं···(व्यवधान) आप नागालैंड और मिजोरम के बारे में बात कीजिए···(व्यवधान) आज आप नागालैंड चले जाइए वहां पर भी जाने के लिए सांसदों को भी होम मिनिस्ट्री से प्रमीशन लेनी पड़ती है। चव्हाण साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। वहां घूमने जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन आप नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते, वहां के वासी नहीं बन सकते, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसी ही कश्मीर भी, हमारे देश के कोने में स्थित है और वहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं जोकि हमारे साथ रहने के लिए आये हैं, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर धारा 370 खत्म कर देंगे तो उनका हम पर से विश्वास उठ जाएगा। ये लोग जो हवाई जहाज में चढ़कर कश्मीर जाते हैं इनको यह बात समझनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही झण्डा फहराने की क्या जरूरत पड़ी, क्या वहां गवर्नर नहीं था जो झण्डा फहरा सके। आपने अब यह मुद्दा उठा लिया है। पहले आप मन्दिर का मुद्दा लेकर आये थे। अब मन्दिर के मुद्दे पर चुपचाप हैं। पंजाब में चुनाव हो रहे थे इसीलिए एकता यात्रा की आपने बात की। मन्दिर तो कभी बनेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप लोग खाली वोट के लिए एकता यात्रा कर रहे थे। वहां आप बहस करते हैं बिजली, पानी और रोड्स के लिए। इसकी क्या जरूरत है। मन्दिर में चले जाइए और बोलिए जय श्री राम, रोड बन जाएगी। कहिए कि जय श्री राम, बी० ए० पास कर दो, हो जाएंगे, फिर क्या जरूरत है कालेजों की। ऐसे ही श्री राम कहिए तो पानी और बिजली भी मिल जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कश्मीर के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम बनाए। वहां से गांवों से लोग नहीं भागे हैं। केवल जो नौकरी करते थे, जो शहरों में रहते थे वे ही भागे हैं। वे भी डरकर भागे हैं। डर उसको होता है जो आदमी दोषी होता है। जो दोषी नहीं है वह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में रह लेगा। हम लोगों को कहिए, हम लोग पैदल कश्मीर में जाएंगे। आपको जाना होता है तो हवाई जहाज से जाते हैं। आपने झण्डा फहराया, न तो दूरदर्शन वालों ने और नहीं रेडियो तथा अखबार वालों ने प्रचार किया। जबकि आपको इसकी आशा थी। अगर आपको देशभक्ति में विश्वास है तो सीधे-सीधे चले जाते, किसी को कहने की क्या जरूरत थी। कोई आपको मना नहीं करता। आप चाहते थे कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिससे बी० एस० एफ० के प्लेन से लाया जाए। आप एकता परिषद की मीटिंग में भी वैसे ही कपड़े पहनकर आए जैसे ताश के पत्तों पर फोटो होती है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप वहां भी पंजाब जैसे ही चुनाव करवा दें। हमने हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा था कि एक आदमी जा रहा था काम करने के लिए तो उसको जबर्दस्ती पुलिस वाले पकड़ लाए और कहा कि वोट डालो, उसके डण्डे भी मारे। पहले वहां बोले कि 21 प्रतिशत मतदान हुआ, फिर कहा गया कि 28 प्रतिशत हुआ, बाद में तीसरी विज्ञप्ति में कहा गया कि 30 प्रतिशत मतदान हुआ जितना भी हुआ वोट तो पड़े और वहां से लोग जीते। ऐसे ही चुनाव तो वहां भी चुनाव करा दो, चुनी हुई सरकार होगी वह जनता के लिए फैसला करेगी। हम और आप लोग यहां बैठकर नहीं करेंगे, वहां की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार फैसले लेगी, वह अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए कश्मीर के लोगों को मौका मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र सिंह कैरों (तरन तारन) : मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में चुनाव ठीक हुए थे।

[हिन्दी]

आप हमें जाकर बता दें कि यह जगह है जहां जबर्दस्ती वोट डाले गए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में इलेक्शन बिलकुल फेयर हुआ है, इससे ज्यादा फेयर नहीं हो सकता।

4.00 म० प०

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गृह मन्त्री महोदय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छः महीने और बढ़ाने के लिए लाए हैं, वर्तमान परिस्थितियों में हर दल उसका समर्थन करेगा कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां चुनाव सम्भव नहीं हैं। कल से चल रही इस बहस को सुनने का मौका मिल रहा है और जो बहस एकता यात्रा के दौरान होनी चाहिए थी, वह अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के समय हो रही है।

उपाध्यक्ष जी, चूंकि मैं इस समस्या के साथ जुड़ा रहा हूं और कुछ बातें मेरे ध्यान में आयी हैं जिन्हें मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां वे एक ओर कश्मीर समस्या को हल करने के लिए सभी सम्भव कदम उठायें, वहां दूसरी ओर वर्तमान में जो वहां का प्रशासन है, उसको भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश दें कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ उत्तर तो मिले। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याओं के प्रति अपनी पार्टी की ओर से दायित्व निभा रहा हूं। मैंने बीसियों पत्र वहां के गवर्नर महोदय को लिखे हैं उन लोगों की समस्याओं के बारे में जो मुझे यहां मिलते हैं लेकिन मुझे दुख के साथ यह बात आपके ध्यान में लानी पड़ रही है कि मुझे एक भी पत्र का उत्तर कश्मीर के गवर्नर महोदय ने आज तक नहीं दिया है। यदि एक सांसद की ओर से जन समस्याओं के विषय में लिखे गए पत्र का उत्तर प्रशासन नहीं दे रहा है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक आम नागरिक को वहां किसी तरह की समस्या को हल करने के लिए क्या सहयोग मिलता होगा? वहां श्रीनगर के कालेजेस के कुछ मामले हैं, उनके कर्मचारी घाटी छोड़कर आ गए हैं, किसी को रिटायरमेंट हो चुकी है, उसका प्राविडेंट फण्ड, उसकी ग्रेचूएटी है, वह सिकन्दराबाद में बसे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, यद्यपि मैं उनकी बैकग्राउंट में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु बावजूद मेरे कई बार पत्र लिखने के उनके बारे में कोई उत्तर नहीं आया। हालांकि आपको पत्र लिखते हैं, आपकी ओर से कोई उत्तर आता है कि मामला दिखवा रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया कि मामले में क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार से कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षायें दी हुई हैं और कुछ विद्यार्थियों ने दूसरे प्रदेशों से आकर इंजीनियरिंग, मैडिकल कालेजेस में बी० एड० में प्रवेश लिया था, उनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। यदि घोषित भी हुआ है तो सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। मैं

चाहता हूं कि आप ऐसे निर्देश दें कि जिनके परिणाम घोषित किए जाने चाहिएं हैं वे करें और उन विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से मित्रों ने शरणार्थी बने उन लोगों की समस्याओं का जिक्र किया है जो स्वतन्त्र भारत में एक प्रदेश से शरणार्थी बनकर दूसरे प्रदेश में चले गए। श्रीमन्, दिल्ली में तो आपका शासन है। यहां पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे कश्मीर विस्थापितों ने अपनी मांगों के सिलसिले में प्रदर्शन किया तो उन पर लाठी-चार्ज हुआ। उनकी दुकानें, रेड़ियां गिराई गईं, हटाई गयीं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या को मानवीय समस्या समझकर देखा जाए।

कल एक माननीय सांसद बोल रहे थे। मैं उनका सम्मान करता हूं। वे कह रहे थे कि यह किसी बहकावे पर वहां से माइग्रेशन हुआ है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम उनकी लाइन पर, धर्म की लाइन पर आकर इन्सानी रिश्ते को भूल रहे हैं। क्या हममें से कोई है जो अपना घर-बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर इसलिए आ जाए कि कोई मुझे उकसा रहा है कि वहां शरणार्थी बन जाओ। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग वहां मकान, दुकान छोड़कर आ गए थे, पड़ोसी उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान करे यह सत्य हो! हमारी रिपोर्ट्स अलग हैं, भिन्न हैं। माननीय गृह मन्त्री महोदय, पिछली बार भी मेरे साथी खुराना जी सैकड़ों एफ० आई० आर० लाए थे, आपको फोटोस्टेट कॉपीज दिखाई थी कि हजारों घर उजड़े, लूटे हैं, जलाए गए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कुछ लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं तो वह स्वागत की बात है। हम सभी कहते हैं कि लोगों को किसी डर के कारण, किसी गलत भय के कारण वहां से छोड़कर आना पड़ा है, अन्ततः उन्हें वापस वहीं जाना है। उनका घर वहीं है। उसकी रक्षा करना सरकार का फर्ज है, पड़ोसी का फर्ज है। अगर वह कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वहां दुकानें लूटी गई हैं, इज्जत लूटी गई है, मकान, दुकान, सम्मान सब कुछ लूटा गया है। उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। यादव जी अभी हाउस में नहीं हैं। उन्होंने कहा बीजेपी को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए और तारीफ कर रहे थे शेख अब्दुल्ला की। जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया और उनको 11 साल जेल में रखा गया, तब वहां की कांग्रेस सरकार थी। तब यादव जी कांग्रेस में थे, अब इधर हैं। यहां से आपको भी सुझाव देते होंगे। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया तो कौन-सी परिस्थितियां थीं, वह तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों उनको 12 साल जेल में रखा गया।

कल यहां जिक्र हुआ कि आपने फोर्स किया कांग्रेस पार्टी को उस समय कि हमारे साथ चलो, अकेले नेशनल कांफ्रेंस की सरकार नहीं चल सकती। गुल मोहम्मद की सरकार आप लाए। ये गलतियां सरकारी तौर पर दोहराई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां शासन नहीं है, इसलिए कृपया एकता यात्रा का नाम लेकर इस बहस को मोड़ न दें। एकता यात्रा के कारण कोई वहां कोई नहीं मरा। जब टीकालाल टपुर जी की हत्या 1989 में वहां हुई थी। तब भी हमने कहा था कि जो लोग देश की एकता-अखण्डता के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें सुरक्षा दीजिए। तब यहां कांग्रेस सरकार थी। बाद में नेशनल फ्रंट की सरकार आई। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह आपके सामने है। उग्रवादियों को पकड़ना शुरू किया, फिर उग्रवादी किसी को अगुवा करके ले गए, उसके लिए आपने सेलेक्टेड उग्रवादियों को छोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की जान बचानी है तो इतने उग्रवादी छोड़ दो। किस व्यक्ति की जान का महत्व नहीं है? किसी को मरने दें? इसलिए कृपया इस समस्या को राष्ट्रीय

समस्या समझे, और मेरे जो मित्र एकता यात्रा का विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, आपकी अपनी विचारधारा है, हम अपनी राजनैतिक दृष्टि रखते हैं, लेकिन काश जैसे फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुई थी तो एक पोयट ने लिखा था कि—

[अनुवाद]

"जीवित रहना आनन्ददायी है परन्तु युवा होना स्वर्ग है।"

[हिन्दी]

आप में से कुछ हमारे साथ गए होते तो देखते वहां हमारे नौजवान, बहू-बेटियां, प्रणाम कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, तब आप महसूस करते कि एकता यात्रा के पीछे जो उद्देश्य था, वह किसी चुनाव की दृष्टि से नहीं था। चव्हाण साहब, आप अपनी स्टेटमेंट में कहिए कि जब हमने एकता यात्रा का निर्णय लिया तब आपने क्या पंजाब में चुनाव का निर्णय लिया था? यह चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं की गई थी। इसलिए इस बात को जोड़ने की बात ठीक नहीं है। मैं अपनी बात के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कश्मीर से कई पत्र आते हैं। एक माइग्रेण्ट स्टूडेंट लिख रहा है—

[अनुवाद]

मैंने हर किसी से पूछा :
अपने ही देश में मैं विदेशी क्यों हूं?
मैंने अपने प्रिय विद्यालय को क्यों खो दिया?
क्यों वर्तमान मेरे भविष्य को देख रहा है?
क्यों बन्दूकों की आवाज मेरे मन की शान्ति भंग कर रही है?
क्यों मैंने अपना प्रिय घर खो दिया?
हर कोई क्यों आतंकित है?
क्यों हमारे सिर पर बादल मंडरा रहे हैं?

[हिन्दी]

यह प्रश्न आज हर कश्मीरी का है। यहां हमारे जो कश्मीर घाटी में आने वाले संसद सदस्य थे, वे कश्मीर की आवाज रखते थे और वे कश्मीर की समस्याओं को समझते थे। हमें भी कश्मीर जाने का मौका मिला, जहां-जहां हम जा सकते थे और जाने के बाद, हमने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी परन्तु उस समय कहा गया कि हमारी बात गलत है। कोई सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान नहीं गया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज वहां के गवर्नर साहब की रिपोर्ट खुद इस बात को कहती है कि ऐसी परिस्थितियां वहां हैं, कुछ कर्मचारी ऐसी बातों में लगे हुए हैं। यदि आप वास्तव में प्रयत्न कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कश्मीर के हालात को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप अवश्य करिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग आपको मिलेगा परन्तु हमारा मानना है कि

धारा 370 एक अस्थायी कदम था। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह एक अस्थाई कदम है, टैम्परेरी स्टैप है। हम मानते हैं कि उसके कारण वहां नुकसान हुआ है जबकि आप मानते हैं कि लाभ हुआ है। ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण को रखिए, हम अपने दृष्टिकोण को सामने रखकर सोचते हैं। यदि उसे बदलने की आवश्यकता होगी, या तो राजनैतिक तौर पर वह खुद बदलेगा या हिन्दुस्तान की जनता उसके बारे में खुद निर्णय करेगी कि किसकी सोच ठीक है। जब समय आएगा, तब वह निर्णय भी होगा।

इन शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : उपाध्यक्ष जी, आज कश्मीर पर जब बहस हुई, मेरा दिल था कि मैं भी अपनी बात सदन के बीच में रखूं। पालिटिक्स में आने से पहले मैं फौज में रहा तो कश्मीर में काम करने का मुझे मौका मिला। वहां के कल्चर, वहां के लोगों के जज-बात से मैं जुड़ा रहा। राजनीति में आया, तो पार्टी की तरफ से भी, इसलिए 10-12 साल से मैं लगातार उनके सम्पर्क में रहा तथा उनके जजबात, उनकी जो बात, वक्त-वक्त पर सामने आयीं, मैंने सोचा कि आज मौका होगा, मैं भी उन बातों को सदन मे रखूं।

पहले तो मुझे खुशी है कि सभी भाई बड़ी गहराई से आपस में यहां बात कर रहे हैं। जितने स्पीकर्स बोले, सबने इस बात को कहा कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें कश्मीर की समस्या को हल करना है और यही एक बात कश्मीर की समस्या को हल कर सकती है। यदि हम लोग अपनी-अपनी पार्टी की लाईन उस कान्फलिक्ट में डालेंगे तो कश्मीर की समस्या बिगड़ती जाएगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वहां अब तक जो थोड़ा बहुत बिगड़ाव आया, उसमें राजनैतिक पार्टियां कहीं तक कन्ट्री-ब्यूट करती हैं।

कश्मीर हमेशा से ऋषियों और मुनियों का प्रदेश रहा है। मुझे उस वक्त खुशी हुई जब मैं मजहारे शरीफ में गया और वहां जाकर अनेक लोगों से मिला। हालांकि बहुत शोर था कि वहां नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी की तरफ से मना था, लेकिन मेरा दिल था कि वहां जाकर असलियत देखूं कि लोगों के जजबात वहां पर क्या हैं। मैं उन लोगों से मिला। जो हिन्दू भाई हैं, वे भी लालदेव को मानते हैं और जो मुस्लिम भाई हैं, वे भी उन्हीं लालदेव को मानते हैं। हिन्दू भाई उन्हें लालेश्वरी के नाम से पुकारते हैं जबकि मुस्लिम भाई उन्हें लालदेव के नाम से मानते हैं। उसी तरह एक दूसरे मुनि हैं, नुन्द ऋषि। हिन्दू भाई उन्हें नुन्द ऋषि के रूप में मानते हैं जबकि मुस्लिम भाई उन्हें शेख नुरुद्दीन के रूप में मानते हैं। ऐसा यूनीक एक्जाम्पल शायद पूरे हिन्दुस्तान में कहीं और देखने को मिले, मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं हो, जहां एक ही आदमी को, एक ही देवता को, दोनों हिन्दू और मुसलमान मानकर चलते हों।

जब देश को आजादी मिली, यदि हम कश्मीर को देखें तो कश्मीर की शुरुवात से देखना चाहिए। मैं बी० जे० पी० के भाइयों से इसलिए नहीं कहता हूं कि उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ कहता हूं बल्कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो महाराजा हरि सिंह से पहले, महाराजा प्रताप ने, उसे स्टेट सब्जैक्ट बना दिया था, आई स्टैंड फार करैक्शन, मैं महाराजा हरि सिंह नहीं बल्कि महाराजा प्रताप की बात कर रहा हूं। उन्होंने स्टेट सब्जैक्ट में इसको इंकलूड कर लिया था कि नॉन

स्टेट का आदमी वहां रोजगार और जमीन लेने का हकदार नहीं रहेगा। यह 1947 से पहले की बात है जबकि धारा 370 उस पर इम्प्रूवमेंट है। जब सरकार ने वहां धारा 370 लागू की, जब आजादी मिली, एक मैजोरिटी स्टेट मुस्लिम्स की, वह भारत के साथ जुड़े, इसी उद्देश्य से की थी। शेख अब्दुल्ला साहब को हम इसीलिए बोलते हैं, यों इज्जत देते हैं कि वे एक टालैस्ट पर्सनैलिटी थी मुस्लिम्स में, जिसने कश्मीर में खड़े होकर कहा था कि कश्मीर के मुसलमान हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे, उनकी कल्चर, उनकी इज्जत हिन्दुस्तान में बराबर कायम रखी जाएगी। ऐसा वायदा शेख साहब ने किया था। इसीलिए हम उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। वर्ना खुली छूट थी, जो पाकिस्तान जाना चाहता था, जा सकता था लेकिन एक मुस्लिम मैजोरिटी का हिन्दुस्तान के साथ जुड़ना, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात थी।

उस वक्त सरकार ने यह सोचा था कि 370 लगाकर इनके कल्चर और इनके जो हक हैं, उनको हम सुरक्षित रखें। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कन्फ्यूज करते हैं स्टेट सब्जैक्ट को धारा 370 से जोड़कर। यह मेरी आप भाइयों से प्रार्थना है कि संविधान में धारा 370 साफ है और जो बात आप पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं, उससे लोग थोड़े से गुमराह हो जाते हैं। वे यह समझते हैं कि धारा 370 हमको जमीन लेने का हक नहीं देती है। भाई सूरज जी ठीक कह रहे थे, ऐसी हमारी बहुत-सी स्टेट्स हैं, जहां जमीन नहीं खरीद सकते. नागालैंड है, मिजोरम है।

प्रो० प्रेम धूमल : पायलट साहब, एक मिनट के लिए आप मुझे क्षमा करें, भाई सूरज जी अब जो केम्युनल बेस पर कह रहे थे कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का ही रिप्रजेंटेशन सरकारी नौकरियों में है, क्या यह फैक्ट है ? सच्चाई इससे जुड़ी है।

श्री राजेश पायलट : हो सकता है आपकी नजर सही हो, मेरी नजर में इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, मैं उस बात को भी नहीं कहता, हो सकता है, मेरी बात आपको सही लगे, हर आदमी की राजनीतिक नजर अलग-अलग होती है। देश की राष्ट्रीय एकता को देखते हुए जो मेरी नजर में बात है वह यह है कि आप धारा 370 को स्टेट सब्जैक्ट से जोड़ देते हैं और इस कारण एक गांव का आदमी भी बड़े जोश से कहता है कि मेरा देश है और मैं अपने ही देश में जमीन नहीं खरीद सकता हूं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि धारा 370 को आप इससे बाहर रखिए।

आज सुबह भाई अटल जी कह रहे थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा यदि फाइनेंस मिनिस्टर साहब थोड़ा सा खेद प्रकट कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर में यदि स्थिति सुधारना चाहते हैं क्योंकि मैं सरकार बनने के बाद 6-7 बार कश्मीर गया हूं, गांव के लोगों से बात की है, वहां खुलेआम मुझसे लोग मिलने भी आए, वे लोग भी मिलने आए जो अपने आपको मिलिटेंट के दूसरे ग्रुप के बताते हैं, उनकी क्या भावना है, उनकी भावना यह है कि हमारा विश्वास हटता जा रहा है और यह बात हमको कहीं गहराई से सोचनी पड़ेगी। कश्मीर के भाइयों का विश्वास क्यों हटता जा रहा है ? इसके दो कारण हैं—जब पं० नेहरू प्रधानमन्त्री बने, तो पण्डितजी के साथ वहां के लोगों का डायरेक्ट पर्सनल टच था और वहां के लोगों को पण्डितजी के ऊपर भरोसा था कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे और ठीक रखेंगे और देश को ठीक चलाएंगे। उनके प्रति वहां के लोगों में व्यक्तिगत जजबात थे। यह बात उस समय नहीं, अब भी वहां जाकर अगर पण्डितजी का नाम लिया जाए, तो लोगों के मन में एक

जजबा पैदा हो जाता है क्योंकि पंडितजी ने अपने देश के प्रति अपनापन दिखाया। नेहरू बाद इन्दिरा जी आयीं, उन्होंने भी इस बात को समझा और उन लोगों का विश्वास बना रहा। आप मेरी इस बात पर यकीन करें, आज आप यह कह दें कि हमें खेद है कि धारा 370 को राजनीति रूप दे रहे हैं, तो इससे भी कश्मीर की आधी समस्या दूर हो सकती है।

प्रोफेसर साहब, आपने ठीक कहा है, आपकी नीयत शायद नहीं हो, लेकिन आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, सबसे पहला सवाल वहां यही पूछते हैं कि बी० जे० पी० वाले धारा 370 पर बोलना बन्द करेंगे या नहीं ? आज हर आदमी यही सवाल पूछता है, वह आदमी सवाल पूछता है जिसने 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी, जिसने 65 और 71 में पाकिस्तान पर बम डाले। यह अविश्वास जो उनमें आ गया है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको राजनीति से ऊपर उठाना होगा।

आज, यात्रा की बात ठीक है, आपका जो भी मकसद हो। आज आप कह रहे थे कि पंजाब के चुनाव शुरू नहीं हुए थे, अनाउंस नहीं हुए थे, मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बनी, उसी दिन हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पंजाब और कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे और जब सेशन हुआ, तो उसमें भी साफ-साफ कहा था कि हम पंजाब और कश्मीर में चुनाव जल्दी-से-जल्दी कराएंगे और पंजाब में चुनाव कराने का तो समय भी बता दिया था कि इस महीने के आसपास पंजाब में चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए आज हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चलें, अलग से चलें, यह सच्चाई है कि आपकी इस यात्रा ने देश में मायनारिटीज को हिलाकर रख दिया है। अभी मैं बम्बई फंक्शन में गया था, अभी मैं लखनऊ रफी अहमद किदवई साहब की बर्थ डे पर गया था, प्रोफेसर साहब, हर मुसलमान ने मुझे यह सवाल पूछा था। इस पर गहराई से सोचो, इस पर पौलिटिकल फायदे की दृष्टि से न सोचो, अगर इस देश में मायनारिटीज का विश्वास हट जाएगा, अगर मायनारिटीज के लोग यह सोचेंगे कि यह हिन्दुस्तान हमारी जगह नहीं है, तो हम इस देश की एकता को मजबूत नहीं करेंगे, प्रोफेसर साहब, इस देश की एकता को कमजोर करेंगे। आज यह बात लोगों के दिमाग में चली गई है।

जहां तक आज कश्मीर की हालत के बारे में है, मैं कहता हूं कि आज हालत वहां की पहले से भी गम्भीर है और अब तो मैं यह भी कहूंगा कि वहां की हालत बहुत गम्भीर है। वहां पर हमारी सरकार ने 4-5 महीने बहुत मेहनत की उनके विश्वास को वापस लाने की। हमने खुलकर कहा, गृह मन्त्री जी ने खुलकर कहा, हम तैयार हैं, खुले दिल और दिमाग से बात करने के लिए जो भी कश्मीर में नार्मलसी लाने में हमारी मदद करे। उसकी प्रोग्रेस हुई। जब मैं पहली बार जुलाई या अगस्त में गया तो 20 आदमी हमसे मिलने आए थे। फिर मैं और गृह मन्त्री गए, उनके बयान के बाद फिर दुबारा गए तो 100-200 आदमी आए। उसके बाद 500 आदमी आए। फिर मैं जिला हैडक्वार्टर में जाता रहा तो यह महसूस होने लगा कि कश्मीरी भाइयों में विश्वास आगे बढ़ता जा रहा है।

यकीनन 18-18 साल के लड़के, एक लड़का 14 साल का था। कहने लगा कि रोजगार चाहिए। हमने पूछा अब तक क्या करते थे। कहने लगा कि मैं मिलीटैंसी में चला गया था। क्यों चले

गए थे ? आजादी चाहिए थी। तुमको क्या आजादी चाहिए। वह बता नहीं पाया कि आजादी क्या चीज है। फिर तीन महीने बाद मिला और कहने लगा कि नौकरी दिला दीजिए, हमको पाकिस्तान वालों ने इतना ट्रेंड कर दिया था कि जब तक दो-तीन बार ट्रिगर पर हाथ नहीं पड़ता दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। उनको इतना बिगाड़ दिया था।

हमने 1980 में यह बात शुरू की थी। 1981-82 में इस हाउस में बहस हो रही थी, इन्दिरा जी ने कहा था कि मुझे हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों में बाहरी हाथ नजर आने लगा है। हमारे भाइयों ने मजाक उड़ाया कि इन्दिरा जी अपना पंजाब भूल गईं और अब बाहर के हाथ की बात कर रही हैं। सच्चाई यह थी कि जैसे-जैसे देश तरक्की की तरफ बढ़ता गया हमारे पड़ोसियों ने कोशिश की कि हमारा देश कमजोर हो। यही दो प्रदेश चुनने का भी कारण है। इसलिए इन दो प्रदेशों में बात शुरू हुई और पंजाब के हालात बिगड़ते-बिगड़ते आज यहां पहुंचे। कश्मीर के हालात इसलिए बिगड़े।

प्रोफैसर साहब ने फारूख अब्दुल्ला के बारे में बात कही। फारूख अब्दुल्ला ने जब इस्तीफा दिया, नेशनल फ्रंट के श्री हरि किशोर नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर से नीचे तक, फारूख अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे वादा किया कि जगमोहन को गवर्नर नहीं भेजेंगे। दो-दो मंत्री भरोसा देते रहे, प्राइम मिनिस्टर भरोसा देते रहे और अगले दिन जगमोहन को गवर्नर बना दिया। उन्होंने उस मजबूरी में इस्तीफा दिया।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम कुमार : मैंने फारूख अब्दुल्ला का जिक्र श्री चन्द्रजीत यादव के सन्दर्भ में किया था। फारूख अब्दुल्ला की बात मैं कर रहा हूं जब आप गुल मोहम्मद की सरकार लाए थे। (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : हमने भी किसी आदमी की गलत रिपोर्ट पर किया। वह बाद में दूसरी पार्टी में जाकर गृह मन्त्री बना और आपके साथ काम करके चला गया। हमने भी किसी गलत सलाह पर कुछ कर दिया। आखिर हम भी इन्सान हैं।

उस दिन से हालात बिगड़ने शुरू हुए। हमने कश्मीर में ऐकार्ड एक नीयत से किया था। कश्मीर में दो फोर्सेस चल रही थीं—कांग्रेस और नेशनल फ्रंट। हम सोचते थे कि दोनों के झगड़े में विकास रुका हुआ है। हम एक-दूसरे की तरफ उंगलियां करते थे कि तुमने यह नहीं किया। इस उद्देश्य को लेकर हमने ऐकार्ड किया कि हम दोनों मिलकर विकास का काम करें। हम इस बात को मानते हैं कि जिस नीयत से हमने किया उसे हम पूरा नहीं कर पाए। यह बात सही है जो प्रोफैसर साहब ने कहा—बेरोजगारी की। यूनीवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री की, यह नहीं सोचा कि एजुकेशन के बाद इम्प्लायमैंट लिंकेज क्या होगा। यह बात भी सही है कि हमारे दिमाग में एक बात पहुंच गई थी कि हमारी नीति गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रही है। यह हमने अपने बयान में भी माना है। राजीव गांधी ने कहा कि यदि गरीब को एक रुपया देना चाहें तो उस तक 25 पैसे ही पहुंचता है, 75 पैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हम उसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं और सरकार ने उसके लिए कदम उठाए हैं।

जहां तक कश्मीर की समस्या की बात है, सारी पार्टियों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस ने कुछ कह दिया तो बी०जे०पी० ने उसको काउन्टर करना ही है या बी० जे०पी० ने भले की बात की है तो हमको काउन्टर करना ही है, यह पोलीटिकल असैसमेंट अपनी तरफ से करना है। एक पोलीटिकल ऐप्रोच सबको लेना पड़ेगा। जब घर में कोई सदस्य किसी के कहने से गलत काम कर देता है तो क्या आप उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यदि नौजवान भाई किसी के कहने पर गलत चले गए तो हमारा फर्ज है उनसे बात करके उनको रास्ते पर लाएं। यह हमारा फर्ज नहीं है, उनको समझाने का कि देश के भले में क्या बात है? यह एप्रोच जब लेंगे तो कश्मीर में जो जख्म हो गए हैं, उन पर मरहम लगा पायेंगे। सरकार की तरफ से हमने शुरू में यह एप्रोच ली। जिन प्वाइंट्स का जिक्र हमारे दूसरे सदस्यों ने किया, उनके बारे में गृह मन्त्री ज्यादा बता पायेंगे।

जब से राष्ट्रपति शासन वहां पर है, हमने हमेशा कोशिश की है, उनके कैडर को ही आगे बढ़ाए और कश्मीरी अफसरों को आगे बढ़ायें, लेकिन जहां कहीं ऐसी जरूरत पड़ी है, जहां उस कैटेगिरी के अफसर नहीं हैं, तभी हमने बाहर से अफसर भेजे हैं। अभी भी हमारी कोशिश है कि जो लोकल कैडर के अफसर हैं, उनको लें।

पैरा मिलिट्री फोर्सिज और आर्मी के बारे में 2-4 बातें कही गईं। उनका काम बहुत कठिन है। मैंने पैरा मिलिट्री के कमांडर को बुला कर कहा कि 14 साल के बच्चे को क्यों पकड़ा है, यह आपका क्या नुकसान करेगा? जब मुझे उसने उसकी रिपोर्ट पढ़ायी कि इसने बम गोला फेंक दिया था तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने उसके पेरेन्ट्स से पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया तो पहले तो वह मना करते रहे, बाद में कहा कि बच्चे को किसी ने सिखा दिया होगा, गलती से हो गया है। पुलिस में भी थोड़ी वर्क एप्रोच लेनी होगी, फॉर गिव एण्ड फॉर गैट वाली बात लेनी पड़ेगी। जिस बात पर 14 साल का बच्चा जेल में पड़ा है, उसके अन्दर स्वाभाविक है, ऐसी भावना भर जाती है और इससे ऐजिटेशन और अग्रेसिव भावना चलती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी।

पैरा मिलिट्री फोर्सिज के साथ-साथ ह्यूमन ग्राउण्ड्स भी हैं। पुलिस वाला एक औरत से पूछता है कि बुर्का उतारो, आप आदमी हैं या औरत हैं, तो ऐसे में उसको दुख होता है और देखने वाले को भी दुख पहुंचता है। मैंने बहुत कोशिश की है, जो-जो ऐसी शिकायतें मिलीं, एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री ने कदम उठाए। जहां जानबूझकर किसी ने ऐसी गलती है या गलत कदम उठाये, उनको सजा दी है और आगे के लिए सख्ती की है, लेकिन आप सब यह सोचकर चलें कि माहौल कैसा है? आप अन्दाजा लगा सकते हैं डी० जी० पुलिस के टेबल के ड्रॉअर में बम पहुंच गया, ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल होता है।

दूसरी मेरी प्रार्थना गृह मन्त्री जी से यह है कि आज वहां ऐसे हालात हो गए हैं कि जो बच्चे रोजगार कर रहे थे, उनके रोजगार चले गए, जिनकी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज थीं, वे खत्म हो गई। हम लोग हर डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि आप इसे रिवाइव करिए। जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस के लिए कोशिश की है, उसके लिए मैंने फाइनान्स मिनिस्टर से बात की थी। सौ-डेढ़ सौ बच्चों की इन्श्योरेंस वगैरह की मदद की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 200-ढाई सौ बच्चों को दाखिला

दिया है, जामिया मिलिया में दिलवाया है जिससे वे महसूस करें कि सारा देश उनके साथ है। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं—जैसे लोन हैं, उनके इन्टरस्ट आप माफ कर दें, रिशिड्यूल कर दें। जो टूरिस्टों को विभिन्न जगहें दिखाकर गुजारा करते थे, उनका वह धंधा भी चौपट हो गया है। उन्होंने भी लोन लिया हुआ था, उन पर आप दया दृष्टि कर दें जिससे उन्हें राहत मिल जाए। आप कैश इम्पलायमेंट प्रोग्राम चालू कर दें जिससे उनको रोजगार मिल जाए। आज बहुत से लड़के बाहर आने के लिए तैयार हैं। उनको अगर भरोसा हो जाए कि हमें रोजगार मिलेगा, हमारा कल्चर और हमारी इज्जत उसी तरह से रहेगी तो वह गलत काम छोड़ने के लिए तैयार हैं।

बी० जे० पी० के भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि राजनीति के लिए बहुत बड़ा हिन्दुस्तान है। हम और आप कहीं आमने-सामने लड़ते रहेंगे और जहां कहोगे अपना भाषण बोलते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेंसटिव एरियाज हैं जहां हर दल को सोचना चाहिए कि हमें राजनीतिक नुकसान है या नहीं लेकिन राष्ट्रीय नुकसान नहीं होना चाहिए। इस भावना को लेकर चलेंगे तो कश्मीर की समस्या जल्दी हल हो जायेगी। बी० जे० पी० वाले एक दिन यह कह दें कि हमें खेद है, 370 को अच्छी तरह से समझेंगे तो कश्मीर की आधी समस्या दूर हो जायेगी।

बाकी बातें हमारे बड़े भाई चव्हाण जी कहेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरनदोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए गृह मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर में भी वह ऐसा ही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों के पश्चात भी कश्मीर को रेलमार्ग से नहीं जोड़ा गया है। मैं पुनः कहूंगा कि केवल कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां पर रेल सुविधा प्रदान नहीं की गई है। उत्तर-पूर्व में कुछ केन्द्रशासित प्रदेश हैं जिन्हें अभी तक रेल सेवा से नहीं जोड़ा गया है।

ऊधमपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव था। काफी समय पूर्व यह प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु उस प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। केवल कल ही माननीय मन्त्री जी ने इसका उल्लेख किया था।

किसी स्वायत्तशासी राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि उस राज्य की राजधानी को रेलवे सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। विपक्ष के मेरे कुछ मित्र जो विभिन्न राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की बात करते हैं, जो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का समर्थन करते हैं, वे कुछ निम्न आधार पर अनुच्छेद 370 के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। झारखंड के मेरे मित्र ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि झारखंड में भी कुछ ऐसे नियम हैं कि झारखंड क्षेत्र के अन्दर बाहरी व्यक्ति भूमि क्रय नहीं कर सकते।

हमने देखा है कि देश के विभिन्न भागों से कुछ व्यक्तियों ने जनजातीय व्यक्तियों की भूमि हथिया ली है। हमें अधिनियम में संशोधन करना है ताकि हम उनकी भूमि उन्हें वापस दिला सकें। अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में यह कोई बहुत गम्भीर बात नहीं है जिसमें यह प्रावधान दिया हुआ है कि बाहरी व्यक्ति (अन्य राज्यों से) वहां पर कोई भूमि विक्रय नहीं कर सकते। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में भी किसानों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए वहां पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना अत्यन्त कठिन है। यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी अथवा भा० ज० पा० का कोई अन्य सदस्य बम्बई में ठहरा हुआ है और मेरे क्षेत्र में भूमि खरीदना चाहता है और यदि वह मूलत: कृषक नहीं है तब उनके लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल कार्य होगा। परन्तु इसके लिए विभिन्न कानून एवं प्रावधान हैं और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग करके हमने और मुसीबतों को ही आमन्त्रित किया है।

पंजाब और जम्मू-कश्मीर की समस्याएं उस क्षेत्र में फैले आतंकवाद के कारण कुछ सीमा तक एक जैसी ही हैं। परन्तु कश्मीर की समस्या थोड़ी और अधिक गम्भीर हो गई है और यह वर्ष 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अस्थिर सरकार के कारण हुई है जिसने किसी न किसी आधार पर फारुख अब्दुल्ला की सरकार को जाने पर विवश कर दिया। श्री वी० पी० सिंह की सरकार व भा० ज० पा० के आदेशों के सामने झुकती रही जो उन्हें अपना समर्थन दे रही थी और उनकी सरकार ने श्री जगमोहन को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बना दिया तथा फारुख अब्दुल्ला की सरकार को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार स्थिति को और बदतर बना दिया। अब पुन: स्थिति को सुधारने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश पायलट ने जो उल्लेख किया है, मैं भी भा० ज० पा० के अपने मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वह और अधिक सावधानी बरतें तथा कुछ विवेकपूर्ण समाधान लेकर आयें और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कोई फार्मूला ढूंढें।

शरणार्थियों की समस्या का भी उल्लेख किया गया है। श्री राजेश पायलट ने कहा है कि शरणार्थियों के सुपुत्रों को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया गया है। मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि निकट भविष्य में शरणार्थियों के लिए उनकी मातृभूमि वापस लौटना संभव नहीं है तब सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए, विशेषरूप से उन छात्रों के लिए जो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, हमें उन्हें वरीयता देनी चाहिए।

श्री राजेश पायलट ने उनकी काफी सहायता की है। उन्होंने हममे भी कहा कि हम उन्हें प्रवेश दिलाने में उनकी मदद करें। शरणार्थियों के पुत्रों को प्रवेश दिलाने में मदद करें और हमने उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलिज में भी नियमों में ढील देकर अथवा सदस्यता आधार पर भी प्रवेश दिलाने का प्रयत्न किया था। हम शरणार्थियों की समस्याओं से अवगत हैं और यह सरकार उनके लिए कुछ करने जा रही है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि भा० ज० पा० उन्हें समर्थन दे रही है अथवा क्योंकि उनमें से कुछ शरणार्थी कुछ राहत प्राप्त करने के निमित्त उच्चतम न्यायालय तक गए हैं।

श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार पंजाब में चुनाव कराने के अपने निर्णय पर अत्यधिक अडिग थी। जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराने के सम्बन्ध में मैं उनसे वही दृढ़ता की आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अनेक बार देखा है कि पाकिस्तान बंगलादेश को अलग करने का बदला

लेना चाहता है और तब से 15 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व यह किसी न किसी अवसर की तलाश में है। पंजाब में चोरी-छिपे और इसके बाद कश्मीर में उग्रवादियों की घुसपैठ द्वारा पाकिस्तान सरकार ने कुछ गतिविधियों करनी आरम्भ की। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक अत्यंत मजबूत शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तान भी यह जानता है और भाग्य से सम्पूर्ण विश्व हमारे साथ है। जहां तक कश्मीर के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है तथा सभी जानते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यह आगे भी रहेगा। हमारी ओर से यह समर्थन और दृढ़ता तथा समाज के सभी वर्गों और दलों के समर्थन से मैं आशा करता हूं कि हमें इसके बाद दुबारा यह अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति की उद्घोषणा और संकल्प का भी समर्थन करता हूं।

श्री ई० अहमद (मजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा पेश किए गए संकल्प का मैं समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए अनुमोदन मांगा है।

अपने दल, भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और सर्वदा यह रहना भी चाहिए। इस देश के लोग विशेषकर देश की मुस्लिम जनता भारत संघ से जम्मू-कश्मीर को अलग करने के किसी भी कदम का हर प्रकार से विरोध करेगी।

कश्मीर धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष का प्रकाशस्तम्भ बना रहना चाहिए तथा हम सभी को इस दिशा में कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि कश्मीरी जनता को हम देश की मुख्यधारा में वापस ला सकें। इस विचार के साथ क्या मैं इस सरकार के सहानुभूतिपूर्ण रुख के लिए अपने कुछ सुझाव व्यक्त कर सकता हूं ?

माननीय दूरसंचार मन्त्री श्री राजेश पायलट ने उन कदमों का उल्लेख किया है जो सरकार ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति सुधारने के लिए उठाए हैं। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने उन कुछ विकासात्मक उपायों का भी जिक्र किया है जो सरकार जम्मू-कश्मीर में लाना चाहती है। परन्तु मेरे विचार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस राज्य में राजनैतिक पहल शुरू करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया जाना जरूरी है।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार को यह सुझाव भी दूंगा कि वह इस बारे में भी विचार करे कि वहां पर जनता की भागीदारी, जोकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिरूप है वह भी वहां पर कायम होना चाहिए।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह एक संसदीय सलाहकार समिति गठित करें जिसमें इस सम्माननीय सभा और राज्य सभा के सदस्य हों जो जम्मू-कश्मीर की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें, शिकायतों और आरोपों को सुनें। यदि निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहे हों तो इस सम्बन्ध में भी सुनें तथा जम्मू-कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने हेतु पहल करें जिसमें स्वतंत्र

और निष्पक्ष चुनाव भी सम्मिलित है। ऐसे कदम से निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में हमारे पक्ष में स्थिति हो सकती है।

कल श्री मणि शंकर अय्यर ने एक सुझाव दिया है कि कश्मीर प्रशासन में किसी जिम्मेवार पद पर यदि कोई कश्मीरी है जोकि उस पद के योग्य है, तो उसे वह पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य को अपने ध्यान में रखते हुए कि सरकार को लोगों के दिलोदिमाग में विश्वास जगाना चाहिए, इस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। निश्चित रूप से कश्मीर घाटी में भ्रमित व्यक्ति भी हैं। उन्हें इस देश के शत्रुओं द्वारा गुमराह किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान और उसकी प्रतिकूल गतिविधियां निन्दनीय हैं। परन्तु हर किसी कश्मीरी को आतंकवादी समझना भी उतना ही निन्दनीय है। घाटी में अनेक गुमराह युवा हैं। हमें उन्हें देश की मुख्यधारा में वापस लाना है। इसी दिशा में प्रत्येक कदम उठाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह सुझाव भी दूंगा कि कश्मीर की जनता के लिए सरकार को विकास योजनाएं बनानी चाहिए। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या देशभर में व्याप्त है। परन्तु इस दशक के दौरान आम कश्मीरी व्यक्तियों को उनके उचित, बैंध अधिकार से वंचित किया गया है। मैं किसी पर दोषारोपण करना नहीं चाहता। मैं किसी में कोई दोष ढूंढना नहीं चाहता। ऐसा ही किया गया था। वर्ष 1990 में जो हुआ था, श्री राजेश पायलट ने तो उसका भी जिक्र किया है। मैं किसी पर दोष मढ़ना नहीं चाहता। परन्तु ये वास्तविकता है। हम इन वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ सकते।

यदि हम जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं तब हमें निश्चित रूप में यथार्थवादी कदम उठाने चाहिएं जिससे हम उन्हें देश की मुख्यधारा में वापस ला सकें। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर ही मैंने सरकार के विचारार्थ ये सारे सुझाव रखे थे।

कश्मीर समस्या का समाधान निकालते वक्त सरकार को एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि सरकार खुले तौर पर और गुप्त रूप से कोई ऐसा कदम न उठाये जिससे कि कश्मीर की जनता देश की शेष जनता से अलग हो जाये। इस सम्बन्ध में, अपने भा० ज० पा० के मित्रों द्वारा संचालित एकता की मैं निन्दा करता हूं। यह पूरे तमाशे के साथ कन्याकुमारी से आरम्भ हुई, केरल में सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण को विषाक्त बनाते हुए और श्रीनगर में सेना की सुरक्षा में समाप्त हुई। वहां, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि वहां क्या हुआ होगा जबकि एकता यात्रियों द्वारा उठाया गया ध्वज स्तम्भ ही टूट गया। सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहिए, जिनके कारण यह बदला गया। समाचारपत्रों में यह भी कहा गया था कि ध्वज ही जम्मू में छूट गया था। मैं इस बारे में नहीं जानता। महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मन्त्री से एक बात पूछ सकता हूं? अगर सरकार इतनी सुरक्षा और सुविधा दे, तो कोई पाक अधिकृत कश्मीर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा सकता है···(व्यवधान) यह हुआ था। किन्तु इसका परिणाम क्या हुआ? दुख के साथ, मैं कहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमें एक होकर रहना है। हमें आपसी राजनैतिक मतभेद भूलने होंगे और हमें राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे सारे विश्व को यह संकेत मिला कि कश्मीरी लोग इस सरकार के और देश के शेष लोगों के

कार्यों के विरोधी हैं और उससे असहमत हैं। यह गलत है। हम सिर्फ अपने शत्रुओं के हाथों में खेल रहे हैं। वे इस देश को संकट में डालने के लिए प्रत्येक स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

इसलिए, कश्मीर के मामले में, हमने सत्यनिष्ठा से एक प्रण किया है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने कश्मीर की जनता से एक सत्यनिष्ठ वादा किया है। यह अनुच्छेद 370 क्यों बनाया गया ? कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है, और इसलिए इस मुद्दे पर मैं सभा अधिक समय नहीं लेना चाहता। किन्तु अब यह अनुच्छेद 370 कश्मीर और इस प्राचीन भारत भूमि के बीच अन्तिम कड़ी शेष रह गई है। हम चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अखण्ड अंग बना रहे। इसलिए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कोई भी विचार या बात, बकवास है और इसे सहन नहीं करना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि कश्मीर इस देश का अंग बना रहे। वह इस देश का एक अखण्ड अंग है। हम इस राष्ट्र की प्रभुसत्ता पर किसी से भी समझौता नहीं कर सकते चाहे वह पाकिस्तान हो या 'अरबस्तान' इस देश के मुसलमान किसी को इस देश की प्रभुसत्ता का सौदा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम इस देश का अभिन्न अंग हैं।

इसलिए, हमें कश्मीर की वास्तविक समस्याओं को जानना है। अगर निर्दोष लोगों पर अत्याचारों का आरोप लगाया गया है, अगर यह शिकायत की गई है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ किसी ने अमानवीय कृत्य किए हैं तो ऐसे कृत्यों की निन्दा की जानी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री मेरे इस सुझाव पर भी प्रतिक्रिया देंगे कि संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई जाए जो सरकार को एक ऐसी नीति बनाने में सहायता दे जिससे अंततः जम्मू और कश्मीर में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सम्भव हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार की ओर से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कश्मीर समस्या जो इतने समय से चल रही है, इसको समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि सरकार को बार-बार इस तरह का प्रस्ताव न लाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर हमारे देश का अंग है और अंग रहेगा। हर आदमी जानता है कि कश्मीर के लोग देशभक्त थे। इस मायने में देशभक्त थे कि जब हमारे देश का कुछ हिस्सा अलग हो रहा था तब वहां के लोगों ने देशभक्ति दिखाई और भारत के साथ रहे। (व्यवधान)

मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वहां के लोग देशभक्त थे और देशभक्ति का उन्होंने परिचय दिया था। साथ ही साथ उस वक्त जो वहां के एक नेता स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला थे, जिन्होंने पूरे नागरिकों के दिलों को जीत लिया था। उस वक्त नारा लगता था—"शेख अब्दुल्ला जिसके

साथ है, कश्मीर उसके साथ है"। इस तरह का नारा चलता था, मेरा यह ख्याल है कि वह बिगड़ते-बिगड़ते यहां पहुंच गयी है। वहां के लोगों को विश्वास था कि भारत में ही हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं और गलतियां होती हैं तुच्छ स्वार्थ की सिद्धि के लिए। हम बार-बार कहते हैं कि हमें राजनीति से ऊपर उठ कर देश की बात करनी चाहिए। यह सुनते-सुनते बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन यह किया नहीं जा रहा है। अगर ऐसी बात होती तो आज ऐसी हालत तक हम नहीं पहुंचते। वहां हजारों-हजार निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ऐसी घटना नहीं घटती। हमें यह ख्याल है, हम लोगों ने इसके लिए आन्दोलन किया था कि फारुख साहब की सरकार को यह कह कर गिराओ कि वह राष्ट्रविरोधी हैं, देशद्रोही हैं। वहां पर लोग प्रशिक्षण पाकर पंजाब वगैरह में भेजे जा रहे है। इस तरह की बात कही गयी थी। यह बात सत्ता पक्ष के लोगो को याद होनी चाहिए। कितनी बड़ी भूल की गयी थी। उस वक्त रामाराव की सरकार को भी खत्म किया गया था। जब ऐसी स्थिति तुच्छ स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं तो हम देश को एक नहीं रख सकते,

देश से ऊपर नही सोच सकते। ऐसी स्थिति में क्या हुआ। वहां के लोगों का विश्वास हट गया। एक चुनी हुई सरकार, जिसको आपने गिरा दिया, झूठा आरोप लगाकर, वैसी स्थिति में वहां की जनता भी आपसे नाखुश हुई। हालत यही हुई है। उसी कारण यह घटना घटी।

अभी सदन में हमारे माननीय सदस्य, विद्वान सदस्य श्री अटल बिहारी जी आ गए है। एक बार मुझे अखबार में पढ़ने को मिला, कश्मीर में चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत से जीत कर आ गए थे, 22 या 24 आ गए थे, दूसरे चुनाव में ये सब समाप्त हो गए। जब पूछा गया कि साहब आप क्यों समाप्त हो गए तो इन्होने कहा कि जिस नारे को देकर, जिस हिन्दू धर्म का प्रचार कर के हमने पिछले चुनाव में इतनी सीटें जीती थीं उसी हिन्दू धर्म को स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया। उसी आधार पर लोग समझे कि ये तो प्रधानमंत्री होंगी। अतः उन्हीं को लोगों ने वोट दिया। इस तरह का देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ आज से नहीं हो रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, हम यहां निश्चिंत बैठे हुए हैं, वहां निर्दोष मारे जा रहे हैं। अभी भी यह शुरू होना चाहिए कि राजनीतिक स्वार्थ में देश को बरबाद न करें। चाहे किसी पार्टी का राज बने, लेकिन लोकतंत्र तो रहेगा ही। इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि हम देश के हित की बात सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, हर आदमी चिन्ता कर रहा है। 370 की बात जहां तक आ रही है, वह धारा बहुत सोच समझ कर हमारे संविधान में बनायी गयी थी। एक चीज के लिए हम प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे। जो अभी "एकता यात्रा" निकली, इन्होंने उसको हाईलाइट नहीं होने दिया। उसके लिए कोई खास चिन्ता नहीं रही। एकता यात्रा टांय-टांय फिस हो गयी। जो रथ यात्रा निकली थी जिसका काफी प्रचार किया गया था, खुद हम लोगों ने इतना प्रचार किया, उसका इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल गया। अगर यह प्रचार नहीं किया जाता तो इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता, जनता में ऐसी बात नहीं थी। आज भी एकता यात्रा से जनता में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर इनको नहीं पहुंचाया जाता तो पहुंच नहीं सकते थे। सरकार ने यह भूल की है।

सरकार ने यह बड़ी भूल की कि इनको सरकारी हवाई जहाज से ले गए। क्या ये मेहमान बन-

कर जा रहे थे कि इनका इतना स्वागत किया गया। जब कश्मीर हमारा ही है तो वहां झंडा फहराने का कोई औचित्य नहीं था। हमने कश्मीर नहीं जीता कि हम वहां झंडा फहराने गए। आप वहां के लोगों में आक्रोश पैदा करने गए थे। मीर जाफर और जयचन्द इस देश में पैदा हुए हैं और आज भी इस तरह के लोग पैदा हो चुके हैं जो देश को बांटने के लिए तुले हुए हैं। तुच्छ स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में देश को बांटने के लिए तुले हुए हैं। ये लोग देश भक्ति की बात करते हैं लेकिन देश भक्ति का काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री को हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने एकता यात्रा को ऊंचे स्वर में देश में नहीं आने दिया जिसकी वजह से इनकी यात्रा टांय-टांय फिस हो गई। आडवाणी जी की रथ यात्रा को हाईलाइट किया और उसका इनको लाभ मिला। उसी लाभ से इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इन्होंने गांव-गांव में ईंटें पुजवाने का काम किया है। हमारी जनता कितनी भोली-भाली है कि उन्होंने ईंट पूजा को धूमधाम से मनाया। क्या अयोध्या में ईंट नहीं थी। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह के काम हो रहे थे। करोड़ों रुपया चंदा के रूप में इन्होंने जनता से वसूल किया है और धार्मिक उन्माद फैलाने में खर्च किया। ये लोग छींटाकशी करते हैं जिसकी वजह से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है। राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर हम देश को बचाने का काम करें तो कश्मीर की समस्या हल हो सकती है। पंजाब में चुनाव हुए, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जो जीतकर आए तो उनकी सरकार बनी। सारे देशवासियों को वहां की सरकार की मदद करनी चाहिए जिससे पंजाब की समस्या हल हो सके और वहां नए माहौल में पंजाब को ला सके। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, जब मैं आया तो मैंने पायलट साहब का थोड़ा सा भाषण सुना। मुझे पता नहीं लेकिन अखबारों में आया था कि चव्हाण साहब के और पायलट साहब के व्यूज एक हैं लेकिन कश्मीर के मामले में कौन इन्वाल्व्ड है। आपने एक बात कही कि अगर वाजपेयी जी यह कह दें कि धारा-370 के लिए हमें खेद है तो कश्मीर की समस्या हल हो सकती है।

श्री राजेश पायलट : आज वाजपेयी जी ने सुबह वित्त मंत्री जी को सुझाव दिया कि अगर खेद लफ्ज आ जाए तो सब लोगों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैंने वाजपेयी जी का नाम खासतौर से लिया। अब भी लोग समझते हैं कि वाजपेयी जी के दिल की बात नहीं चल पा रही है। मैंने खुराना जी का नाम नहीं लिया। स्टेट सबजेक्ट और नान स्टेट सबजेक्ट में जमीन और नौकरी बात में फर्क है।

5.00 म० प०

आज यह हाउस रिजोलेशन पास करे कि धारा 370 ऐसे ही चलेगी, कश्मीर के लोगों में आधा विश्वास वापस आ जायेगा।

श्री मदन लाल खुराना : मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने कश्मीर के बारे में प्रारम्भ से लेकर आज तक उसकी समस्या की गम्भीरता को कभी सही तरीके से लिया ही नहीं। केवल यह कह देना कि धारा 370 के बारे में कोई यह कह दे तो हम समस्या के हल की तरफ बढ़ जायेंगे।

इसी सदन के अन्दर पण्डित नेहरू जी ने यह कहा था कि यह धारा 370 अस्थाई है, यह घिसते-घिसते घिस जाएगी। अभी यह कहा गया कि धारा 370 को हटाने की जो लोग बात करते हैं वे नानसेंस बात करते हैं। मुझे याद है इसी सदन के अन्दर वाजपेयी जी का प्रस्ताव था, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका समर्थन किया था। नेहरू जी ने उस समय यह कहा था कि यह घिसते-घिसते घिस जाएगी, क्या वे लोग नानसेंस बोल रहे थे। आपने कहा कि मेरे दोस्त मुझ से मिले और उन्होंने धारा 370 की शिकायत की कि इसे नहीं हटाया जाये। मुझे भी पंजाब से मेरे दोस्तों ने यह शिकायत की कि अगर कश्मीर को धारा 370 मिल सकती है तो पंजाब को क्यों नहीं, पंजाब के साथ यह भेदभाव क्यों।

श्री राजेश पायलट : अगर आप यही कहना चाहते हैं तो सही है।

श्री मदन लाल खुराना : अगर आप यह एक जगह रखेंगे तो दूसरी जगह से भी मांग उठेगी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : मैंने अपने भाषण में शुरूआत में यह कहा था कि कश्मीर को 1947 के हालात को देखकर तब बहस करें। उस समय मेजोरिटी आफ मुस्लिम की यह स्टेट हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी इसलिए उसको यह दर्जा दिया गया। आज आप पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कहें तो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमारी बात गलत नहीं है। मैंने तो वहां के कल्चर को देखते हुए यह बात कही है।

श्री मदन लाल खुराना : क्या आप यह मानते हैं कि आपने पिछले 44 साल में कश्मीर के कल्चर को खराब किया है। आपने खुद माना कि सारे देश के अन्दर आप महंगा चावल और गेहूं लोगों को खिलाते हैं। जबकि कश्मीर के लोगों को आपने पांच आना किलो चावल और गेहूं खिलाया है। पिछले 44 साल के अन्दर 70 हजार करोड़ रुपये वहां आपने खर्च किये। गलती वहीं से हुई जब यह मामला यू० एन० ओ० को दे दिया गया। आज यह भी मांग उठ रही है कि 1951 के पहले की स्थिति वहां पर लाई जाए। किसी भी प्रदेश को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह देश से अलग होने की बात करे, उसका कल्चर रहना चाहिए, उसकी भाषा रहनी चाहिए, सभी चीजें रहनी चाहिए। उसकी पहचान रहे। लेकिन उसको इस देश में विशेष दर्जा दें और देश से अलग हिस्सा समझें, ऐसा कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। इससे दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी वही मांग उठेंगी, यह बी० जे० पी० की सोच है। यहां पर जो चर्चा हो रही है वह सिर्फ कश्मीर वैली के बारे में हो रही है। जबकि कश्मीर तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। जम्मू भी है और लद्दाख भी है। जबकि उनकी चर्चा कभी नहीं होती। लद्दाख में इतना कुछ हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती, जम्मू के साथ इतनी ज्यादती हुई है उसकी भी चर्चा नहीं होती। गलती यह हुई है कि आपने एक विशेष वर्ग को, वह भी कश्मीर वैली के अन्दर रहने वालों को खुश करने की कोशिश की। कभी किसी को गद्दी पर ले आए, कभी और किसी को ले आए। यह धारा 370 के द्वारा नहीं हुआ है। जिस दिन आपने फारुक अब्दुल्ला को गद्दी से हटाकर गुल मोहम्मद को सत्ता सौंपी और फिर चुनाव कराकर दुबारा फारुक अब्दुल्ला को गद्दी पर ले आए वहीं से कश्मीर की हालत खराब होनी शुरू हुई और आज ये चीजें शुरू हो गई हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं एकता यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उस यात्रा को बाई रोड जाना

चाहिए, कितने लोगों को जाना चाहिए, मैं इस ऐंगल से नहीं देख रहा हूं लेकिन इस सदन के सामने मेरा यह कहना कि 25 जनवरी को कश्मीर जाने से पहले की हालत को मैं भी नहीं जानता था लेकिन वहां जाने पर हालत की गंभीरता का पता चला। शायद जम्मू से कन्याकुमारी तक के लोग नहीं जानते हैं कि कश्मीर की समस्या कितनी गहरी है? जब हम हवाई जहाज से गए तो हवाई अड्डे को सील कर दिया गया। वहां तीन बसें आती हैं जो बी० एस० एफ० की हैं—राईट और लैफ्ट बी० एस० एफ० की बसें हैं। हमारी बी० एस० एफ० की बसों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि हमारी बसें बी० एस० एफ० कैम्प में चल रही हैं, यदि रास्ते में गोलियां चलती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस में लेट जाओ। यह तो तब है जब हम अपने देश में भारतीय तिरंगा झण्डा फहराने जा रहे हैं, कहीं कोई लाहौर नहीं जा रहे हैं, चीन की सीमा पर लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम तो लाल चौक पर भारतीय तिरंगा झण्डा लहराने जा रहे हैं और इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। फिर जब हवाई जहाज से वापिस आते हैं तो हवाई जहाज पर गोलियां चलायी जाती हैं। यह तो हमारी आंखों देखी बात है। आप जरा इस बात की गंभीरता को देखिए कि जो आतंकवादी हिन्दुस्तान के हवाई जहाज पर गोली चला सकते हैं, वे कोई साधारण लोग नहीं, वे पाकिस्तान की रेगूलर फोर्स के लोग हैं। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि केवल उसे आतंकवादी मत मानिए, वे पाकिस्तान की फौज के रैगूलर ट्रेंड लोग हैं। वे कश्मीर बैली के अन्दर आकर सब कुछ करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर से एक बात और कहना चाहता हूं कि बी० एस० एफ० के 900 जवानों के खिलाफ सिविल कोर्ट में दफा 302 के तहत मुकदमें चल रहे हैं। शायद आपको भी मालूम है कि बी० एस० एफ० एक्ट है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई जवान ऐसा गलत काम करता है तो उसका मुकद्दमा फौजी कोर्ट में चलेगा, सिविल कोर्ट में नहीं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूंगा कि यदि फौजी की गोली से गलती से कोई आतंकवादी मर गया तो उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन उसका केस सिविल कोर्ट में नहीं, फौजी अदालत में चलना चाहिए क्योंकि सिविल कोर्ट में उसका कोई गवाह नहीं मिलेगा, वकील नहीं मिलेगा, कैसे जजेज काम कर रहे हैं, उससे उसको जरूर सजा होगी···(व्यवधान)···उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर के यहां ऐसे अनेक केस पड़े हुए हैं जिसमें आपने फैसला करना है। वह जवान देश की रक्षा के लिए वहां जाता है, खुले आकाश में आतंकवादियों की गोलियों के साए के नीचे रहता है, यदि उसने जानबूझकर गलती की है तो उसको सजा दीजिए लेकिन उनको विश्वास दिलायें। आप उनका मनोबल बढ़ायें। लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुकद्दमा बी० एस० एफ० की कोर्ट में चलेगा या सिविल कोर्ट में चलेगा? आप उसका फैसला करें, उनका विश्वास बढ़ायें तभी वे रक्षा कर पायेंगे। यही कारण है कि उनके मन में गुस्सा है कि वह अपने घर से दूर रहकर आतंवादियों के साथ लड़ते हैं, गोलियां भी खाते हैं और यदि कोई आतंकवादी गलती से मर जाता है तो उन पर दफा 302 का मुकद्दमा हो जाता है, इसलिए उनका मनोबल गिरा हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न और रखना चाहता हूं उन भाइयों के बारे में जो विस्थापित होकर यहां आए हैं। अभी उन्होंने यहां प्रदर्शन किया। प्रधानमन्त्री को उन्होंने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बार एक नया आयाम दिया है अपने आन्दोलन को कि उन्होंने पाकिस्तान के दूतावास पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मामलों में

लगातार इन्टरफीयर कर रहा है, उसके कारण उनको अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। मेरा यह कहना है कि कुछ लोग जो मानव अधिकारों का मामला उठाते हैं, सरकार को चाहिए था कि यह जो ढाई-तीन लाख लोग कश्मीर वैली से आए हैं, घर-बार छोड़कर आए हैं, मानव अधिकार का मामला उठाकर सरकार को दुनिया के सामने रखना चाहिए था, यू० एन० ओ० के अन्दर रखना चाहिए था कि किस तरीके से इन आतंवादियों के कारण, पाकिस्तानियों के कारण मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तसवीर तो लोगों के सामने यह आनी चाहिए थी, यह तस्वीर नहीं आ पा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि इनकी ओर आप जरूर ध्यान दें। इनको आप सही तरीके से बसाएं।

उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि जैसा मैंने पहले कहा कि वहां पर हम देखकर आए हैं जिस तरह से हवाई जहाज पर हमले होते हैं, जिस तरह कश्मीर की समस्या बनी है, वह सिर दर्द नहीं है कि एस्प्रो की गोली दे दीजिए, काम चल जाएगा। आप मर्ज को देखिए। यह सिर दर्द तो कैंसर बन गया है, एक फोड़ा बन गया है, उसका इलाज करना जरूरी है। यह नहीं है कि वाजपेयी जी कह दें कि 370 हटानी है तो समस्या हल हो जाएगी। यह समस्या इतनी साधारण नहीं है। यह काफी गहरी हो गई है और इसलिए मेरा कहना यह है कि पहले तो पाकिस्तान को साफ-साफ शब्दों में कहना चाहिए कि बहुत हो गया, अब आपका इंटरफियरेंस बरदाश्त नहीं किया जाएगा और हम जवाबी हमले के रूप में कोई न कोई अपनी रण नीति बनाएंगे, चाहे 1/3 कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको आजाद कराने के लिए कि अगर अब आपने हिन्दुस्तान आन्तरिक मामलों में दखलंदाजी की तो उसका जवाब हिन्दुस्तान के लोग देंगे।

दूसरा, मेरा कहना यह है कि आप कश्मीर की समस्या को केवल कश्मीर वैली के रूप में मत देखिए। जिसके कारण यह समस्या वहां पर पैदा हुई है, वहां पर जम्मू भी एक रीजन है, लद्दाख भी है। समय ज्यादा नहीं है वरना मैं विस्तार से उसके बारे में बताता। मेरा निवेदन है कि उन तीनों को बैलेन्स करने के लिए, उन तीनों का विकास करने के लिए आप रीजनल कौंसिल बनाएं।

तीसरी बात कहते हुए मुझे संकोच नहीं है। मैंने नवीं लोक सभा में भी होम मिनिस्टर से बार-बार कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया इन बेचारे विस्थापितों पर। आज इनको साढ़े सात सौ और 800 रुपया प्रतिमाह मिलता है। शायद आप गरीबी की रेखा को भी इससे ज्यादा मानते हैं। क्या आज दिल्ली में 800 रुपए में एक परिवार का गुजारा चल सकता है? इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह कैंपों में जाकर समस्या को देखें। मैंने पहले भी कहा कि आज तक प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर उनके कैंपों में जाकर नहीं देख सके हैं। आप जाएं, उनकी समस्याओं को देखें और सेमी-परमानेंट तरीके से उनको वहां बसाएं।...(व्यवधान)...पायलट साहब यहां बैठे हैं, हैं संचार मन्त्री हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो सरकारी नौकरी के लोग और उनके विभाग के कर्मचारी उजड़कर आए हैं, उनके बारे में कुछ करें। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं। इसलिए केवल भाषणों से काम नहीं होगा। आपने वहां पर क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन वहां से जो बेचारे लोग आए हुए हैं, मैं फिर आपसे कहूंगा...(व्यवधान)...मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जब हम लोग मानव अधिकार का मामला उठाते हैं, उस समय भारत सरकार को, वहां से जो दो ढाई लाख लोग आए हुए हैं, मानव अधिकार का मामला उठाकर, उनकी मदद करनी चाहिए, इससे आपका केस और मजबूत होगा। यही मेरा कहना आपसे है।

वैसे तो मेरे पास अनेक सुझाव हैं लेकिन समय कम होने के कारण मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि कश्मीर की समस्या को आप केवल एक वैली की समस्या मानकर न चलें बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर की समस्या मानकर, एक राष्ट्रीय समस्या मानकर, उसका कोई हल निकालें और इस पर आप दृढ़ रहें, मजबूती से खड़े रहें। आपके किसी एक्शन से, आज जिस तरह रांग सिगनल्स जा रहे हैं, वे न जाने पाएं और वहां के लोगों को भी लगे, वहां हमारी जो फौज है, अर्धसैनिक बल हैं, जो वहां लड़ाई लड़ रहें हैं, उन्हें भी कोई रांग सिगनल न जाये, ऐसे आपको कदम उठाने चाहिए, यही मेरी आपसे अपील है।

5.16 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : माननीय सभापति जी, जम्मू-कश्मीर राज्य में 16 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन और बढ़ाए जाने वाले प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है। इस सन्दर्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई आसान समस्या नहीं है, जिस प्रकार से, हमारे कांग्रेस के एक मन्त्री जी ने बड़ी सरलता से अपनी बात सदन के अन्दर पेश की, वह समस्या उतनी सरल नहीं है क्योंकि बंगलादेश का निर्माण और उसके निर्माण से लगे जख्मों के कारण पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गयी है, जैसा रामायण में कहा गया है, जब सूर्पणखा की नाक काट दी गयी थी, उस समय यह प्रसंग हमें मिलता है :

जब जब महलों में जाओगे, तब तब वह याद दिलायेगी।
श्री सूर्पणखा की कटी नाक, किस प्रकार जोड़ी जायेगी॥

इसलिए बंगलादेश का निर्माण पाकिस्तान के लिए सूर्पणखा की नाक बन गया है। इससे पाकिस्तान को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवादियों, जंगजूओं और मिलिटैंट्स के सहारे, कश्मीर को हिन्दुस्तान से काट देने की योजना बना रहा है और यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां का एक छोटा बच्चा उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वहां के लोग आराम से हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं।

मैं समझता हूं कि सभी पार्टियों के लोग यदि वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद यहां कोई बात करें तो हम कश्मीर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यदि उस पर पर्दा डालते रहेंगे तो वास्तविकता पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा।

पाकिस्तान के साथ चीन का भी इसमें हाथ है। मैं यहां स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सन् 1990 में वहां 1225 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वर्ष 1991 में 1800 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमें अपने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहिए, वे ही कुछ हमारा सहारा बने हुए हैं, जिन्होंने आतंकवादियों से वहां 2100 राइफलें छीन लीं, 250 रॉकेट लांचर्स और 31 लांचर्स सहित तमाम हथियार बरामद किए। वे ही सही मायनों में कश्मीर की रखवाली कर रहे हैं और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

आज कश्मीर में दो प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गयी है : एक तो वह हमारा आन्तरिक मुद्दा बना हुआ है, दूसरे, बाह्य मुद्दा भी बना हुआ है। इस समय हिन्दुस्तान पर अन्दर और बाहर दोनों ओर से काले बादल मंडरा रहे हैं।

बी० जे० पी० की एकता यात्रा के सम्बन्ध में सभी लोगों ने अपनी बात कही, बी० जे० पी० के साथियों ने भी एकता यात्रा का वर्णन किया कि वहां क्या हुआ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा खेद उस समय हुआ, यह बात देखकर कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, लाल चौक पर श्रीनगर में झंडा फहराने के लिए अलख जगा रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही उपाध्यक्ष श्री मलकानी साहब, जंगजुओं के साथ, मिलिटेंट के साथ इस्लामाबाद में भोजन पर जुटे हुए थे, तो ऐसी डुप्लीकेट पॉलिसी, चाहे वह किसी भी दल की हो, या किसी व्यक्ति विशेष की हो, इस प्रकार की परिस्थितियां रहीं, और हम कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे, तो समस्या का समाधान कभी भी नहीं होगा।

चायना का हाथ पाकिस्तान को उकसाने में कोई कम नहीं है। अभी पीछे परमाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात चल रही थी। एक समय था जब भारत परमाणु हथियारों के सम्बन्ध में चायना से अग्रणी था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। चायना और पाकिस्तान परमाणु हथियार के दायरे में बराबर कार्य कर रहे हैं और जहां तक मेरा संज्ञान है, वहां तक मैं यह कह सकता हूं कि चायना आज परमाणु हथियार के द्वारा दो बार हमला करने की स्थिति में आ चुका है और पाकिस्तान भी चोरी-छिपे इस दिशा में कार्य कर रहा है और वह रासायनिक हथियार की भी तैयारी कर रहा है। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, तो वह आगे जाकर हमारे लिए भयंकर परिस्थितियां उपस्थित कर सकता है। मेरी राय में केवल 42 अरब रुपए खर्च होंगे, यदि हिन्दुस्तान परमाणु अस्त्र बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। हम अगर सक्रिय नहीं रहे, और गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कि कहीं युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया जाए और हम अपना पुराना स्वप्न ही देखते रहें। युद्ध अगर थोपा, तो जो ईराक में हुआ है, उससे कम नहीं होगा। आज जो आधुनिक हथियारों में प्रगति हुई है उसका प्रदर्शन हम ईराक में देख चुके हैं। उसी स्तर की तैयारी अगर हिन्दुस्तान की नहीं हुई, तो 1962 की बात न आ जाए और गृह मन्त्री और रक्षा मन्त्री और सरकार को हम आगाह करते रहें और हमला हो जाए और हमारी तैयारी न हो, कहीं ऐसा न हो जाए। अगर इस बार पाकिस्तान का हमला हिन्दुस्तान पर होता है, तो माननीय मन्त्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि फिर शिमला समझौता नहीं होगा, इस बार लड़ाई आर-पार होगी। इस बात के साथ ही, मैं सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : मिस्टर चेयरमैन सर, इस बिल पर कुमारी ऊमा भारती और मणिशंकर अय्यर के भाषणों से शुरूआत हुई और जिस प्रकार से इस बिल पर चर्चा शुरू हुई उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हालांकि पार्लियामेंट में ह्यूमर चलती रहती है, लेकिन ऐसी गम्भीर बात पर चर्चा करते समय ह्यूमर नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि यह ह्यूमर की जगह और बात नहीं है।

सर, अगर भारत का मानचित्र हम सामने रखें, तो उसमें देखेंगे कि सबसे ऊपर की तरफ जम्मू-कश्मीर है, जो हमारा सर समझा जाता है और आज वह ऐसी जगह पर पहुंच गया है, जो बहुत भयंकर है और दुनिया की नजर उस तरफ है। आज स्थिति यह हो गई है कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा या नहीं यह सवाल आ गया है, लेकिन इस भयंकर अवस्था को भी एकता यात्रा ने और भयंकर बना दिया है और पाकिस्तान को इस वक्त जो सिलसिला था, उसने भी इसे बहुत गम्भीर कर दिया था। आखिर हमने इस गम्भीरता हालत को सम्भाल लिया है, लेकिन इस हालत को राष्ट्रपति का शासन वहां जारी रखकर और छः-छः महीने बढ़ाकर नहीं सुधारा जा सकता है। जो बातें वहां हुई हैं, वे ऐतिहासिक बातें हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। फारूख अब्दुल्ला और नैशनल कान्फरेंस की जो स्थिति थी और जिस स्थिति का जिक्र राजेश पायलट जी ने अभी यहां पर किया, वह उनकी अपनी विचारधारा है, अगर वह मन्त्रिमंडल का बयान है, तो हम उसका स्वागत करते हैं।

पाकिस्तान सरकार की ओर से वहां के आतंकवादियों को खुलेआम मदद दी जा रही है। दो फरवरी को हमारे प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री की बातचीत हुई थी। विदेश से बयान आ रहा था कि बातचीत मैत्रीपूर्ण है और इससे कश्मीर समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। लेकिन 5 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान में हड़ताल बुलाई। पाकिस्तान के जमायते-इस्लाम के प्रमुख की तरफ से जो बातें रखी गई थी उन्हीं बातों को दोहराया गया और उन्होंने जो भाषण दिया वह जमायते-इस्लाम के प्रमुख के भाषण से मिलता-जुलता था।

कश्मीर के लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि पाकिस्तान के साथ रहकर उनका मसला हल नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी उनपर अत्याचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की मिलीटरी और पैरा मिलीटरी उनपर अत्याचार कर रही है।

आज वहां पर विश्वास का वातावरण पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा और जहां तक हो सके मदद पहुंचाने का बन्दोबस्त करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोलूशन का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मैं इस रेजोलूशन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह नहीं होना चाहिए लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि इसका समर्थन करना ही पड़ेगा। ऐसा न हो कि छः महीने के बाद फिर चुनाव न हो।

जिस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर मात करने की स्थिति पक्की कर ली और उसके लिए सरकार ने जिस कड़े तरीके से कदम उठाया, हम उसका समर्थन करते हैं।

सबसे बड़ी समस्या आज वहां पर अनइम्प्लायमेंट और रिफ्यूजीस की है। इससे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान ऑकूपाइड क्षेत्र को हिन्दुस्तान में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि वे लोग हमें कमजोर समझते हैं और हमारे क्षेत्र में दखल करते हैं। पाकिस्तान ऑकूपाइड क्षेत्र की एक इंच भूमि न छोड़ते हुए उस क्षेत्र के लिए हमारी सरकार को कदम उठाना चाहिए।

और माननीय सदस्य सब बातें कह चुके हैं। देश की एकता के लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और राष्ट्रपति द्वारा जारी इस उद्घोषणा का एकमत से समर्थन किया है। वास्तव में, मुझे जो कर्तव्य निभाना है वह कोई इतना अच्छा नहीं कि मैं सदन के समक्ष अन्य छः महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव रख रहा हूं, ताकि हम वहां स्थिति को सामान्य करने में सफल हो सकें, एक ऐसा वातावरण बना सकें, चुनाव करवाने में हमारी सहायता करेगा। किन्तु, अभी भी मुझे इतना विश्वास नहीं है। मुझे कश्मीर जाना होगा, कई लोगों के साथ विचार-विमर्श करना होगा और फिर मेरा प्रयास होगा कि एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो और इस अन्तर्काल में, दुर्भाग्य से विभिन्न कारणों से जिस तरह का अविश्वास उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करना चाहिए। मैं सभी कारणों का उल्लेख नहीं करना चाहता, किन्तु मैं कुछ कारणों का अवश्य उल्लेख करूंगा।

इस तथ्य से इन्कार नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे विचार से श्री खुराना यहां नहीं हैं। वे हमेशा बोलते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक उस स्वतन्त्र पत्रकार की भांति जो एक लेख लिखता है, इसे देता है और चला जाता है।

अगर आप एक मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको सदन में होना चाहिए। जब मैं आपकी बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, तो आपको सभा में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कोई ऐसा वक्तव्य दूं जिसे आप गलत समझते हैं तो आपको मेरी बात को सही करने की स्थिति में होना चाहिए। मैं यदि कुछ गलत बात कहता हूं और मैं इसे सुधारता हूं तो इसे मैं प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं समझता। उस प्रकार का दृष्टिकोण कभी भी नहीं होगा। किन्तु, यदि आप उपस्थित नहीं हैं तो वह वाद-विवाद के प्रति आपके रुख को दर्शाता है।

इसीलिए, मुझे उस प्रक्रिया का उल्लेख करना पड़ा, जिसे हमने शुरू किया था। एकता यात्रा शुरू होने से पूर्व मेरे विचार से प्रायः सभी माननीय सदस्य इस बिन्दु पर बोले थे कि इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा मानना चाहिए। कुछ ही माननीय सदस्य उस तथ्य से अवगत हैं कि मैंने इस मामले पर प्रायः सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किया था और मैंने यह पेशकश की थी "ठीक है कि आप यात्रा करेंगे ही तो आप सिर्फ इसे भाजपा तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं। हम भी इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। सभी राजनैतिक दल इसमें भाग लेंगे; और इस यात्रा को हम सम्पूर्ण देश में ले जाएंगे और वातावरण तैयार करेंगे कि विद्वेष की भावना न रहे, ऐसी कोई भावना न रहे कि इस यात्रा का ऐसा कोई उद्देश्य है।"

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इस यात्रा के उद्देश्यों को लेकर अपनी आशंकाएं हैं। मुझे यह भी कहना होगा। मुझे यह बताया गया था—मैं किसी रहस्य का

उद्घाटन नहीं कर रहा; मैं यह कहते हुए किसी का नाम नहीं ले रहा—उनकी अपनी धर्मनिरपेक्षता अलग किस्म की है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक किस धर्मनिरपेक्षता का उपदेश दे रहे हैं। जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता का वह उपदेश दे रहे हैं, वह पूर्णत: अलग किस्म की धर्मनिरपेक्षता है।

यह एक मुद्दा है जिसका प्रचार वे सारे देश में कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा अनुच्छेद 370 से सम्बन्धित है।

अब यात्रा समाप्त हो चुकी है, अमानुल्ला खां द्वारा नियंत्रण रेखा लांघने की बात भी बीत चुकी है। यही समय है कि हम कुछ मनन करें। क्या हम वास्तव में यह विश्वास कर रहे हैं कि इस प्रकार की यात्रा से हम देश में एकता ला सकते हैं? क्या वास्तव में यही आपका उद्देश्य है? और दूसरे क्या आपने अनुच्छेद 370 और इसके उद्देश्यों का अध्ययन किया है? क्या आप आश्वस्त हैं कि यदि आप अनुच्छेद 370 को हटा दें तो आप इससे कोई ऐसी एकता ला सकेंगे जिसकी छवि आपके मस्तिष्क में है। दोनों ओर के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा—उन लोगों से जिन्होंने यात्रा में भाग लिया था और उनसे जिन्होंने भाग नहीं लिया था—कि वे कुछ मनन करें एवं स्वयं अपना निष्कर्ष निकालें कि क्या किसी सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है अन्यथा नहीं। क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जो वातावरण मैंने चार महीने पहले देखा था उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है? मैं अवश्य यह बात मानूंगा कि जब मैं वहां गया था, जो स्थिति मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह यह थी। प्रत्येक व्यक्ति जिसमें अफसर भी शामिल थे एक-दूसरे को अविश्वास की निगाह से देख रहा था। हम धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों में विश्वास की सहभागिता की एक भावना जागृत कर सके हैं। यदि आप मुझसे आंकड़े चाहते हैं, तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। अन्त में केवल कार्यान्वयन का प्रश्न रह जाता है। जम्मू और कश्मीर के काडर अफसरों—जम्मू और कश्मीर काडर के प्रशासनिक अधिकारी—की नियुक्ति करने में कुछ गलत नहीं है। वहां पर एक सौ अधिकारी हैं जिनमें से केवल एक काडर से बाहर का है। शेष 99 लोग जम्मू और कश्मीर काडर के हैं। इसके बावजूद, उनमें ऐसी भावना है कि "हम पर भरोसा नहीं किया जाता; हम पर विश्वास नहीं किया जाता; हमें एकदम ऐसे बाहरी लोग समझा जाता है जो विश्वास के लायक नहीं हैं।" इस प्रकार की भावना थी। मैं इस सभा में यह अवश्यक कहना चाहता हूं कि मुझे अफसरों की बैठक में उन्हें साफ-साफ कहना पड़ा: मैं यह नहीं मान सकता कि पूरा स्टाफ ही विश्वास का पात्र नहीं है।

मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके किसी न किसी प्रकार के सम्पर्क होंगे। दो प्रकार की समस्यायें हैं। आप को इस सत्य को भी मानना होगा। पंजाब में ऐसा हुआ था। जम्मू और कश्मीर में भी यही स्थिति व्याप्त है। कुछ लोग अपने दृढ़ विश्वास के कारण उनके साथ हैं और कुछ को दबाव के कारण उनके साथ रहना पड़ता है। यदि कोई उग्रवादी उसके घर आता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। उस व्यक्ति को उसे अपने घर में ठहरने की अनुमति देनी पड़ती है। चूंकि उसने उसे अपने घर में ठहरने की अनुमति दी थी, कम हम यह कहते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं कि तुमने उसे आश्रय दिया था और तुमने यह एक अपराध किया है। अत:, तुम्हें

गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। मैं उन एक या दो माननीय सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, जिन्होंने बताया है कि यह मात्र विधेयक के कार्यान्वयन का ही प्रश्न नहीं है। इसमें मानव मूल्य भी जुड़ गया है। आपको यह बात माननी होगी। यदि आप इससे संतुष्ट हैं कि वह वास्तव में अपने विश्वास के कारण उनके साथ है तो मैं नहीं मानता आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। किन्तु यदि दुर्भाग्यवश, उस पर जबरदस्ती दबाव डाला गया था और उसे आतंकवादी को मजबूरी में आश्रय देना पड़ा था तो स्थिति और हो जाती है। मेरी जानकारी में कुछ ऐसी बात आई हैं, जिनमें यह बताया गया है कि महिलाओं के साथ सभी प्रकार की असभ्य हरकतें भी की गई हैं।

लोग समझ रहे थे कि यह एक प्रकार का जिहाद है, एक प्रकार की धार्मिक लड़ाई, जो वे लड़ रहे हैं। आरम्भ में ऐसा ही प्रचार किया गया था। किन्तु अब उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि इसका जिहाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये दिग्भ्रमित युवा कई तरह के अत्याचार कर रहे हैं। इसी-लिए वे पूरी तरह से भ्रांतिमुक्त और हताश हो गए हैं। वे मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं और वास्तव में इसकी प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी, किन्तु इस बीच इन अन्तरिम गतिविधियों के कारण दुर्भाग्यवश सारी प्रक्रिया उलट गई। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आत्म-चिंतन करने को कह रहा हूं यदि आप यह मानते हैं कि आपका देश के प्रति कोई कर्त्तव्य है। राजनैतिक पार्टियों की अपनी राजनीति है। आखिरकार, हम सब मनुष्य हैं। हम संन्यासी नहीं हैं। आप भगवा रंग के बारे में बात कर रहे हैं फिर भी मैं नहीं मानता कि आप संन्यासी हैं। आप संन्यासी नहीं हो सकते। एक राजनैतिक पार्टी संन्यासियों की पार्टी नहीं हो सकती है। अवश्य ही, उनका राजनैतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक उद्देश्य है तथा उस राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें कई कतिपय मुद्दों पर आंदोलित होना पड़ेगा। अतः, यदि आप बस यही कह देते हैं कि यह आपकी राजनैतिक प्रेरणा थी, तो प्रश्न यहीं समाप्त हो जाएगा। किन्तु तब आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं होगा कि आप इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं और यह दलगत भावना से ऊपर है। इस मुद्दे को दलगत भावना से ऊपर नहीं माना गया है। इसीलिए, उसी बात को सिद्ध करने के लिए, मैंने यह कहा है। अन्यथा, किसी पर दोष लगाने की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की दोष में भागीदारी की बात कहने की मेरी कोई मंशा नहीं है।

श्री खुराना ने एक अन्य मुद्दा उठाया था। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे राजनीति को अर्द्धसैन्य और सैन्य बलों से दूर रखें। जहां तक सैन्य बलों का प्रश्न है उनको लेकर राजनीति खेलने का प्रयत्न न करें। उन्होंने यह मामला उठाया है और सभा को ऐसा आभास दिया है कि हत्या आदि के मामलों में सरकार ने अपनी मनमानी का इस्तेमाल किया है, अर्थात, 302 मामलों की सुनवाई किसी नियमित आपराधिक न्यायालय के द्वारा या बी० एस० एफ० न्यायालय के द्वारा की जाएगी। इसे इस तरह प्रस्तुत किया गया था। मैंने पूछताछ की है। कोई भी मामला लम्बित नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार, कोई मामला लम्बित नहीं है। एक भी मामला लम्बित नहीं है। जो मामला मेरे ध्यान में लाया गया है, वास्तव में, वह एक बलात्कार का मामला था हत्या का नहीं। इस बारे में कुछ भ्रम था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि मैं भी भ्रमित था। यदि यह बलात्कार का मामला है, तो क्या मेरे लिए यह ठीक होगा कि मैं इसे बी० एस० एफ० न्यायालय को सौंप दूं अथवा एक नियमित

न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। यही मेरा भ्रम था। तब, अन्ततः, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब कोई नियमित अधिनियम हो तो मेरे लिए इस बात में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि न्याय नहीं होगा। अवश्य ही यह एक ऐसा मामला है जिसमें मुझे सतर्क रहना है। मुझे यह पता लगाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के अनुसार, घृणित अपराध के मामलों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों की सुनवाई क्रमशः अर्द्धसैन्य बलों के न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इस मामले में भी, जिसमें सरकार को स्वविवेक का सहारा लेना पड़ा, मैं कुछ समय तक सोचता रहा और इसीलिए लगभग एक पखवाड़े तक, इससे अधिक नहीं, यह मामला मेरे पास लम्बित पड़ा रहा, क्योंकि मैं अपने विचार स्पष्ट करना चाहता था। मैंने विधि मन्त्रालय से चर्चा की और उसके उसके पश्चात, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमित बी० एस० एफ० न्यायालय को इस मामले पर विचार करना चाहिए। अतः, उस मामले का निपटारा किया जा चुका है। ऐसा एक भी मामला नहीं है जो लम्बित पड़ा रहा हो। किन्तु श्री खुराना की बातों से ऐसा महसूस हुआ कि बी० एस० एफ० के लोगों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत हैरान हूं कि समस्या को समझे बिना, मात्र एक मामले को उदाहरण बनाकर, इस विषय का सामान्यीकरण कर दिया गया है। मैं किसी मामले को तब ही समझ सकता हूं, जब मुझे तथ्य उपलब्ध कराई गए हों। यह ऐसा मंच नहीं है जिस पर इस मुद्दे को उठाया जाए। बी० एस० एफ० के अफसरों और अन्य किसी अर्द्धसैन्य बल के अफसरों को किसी राजनैतिक पार्टी से सम्पर्क करने जैसी किसी गतिविधि को उत्साहित करने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति होऊंगा और उन्हें इस सदन में वह विषय उठाने को कहूंगा। मेरा दृष्टिकोण यही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी गतिविधियों को उत्साहित न करें। आखिरकार, अर्द्ध-सैन्य और सैन्य बल राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं। हमारी राजनीति हमारी राजनैतिक पार्टियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। अपनी पार्टी राजनीति में इन बलों को शामिल करने का प्रयत्न न करें। यह मेरा निवेदन है। आप इस निवेदन को मानें अथवा नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। किन्तु सभी राजनैतिक पार्टियों से यह निवेदन करना मेरा कर्त्तव्य है कि वे उन अफसरों को प्रोत्साहित न करें जो उनसे किसी कारण से सम्पर्क बनाना चाहते हैं।

हमने जम्मू और कश्मीर समस्या के केवल राजनैतिक पहलू पर विचार किया है। हम इसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के शामिल होने की बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। शेख फारुख अब्दुल्ला को हटाने में कौन उत्तरदायी था? जब अन्य उदाहरण दिया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले उदाहरण का उल्लेख किया था दूसरे का नहीं। उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, जैसा उन्हें ठीक लगा। इसमें कोई शक नहीं कि फारुख अब्दुल्ला को हटाया गया था और उनके स्थान पर श्री जी० एम० शाह को नियुक्त किया गया था। वास्तव में, यह सब इतिहास की बातें हैं। हम इनका खण्डन नहीं करते। किन्तु एक अन्य मामला भी है। जब डा० फारुख अब्दुल्ला मुख्यमन्त्री थे, तब उन्होंने केन्द्रीय सरकार से लगातार अनुरोध किया था कि भगवान के लिए एक राज्यपाल विशेष को नियुक्त न किया जाए, जो उनके अनुसार उनके विरुद्ध था। उनके लगातार निवेदन के बावजूद, उस राज्यपाल को नियुक्त करने की ठानी गई। और उसी दिन, अथवा अगले दिन उनके पास इस्तीफा देने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं था। अतः, ये ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि हर व्यक्ति राजनीति खेलना चाहता है और उसके बाद कहता है, नहीं, नहीं। इस विषय को दलगत भावना से ऊपर माना जाना चाहिए। ये दो स्पष्ट उदाहरण हैं।

ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यदि आप इन्हें राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में नहीं देखते, तो अवश्य ही हम बहुत बड़ी मुसीबत में फसने वाले हैं। मैं यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। पाकिस्तान इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न कर रहा है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान समस्या को बढ़ावा देने का इच्छुक है। किन्तु 5 फरवरी को, हमारे प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री मिले थे और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थिति सामान्य हो और तनाव कम हो। किन्तु अगले ही दिन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि उन्हें पाकिस्तान में बन्द का आह्वान करना चाहिए, जिससे कि वे कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार मिथ्याचार की क्या आवश्यकता है? जो आपके मस्तिष्क में है, उस पर ईमानदारी से चर्चा क्यों नहीं करते? अनावश्यक रूप से इस प्रकार का भाव उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जबकि आपके दिमाग में पूर्णतया दूसरी बात है। उन्होंने 'बन्द' का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पारित किया और जे० के० एल० एफ० के लोगों को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं। बाद में जब उन्होंने नियन्त्रण रेखा पार करने की चेष्टा की, तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उससे मात्र दो दिन पहले, उन्होंने जे० के० एल० एफ० के साथ मतैक्य दिखाने के लिए बहुत लम्बा भाषण दिया था। उसके पश्चात, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। वे बदल गए और बोले, "नहीं, नहीं हम आपको नियन्त्रण रेखा पार करने की अनुमति नहीं देंगे"। उन्हें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना पड़ा, क्योंकि इसके बहुत खराब और खतरनाक परिणाम थे।

माननीय सदस्य श्री खुराना ने कहा, "केवल कुछ बातें कहने और विषय को कूटनीतिक स्तर पर उठाने में क्या रखा है? आप जानते हैं कि प्रशिक्षण शिविर कहां हैं। कम से कम पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर पर तो कब्जा करने का प्रयत्न करें।" मेरे विचार में, इस प्रकार की टिप्पणियों का उत्तर देने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर हमें अपनी नाराजगी प्रकट करनी चाहिए। जब पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने इस तरह से आक्रामक-भाषा बोली तो विदेश सचिव ने उनके राजदूत को बुला कर कहा कि भारत के आन्तरिक मामलों में किसी किस्म का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। जब साफ-साफ तौर पर हमने यह कहा तो इसका असर हुआ। हम इस किस्म का साहस करने की बात नहीं सोचते, जोकि यहां हमारे दूसरे पक्ष की दलील है और जोकि हमें यह भी कह रहे हैं कि हमें सेना भेजनी चाहिए, उन पर आक्रमण करना चाहिए और उनके प्रशिक्षण शिविरों को तबाह कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ विमानों को गोले मार कर गिराया गया। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं यह नहीं समझता कि ऐसा किया गया होगा। इसके साथ-साथ मैं इससे इन्कार भी नहीं करूंगा और यह भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के सैनिक इसमें लिप्त नहीं हैं। मैं इस किस्म का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दे सकता और यह नहीं कह सकता कि पाकिस्तान बहुत सही है और उन्होंने अपनी सशस्त्र सेनाओं को सिविल ड्रैस में सीमा पार करने की आज्ञा नहीं दी है और जे० के० एल० एफ० के लोगों को अपनी सैनिक सहायता नहीं दी। हो सकता है कि वे कुछ ही मामलों में इन घटनाओं में लिप्त रहे हों। मैं इस बारे में विशेष रूप से नहीं कह सकता किन्तु मैं इसकी सम्भावना से भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास कर रहा है। शिमला समझौते के अनुसार दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण माहौल में इस मामले पर बातचीत करनी चाहिए थी और उन से यह उम्मीद थी कि ऐसी कोई स्थिति

पैदा न होने दें, जिससे तनाव हो। किसी न किसी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से, अब इन अत्यन्त संशयात्मक तरीकों से एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि भारत द्वारा तमाम गल्तियां की गई हों। पाकिस्तान यह बहाना बना रहा है कि उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी है और उन्होंने लोगों को नियन्त्रण रेखा पार करने की अनुमति नहीं दी। यह एक भ्रामक-सूचना अभियान का ही एक हिस्सा है, जोकि पाकिस्तान चला रहा है। हमें इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के उनके प्रयासों से अपने आप को सुरक्षित रखना है।

मानव-अधिकार संगठन के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं। इसके लिए हमारे यहां उनके स्थानीय स्रोत हैं। यह लोग यहां यूंही नहीं आते; हम उन्हें पूरी सूचना देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक माननीय सदस्य ने, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, उसके अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। हम इस विचार का विरोध भी नहीं करते, क्योंकि वास्तव में भारत एक ऐसा देश है जहां मानव अधिकारों का पूर्णरूपेण आभास होता है। मैं यह नहीं समझता कि कोई देश यह दावा कर सकता हो कि वह मानव अधिकारों की रक्षा कर रहा है। क्या मानव अधिकार केवल मारने वाले को ही प्राप्त हैं और मारने वाले को नहीं ? बस में, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे, तथा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे भोले-भाले लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन इन लोगों के बारे में वे कुछ भी जिक्र नहीं होता। मैं इस माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि हमने इसी बात पर ब्रिटेन के गृह सचिव तथा विदेश सचिव के साथ, उनकी भारत यात्रा के दौरान चर्चा की थी। यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जोकि मैंने उनसे किया था। मैंने उससे पूछा कि जो लोग मारे जा रहे हैं, जिन पर हर तरह का अन्याय हो रहा है, क्या वे उनके मानव अधिकारों को मान्यता देते हैं; लेकिन अभी भी आप इसे मानव अधिकारों का मामला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ आप इस बात में ज्यादा रुचि ले रहे हैं कि क्या मारने वालों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है अथवा नहीं ? मैं केवल दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सेना के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। जब ऐसी विस्फोटकारी स्थिति पैदा हो रही हो तो मैं समझता हूं कि कुछ भोले-भाले लोग भी मारे गए होंगे। मैं इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन जिस तथ्य पर हमें अपने आप को सन्तुष्ट करना है, वह यह है कि क्या इन लोगों पर साक्ष्य के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा नहीं। हम एक बात स्पष्ट रूप से चाहते थे और इसी कारण से मामला प्रैस काऊन्सिल आफ इण्डिया को सौंपा गया था। पत्रकारों का एक तीन सदस्यीय शिष्टमण्डल जम्मू और कश्मीर गया था। उन्होंने वापिस आकर यह सूचना दी कि बहुत से सेना अधिकारियों तथा अर्द्धसैनिक अधिकारियों, जिन्होंने अत्याचार किया है, के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उन पर न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। आरोप यह भी है कि सेना कर्मियों द्वारा 23 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। शिष्टमण्डल की रिपोर्ट मिली है कि यह बिल्कुल झूठ है और यह उनके विरुद्ध अपनाया जा रहा एक आम निन्दा अभियान है। यह अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं है अपितु प्रैस काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मुद्रित रिपोर्ट है। यह एक पूर्ण स्वायत्त निकाय है। उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि यह बिल्कुल झूठ है। इसके बावजूद भी यदि कतिपय माननीय सदस्य कुछ कहते हैं तो मैं इससे इन्कार नहीं करता। अपनी ओर से मैं यह प्रमाण-पत्र दे सकता हूं कि अर्द्धसैनिक बलों ने कोई गलती अथवा अत्याचार नहीं किया लेकिन अत्याचार करने के बाद, हम उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर रहे हैं अथवा नहीं,

यह कोई कसौटी नहीं बनती। जो कोई भी सन्तुष्ट होना चाहता है, हम इसे यह सन्तुष्टि करा सकते हैं कि वास्तव में एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और लोगों को दस वर्ष की जेल तक की सजा सुनायी गई है। कुछ सेना अधिकारियों को सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। हो सकता है कि किसी दूरदराज के क्षेत्र में कहीं कुछ हुआ हो, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। यह अलग बात है। जहां तक मुझे पता है, कम से कम संभव रूप से ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि भारत में मानव अधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है और इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह सही नहीं है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हमारी सेना अथवा अर्द्ध-सैनिक बलों को बदनाम करने की कोशिश को ध्यान में रखते हुए, जिस मामले की आपने 15 दिन तक प्रतीक्षा की, उस पर विचार किया और अंतत: यह पाया कि यह बलात्कार का मामला है, इसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में गृह मन्त्रालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आपको बताया है कि मैंने इस मामले को सीमा सुरक्षा बल के न्यायालय में जाने की अनुमति दे दी है। और यह मामला पहले से ही वहां दर्ज है।

अब मैं अनुच्छेद 370 की बात करूंगा। आप यह देखिए कि किस ढंग से इस मामले का प्रचार किया गया। हमें अपने मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि भारत में इसके विलय के समय हमने उनसे यह वायदा किया था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपाय के रूप में अपनाया जाएगा। ऐसा किसलिए किया गया? जब तक आप स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करके उनके मन को बदलने में सफल नहीं हो जाते और उन्हें यह कह कर कि इस मामले में वे स्वयं पहल करें कि हमें अनुच्छेद 370 नहीं चाहिए, तब तक यह कठिन है। इसलिए हमें माहौल तैयार करना होगा। यदि हम ऐसा माहौल तैयार नहीं करते और केवल यही कहते हैं कि हम अनुच्छेद 370 समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम घोर अन्याय करेंगे। अविश्वास की उस भावना से जोकि पंजाब चुनावों के समय पहले से ही वहां व्याप्त थी, जबकि अमानुल्ला खां तथा दूसरे लोग रात और दिन एक प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि कश्मीरी लोगों पर हर तरह का अन्याय किया जा रहा है और उस माहौल में आपने वहां जाना चाहा और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की, जोकि जख्मों पर नमक डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई और अर्थ है। ऐसा करने में और कौनसा अभिप्राय था? आप किन्हें यह सब सुना रहे हैं। अपने अनुगामियों को ही, जिन्हें आप अपने विमान में ले गए थे, यह सब सुना रहे हैं। केवल एक सौ लोग उसमें गए थे। केवल वे ही आपके अनुगामी थे जोकि अनुच्छेद 370 नहीं चाहते थे। क्या उसमें कोई कश्मीर में रहने वाला भी है? कोई नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपने विमान क्यों उपलब्ध कराया?

श्री एस० बी० चव्हाण : जी हां, यह भी एक बात है। मैं इस बात पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही उचित प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने उनको वायुमार्ग से जाने के लिए विमान दिया जाना क्यों आवश्यक समझा? यह न्याय की बात है और हरेक घटना के बाद कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। इसके लिए मेरे सामने तीन विकल्प हैं। जब मैं "मैं" कहता हूं, तो इसका अर्थ है स्थानीय अधिकारी और गवर्नर। वास्तव में, उन्होंने स्वयं यह निर्णय लिया था और हमने विमान

उपलब्ध करा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन निर्णय यों भी लेना पड़ा, क्योंकि इस समय 8000 अथवा 9000 लोगों को बनिहाल आने देना क्या उचित था अथवा अनुचित। उन्होंने स्वयं ही यह कहा था।

6.00 म० प०

उन्होंने स्वयं यह कहा था कि यहां तक कि उनकी बस पर भी गोलियां चलाई गई हैं। फिर भी वे बस में चलते रहे—हमें भली-भांति ज्ञात है—यद्यपि उन्होंने कहा कि आपका वक्तव्य है—कि यह हल्के ही निशाने थे और उनकी तो जान भी जा सकती थी—उन पर भी गोली चल सकती थी। मैंने यह देखा है कि इसकी अन्यथा व्याख्या की गई है। मेरा यह कर्त्तव्य था कि आप लोगों के ध्यान में लाया जाए कि यह सब अचानक घटित हुआ है। आप अपने जीवन के बारे में भारी जोखिम ले रहे हैं। फिर भी, यदि आप जाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके पश्चात् इस मुरली मनोहर जोशी के कहने पर, उन्हें एक हैलीकाप्टर उपलब्ध कराया गया था, यह हैलीकाप्टर उनके कहने पर ही उपलब्ध कराया गया था अब केवल बात यह रह जाती है कि क्या उनसे इसका प्रभार वसूल किया गया है। यदि वसूल किया गया है, तब कोई भी विमान को प्रयोग में ला सकता है; तब कोई भी, यदि वह इसका प्रभार देने में सक्षम है, हैलीकाप्टर का प्रयोग कर सकता है। बिल उन्हें भेजे गए थे जोकि उन्होंने चुकता कर दिए हैं। रसीद हमारे पास हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनका भुगतान हो गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जी, हां, उनका भुगतान हो गया है; उन्होंने बिल चुकते कर दिए हैं। इसलिए हमने सही ढंग से यह देखना है कि क्या इस तरह का कार्य करने की अनुमति देना उचित है अथवा नहीं। भगवान न करे, यदि चार-पांच लोग मर जाते, तो आपको पता है कि इस सभा में, किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। उस अवस्था में, ये प्रथम-श्रेणी के मुद्दे बन जाते और उनके उत्तर के लिए सरकार को भी चार-पांच दिन लग जाते। हमने उन्हें हैलीकाप्टर नहीं दिया; उन्होंने हमसे मांगा। हमने उन्हें एक हैलीकाप्टर उपलब्ध कराया और इसका प्रभार उनसे वसूल कर लिया है। उन्होंने बिल चुका दिए हैं। मैं उनकी स्थिति जानता हूं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इससे सरकार की विश्वसनीयता का साफ पता चलता है। वास्तव में, हम तो लोगों की जान बचाना चाहते थे, भले ही वे किसी भी दल के क्यों न हो। लेकिन वे ऐसा महसूस करते हैं, और यह मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि यही एक असली कारण था जिसके लिए हमें उन्हें किसी किस्म की चेतावनी भी देनी पड़ी।

सलाहकार समिति के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए थे। मैं इस बारे में अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करूंगा कि क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति बेहतर मंच सिद्ध हो सकती है अथवा कोई अन्य समिति स्थापित किए जाने की आवश्यकता है; यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं विचार करूंगा। निसंदेह, हम इस पर चर्चा भी करेंगे; इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री ई० अहमद : जम्मू और कश्मीर के एक भूतपूर्व सदस्य जो इस सभा के सदस्य नहीं थे, ने मुझे बताया है कि पिछले तीन वर्ष से किसी एक भी संसदीय समिति ने इस क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं

किया है। जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है तो संसदीय समिति को उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। इसलिए मैंने उस समिति में संसद सदस्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने यह देखा है कि जम्मू और कश्मीर के सदस्य वहां सलाहकार समिति की बैठक में आने के भी इच्छुक नहीं है। लेकिन इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। हम इस पर उचित ढंग से चर्चा कर सकते हैं। और यदि हमें ऐसा लगा कि इस विषय पर काम करने से कोई हानि नहीं होगी तो हम इस पर निर्णय लेंगे। सच पूछो तो हमें माननीय सदस्यों की सलाह मिलने पर बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं इस परिस्थिति में अपनी ओर से वचनबद्ध नहीं होना चाहता। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

मैं यह जानने का बहुत उत्सुक हूं कि क्या कभी प्रवासी, घाटी में वापस जाने की स्थिति में हैं और इसलिए इस स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि निकट भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने की बात मेरी नजर में है, जिसपर मैं उचित समय पर निर्णय लूंगा। और उसके बाद हम सभा के आम चुनावों के समय, सुरक्षा के विचार करेंगे लेकिन सरकार के विशेषज्ञों को इसी मामले में ध्यान केन्द्रीत करना होगा और यह देखना होगा कि हम इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालें।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार : सभापति महोदय, मैंने यह कहा था कि वहां के प्रशासक और गवर्नर के पास लोगों की समस्याओं के बारे में पत्र भेजे जाते हैं, लेकिन वहां से उत्तर नहीं आता।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 1992 से और छह मास की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.05 म० प०

सभापति महोदय : अब सभा कल पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 28 फरवरी, 1992/9 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली।